अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

अध्याय–13
विद्युत
Electricity

13.1 राज्य के आर्थिक विकास एवं आधारभूत संरचना में विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विगत वर्षों में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता सम्बन्धी योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चलने के उपरान्त भी विद्युत उपलब्धता और विद्युत मांग में अन्तर निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। विद्युत आपूर्ति समस्त आर्थिक गतिविधियों का आधार है तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति से ही तीव्र एवं समावेशी विकास सम्भव है। राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु गैर–परम्परागत स्त्रोतों को, अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत, सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

तालिका 13.1
उत्तराखण्ड में वर्षवार विद्युत क्षमता, उत्पादन तथा मांग

वर्ष Year	स्थापित क्षमता (मे०वा०) Installed Capacity (MW)	कुल विद्युत उत्पादन (मि०यू०) Total Electricity Production (MU)	कुल विद्युत मांग (मि०यू०) Total Electricity Demand (MU)
(1)	(2)	(3)	(4)
2011-12	1306.25	5261.82	10571.10
2012-13	1306.25	4812.11	11424.06
2013-14	1288.85	4411.83	11969.21
2014-15	1284.85	4348.95	12440.95
2015-16	1284.85	4942.33	12908.07
2016-17	1284.85	4379.47	13080.91
2017-18	1289.35	4725.66	13455.00
2018-19	1318.56	4663.08	13842.00
2019-20	1318.56	5088.88	13852.00
2020-21	1322.56	5539.00	13135.00
2021-22	1322.60	5157.27	14254.00
2022-23	1447.16	5433.20	15436.00
2023-24	1453.41	4984.53	15690.00
Dec 24	1440.60	4398.00	13046.00

Source: Uttarakhand Jal Vidhyut Nigam Ltd. & Uttarakhand Power Corporation Ltd.(Compiled in Statistical Diaries)

चार्ट 13.1

स्रोत: विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 13.2
विगत वर्षों में एटी0 एण्ड सी0 हानियों (Aggregate Technical & Commercial Losses) का विवरण

वित्तीय वर्ष	एटी0 एण्ड सी0 हानियाँ
2014 – 15	18.64%
2015 – 16	17.19%
2016 – 17	15.85%
2017 – 18	16.10%
2018 – 19	16.52%
2019 – 20	* 20.44 %
2020 – 21	15. 25%
2021 – 22	17. 20%
2022 – 23	15. 25%
2023 – 24	14.64%
2024 – 25	13. 86% (लक्षित)

स्रोत: विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

वर्ष 2014–15 में कुल एटी0 एण्ड सी0 लॉस (वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियां) लगभग 18.64 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2024–25 में एटी0 एण्ड सी0 लॉस को कम कर 13.86 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

13.1.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के विद्युत उपभोक्ताओं को बिलों के ऑनलाईन भुगतान हेतु विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराये गये हैं–

- वेबसाईट https://www.upcl.org/wss एवं उपभोक्ता मोबाईल एप (Android ,व IOS)

- विभिन्न थर्ड पार्टी एप जैसे RTGS/ NEFT के माध्यम से ऑनलाईन बैंक ट्रांसफर
- देव भूमि जन सेवा केन्द्र (CSC Outlet)
- ऑनलाईन भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में ऑनलाईन भुगतान पर 1.5% छूट
- वर्तमान में लगभग 70% विद्युत बिलों का भुगतान ऑनलाईन एवं लगभग 82% विद्युत राजस्व डिजिटल माध्यमों से प्राप्त हो रहा है।

चार्ट 13.2

Financial year-wise Digital Payments vs Digital Collection upto Dec-2024

स्रोत: विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 13.3

Financial year-wise Digital Payments vs Digital Collection upto Dec-2024

स्रोत: विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

Customer Care Center at Dehradun

राज्य में उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पिटकुल तथा उरेडा के माध्यम से निम्नानुसार कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है–

13.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited)–

13.2.1 33/11 के0वी0 उपस्थानों का निर्माण:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में 31 दिसम्बर, 2024 तक 41 एम0वी0ए0 क्षमता का 02 नग, नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थानों एवं 98 कि.मी. नयी 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण किया जा चुका है।

13.2.2 पुनोंत्थान वितरण क्षेत्र योजना Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)– केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 05 वर्षों की अवधि में विद्युत वितरण क्षेत्र के लिये एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) (RDSS) का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। योजना में विद्युत वितरण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर DISCOM को सशक्त वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। यह वित्तीय सहायता पूर्व अर्हता मापदण्डों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बैंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित है।

अखिल भारतीय स्तर पर योजना का परिव्यय ₹ 3,03,758 करोड़ है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित ₹ 97,631 करोड़ का Gross Budgetary Support (GBS) निर्धारित किया गया है।

तालिका 13.3

Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) योजना का उद्देश्य:

- वित्तीय रूप से स्थायी और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना।
- वर्ष 2024–25 तक AT&C हानियों में अखिल भारतीय स्तर पर 12%–15% के स्तर तक कम करना है।
- **ACS-ARR के gap को कम करके वर्ष 2024–25 तक शून्य करना।**

1: Prepaid Smart Metering

Prepaid Smart Metering के अन्तर्गत निम्न मुख्य कार्य किये जाने हैं:

- 15.84 लाख उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना।
- 2602 नग फीडर मीटरिंग।
- 58212 नग वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग।
- 3334 नग HT उपभोक्ताओं का मीटरिंग कार्य।

2: Distribution Infrastructure Work-

Loss Reductions Works - Loss Reductions Works के अन्तर्गत निम्न मुख्य कार्य किये जाने हैं:

- 4837 किमी LT केबिल को AB केबिल से बदलना।
- 10 नग फीडरों का पृथक्कीकरण।
- 469 नग DTR Structure तथा 8828 नग क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने का कार्य।

3: Project Management-

Prepaid Smart Metering को सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (PPP) मोड में लागू कर उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। Smart Meter उपभोक्ताओं को मासिक आधार के बजाय नियमित आधार पर अपनी बिजली की खपत की निगरानी की सुविधा देगा जो उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के सन्दर्भ में बिजली के उपयोग में मदद कर सकेगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा एवं विद्युत हानियों को कम किये जाने तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

System Meter, Prepaid Smart Meter से प्राप्त डाटा का विश्लेषण IT/OT उपकरणों के माध्यम से किया जायेगा एवं बिलिंग प्रणाली के साथ integrate किया जायेगा।

चिन्हित शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण होगा जिसमें सभी शहरी क्षेत्रों में परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षी नियन्त्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

योजना में केन्द्र सरकार से अनुदान का प्राविधान :

योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड राज्य, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में चिन्हित है जिसमें Smart Prepaid Metering, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग एवं प्रणाली मीटरिंग के लिये स्वीकृत लागत का 22.5 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 1350.00 (परिचालन लागत सहित) अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

Distribution Infrastructure Works] DMS, AB Cable, फीडर पृथक्कीकरण एवं स्काडा हेतु स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत (पूर्व अर्हता मापदण्डों को पूरा करना एवं बुनियादी बैंचमार्क की उपलब्धि पर) अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

नोडल एजेंसी

योजना के क्रियान्वयन में राज्य हेतु मै0 पी0एफ0सी0, नई दिल्ली नोडल एजेंसी नामित की गई है।

योजना में स्मार्ट मीटरिंग के कार्य हेतु ₹ 1099.84 करोड़ तथा विद्युत हानि को कम करने के कार्य हेतु ₹ 1428.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

प्रगति–

Smart Prepaid Metering:

योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के लिए AMISP (Advance Metering Infrastructure Service Provider) की नियुक्ति कर गढ़वाल क्षेत्र में M/s Genus Power Solutions Pvt. Ltd., Rajasthan एवं कुमाऊं क्षेत्र में M/s Adani Energy Solutions Ltd., Gujrat के साथ मार्च–2024 को अनुबन्ध किया जा चुका है।

Loss Reduction Work:

1. योजना में किये जाने वाले कार्यों के अनुबन्ध हेतु समस्त मण्डलों के 12 पैकेजों के अनुबन्ध किये जा चुके हैं।

2. RT-DAS का निविदा कार्य पूर्ण कर कार्य दिनांक 04.12.2023 को M/s Synergy System Solution, Faridabad, Haryana को आवंटित कर दिया गया है।

3. IT/OT के अन्तर्गत ERP के लाइसेंस हेतु आवंटित कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

4. ERP Hardware License के कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है।

5. System Integration & Billing System कार्यों हेतु निविदा को दिनांक 27.08.2024 में स्क्रैप (Scrap) कर दिनांक 28.08.2024 को पुनः निविदा जारी कर दी गई है।

❖ ITBP- Border Out Post की चौकियों एवं Vibrant Village Program के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है।

❖ PM-JANMAN योजनान्तर्गत 669 नं0 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) लाभार्थियों को विद्युत संयोजन प्रदान कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

13.2.3 Asian Development Bank (ADB) पोषित योजना:– Asian Development Bank (ADB) द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित है–

- देहरादून शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित एच०टी० एवं एल०टी० लाईनों को भूमिगत किये जाने के कार्य। (कार्य की लागत ₹ 886.40 करोड़)
- 03 नग नये 33/11 के०वी० उपस्थानों का निर्माण तथा 26 नग निर्मित 33/11 के०वी० उपस्थानों की क्षमतावृद्धि के कार्य। (कार्य की लागत ₹ 70.38 करोड़)
- प्रस्तावित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु Project Implementation Support Consultant (PISC) की नियुक्ति। (कार्य की लागत ₹ 20.25 करोड़)

उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष देहरादून शहर की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने हेतु सर्वे के उपरान्त तैयार डी०पी०आर० को अनुमोदित कर दिया गया है।

पी०डब्ल्यू०डी०, एम०डी०डी०ए० एवं नगर निगम इत्यादि विभागों से रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा erection का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

Project Implementation Support Consultant (PISC) नियुक्त करने हेतु निविदा की भाग–2 (वित्तीय/दरें) के उपरान्त चयनित संस्था की Ranking हेतु ADB से NoC प्राप्त हो चुकी है। माह जनवरी, 2025 में चयनित PISC के साथ अनुबन्ध किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 में ₹ 400.00 करोड़ के बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹ 200.00 करोड़ उ०पा०का०लि० को अवमुक्त कर दिये गये हैं। माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 91.89 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। योजना के कार्य वर्ष 2026–27 तक पूर्ण किये जाने लक्ष्यान्वित हैं।

1	**वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेषी (Innovative) योजना का विवरण:** • पी०एम० सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 300 यूनिट तक बिजली का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा 1 कि०वा०, 2 कि०वा० एवं 3 कि०वा० तक के सोलर प्लांट स्थापित करने पर ₹ 30,000/–, ₹ 60,000/– एवं ₹ 85,800/– तक की सब्सिडी तथा राज्य सरकार द्वारा 1, 2 एवं 3 कि०वा० पर क्रमशः ₹ 17,000/–, ₹ 34,000/– एवं ₹ 51,000/– तक की सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है। • पी०एम० सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से कुल 21407 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष 21351 आवेदन पत्र अनुमोदित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 11068 (42.53 मेगावाट क्षमता) सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 12180 उपभोक्ताओं को ₹ 87.51 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है। • वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्माण हेतु कुल 47.50 एम०वी०ए० क्षमता के 04 नग (1. श्री केदारनाथपुरी धाम, 2. नयपुर पाडली, हल्द्वानी 3. राजकीय आई०टी०आई०, दहरिया, हल्द्वानी 4. काठगोदाम, हल्द्वानी) 33/11 के०वी० सबस्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित हैं। • केन्द्र पोषित आर०डी०एस०एस० योजना के अन्तर्गत 275 सबस्टेशन पर RT-DAS (Real Time Data Acquisition System) प्रणाली को स्थापित करने का कार्य 04 सितम्बर, 2023 से प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक 137 नग सबस्टेशनों पर RT-DAS प्रणाली की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2	**वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण :** उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं एवं आन्तरिक स्रोत के माध्यम से कार्य किये गये। इन योजनाओं के दौरान सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया।

1	**विगत 05 वर्षों (2019 से 2024) के अन्तर्गत विभागीय (मुख्य क्रियाकलाप) प्रगति का संक्षिप्त विवरण :** ▪ श्री केदारनाथ जी धाम को निर्बाध एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु सोनप्रयाग में 2X3 MVA क्षमता के 33/11 के0वी0 उपसंस्थान को ऊर्जीकृत कर क्षेत्र की लो वोल्टेज की समस्या का निवारण किया गया। ▪ आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के कुम्भ क्षेत्र में उपरगामी विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का कार्य पूर्ण किया गया। ▪ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एकीकृत विद्युत विकास योजना (आई0पी0डी0एस0) के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में राज्य के 36 चयनित शहरों में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु क्षमतावृद्धि, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण इत्यादि से सम्बन्धित 33 के0वी0, 11 के0वी0, एल0टी0 लाइनों एवं उपसंस्थानों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य पूर्ण किये गये। ▪ आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के 10 नगरों (देहरादून, मुनि–की–रेती, रूड़की, हरिद्वार, कोटद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, किच्छा तथा सितारगंज) में 10 नग GIS (Gas Insulated Switchgear) आधारित उपसंस्थानों के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये। ▪ आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में देहरादून शहर (32 नग) एवं हरिद्वार शहर (7 नग) के विभिन्न सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफ टॉप कुल क्षमता 2587 के0डब्ल्यू0पी0 की स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया। ▪ आई0पी0डी0एस0 योजना के तहत RT-DAS (Real Time Data Acquisition System) के द्वारा 66 नगरीय क्षेत्रों के 11 के0वी0 फीडरों की SAIFI/SAIDI की गणना तथा नियोजित एवं अनियोजित विद्युत आपूर्ति व्यवधानों के स्वचालित पृथक्कीकरण हेतु कार्य मई–21 में समय से पूर्व पूर्ण किये गये तथा उत्तराखण्ड राज्य देश में यह परियोजना पूर्ण करने वाला प्रथम राज्य है। ▪ केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के अन्तर्गत सभी अविद्युतीकृत ग्रामों का शत–प्रतिशत विद्युतीकरण, 44 कृषि व अकृषि फीडरों का पृथक्कीकरण एवं 5469 तोकों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया तथा योजना का बन्दीकरण माह मार्च, 2022 में नोडल एजेन्सी मै0 आर0ई0सी0 लि0 को प्रेषित किया जा चुका है।

13.3 उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (Uttarkhand Jal Vidhut Nigam Limited):–

अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भूमिका स्वीकार्यता के साथ–साथ विद्युत राजस्व उत्पादन, रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन–सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।

जल विद्युत क्षेत्र प्रदेश में जल विद्युत के विकास के आर्थिक विस्तार के साथ–साथ पर्यावरण एवं सामाजिक पक्ष पर भी बल देता है। जल विद्युत के 25514 मेगावाट क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन, बढ़ावा व विकास करने की दिशा में अनुकूल नीतियों का निर्धारण करना है। राज्य जल विद्युत के विकास को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से गति प्रदान हो रही है। जल विद्युत विकास हेतु नदी बहाव पर चाहे नदियों का संगम हो या जल प्रपात, को जीवित रखने पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल दोहन क्षमता 25514 मे0वा0 है, जिसमें परिचालन के अन्तर्गत 4263 मे0वा0 निर्माणाधीन के अन्तर्गत 2369 मे0वा0, डी0पी0आर0 अनुमोदित/स्वीकृति प्राप्त/प्रक्रियाधीन के अन्तर्गत 7294 मे0वा0 तथा सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन के अंतर्गत 7335 मे0वा0 की परियोजना तथा 3834 मेगावाट की रूकी हुई परियोजनाये हैं एवं 418 मे0वा0 की ऐसी परियोजनायें हैं जोकि अभी तक आवंटित नहीं की गयी हैं।

राज्य पोषित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अंशपूंजी एवं ऋण प्रदान किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत वृहद जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं का

जीर्णोद्धार शामिल है। लखवाड़ (300 मे0वा0) पर अंशपूंजी/केन्द्रीय सहयोग के द्वारा निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ (120 मे0वा0) का अनुसंधान कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पी0आई0बी0 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है एवं निविदा संबंधी कार्य किया जा रहा है। सेला उर्थिंग (114 मे0वा0) पर भी अनुसंधान एवं नियोजन का कार्य तथा डी0पी0आर0 बनाने का कार्य गतिमान है।

13.3.1 व्यासी परियोजना (120 मे0वा0)

व्यासी परियोजना (120मे0वा0) पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दिसम्बर, 2021 को व्यासी परियोजना (120मे0वा0) के लोकार्पण उपरान्त 353 मि0यू0 का विद्युत उत्पादन हो रहा है।

13.3.2 लखवाड़ परियोजना (300 मे0वा0)

इस राष्ट्रीय परियोजना द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। परियोजना का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

13.3.3 किशाऊ परियोजना (660 मे0वा0)

इस राष्ट्रीय परियोजना में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना की लागत, जल घटक एवं विद्युत घटक का निर्धारण कर दिया गया है, जिसकी संशोधित लागत 11500 करोड़ है, जिसमें परियोजना के जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित परियोजना के निर्माण हेतु 50-50 प्रतिशत की सहभागिता के आधार पर ''किशाऊ कारपोरेशन लिमिटेड'' के नाम से एक अन्य कम्पनी का गठन 2017 में किया गया है। कम्पनी की निदेशक मण्डल की बैठकों के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

13.3.4 बावला नंदप्रयाग (300 मे0 वा0) की डी0पी0आर0 के सभी अध्यायों का सी0ई0ए0/सी0डब्ल्यू0सी0 से अनुमोदन प्राप्त हो गया था एवं तकनीकी आर्थिक स्वीकृति मात्र ही शेष थी परन्तु सी0डब्ल्यू0सी0 द्वारा मई 2022 में पूर्व में दी गयी सभी स्वीकृतियों को लम्बित किया गया है। साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन प्रारम्भ करने हेतु Term of Reference (ToR) निर्गत किया जाना, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में लंबित है।

13.3.5 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने हेतु यूजेवीएन लिमिटेड एवं टी0एच0डी0सी0 का संयुक्त उपक्रम ''मै0 टी0एच0डी0सी0आई0एल0 यूजेवीएन लिमिटेड एनर्जी कम्पनी लिमिटेड'' का गठन कर 05 परियोजनाएं जिसमें 03 जल विद्युत परियोजनाएं कुल क्षमता 486 मे0वा0 एवं 02 पम्प स्टोरेज परियोजनाएं कुल क्षमता 1230 मे0वा0 की आवंटित की गयी है।

साथ ही यूजेवीएन लिमिटेड को लखवाड़ परियोजना के डाउन स्ट्रीम में 300 मे0वा0 की पम्प स्टोरेज एवं 60 मे0वा0 की हनोल-त्यूनी परियोजनाएं आवंटित की गयी हैं।

13.3.6 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना में सुरिनगाड-।। (5 मे0वा0) पूर्ण है। वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत पीएनबी से वित्त पोषित कालीगंगा-।। (4.5 मे0वा0) का लोकार्पण माह दिसम्बर 2022 को किया गया एवं पीएनबी से वित्त पोषित मद्महेश्वर (15 मे0वा0) लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो मार्च 2024 में पूर्ण हो गया है।

13.3.7 बाह्य सहायतित योजनाओं में DRIP-2&3 (Dam Rehabilitation Improvement Program) के द्वारा पुराने बैराज एवं बांधों का सुरक्षा की दृष्टि से पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनेरी डैम, इछाड़ी डैम, वीरभद्र बैराज,

डाकपत्थर बैराज, जोशियाड़ा बैराज एवं आसन बैराज शामिल हैं।

13.3.8 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत माह अगस्त 2017 में पौड़ी जनपद में स्थित 1.50 मे0वा0 स्व0 राम प्रसाद नौटियाल लघु जल विद्युत परियोजना दुनाव, माह जनवरी, 2018 में चमोली जनपद में स्थित 3 मे0वा0 उर्गम, फरवरी 2018 में उत्तरकाशी जनपद में स्थित 2.25 मे0वा0 पिलंगाड एवं जुलाई 2020 में रूद्रप्रयाग जनपद में स्थित 4 मे0वा0 कालीगंगा–1 का निर्माण कार्य पूर्ण कर नियमित रूप से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

निगम की ऐसी परियोजनायें जो कि अपनी आयु पूर्ण कर चुकी हैं, को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर0एम0यू0 के कार्य तेजी से पूर्ण किये जा रहे हैं, जिससे इन परियोजनाओं में लगभग 20 प्रतिशत की उत्पादन वृद्धि प्राप्त हुई है। इसी क्रम में 90 मेगावाट के तिलोथ विद्युत गृह के आर0एम0यू0 के कार्य सितम्बर 2022 में एवं 51 मेगावाट ढालीपुर के कार्य अक्टूबर 2023 में पूर्ण कर लिये गये हैं। 33.75 मे0वा0 के ढकरानी एवं 144 मे0वा0 के चीला विद्युत गृहों के आर0एम0यू0 कार्य जारी है।

13.3.9 यूजेवीएन लि0 द्वारा अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में 27.905 मे0वा0 की सोलर परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो डाकपत्थर, ढकरानी तथा पथरी में अवस्थित हैं एवं प्रति वर्ष लगभग 34.00 मि0यू0 से 40.00 मि0यू0 का विद्युत उत्पादन नियमित रूप से हो रहा है। इसके अतिरिक्त 17 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

1. कुमाऊँ क्षेत्र में 12 मे0वा0 की तांकुल परियोजना की पुनरीक्षित डीपीआर प्रक्रियाधीन है, 15 मे0वा0 की पैनागाड, 12 मे0वा0 की सिम्बलगाड़ की डीपीआर अनुमोदित हो चुकी है एवं भूमि संबंधी अनुमति प्रक्रियाधीन है।

2. 120 मे0वा0 की सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ का अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं पी0आई0बी0 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है एवं निविदा संबंधी कार्य किया जा रहा है। 114 मे0वा0 की सेलाउर्थिंग जल विद्युत परियोजना अनुसंधान एवं नियोजन चरण में है।

3. गढ़वाल क्षेत्र में मिलगना द्वितीय–A (24 मे0वा0) क्षमता की पी0आई0बी0 की अनुमति प्राप्त हो गयी है परन्तु भारत सरकार की अनुमति उपरान्त ही आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

4. मिलगना द्वितीय–B (24 मे0वा0), की डीपीआर अनुमोदित हो गयी है एवं टैक केस हेतु प्रक्रिया जारी है, सिम्बलगाड (2 मे0वा0), तपोवन (2.0

तालिका: 13.4

यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा जल विद्युत के उत्पादन का विवरण

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (मि0यू0)	उत्पादन (मि0यू0)
2017–18	5001	4730
2018–19	4700	4983
2019–20	4922	5358
2020–21	5050	4754
2021–22	4837	5157
2022–23	5300	5433
2023–24	5345	4950
2024–25 (सितम्बर तक)	3326	4268

स्रोत: यूजेवीएन लिमिटेड

मे0वा0) परियोजनाओं का डीपीआर निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं मुन्धकाली (1.5 मे0वा0) डीपीआर पूर्ण कर ली गयी है।

5. आराकोट–त्यूनी (81 मे0वा0) तथा त्यूनी–प्लासू (72 मे0वा0)जल विद्युत परियोजनायें यूजेवीएनलि0 को आवंटित की गई है, इन परियोजनाओं के निर्माण कार्यों हेतु प्रक्रिया गतिमान है। त्यूनी–प्लासू परियोजना की पी0आई0बी0 स्वीकृति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है एवं निविदा संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रमुख नवोन्मेषी (innovative) योजना का विवरण

- विभाग द्वारा नवोन्मुखी परियोजना

अ) यूजेवीएन लिमिटेड एवं वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के मध्य सतही विद्युत टरबाईन के शोध एवं विकास हेतु समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें कैनालों एवं नहरों में सतही टरबाईन लगाकर उत्पादन किया जायेगा। सतही परियोजनाओं के विकास हेतु स्थायी संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है और न ही प्रकृति को कोई नुकसान होता है। प्रथम चरण में ढकरानी विद्युत गृह के डाउनस्ट्रीम में 100 कि0वा0 की हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है।

ब) जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्मिकों हेतु मुख्य प्रगति संकेतक आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू जिसके आधार पर कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान।

स) पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये निगम में समस्त कार्यों हेतु शैड्यूल ऑफ रेट्स लागू किया गया।

द) विभिन्न कार्यों के लिये निविदाओं में समरूपता हेतु मानक निविदा प्रपत्र (Standard Bid Documents) लागू किये गये।

य) ग्रीन हाइड्रोजन एवं जियोथर्मल के क्षेत्र में भी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।

र) यूजेवीएन लि0 द्वारा स्वयं 06 पम्प स्टोरेज परियोजनाओं (2850 मे0वा0) एवं (TUECD) के साथ 02 परियोजनाओं (1230 मे0वा0) का विकास किया जाएगा।

ल) बैटरी इनर्जी स्टोरेज स्कीम (BESS) की तीन परियोजनाऐं 5 मे0वा0 / 12.5 मे0वा0 मार्च 2026 तक पूर्ण की जायेगी।

13.3.10 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण: जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से जहाँ परियोजना के आस पास के क्षेत्र का विकास होता है, वहीं रोजगार, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा भी क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप 120 मे0वा0 की व्यासी परियोजना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है वहीं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति जोकि 28 जून 2013 को निर्गत की गयी है, से स्थानीय लोगों जिनकी जमीनें परियोजना में निहित की गयी है, को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है। इस नीति के अंतर्गत 57 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त

हुआ है एवं अपरोक्ष रूप से स्थानीय बेरोजगारों को छोटे–छोटे निविदा के माध्यम से, स्थानीय समितियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है। नये रोजगारों की दिशा में वर्ष 2023–24 में 11 एवं 2024–25 में अब तक 57 कार्मिकों की विभिन्न पदों पर भर्ती की गयी।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के क्रियान्वयन में रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण :

- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के वर्ष 2010 के निर्णय के अनुसार लगभग 1401 मे0वा0 की परियोजनायें रोक दी गयी हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6736/2013 अनुज जोशी बनाम अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड एवं अन्य प्रकरण में दिये गये निर्णय के कारण अलकनंदा एवं भागीरथी नदी घाटी में 24 जल विद्युत परियोजनाओं कुल क्षमता 2945 मे0वा0 के क्रियान्वयन में रोक लगी हुयी है। उक्त के अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने से उक्त क्षेत्र में प्रस्तावित 15 जल विद्युत परियोजनायें कुल क्षमता 1743 मे0वा0 का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय एवं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कॉमन पॉलिसी फ्रेम वर्क के अन्तर्गत अगस्त 2021 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किये गये शपथपत्र में केवल 7 जल विद्युत परियोजनाओं (टिहरी द्वितीय चरण, तपोवन विष्णुगाड, विष्णुगाड पीपलकोटी, सिंगोली भटवाड़ी, फाटा ब्यूंग, मदमहेश्वर एवं कालीगंगा–द्वितीय) के निर्माण पर संस्तुति प्रदान की गयी है। जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0), भागीरथी ईको–सेंसटिव जोन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वर्तमान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित कुल 70 जल विद्युत परियोजनाओं में से 44 जल विद्युत परियोजनाओं, कुल क्षमता 4797 मे0वा0 के निर्माण पर रोक लगी हुई है।
- उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन न होने से राज्य को आर्थिक रूप से हानि हो रही है जिससे उक्त क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है।

13.3.10 राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों (Investment, Technology and Innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरण: विश्व बैंक सहायतित ड्रिप के अन्तर्गत विभिन्न बाँध एवं बैराज के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य गतिमान हैं, जिससे 40 वर्ष पूर्व स्थापित डैम एवं बैराज की सुरक्षा एवं जीवन वृद्धि प्राप्त होगी। 90 मे0वा0 के तिलोथ एवं 51 मे0वा0 की खटीमा के आर0एम0यू0 के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। 33.75 मे0वा0 की ढकरानी एवं 144 मे0वा0 की चीला विद्युत गृह के आर0एम0यू0 के कार्य जारी है।

13.4 उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (Uttarakhand Renewable Energy Development Authority):-

1. सोलर स्ट्रीट लाईटो की स्थापना :– जनपद उधमसिंह नगर में धनराशि रु0 100 लाख से कुल 2000 संख्या सोलर स्ट्रीट लाईटो की स्थापना का कार्य पूर्ण कराया गया है।

2. उत्तराखण्ड राज्य सौर नीति–2023 :–राज्य में हरित ऊर्जा के विकास एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य सौर ऊर्जा नीति–2023 प्रख्यापित की गई है। जिसमें वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित है जिसके अन्तर्गत आर0पी0ओ0 की पूर्ति हेतु सौर परियोजनाएँ, रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना एवं उद्योगों द्वारा स्वंय की खपत की पूर्ति हेतु कैप्टिव सोलर पावर प्लान्ट एंव अन्य सोलर संयत्रों जैसे–सोलर स्ट्रीट लाईट, सोलर हाईमास्ट लाईट आदि की स्थापना लक्षित है।

वर्ष 2019 से वर्तमान तक आवंटित 283 परियोजनाओं में से 238 (सम्मिलित क्षमता 170.00 मे0वा0) स्थापित हो चुकी है।

3. शासकीय भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट योजना :– राज्य के समस्त शासकीय भवनों पर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 100.00 करोड़ स्वीकृत किये गये है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 344 शासकीय भवनों में 18.50 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जानी है।

4. पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना :– एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत 01 कि0वा0 से 02 कि0वा0 तक ₹ 33,000.00 प्रति कि0वा कुल 66000.00 तथा 03 कि0वा0 पर 19800.00 अधिकतम, कुल ₹ 85,800.00 का अनुदान प्रदान किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी मैचिंग ग्रान्ट के रूप में लाभार्थियों को अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 1 कि0वा0 से 10 कि0वा0 तक के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट पर ₹ 17000.00 प्रति कि0वा0 एवं अधिकतम सीमा ₹ 51,000.00 तक अनुदान अनुमन्य है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत यू0पी0सी0एल0 के घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट स्थापित किये जा सकते हैं। इस योजना हेतु एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in पर online आवेदन किये जा रहे है। वर्तमान तक कुल 759 लाभार्थियों को 2.28 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना के सापेक्ष कुल ₹ 367.52 लाख का राज्य अनुदान निर्गत किया जा चुका है।

एम0एन0आर0ई0 भारत सरकार द्वारा जिन उपभोक्ताओं को अनुदान का भुगतान कर दिया गया हो, जिला उरेडा कार्यालय में उक्त स्वीकृति संबंधी उनके दस्तावेजों सहित, आधार कार्ड/बैंक खाता के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा किये जायेगें। परियोजना अधिकारी उरेडा उत्तराखण्ड द्वारा सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।

5. लघु जल विद्युत परियोजना :– राज्य में उरेडा द्वारा वर्तमान में कुल 08 लघु जल विद्युत परियोजनाएँ संचालित है जिनकी कुल संयत्रों क्षमता 6.150 मेगावाट है जिनसे प्रतिवर्ष 28.48 मिलियन यूनिट का विद्युत उत्पादन कर ग्रिड में प्रवाहित कर ग्रिड स्टेबिलिटी को बेहतर किया जा सकता है।

6. सोलर वाटर हीटर पर राज्य अनुदान :– घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना के सापेक्ष आवेदन अनुसार क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से पोर्टल तैयार कराया गया है। पोर्टल पर लाभार्थी स्वयं स्थापना के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान तक

108 लाभार्थियों को कुल सम्मिलित क्षमता 37200 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना के सापेक्ष ₹ 29.96 लाख का राज्य अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

आवेदन एवं चयन हेतु Online portal www.uredaonline.uk.gov.in विकसित किया गया है। आवेदनकर्ता Online portal पर अपने मोबाईल नम्बर, स्थापना स्थल की सूचना, आधार कार्ड, विद्युत बिल, स्थापित संयत्र के बिल की प्रति, निर्धारित स्व–घोषणा पत्र, अनुदान प्राप्त करने हेतु खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति तथा निदेशक उरेडा के पक्ष में निर्धारित आवेदन शुल्क के ड्राफ्ट की प्रति/ऑनलाईन आवेदन शुल्क स्थानान्तरित किये जाने की रसीद portal पर अपलोड कर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय स्थापित संयत्र की क्षमता का अंकन किया जाना होगा।

प्रति 100 ली० प्रतिदिन क्षमता हेतु ₹ 100/– के आधार पर क्षमता अनुसार आवेदन शुल्क Online पोर्टल में किया जाना होगा। निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

आगामी वित्तीय वर्षों में भी अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों में से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के सापेक्ष "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर उपलब्ध बजट धनराशि सीमा तक ही अनुदान अवमुक्त किया जायेगा।

7. सोलर हाईमास्ट एवं सोलर स्ट्रीट लाईट– प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक उपयोग हेतु 26390 सोलर स्ट्रीट लाईट एवं 1016 हाईमास्ट की स्थापना लक्षित है जिसमें से 9769 सोलर स्ट्रीट लाईटों एवं 382 हाईमास्ट संयत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है तथा शेष संयत्रों का स्थापना कार्य प्रगति पर है।

8. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बायोगैस योजना :– ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की पूर्ति के लिये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत पारिवारिक बायोगैस संयत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। बायोगैस संयत्र की स्थापना से उच्च कोटि की खाद (कम्पोस्ट) प्राप्त की जा सकती है। छोटे बायोगैस प्लान्ट में अनुमानित धनराशि ₹ 40,000.00 लगभग व्यय होती है तथा विभाग से रू० 22,000.00 का अनुदान दिया जाता है।

वर्ष 2009–10 से वर्तमान तक 7231 पारिवारिक बायोगैस संयत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 165 पारिवारिक बायोगैस संयत्रों की स्थापना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 125 बायोगैस संयत्र की स्थापना कराई जा चुकी है।

9. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना :– पात्र आवेदकों/लाभार्थियों को 20/25/50/100 एवं 200 कि०वा० क्षमता की सौर परियोजनाओं का आवंटन कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

- 20 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 10 लाख एवं 300–400 वर्ग मी० भूमि की आवश्यकता होगी।
- 25 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 12.50 लाख एवं 300–400 वर्ग मी० भूमि की आवश्यकता होगी।
- 50 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 25.00 लाख एवं 750–1000 वर्ग मी० भूमि की आवश्यकता होगी।
- 100 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 50.00 लाख एवं 1500–2000 वर्ग मी० भूमि की आवश्यकता होगी।
- 200 किलोवाट हेतु अनुमानित व्यय ₹ 100.00 लाख एवं 3000–4000 वर्ग मी० भूमि की

आवश्यकता होगी।

चयनित लाभार्थीयों को जिला सहकारी बैंकों से 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। MSME नीति–2023 के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ/प्रोत्साहन देय है। आवंटित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा 25 वर्षों के लिये क्रय किया जायेगा। विक्रय की गयी विद्युत का टैरिफ दरों के अनुसार यू0पी0सी0एल0 द्वारा भुगतान किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है। आवेदक द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु केवल प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाईटी के रूप में स्थापना अनुमन्य नहीं होगी। ऑन लाइन पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन हेतु स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, आवेदन शुल्क, शपथ पत्र, प्रस्तावित भूमि विवरण सम्बन्धित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पूर्ण पाये जाने पर यू0पी0सी0एल0 को TFR हेतु प्रेषित किया जायेगा, यू0पी0सी0एल0 द्वारा उक्त कार्यवाही के उपरान्त आवेदन को वापस उरेडा को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके उपरान्त जनपदीय कार्यालय द्वारा आवंटन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करते हुये समिति के अनुमोदन उपरान्त उरेडा द्वारा आवेदक को सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन किया जाता है। वर्तमान तक 174 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है।

13.5 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PTCUL):–

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) उत्तराखंड सरकार का उद्यम और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। साथ ही पिटकुल विद्युत अधिनियम 2003 में परिभाषित एसटीयू है, जिसका मूल उद्देश्य अतिरिक्त उच्च वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज, निम्न वोल्टेज लाईनों और सब–स्टेशनों का अधिग्रहण, स्थापना, निर्माण और संचालन करना है।

वर्तमान में पिटकुल के उपकेन्द्रों की कुल संख्या 45 से बढ़कर 50 (कुल 9312.5 एम0वी0ए0) क्षमता एवं पारेषण लाईनों की कुल लम्बाई 3456 सर्किट कि0मी0 से बढ़कर 3510.59 सर्किट कि0मी0 हो गई है।

वर्ष 2023–24 में पिटकुल की विद्युत पारेषण उपलब्धता (Transmission System Availability) 99.70 प्रतिशत, पारेषण हानियाँ (Line Loss) 1.04 प्रतिशत है जो कि अन्य राज्यों की श्रेष्ठतम् पारेषण निगमों के समतुल्य है। पिटकुल को REC द्वारा A+ की क्रेडिट रेटिंग दी गई है जिसके फलस्वरूप पिटकुल को ऋण में 0.25 फीसदी की छूट मिलेगी, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में प्राप्त हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पिटकुल द्वारा चम्पावत जिले में सी0एस0आर0 मद के अन्तर्गत Women Technology Park की स्थापना एवं 10 आंगनबाड़ी केन्द्र के सुदृढ़ीकरण हेतु पिटकुल द्वारा कुल 116.84 लाख स्वीकृत किये गये।

प्रतिदिन विद्युत की बढ़ती मांग, तेजी से हो रहे शहरीकरण, उद्योगों के विस्तार तथा चार धाम एवं अन्य धार्मिक यात्राओं में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण विद्युत की मांग में वृद्धि तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड हेतु नवम्बर 2022 में जारी 20वीं National Electricity Plan of CEA Resources Adequacy Plan को ध्यान में रखते हुए पिटकुल,

उपाकालि एवं यू.जे.वी.एन.एल. संयुक्त रूप से उत्तराखण्ड राज्य का पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क प्लान तैयार किया गया जिसको माह सितम्बर 2024 में स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्तमान में पिटकुल द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं का संक्षेप विवरण:–

13.5. 1400 के0वी0 तपोवन–विष्णुगाड–

पीपलकोटी लाईन:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 38 सर्किट कि0मी0 लम्बी तपोवन–विष्णुगाड–पीपलकोटी लाईन हेतु माह अक्टूबर 2024 तक रू0 4194.92 लाख व्यय किया गया है, परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.2 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन (पीपलकोटी से नाकोट पैकेज 1)–वित्तीय वर्ष 2023–24 माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 15362.51 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.3 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन (नाकोट से दानपुर पैकेज 2)–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 19584.13 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 88 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर 2024 है।

13.5.4 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी श्रीनगर लाईन (दानपुर से 400 के0वी0 उपसंस्थान, श्रीनगर (खन्दुखाल) पैकेज 3)–वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 17858.75 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 72 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.5 220 के0 वी0 डबल सर्किट लाईन:– (सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना के इन्टर कनेक्शन प्वाइंट से प्रस्तावित रूद्रपुर (ब्रह्मवाड़ी) उपसंस्थान तक) वर्तमान में पारेषण लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना की कुल लम्बाई 31 सर्किट कि0मी0 है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 10182.09 लाख व्यय कर 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है, परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.6 220 के0वी0 डबल सर्किट बरम–जौलजीवी लाईन का निर्माण 220/33 केवी सब स्टेशन बरम को सक्रिय करने के उद्देश्य (लोकेशन नं0 1 से 26 तक)–वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 1646.64 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 78 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य अप्रैल 2025 है।

13.5.7 220 के0वी0 डबल सर्किट बरम–जौलजीवी लाईन का निर्माण 220/33 केवी सब स्टेशन बरम को सक्रिय करने के उद्देश्य (लोकेशन नं0 27 से 400 के0वी0 उपसंस्थान पी.जी.सी.आई.एल.)–वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 653.50 लाख व्यय किया गया है, जिसकी भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत एवं परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य फरवरी 2025 है।

13.5.8 132 के0वी0 पुरकुल–बिन्दाल लिंक लाईन (10.73 कि0मी0):– इस पारेषण लाईन का मार्ग देहरादून के शहरी क्षेत्र में बिन्दाल नदी के किनारे सेना की भूमि, अनारवाला, गुच्चुपानी से पुरकुल के मध्य आवासीय, व्यावसायिक एवं पर्यटन स्थलों के आस–पास से निकल रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह अक्टूबर 2024 तक ₹ 1623.94 लाख व्यय कर 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है, परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2025 है।

13.5.9 आगामी प्रस्तावित परियोजनाएं –

अल्पकालिक कार्य योजना पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

समयावधि	योजना	लक्ष्य
अल्पकालिक (1–2 वर्ष) दिसम्बर 2026 तक	1. 132 केवी पिरान–पुरकुल लाईन। (11 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	सितम्बर, 2024
	2. 220 केवी एल एण्ड टी – ब्रह्मवारी लाईन। (31 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	मार्च, 2025
	3. 400 केवी पीपलकोटी–श्रीनगर लाईन (पैकेज– 1, 2, 3)। (172 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	मार्च, 2025
	4. 400 केवी तपोवन–पीपलकोटी लाईन। (38 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	
	5. 220 केवी बरम–जौलजीबी लाईन। (25 सर्किट किमी) राज्य सेक्टर	अप्रैल 2025
	6. 220 केवी जी0आई0एस0 उपसंस्थान बरम (50 एम0वी0ए0) (भाग कार्यान्वयन) राज्य सेक्टर	
	7. एस.एल.डी.सी. भवन का निर्माण कार्य 132 के0वी0 उपसंस्थान माजरा में।	मई, 2026
	ए0डी0बी0 पोषित निर्माणाधीन कार्य–	
	1. 220 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान सेलाकुई, देहरादून (2x50 एम0वी0ए0) ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई 2026
	2. 220/132/33 के0वी0 उपसंस्थान [illegible] (2x160 एम0वी0ए0) ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
	3. 132/33 के0वी0 (2x40 एम0वी0ए0) जी0आई0एस0 उपसंस्थान आराघर ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
	4. 132/33 के0वी0 (2x40 एम0वी0ए0) उपसंस्थान खटीमा–ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
	5. 132/33 के0वी0 जी0आई0एस0 उपसंस्थान लोहाघाट (2x20 एम0वी0ए0) ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
	6. 132/33 के0वी0 (2x40 एम0वी0ए0) जी0आई0एस0 उपसंस्थान [illegible] ए0डी0बी0 पोषित	जुलाई, 2026
समयावधि	योजना	लक्ष्य
अल्पकालिक (1–2 वर्ष) दिसम्बर 2026 तक	1. 400 के0वी0 स्विचिंग उपसंस्थान पीपलकोटी एवं लाईन	लाईन मार्च 2026 एवं उपसंस्थान जून 2026
	2. 132 के0वी0 माजरा–लालतप्पड़ लाईन का लीलो प्रस्तावित 132 के0वी0 केबल के माध्यम से उपसंस्थान आराघर पर।	अप्रैल 2026
	3. 220 के0वी0 खोदरी–झाझरा लाईन का लीलो प्रस्तावित 220 के0वी0 उपसंस्थान सेलाकुई पर केबल के माध्यम से।	अप्रैल 2026
	4. 220 के0वी0 रूड़की–[illegible] लाईन का लीलो 220/132/33 के0वी0 उपसंस्थान [illegible] पर।	जून 2026
	5. 132 के0वी0 उपसंस्थान [illegible] लाईन।	अक्टूबर 2026
	6. 132 के0वी0 पिरानकलियर–भगवानपुर–एस.एस.एम. रूड़की लाईन।	दिसम्बर 2026
	8. 132 के0वी0 पिरानकलियर–[illegible]–रूड़की लाईन।	दिसम्बर 2026

समयावधि	योजना	लक्ष्य
अल्पकालिक (1–2 वर्ष) दिसम्बर 2026 तक	**क्षमता वृद्धि का कार्य–**	
	1. 132 के0वी0 उपसंस्थान पिथौरागढ़ की क्षमता वृद्धि का कार्य (40 एम0वी0ए0)	फरवरी, 2025
	2. 132 के0वी0 मंगलौर–लक्सर लाइन का लीलो 220 के0वी0 उपसंस्थान मंगलौर पर।	जनवरी 2026
	3. 132 के0वी0 काठगोदाम–रूद्रपुर लाइन का लीलो प्रस्तावित 132 के0वी0 पीलखोड़ा उपसंस्थान पर।	जनवरी 2026
	4. 132 के0वी0 खटीमा–सितारगंज लाइन का लीलो प्रस्तावित 132 के0वी0 उपसंस्थान खटीमा–II पर	जनवरी 2026
	5.132 के0वी0 डबल सर्किट पिथौरागढ़ (पी0जी0सी0आई0एल0)–चम्पावत (लोहाघाट) ट्रांसमिशन लाइन के दूसरे सर्किट पर तार खिंचाई का कार्य (30.33 कि0मी0) ए0सी0एस0आर0 पैंथर।	जनवरी 2026
	6. 400 के0वी0 उपसंस्थान काशीपुर की क्षमता वृद्धि का कार्य (500 एम0वी0ए0)	फरवरी, 2026
	7. 400 के0वी0 उपसंस्थान काशीपुर (क्षमता वृद्धि– 500 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	8. 220/132/33 के0वी0 उपसंस्थान ऋषिकेश (क्षमता वृद्धि– 100 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	9. 132/33 के0वी0 उपसंस्थान आई.डी.पी.एल.। (क्षमता वृद्धि– 20 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	10. 132 के0वी0 काठगोदाम। (क्षमता वृद्धि– 80 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	11. 66 के0वी0 उपसंस्थान सिमली। (क्षमता वृद्धि– 30 एम.वी.ए.)	दिसम्बर 2026
	12. 132 के0वी0 हल्द्वानी–काठगोदाम लाइन।	दिसम्बर 2026
	13. 132 के0वी0 भेल–पदार्था लाइन।	अक्टूबर 2026
	14. 132 के0वी0 पदार्था–नजीबाबाद–कोटद्वार लाइन।	अक्टूबर 2026
	15. 66 के0वी0 श्रीनगर–जोशीमठ लाइन को सुदृढ करने का कार्य।	जून 2026
	16. 220 के0वी0 झाझरा–लाखी लाइन को 400 के0वी0 उपसंस्थान शेरपुर (पी.जी.सी.आई.एल.) पर टर्मिनेशन का कार्य।	अप्रैल 2026
	17. 132 के0वी0 पिरान कलियर–भगवानपुर–एल.एस.एस.–रूड़की लाइन।	दिसम्बर 2026
	18. 132 के0वी0 पिरान कलियर–चुड़ियाला–रूड़की लाइन।	दिसम्बर 2026
	19. 220 के0वी0 ऋषिकेश–धरासू लाइन की रिकंडक्टरिंग के कार्य।	जून 2026
समयावधि	**योजना**	**लक्ष्य**
अल्पकालिक (1–2 वर्ष) दिसम्बर 2026 तक	**एच.टी.एल.एस. के कार्य–**	
	1. 132 के0वी0 माजरा–झाझरा लाइन।	फरवरी 2026
	2. 132 के0वी0 ऋषिकेश–टी प्वाइंट–भूपतवाला लाइन।(27 सर्किट कि0मी0)	अगस्त, 2025
	3. 66 के0वी0 रूड़की–भिक्की– मोहम्मदपुर लाइन। (42.8 सर्किट कि0मी0)	अगस्त, 2025
	4. 132 के0वी0 काठगोदाम–भवाली लाइन।(14.06 सर्किट कि0मी0)	दिसम्बर, 2025
	5. 132 के0वी0 सितारगंज (पी.जी.सी.आई.एल.)– एलडीको सितारगंज लाइन एवं 132 के0वी0 किच्छा–सितारगंज लाइन।	जनवरी 2026
	6. 220 के0वी0 रूड़की–पुहाना लाइन।	अप्रैल 2026

मध्यकालिक कार्य योजना पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

समयावधि	योजना	लक्ष्य
मध्यकालिक (2–5 वर्ष), जनवरी, 2027 से दिसम्बर, 2029 तक	1. 220 के0वी0 उपसंस्थान बरम्वारी (80 एम0वी0ए0)	मार्च, 2027
	2. 132/33 के0वी0 (2 X40 एम0वी0ए0) ए0आई0एस0 उपसंस्थान सरवरखेड़ा (ऊधमसिंह नगर) ए0डी0बी0 पोषित	मार्च, 2027
	4.132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण (220 के0वी0 उपसंस्थान महुआखेड़ागंज से 132 के0वी0 उपसंस्थान जसपुर) (23.32 कि0मी0) ए0डी0बी0 पोषित	मार्च, 2027
	5. 220/132 के0वी0 रामपुर (भगवानपुर) उपसंस्थान एवं लाईन	नवम्बर, 2027
	6. 400 के0वी0 (2X315 एम0वी0ए0) जी0आई0एस0 उपसंस्थान रूड़की एवं लाईन	दिसम्बर, 2028
	7. 220/33 के0वी0 उपसंस्थान नौगांव एवं सम्बन्धित लाईन।	दिसम्बर 2029
	8. 132/33 के0वी0 उपसंस्थान [illegible]।	दिसम्बर 2029
	9. 220 के0वी0 उपसंस्थान गुन्सारी एवं सम्बन्धित लाईन।	दिसम्बर 2029
	10. 132/33 के0वी0 उपसंस्थान कानाकोट।	दिसम्बर 2029
	एच.टी.एल.एस. के कार्य:-	
	1. 132 के0वी0 बिन्दाल–माजरा लाईन।	जून 2027
	2. 132 के0वी0 माजरा–लालतप्पड़ लाईन।	जुलाई 2027
	3. 132 के0वी0 पुरकुल–झाझरा लाईन।	अप्रैल 2027
	4. 132 के0वी0 बिन्दाल–ऋषिकेश लाईन।	मई 2027
	5. 132 के0वी0 काशीपुर (400)–काशीपुर (सर्किट–1) सिंगल सर्किट लाईन।	दिसम्बर 2027
	6. 132 के0वी0 काशीपुर (400)–काशीपुर (सर्किट–2) सिंगल सर्किट लाईन।	
	7. 132 के0वी0 बिन्दाल–माजरा लाईन।	जून 2027
	8. 132 के0वी0 माजरा–लालतप्पड़ लाईन।	जुलाई 2027
	9. 132 के0वी0 पुरकुल–झाझरा लाईन।	अप्रैल 2027
	10. 132 के0वी0 बिन्दाल–ऋषिकेश लाईन।	मई 2027
	11. 132 के0वी0 काशीपुर (400)–काशीपुर (सर्किट–1) सिंगल सर्किट लाईन।	दिसम्बर 2027
	12. 132 के0वी0 काशीपुर (400)–काशीपुर (सर्किट–2) सिंगल सर्किट लाईन।	
	13. 220 के0वी0 सिडकुल–ऋषिकेश लाईन।	दिसम्बर 2029
	14. 02 नम्बर 132 के0वी0 बे का निर्माण 132 के0वी0 उपसंस्थान सातपुली पर।	जनवरी 2027
	15. 220 के0वी0 पिरान कलियर–सिडकुल लाईन।	दिसम्बर 2028
	16. 220 के0वी0 आई.आई.पी. हर्रावाला–ऋषिकेश लाईन।	मार्च 2027
	17. 132 के0वी0 सिडकुल–रूड़की, ज्वालापुर–रूड़की एवं सिडकुल–ज्वालापुर प्रथम सर्किट।	जून 2027
	18. 132 के0वी0 काशीपुर (400 के0वी0)– जसपुर लाईन।	जून 2027
	19. 132 के0वी0 ऋषिकेश–श्रीनगर लाईन।	दिसम्बर 2027
	20. 400/220 के0वी0 ए.आई.एस. उपसंस्थान खुर्पिया फार्म–किच्छा एवं सम्बन्धित लाईन	नवम्बर 2027
	20. 400/132 के0वी0 [illegible] उपसंस्थान पीपलकोटी का विस्तार एवं लाईन	मार्च 2028

समयावधि	योजना	लक्ष्य
मध्यकालिक (3–5 वर्ष), जनवरी, 2027 से दिसम्बर, 2029 तक	**क्षमता वृद्धि के कार्य–**	
	1. 132 के0वी0 उपसंस्थान सिमली (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	जून 2027
	2. 132 के0वी0 उपसंस्थान माजरा (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	जून 2027
	3. 132 के0वी0 उपसंस्थान रुद्रपुर (क्षमता वृद्धि 20 एम.वी.ए.)	जून 2027
	4. 220 के0वी0 उपसंस्थान रुड़की (क्षमता वृद्धि 100 एम.वी.ए.)	जून 2027
	5. 132 के0वी0 उपसंस्थान भगवानपुर (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	जून 2027
	6. 132 के0वी0 उपसंस्थान श्रीनगर (गढ़वाल) (132/66 के0वी0 क्षमता वृद्धि 25 एम.वी.ए.), (132/33 के0वी0 क्षमता वृद्धि 20 एम.वी.ए.)	जून 2027
	7. 132 के0वी0 उपसंस्थान अल्मोड़ा (क्षमता वृद्धि 20 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	8. 132 के0वी0 उपसंस्थान रानीखेत (क्षमता वृद्धि 10 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	9. 66 के0वी0 उपसंस्थान कोटियालसैंण (क्षमता वृद्धि 7.5 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	10. 66 के0वी0 उपसंस्थान कर्णप्रयाग (क्षमता वृद्धि 7.5 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	11. 220 के0वी0 उपसंस्थान पन्तनगर (क्षमता वृद्धि 160 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	12. 220 के0वी0 उपसंस्थान चम्बा (क्षमता वृद्धि 25 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2028
	13. 220 के0वी0 उपसंस्थान कमलुवागांजा (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	अप्रैल 2029
	14. 132 के0वी0 उपसंस्थान काशीपुर (132/66 के0वी0 क्षमता वृद्धि 60 एम.वी.ए.), (132/33 के0वी0 क्षमता वृद्धि 80 एम.वी.ए.)	जनवरी 2029
	15. 132 के0वी0 उपसंस्थान मंगलौर (क्षमता वृद्धि 40 एम.वी.ए.)	जनवरी 2029
	16. 220 के0वी0 उपसंस्थान सिडकुल (क्षमता वृद्धि 80 एम.वी.ए.)	मार्च 2029
	17. 132 के0वी0 उपसंस्थान भूपतवाला (क्षमता वृद्धि 80 एम.वी.ए.)	मार्च 2029

दीर्घकालिक कार्य योजना पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति

समयावधि	योजना	लक्ष्य
दीर्घकालिक जनवरी 2030 से जून 2031 तक	1. 220 के0वी0 उपसंस्थान [illegible] एवं सम्बन्धित लाईन	मार्च, 2029
	2. 220 के0वी0 उपसंस्थान अल्मोड़ा एवं सम्बन्धित लाईन	
	3. 220 के0वी0 उपसंस्थान खुर्पिया फार्म एवं सम्बन्धित लाईन	मार्च, 2030
	क्षमता वृद्धि के कार्य–	
	1. 400 के0वी0 उपसंस्थान ऋषिकेश (क्षमता वृद्धि 500 एम.वी.ए.)	मार्च, 2030
	2. 220 के0वी0 उपसंस्थान आई.आई.पी. हर्रावाला (क्षमता वृद्धि 100 एम.वी.ए.)	जनवरी 2030
	3. 220 के0वी0 उपसंस्थान महुआ खेड़ागंज (क्षमता वृद्धि 120 एम.वी.ए.)	जनवरी 2030
	4. 220 के0वी0 पी0जी0सी0आई0एल0 उपसंस्थान [illegible] एवं औली 220 के0वी0 [illegible] से जीआईएस लाईन।	दिसम्बर 2030
	5. 220/132/33 के0वी0 उपसंस्थान बाजपुर–द्वितीय एवं सम्बन्धित लाईन।	दिसम्बर 2031
	6. 220/132/33 के0वी0 उपसंस्थान लण्ढौरा एवं सम्बन्धित लाईन।	दिसम्बर 2031

अध्याय–14
जल संसाधन एवं प्रबन्धन
Water Resources & Management

सामान्य विवरण : उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत कुछ मैदानी क्षेत्र के अतिरिक्त अधिकतर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।

संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य संख्या–6 की प्राप्ति हेतु सभी के लिए स्वच्छता और जल के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिस हेतु राज्य में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान, परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना इत्यादि संस्थाओं द्वारा ग्रामीण, नगरीय एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Liter Per Capita Daily- LPCD) तथा शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Liter Per Capita Daily- LPCD) की आपूर्ति लक्षित है।

14.1 ग्रामीण पेयजल :

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित जेजेएम–आईएमआईएस पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.04.2024 के अनुरूप राज्यान्तर्गत कुल 38,622 बस्तियों के सापेक्ष कुल 14,50,619 ग्रामीण परिवार परिदर्शित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार परियोजना क्रियान्वित कराई जा रही है–

14.1.1 जल जीवन मिशन : भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन" में "हर घर नल से जल" के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराना लक्षित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

उत्तराखण्ड राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र के 14,50,619 परिवारों को माह मार्च 2025 तक घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (Functional Household Tap Connections-FHTCs) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर एवं BIS–10500 द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी है। JJM-MIS पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुरूप दिनांक 31.03.2024 तक 13,64,620 ग्रामीण परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराये जा चुके थे। तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 88,538–एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष वर्ष 2024–25 में दिनांक 21.12.2024 तक 43,206 FHTCs दिए जा चुके हैं। इस प्रकार वर्तमान तक कुल 14,07,825 (97.05%) ग्रामीण परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं तथा अवशेष ग्रामीण परिवारों को मार्च 2025 तक नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किया जाना लक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु परियोजना पर कुल अनुमोदित परिव्यय ₹ 1066.80 करोड़ (केन्द्रांश– ₹ 1016.80 करोड़ व राज्यांश– ₹ 50.00 करोड़) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष में पीएफएमएस के माध्यम से दिनांक 21.12.2024 तक ₹ 591.07 करोड़ की धनराशि परियोजना पर व्यय की जा चुकी है।

तालिका–14.1

जनपदवार किए गए व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजनों की संख्या (वर्ष 2024–2025)

जनपद	01.04.2024 को कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या	01.04.2024 तक किए गए घरेलू जल संयोजनों की संख्या	वर्ष 2024–25 में दिनांक 21.12.2024 तक किए गए जल संयोजनों की संख्या			दिनांक 21.12.2024 तक कुल किए गये घरेलू जल संयोजनों की संख्या
			घरेलू	प्राईवेट / संस्था के संयोजनों से	योग	
01	02	03	04	05	6 (4+5)	7 (3+6)
देहरादून	129491	129404	45	0	45	129449
हरिद्वार	249725	228753	8877	0	8877	237630
पौड़ी गढ़वाल	111552	110721	2	0	2	110723
टिहरी गढ़वाल	129099	128395	84	30	114	128509
उत्तरकाशी	65013	64957	30	0	30	64987
चमोली	76725	76442	36	0	36	76478
रुद्रप्रयाग	55119	54265	418	0	418	54683
अल्मोड़ा	126280	105487	9409	227	9636	115123
बागेश्वर	54658	54274	369	0	369	54643
चम्पावत	45141	44603	172	0	172	44775
नैनीताल	114714	95505	7995	767	8762	104267
पिथौरागढ़	94577	91567	2436	0	2436	94003
ऊधमसिंह नगर	198524	180347	6231	6077	12308	192655
कुल	1450619	1364620	36104	7101	43205	1407825

स्रोत– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

तालिका–14.2

जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् नल संयोजन की प्रगति

Sl	District	Total Rural household as on (01/04/2024)	Households with tap water connections as on 15 Aug 2019	Remaining households as on 15 Aug 2019	Cumulative Household Connections with PWS as on					
					01.04. 2020	01.04. 2021	01.04. 2022	01.04. 2023	01.04. 2024	21.12. 2024
1	Dehradun	129491	12841	116650	37927	109011	120613	125575	129404	129449
2	Haridwar	249725	15321	234404	24580	39076	103823	192830	228753	237630
3	Pauri Garhwal	111552	3954	107598	6997	50567	72070	89842	110721	110723
4	Tehri Garhwal	129099	10270	118829	17039	98282	88130	112607	128395	128509
5	Uttarkashi	65013	1937	63076	9896	47039	56125	62597	64957	64987
6	Chamoli	76725	24556	52169	28425	69080	71648	72506	76442	76478
7	Rudraprayag	55119	10725	44394	12742	31708	40040	50670	54265	54683
8	Almora	126280	10920	115360	17056	40339	66848	81542	105487	115123
9	Bageshwar	54658	3134	51524	5444	46751	49419	50045	54274	54643
10	Champawat	45141	7069	38072	9071	25328	32734	39368	44603	44775
11	Nainital	114714	24910	89804	12963	51433	65446	72582	95505	104267
12	Pithoragarh	94577	5612	88965	12354	52043	66434	76703	91567	94003
13	US Nagar	198524	75	198449	3119	24837	89786	117551	180347	192655
	Total	1450619	130325	1320294	217120	649421	924393	1139321	1364620	1407825

स्रोत– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.2 भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.04.2024 को राज्यान्तर्गत कुल 14,50,619 ग्रामीण परिवार दर्शाये गये हैं। दिनांक 15.08.2019 को मिशन शुभारम्भ के बाद पोर्टल के अनुरूप 1,30,325 (8.98%) घरों में नल संयोजन उपलब्ध थे। तत्पश्चात् जल जीवन मिशन में दिनांक 31.03.2020 तक 86,795 घरों 2020–21 में 4,32,301 वर्ष 2021–22 में 2,74,972, वर्ष 2022–23 में 2,14,928, वर्ष 2023–24 में 2,25,299 एवं वर्ष 2024–25 में 43,205 नल संयोजन

(FHTCs) को सम्मिलित करते हुए 12,77,500 (88.07%) परिवारों को नल संयोजन प्रदान किए गये हैं। इस प्रकार वर्तमान तक कुल 14,07,825 (97.05%) परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं।

तालिका–14.3
हर घर जल योजना के अंतर्गत नल संयोजन कि प्रगति

Har Ghar Jal Status (Har Ghar Jal implies 100% FHTC coverage in that area)							
Sl.	District	Total as on 01.04.2024		No. of Har Ghar Jal Panchayat		No. of Har Ghar Jal Village	
		Panchayats	Villages	Reported	Certified	Reported	Certified
1	Dehradun	401	635	397	304	528	522
2	Haridwar	310	473	182	114	310	206
3	Pauri Garhwal	1170	2962	785	470	2350	1987
4	Tehri Garhwal	1031	1743	757	540	1358	581
5	Uttarkashi	508	666	413	308	560	432
6	Chamoli	611	1113	443	129	877	500
7	Rudraprayag	336	637	214	105	473	225
8	Almora	1158	2134	441	244	1013	581
9	Bageshwar	402	823	363	395	762	656
10	Champawat	313	644	183	80	448	232
11	Nainital	479	1012	141	106	581	379
12	Pithoragarh	686	1538	586	407	1379	1039
13	U S Nagar	375	605	138	109	280	228
	Total	**7780**	**14985**	**5043**	**3315**	**10819**	**7458**

स्रोत– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.3 भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल पर राज्यान्तर्गत जनपदवार कुल 19,122 विद्यालय के सापेक्ष 19,103 (99-93%) विद्यालयों तथा 16,439 आंगनवाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष 16,437 (99-99%) आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्तमान तक नल संयोजन सुविधा प्रदान की जा चुकी है, शेष विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु FHTCs सुविधा प्रदान किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

14.1.4 जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् मिशन अन्तर्गत हर घर जल (100% FHTCs Coverage) में राज्यान्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.04.2024 को जनपदवार कुल 7,780 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कुल 14,985 राजस्व ग्राम दर्शाये गये हैं, जिसके सापेक्ष जेजेएम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में आई.एम.आईएस. पोर्टल के अनुसार दिनांक 21.12.2024 तक जनपदवार 10,819 राजस्व ग्रामों को एवं 5,043 ग्राम पंचायतों को 100% FHTCs से आच्छादित किया जा चुका है। हर घर जल के अन्तर्गत इन ग्रामों को Online Certified किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

तालिका–14.4							
Sl	District	Schools			AWCs		
		Total	Schools with tap water supply	Schools with tap watersupply (%)	Total	AWCs with tap water supply	AWCs with tap water supply (%)
1	Dehradun	1393	1393	100	1154	1154	100
2	Haridwar	1779	1765	99	2450	2448	99.9
3	Pauri Garhwal	2125	2125	100	1643	1643	100
4	Tehri Garhwal	2163	2163	100	1923	1923	100
5	Uttarkashi	1265	1265	100	962	962	100
6	Chamoli	1385	1385	100	953	953	100
7	Rudraprayag	907	907	100	655	655	100
8	Almora	1969	1969	100	1854	1853	100
9	Bageshwar	848	848	100	789	789	100
10	Champawat	752	752	100	643	643	100
11	Nainital	1289	1289	100	979	979	100
12	Pithoragarh	1778	1778	100	1050	1050	100
13	U S Nagar	1470	1470	100	1384	1384	100
	Total	**19123**	**19103**	**99.93**	**16439**	**16437**	**99.99**

स्रोत– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.5 बाह्य सहायतित योजनायें (अर्द्ध नगरीय क्षेत्र):

केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य के 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु विश्व बैंक सहायतित परियोजना (अनुमानित लागत ₹ 975 करोड़) आरम्भ की गई है। परियोजना अवधि 06 वर्ष (कार्यक्रम की प्रभावी तिथि 08 मार्च 2018) की है, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न पांच जनपद चयनित किए गये हैं।

कार्य क्षेत्र: जनपद टिहरी गढ़वाल–ढालवाला, जनपद देहरादून–डोईवाला, नथनपुर, मेहूवाला माफी, नथुवावाला, ऋषिकेश देहात, गुमानीवाला, प्रतीत नगर एवं खदरी माफी।

जनपद नैनीताल–हल्द्वानी, तल्ली, कुसुमखेड़ा, गौजाजाली उत्तर।

जनपद हरिद्वार–सैदपुरा, मंगोली मेहवडपुर, नगला इमरती, ढंडेरा, मोहनपुर मोहम्मदपुर, बहादराबाद, जगजीतपुर।

जनपद ऊधमसिंह नगर–उमरू खुर्द, महोलिया एवं बंडिया।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 15 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जबकि 7 योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान के माध्यम से कराया गया।

समस्त 22 योजनाओं की परियोजना की समय–सीमा मार्च 2024 तक पूर्ण कराया जा चुका है तथा विश्व बैंक से हुये समझौते के अनुसार समस्त योजनाओं का 5 वर्षीय अनुरक्षण कार्य का क्रियान्वयन गतिमान है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किए जा चुके हैं।

तालिका 14.5

कार्यदायी संस्था का नाम	योजनाओं की संख्या	योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये जल संयोजन दिसम्बर 2024 तक
उत्तराखण्ड पेयजल निगम	15	66074
उत्तराखण्ड जल संस्थान	07	40188
योग	**22**	**106262**

इस परियोजना के द्वारा कुल 87757 व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किया जाना लक्षित है। **अतः परियोजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 121 :** निशुल्क जल संयोजन प्रदान किये जा चुके है। परियोजना के अन्तर्गत जून 2025 तक निशुल्क जल संयोजन दिये जाने का प्राविधान है।

14.1.6 नगरीय पेयजल:– स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) है। उत्तराखण्ड में कुल 107 स्थानीय निकाय हैं, इनमें से 84 नगरों में जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) से कम है, जिस हेतु नियोजित रूप से नगरों को पेयजल सुविधा से संतृप्त किये जाने की कार्ययोजना है।

अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 07 नगरों देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी, काशीपुर, रूद्रपुर एवं नैनीताल नगरों के अंतर्गत ₹ 567.54 करोड़ लागत की 35 पेयजल, 38 सीवरेज एवं 11 ड्रेनेज योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 33 पेयजल, 36 सीवरेज एवं 10 ड्रेनेज योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है।

अमृत 2.0 कार्यक्रम के फेज–1 में ₹ 263.04 करोड़ (निर्माण कार्य लागत– ₹ 233.74 करोड़ तथा 5 वर्षीय अनुरक्षण लागत– ₹ 29.30 करोड़) की 19 परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है तथा शासनादेश भी निर्गत किये जा चुके है। उक्त कार्यक्रम के द्वारा 18 नगरों क्रमशः नरेन्द्रनगर, मुनीकीरेती, पोखरी, कर्णप्रयाग, गौचर, देवप्रयाग, सतपुली, दुगड्डा, स्वर्गाश्रम, पौड़ी, गजा, डीडीहाट, धारचूला, कपकोट, लालकुआँ, शक्तिगढ़, बनबसा तथा नानकमत्ता में शत–प्रतिशत घरों को पेयजल संयोजनों से आच्छादित किया जाना है तथा एक नगर देहरादून में शास्त्रीनगर वार्ड में 24x7 योजना शत–प्रतिशत जल संयोजनों के साथ प्रस्तावित है। उक्त 19 परियोजनाओं के सापेक्ष 10 परियोजनाओं में निर्माण कार्य गतिमान है तथा शेष 09 परियोजनाओं हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त अमृत 2.0 कार्यक्रम के फेज–2 द्वारा 06 नगरों क्रमशः चौखुटिया, थलीसैण, तपोवन, हर्बटपुर, लोहाघाट तथा रूद्रप्रयाग एवं देहरादून शहर के कौलागढ़ और सहस्त्रधारा क्षेत्र के शत–प्रतिशत घरों को जल संयोजनों के साथ पेयजल योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित योजनाओं हेतु ₹ 446.64 करोड़ (निर्माण कार्य लागत– ₹ 406.12 करोड़ तथा 5 वर्षीय अनुरक्षण लागत– ₹ 40.52 करोड़) की कार्य योजना तैयार कर शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित की गई है तथा विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने/उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम को जायका कार्यक्रम के अन्तर्गत ₹ 1366.80 करोड़ के ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो चुके है। जिसमें 19 नगरों की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने हेतु Baseline Survey के कार्यों हेतु REoI उपरान्त Shortlisted फर्मो के साथ RFP के माध्यम से Consultant को नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त जायका कार्यक्रम के अन्तर्गत PMC हेतु Consultant की नियुक्ति हेतु REoI की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

14.1.7 नगरीय जलोत्सारण:– वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कुल 430.92 एम.एल.डी. क्षमता के 70 सीवर शोधन संयंत्र स्थापित है। जिनका उपयोग कर लगभग 321.92 एम.एल.डी. सीवेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 178.17 एम.एल.डी. क्षमता के 35 सीवर शोधन संयंत्र निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

तालिका-14.5

प्रदेश के अन्तर्गत जलोत्सारण व्यवस्था हेतु सीवेज शोधन संयंत्र

क्र०सं०	नगर	चालू एस०टी०पी० की संख्या	सीवेज शोधन संयंत्र (STP)			
			अधिष्ठापित क्षमता (एम.एल.डी.)	शोधित की जा रही मात्रा (एम.एल.डी.)	निर्माणाधीन / प्रस्तावित एस.टी.पी. की संख्या	प्रस्तावित क्षमता (एम.एल.डी.)
01	हरिद्वार	5	145.00	140.22	1	8.00
02	देहरादून	8	118.14	92.90	3	44.00
03	रुड़की	1	33.00	6.50	0	0.00
04	ऋषिकेश	1	26.00	17.92	1	5.00
05	मसूरी	5	7.32	2.65	5	3.25
06	श्रीनगर	4	4.63	2.72	0	0.00
07	कोटद्वार	0	0.00	0.00	1	21.00
08	स्वर्गाश्रम, नीलकंठ (पौड़ी)	1	3.00	2.08	2	4.50
09	कीर्तिनगर	2	0.06	0.04	0	0.00
10	देवप्रयाग	3	1.63	1.49	0	0.00
11	उत्तरकाशी	1	2.00	1.99	1	4.00
12	गंगोत्री	1	1.00	0.20	0	0.00
13	नैनीताल	4	11.7	7.03	1	17.30
14	भीमताल	1	1.25	0.81	0	0.00
15	अल्मोड़ा	1	2.00	1.20	1	1.50
16	नई टिहरी	1	3.00	2.50	0	0.00
17	मुनि की रेती	2	12.50	10.28	2	8.50
18	नरेन्द्र नगर	0	0.00	0.00	1	2.00
19	तपोवन	1	3.50	3.46	0	0.00
20	कर्णप्रयाग	5	0.55	0.148	0	0.00
21	गोपेश्वर	5	4.37	1.13	0	0.00
22	जोशीमठ	2	3.78	1.53	0	0.00
23	श्री बद्रीनाथ	3	1.27	0.765	0	0.00
24	काशीपुर	0	0.00	0.00	6	33.80
25	हल्द्वानी	1	28.00	12.00	1	16.50
26	रामनगर	2	8.50	2.90	0	0.00
27	पिथौरागढ़	2	6.25	2.10	0	0.00
28	रुद्रप्रयाग	6	0.525	0.52	0	0.00
29	नंदप्रयाग	2	0.15	0.10	0	0.00
30	तिलवाड़ा	0	0.00	0.00	3	0.32
31	सुल्तानपुर	0	0.00	0.00	1	0.50
32	किच्छा	0	0.00	0.00	1	3.00
33	सितारगंज	0	0	0	1	3.00
34	बाजपुर	0	0	0	1	10.00
	योग	70	430.92	316.79	35	178.17

स्रोत– पेयजल निगम उत्तराखण्ड

14.1.9 नमामि गंगे (सीवरेज सिस्टम)– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित 15 नगरों क्रमशः हरिद्वार, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, तपोवन, मुनि–की–रेती, कीर्तिनगर, श्रीनगर, श्रीकोट,नन्दप्रयाग, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गौचर–चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ एवं उत्तरकाशी में गंगा नदी की स्वच्छता एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन एवं सीवेज शोधन संयंत्र इत्यादि के निर्माण कार्य किये गये है। इसके अतिरिक्त गंगा की सहायक नदियों पर स्थित नगरों क्रमशः रामनगर, देहरादून एवं उधमसिंहनगर में भी इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन एवं सीवेज शोधन संयंत्र इत्यादि के निर्माण कार्य किये गये / गतिमान है। उक्त योजना में वर्तमान तक कुल 29 योजनाएँ कुल लागत ₹ 1605.19 करोड़ स्वीकृत हुई है। उक्त स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष 23 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके है, 01 योजना उधमसिंह नगर, 01 योजना (गौरीकुण्ड एवं तिलवाड़ा), 01 योजना मुनि की रेती, 01 योजना सपेरा बस्ती, देहरादून, 01 योजना खो–नदी, कोटद्वार एवं 01 योजना पूर्व अवस्थित हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर तथा देवप्रयाग के एस0टी0पी0 पर को–ट्रीटमेन्ट का स्थापन के कार्य गतिमान है।

14.1.10 गंगा नदी की मुख्य धारा

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक गंगा नदी की मुख्य धारा पर 32 कुल क्षमता 131.67 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) के नये सीवेज शोधन संयंत्रों के कार्य पूर्ण किये जा चुके है इसके अतिरिक्त पूर्व से स्थापित 57 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के 08 सीवेज शोधन संयंत्रों के उच्चीकरण के कार्य भी पूर्ण किये गये है। उक्त के अतिरिक्त 61 नालों के टैपिंग के कार्य भी पूर्ण किये जा चुके है।

14.1.11 गंगा नदी की सहायक नदियां

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी की सहायक अन्य नदियों पर भी स्वीकृत कुल 04 योजनाओं (रामनगर–01, देहरादून–02 एवं उधमसिंह नगर–01) में से रामनगर में कोसी नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 08 नालों की टैपिंग तथा कुल 8.50 (7.00+1.50) एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) के 02 सीवेज शोधन संयत्रों के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये है। देहरादून में रिस्पना तथा बिन्दाल नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 17 नालों की टैपिंग के कार्य एवं 22.00 कि.मी. सीवर नेटवर्क के कार्य पूर्ण किये जा चुके है 01 योजना '08 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज' उधमसिंह नगर में गतिमान है, जिसके निर्माण कार्य 73 प्रतिशत पूर्ण हो चुके है तथा शेष कार्य माह फरवरी–2025 तक पूर्ण किये जाने लक्षित है। योजना में कुल क्षमता 30.30 एम0एल0डी0 के 09 सीवेज शोधन संयंत्र प्रस्तावित है तथा 01 योजना सपेरा बस्ती, देहरादून के अन्तर्गत 15 एम0एल0डी0 क्षमता के 01 एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य गतिमान है।

14.1.12 विशिष्ट कार्य

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिद्वार नगर में प्रदेश एवं देश में प्रथम "हाइब्रिड एन्यूटी पी.पी.पी. मॉडल" के आधार पर 68 एवं 14 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त मुनीकिरेती क्षेत्र में 7.50 मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता के बहुमंजिला सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण किया गया, जिसकी सराहना एवं उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा किया गया।

14.1.13 के0एफ0डब्ल्यू0 विकास बैंक वित्त पोषित कार्यक्रम

हरिद्वार एवं ऋषिकेश में शत–प्रतिशत

जलोत्सारण आच्छादन हेतु के०एफ०डब्ल्यू० विकास बैंक, जर्मनी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के फेज–1 एवं फेज–2 की ₹ 1533.00 करोड़ लागत की परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य किये जाने हैं। योजना में सीवरेज कार्यों हेतु पैकेज 1, 2 एवं 5 के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। पैकेज 6 एवं 7 हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है। पैकेज 3 एवं 10 (A&B) हेतु निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है। योजना के शेष पैकेजों के आगणन एवं निविदा प्रपत्र तैयार किये जा रहे हैं।

14.1.14 ग्रामीण स्वच्छता

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)- द्वितीय चरण

भारत सरकार के ध्वजवाहक कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)–प्रथम चरण के सफलतापूर्वक समापन के उपरान्त भारत सरकार द्वारा जन समुदाय की क्षमताओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ओ0डी0एफ0 स्थायित्व का स्तर बनाये रखने तथा गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन तन्त्र स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के लिए जन आन्दोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)– द्वितीय चरण प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के निम्न कार्य संचालित किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक गाँव को वर्ष 2025 तक ओ0डी0एफ0 प्लस किया जाना है।

(अ) ओ0डी0एफ0 प्लस

- ✓ ओ0डी0एफ0 स्थायित्व के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण एवं स्थायित्व तथा सामुदायिक स्वच्छता काम्पलेक्सों का निर्माण।
- ✓ दृश्य स्वच्छता
- ✓ ठोस अपशिष्ट तथा तरल अपशिष्ट प्रबन्धन
- ✓ आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0– जनजागरूकता कार्य

(ब) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

- ✓ जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- ✓ अजैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- ✓ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन

(स) फीकल स्लज प्रबन्धन

- ✓ एकल / ट्विन पिट की मरम्मत (शौचालयों की रेट्रोफिटिंग कार्य (Community Retrofitting)
- ✓ एस0टी0पी0 मैपिंग
- ✓ फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना

फीकल स्लज प्रबन्धन के अन्तर्गत नगरीय एस0टी0पी0 के निकट के समस्त ग्राम पंचायतों को फीकल स्लज के उपचार हेतु एस0टी0पी0 से मैप किये जाने की योजना है। 15वां वित्त आयोग / मनरेगा फंड से समस्त एकल गड्ढे शौचालयों को दो गड्ढे वाले शौचालयों में परिवर्तित किये जाने की योजना है। आवश्यकतानुसार एवं व्यवहारिकता के आधार पर तराई / मैदानी जनपदों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जायेगा। वर्तमान तक 211 घरेलू शौचालयों की रेट्रोफिटिंग का कार्य पूर्ण किया गया है एवं अवशेष शौचालयों की रेट्रोफिटिंग हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसमें 15वें वित्त आयोग / मनरेगा से अभिसरण किये जाने की योजना है।

(द) भूरा जल प्रबन्धन

- ✓ जल निकास
- ✓ सोख्ता / लीच गड्ढे
- ✓ भूरा जल उपचार इकाई

वित्तीय उपलब्धता

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर : 70%
- ➢ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन तथा गोबर्धन: 100%

2. 15वां वित्त आयोग

- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर : 30% अनिवार्य अंशदान > 30%
- ➢ ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन, काम्पैक्टर स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव : 100%
- ➢ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का मरम्मत कार्य: 100%

3. मनरेगा एवं अन्य :

- ➢ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्ध, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों तथा मरम्मत हेतु अभिसरण

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु गतिविधि

1. ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व

- व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तर पर जैविक अपशिष्ट प्रबन्धन
- घरेलू स्तर पर अपशिष्ट का पृथक्कीकरण
- प्लास्टिक /अजैविक अपशिष्ट का संग्रहण
- ग्राम पंचायत से वाहन मार्ग तक प्लास्टिक अपशिष्ट का ढुलान

2. ब्लॉक पंचायत के उत्तरदायित्व

- ग्राम पंचायत वाहन मार्ग से ब्लॉक स्तरीय अपशिष्ट प्रबन्धन इकाई तक अपशिष्ट का ढुलान।
- ग्राम पंचायत वाहन मार्ग से प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण हेतु रणनीति तैयार करना।
- कलस्टर स्तरीय वाहनों का संचालन एवं रखरखाव।

3. जिला पंचायत के उत्तरदायित्व

- ब्लाक स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र में लगे काम्पैक्टरों का संचालन एवं रखरखाव।
- काम्पैक्ट बेल्स को पुर्नचक्रण केन्द्र तक पहुँचाना।
- धार्मिक स्थलों, स्थानीय बाजार, हाट बाजार आदि में स्वच्छता की स्थिति बनाये रखना।

14.1.15 खुले में शौच मुक्त के स्थायित्वता को सुनिश्चित किये जाने में मुख्य कार्य क्षेत्र

(अ) गांव की ओ0डी0एफ0 स्थिति का भौतिक सत्यापन

राज्य के शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालय निर्मित कर माह जून, 2017 में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त घोषित कर देश में राज्य द्वारा चौथा स्थान प्राप्त किया गया। जिसके सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय चरण के भौतिक सत्यापन का कार्य शत–प्रतिशत गांवों में पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–फेज 2 का संचालन ओ0डी0एफ0 स्थायित्व हेतु किया जा रहा है।

14.1.16 वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वार्षिक क्रियान्वयन योजना के अनुसार कुल 20148 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के

सापेक्ष 12829 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत आई0एम0आई0एस0 वेबसाईट के अनुसार अतिथि तक कुल 543094 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

2. सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण:

वार्षिक कार्य योजना में कुल 655 ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 479 के निर्माण कार्य पूर्ण एवं 139 में कार्य गतिमान है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत आई0एम0आई0एस0 वेबसाईट के अनुसार अतिथि तक कुल 2956 सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण किया जा चुका है।

3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन:

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रा0 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों सहित क्रमिक कुल 15049 ग्रामों की डी.पी.आर. तैयार की गयी है, जिसके सापेक्ष क्रमिक 12046 ग्रामों में कार्य पूर्ण, 2833 ग्रामों में निर्माणाधीन एवं शेष ग्रामों में कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल 6790 ग्रामों को लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष 3832 ग्रामों में कार्य पूर्ण किये गये हैं। उक्त कार्य मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उरेडा एवं कृषि विभाग इत्यादि के साथ केन्द्राभिसरण (Convergence) के माध्यम से भी करवाया जा रहा है।

4. प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई– ब्लाक स्तर पर पंचायती राज विभाग के समन्वय से समस्त 95 विकासखण्डों में प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 24 विकासखण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के 11 इकाईयों में शेड निर्माण पूर्ण कराया गया है (क्रमिक 82 पूर्ण)। उक्त में पंचायती राज विभाग के माध्यम से क्रमिक 78 कॉम्पैक्टर लगाये गये तथा विद्युत संयोजन दिया गया है एवं भली–भाँति संचालित किया जा रहा है। 11 विकासखण्डों में इकाई का निर्माण कार्य गतिमान है। 02 में कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर लिया जायेगा।

उपरोक्त परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु 15वां वित्त आयोग के अनुदान तथा अपने स्वयं के संसाधनों (उपयोगकर्ता शुल्क आदि) का उपयोग करके ओ0डी0एफ0 तथा ओ0डी0एफ0 प्लस स्थिति की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए शत–प्रतिशत रखरखाव एवं संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। समस्त 95 विकासखण्डों में कूड़ा एकत्रीकरण हेतु हाइड्रोलिक टिप्पर मशीन दिए गये हैं जो कि पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

5.ओ0डी0एफ0 प्लस की वर्तमान स्थिति (आई0एम0आई0एस0 के अनुसार)

राज्य के कुल 15049 ग्रामों में से अतिथि तक क्रमिक कुल 14582 ग्राम ओ0डी0एफ0 प्लस (आकांक्षी: 52, उदीयमान: 03 तथा मॉडल: 14532) बनाए गये।

6. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन:

राज्य में ओ.डी.एफ. स्थायित्व को बनाये रखने हेतु समय–समय पर विभिन्न जन–जागरूकता कार्यक्रम (स्वच्छता गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, रैलियों, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता रथ, विकासखण्ड/ जनपद/राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन इत्यादि किए गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 14 प्रशिक्षण (490 प्रतिभागी), 142 बैठकों (2401 प्रतिभागी) का आयोजन किया गया, 334 दीवार लेखन तथा 02 बैनर लगाये गये। आई0ई0सी0 गतिविधियों के अन्तर्गत 953 गतिविधियों संचालित की गयी।

7. बीश पी0एम0यू0 की स्थापना

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में जल एवं स्वच्छता कार्यों को एकीकृत रूप से संचालित किये जाने के लिये राज्य तथा जनपद स्तर पर वॉश सी०एम०यू० (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) का गठन किया गया है जिसके मुख्य उद्देश्य पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों को एकीकृत रूप से क्रियान्वयन हेतु समन्वय, आई०ई०सी०/ बी०सी०सी० तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों का संचालन, रेखीय विभागों के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के अभिसरण व्यवस्थाओं का नियोजन,क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सहयोग तथा पेयजल एवं स्वच्छता गतिविधियों के विभिन्न कमियों को पूर्ण किये जाने हेतु सहयोग करना है।

14.1.16 वित्तीय वर्ष 2024–25 की वित्तीय प्रगति

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' हेतु ₹ 8764.59 लाख का बजट (₹ 120.91 करोड़ राजस्व तथा ₹ 8643.68 करोड़ पूंजीगत)प्राविधानित किया गया है जिसमें ग्रामीण स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के माध्यम से आधार–भूत ढाँचों को निर्मित कराये जाने, आई०ई०सी० एवं प्रशासनिक व्ययों हेतु अनुमन्य धनराशि तथा शौचालय निर्माण एवं ओ०डी०एफ० सस्टेनेबिलिटी से सम्बन्धित गतिविधियाँ सम्मिलित है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत गत वर्ष 2023–24 की अवशेष धनराशि ₹ 4209.78 लाख तथा अन्य स्रोत रू० 25.06 लाख सहित कुल उपलब्ध ₹ 4234.84 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक (अनन्तिम) कुल ₹ 3926.93 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

14.1.17 गोबर धन योजना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 05 इकाईयों को स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। वर्तमान वर्ष में 03 इकाईयों का कार्य पूर्ण किया गया है एवं अवशेष जनपदों में एक–एक गोबर धन इकाई स्थापित किये जाने की योजना है। क्रमिक 11 इकाईयां स्थापित की जा चुकी हैं।

14.1.18 स्वजल 2.0 के अन्तर्गत अभिलाषी जनपदों (Aspirational Districts) में चयन

उत्तराखंड के दो जनपद हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर चिन्हित अभिलाषी जनपद हैं। इन दो जनपदों की कुल 12 सौर ऊर्जा चलित मिनी पम्पिंग पेयजल योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें योजनाएँ पूर्ण होने वाली हैं। घरेलू संयोजन उ०पे०नि०/ उ०ज०सं० द्वारा दिए जायेंगे।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

- दिनांक 17 सितम्बर 2024 से 02 अक्टूबर 2024 के मध्य स्वच्छता ही सेवा–2024, "स्वभाव स्वच्छता–संस्कार स्वच्छता" पखवाड़ा राज्य एवं जिला स्तरों पर आयोजित किया गया। प्रमुख उपलब्धियों में स्वच्छता प्रथाओं के बारे में ग्रामीण स्वच्छता के प्रति जन–भागीदारी को बढ़ाना तथा आम जन–मानस में जागरूकता का सृजन किया जाना शामिल है।

- जिला उत्तरकाशी में नव युवक मंगल दल, झाला द्वारा शुरू किया गया 'थैंक यू नेचर' कार्यक्रम, गांव और आस–पास के स्थानीय बाजारों में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने पर केंद्रित है। इस जमीनी स्तर की पहल को राष्ट्रीय मान्यता मिली है, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2024 को अपने "मन की बात" संबोधन में इसकी सराहना की है।

1.नलकूपों का स्वचालितीकरण (Automation of Tubewells and SCADA):- उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा आधुनिकतम तकनीक SCADA अपनाकर कुल 1022 नलकूप/मिनी नलकूपों का स्वचालितीकरण किया गया है, जिससे मानवीय भूल एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी त्रुटियों के कारण जलापूर्ति व्यवस्था के व्यवधान को आपन्न न्यून

किया जा सका है।

2. जल गुणवत्ता मैनेजमेंट (Water Quality Management):- उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधीन राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु कुल 27 (1 राज्य स्तरीय 13 जनपदीय एवं 13 उपसंभागीय) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालायें क्रियान्वित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2024–25 में 82989 रासायनिक एवं जैविक पेयजल के नमूनों की जाँच की गयी है। कुल 27 प्रयोगशालाओं में से 27 प्रयोगशालाओं को NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से मान्यता प्राप्त कराया जा चुका है।

3. ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड एवं कलैक्शन सिस्टम (Online billing demand and collection System):- उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड कलैक्शन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपभोक्ता को अपने बिलों की जानकारी, देयक के ऑनलाईन भुगतान एवं नये कनेक्शन के लिए ऑनलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।

4. हैण्ड पम्प: एक सफल वैकल्पिक रणनीति (Hand Pump: A Successful alternative Plan):- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हैण्ड पम्प स्थापित कर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 52 हैण्ड पम्पों (उ0पे0नि0–37, उ0ज0सं0–15) की स्थापना की गयी है।

5. मिनी नलकूप: न्यून लागत, त्वरित उपचार (Mini Tubwell: Low Cost, Accelerated Treatment):- नलकूपों के खनन में लगने वाले व्यय एवं समय की बचत एवं छोटी बस्तियों के पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु कम श्रम के नलकूपों को एक सप्ताह के अन्दर न्यूमेटिक खनन विधि से तैयार किया जाता है। वर्तमान तक 529 मिनी नलकूप (उ0पे0नि0–227, उ0ज0सं0–302) स्थापित किये गये हैं।

6. चाल–खाल: परम्परा का पुनर्जीवन (Movement: Revival of the Traditional water source):- ग्राम समाज के सहयोग से संस्थान द्वारा विगत चार वर्षों में वर्तमान तक 4632 चाल–खाल का निर्माण किया गया है।

7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना (Rain Water Harvesting): वर्षा जल को एकत्र कर, संचय करने तथा उसको मनुष्य एवं पशुओं के उपयोग में लाने तथा उससे भू–जल को रीचार्ज करना वर्षा जल का दोहन (Rain Water Harvesting) है। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा वर्षा जल के संग्रहण हेतु प्रथम प्रयास उत्तराखण्ड जल संस्थान मुख्यालय, "जल भवन" देहरादून में किया गया है जो सफल रहा है। वर्षा जल संग्रहण हेतु विभाग द्वारा शासकीय विभागों एवं जन सामान्य के उपयोगार्थ एक मार्ग निर्देशिका भी प्रकाशित की गयी है जिसमें वर्षा जल संग्रहण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में शासकीय भवनों में वर्षा जल के दोहन हेतु स्वीकृति प्राप्त कर 122 शासकीय भवनों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

14.1.10 वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत परिव्यय, अवमुक्त व्यय एवं प्राप्त राजस्व का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न मदों में पेयजल एवं जलोत्सारण हेतु कुल स्वीकृत परिव्यय, अवमुक्त धनराशि, व्यय धनराशि एवं अर्जित राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:

राजकीय सिंचाई

14.2 राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य नहरों, पम्प नहरों, नलकूपों के निर्माण एवं जलाशय निर्माण व रखरखाव तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन करना है। राज्य में सिंचाई के तीन प्रमुख संसाधनों में नहरें, नलकूप तथा पम्प नहरें हैं।

दिसम्बर 2024 तक विभाग के अधीन 3103 छोटी पर्वतीय एवं भाबर नहरें हैं, इसके अतिरिक्त 1745 नलकूप व 324 लघुडाल नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल कमाण्ड 4.069 लाख हैक्टेयर है व खरीफ तथा रबी की सिंचन क्षमता क्रमशः 2.625 लाख है0 व 2.247 लाख है0, कुल 4.872 लाख है0 है, जिसके सापेक्ष कुल 3.184 लाख है0 में सिंचन सुविधा उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में वास्तविक सींच में 2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। राज्य में सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लगभग ₹ 6.905 लाख है0 है, जिसमें सिंचाई विभाग के अधीन सिंचित क्षेत्रफल 3.184 लाख है0 है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभाग को कुल ₹ 7192.756 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर 2024 तक विभाग को कुल ₹ 6527.431 लाख का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

राज्य गठन के समय विभाग में 2104 नहरें, 84 लघुडाल नहर व 667 नलकूप निर्मित थे, जिनका कमाण्ड क्षेत्र 2.609 लाख हैक्टेयर, सिंचन क्षमता 2.850 लाख हैक्टेयर तथा वास्तविक सींच 2.278 लाख हैक्टेयर थी।

राज्य गठन के बाद अब तक 999 नहरों, 240 लघुडाल नहरों एवं 1078 नलकूपों का निर्माण कर 2.023 लाख हैक्टेयर और सिंचन क्षमता सृजित की गई है, जिससे 0.906 लाख हैक्टेयर सींच में वृद्धि हुई है, जो एक सराहनीय कदम है।

राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है। नई नहरों, लघुडाल नहरों एवं नलकूपों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिससे आगामी भविष्य में सिंचाई सुविधाओं का और विस्तार होगा, जिसका राज्य के कृषकों को लाभ मिलेगा।

उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में प्रतिपादित मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर तैयार उत्तराखण्ड राज्य जल नीति, 2019 दिनांक 20.12.2019 को प्रख्यापित की गयी जिसका उद्देश्य जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेते हुये इनके नियोजन, विकास एवं प्रबन्धन हेतु कुशल ढांचा प्रस्तावित करना है।

2. राज्य जल नीति में विशेष तौर पर जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में इसके कु–प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने हेतु शमन के उपायों को शामिल किया गया है।

3. इसके अतिरिक्त जल संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं परिरक्षण हेतु विभिन्न उपायों को भी राज्य जल नीति में सम्मिलित किया गया है।

4. जल लेखा–परीक्षण, आकलन आधारित तार्किक जल प्रभार तंत्र एवं प्रबन्धन सूचना तंत्र विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान भी शामिल किये गये हैं।

5. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राष्ट्रीय जल नीति, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न 13 संख्या विभागों के विभागवार दायित्व मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 29.01.2020 से जारी किये जा चुके हैं।

14.17 सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग– सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून, चमोली एवं जनपद पौड़ी में स्प्रिंकलर आधारित Lift Scheme से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने (लागत ₹ 22.79 करोड़) हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है।

14.18 वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन–राज्य के पर्वतीय जनपदों में प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित एवं वर्षा जल का पेयजल एवं सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु चैकडेम/जलाशयों के निर्माण कार्य कराये गये हैं/कराये जा रहे हैं।

1–जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना–

अनुमानित लागत ₹ 3808.16 करोड़ परियोजना के लाभ :–

- जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर हेतु 117 MLD पेयजल सुविधा।
- PMKSY-AIBP के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना में स्वीकृत लागत के सापेक्ष बांध निर्माण हेतु ₹ 826.828 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुए निर्माण कार्य प्रगति में है। परियोजना का निर्माण मार्च 2029 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के 150027 हैक्टेयर कमाण्ड में उत्तर प्रदेश में 47,607 हैक्टेयर एवं उत्तराखण्ड में 9,726 हैक्टेयर कुल 57065 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन ।
- पर्यटन तथा मत्स्य पालन।

2–सौंग बाँध पेयजल परियोजना :–अनुमानित लागत ₹ 2491.968 करोड़ परियोजना के लाभ :–

- Scheme For Special Assistance to State For Capital Investment (SASCI) के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना में स्वीकृत लागत के सापेक्ष बांध निर्माण हेतु ₹ 121.636 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुए कार्य प्रगति में है। परियोजना का निर्माण मार्च 2030 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- देहरादून एवं उप नगरीय क्षेत्र की वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी हेतु 150 MLD पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- योजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त।

3–जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल विकासखण्ड में पूर्वी नयार नदी पर सतपुली बैराज की योजना परियोजना के लाभ :–

- जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल विकासखण्ड में पूर्वी नयार नदी पर सतपुली बैराज की योजना नाबार्ड मद के अन्तर्गत स्वीकृत लागत ₹ 5634.97 लाख के सापेक्ष ₹ 258.5 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए कार्य प्रगति में है।
- विकासखण्ड द्वारीखाल की जनता को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
- पर्यटन को बढ़ावा देना तथा 12 है० सिंचन क्षमता का सृजन करना।

मास्टर ड्रेनेज प्लान–

- उत्तराखण्ड राज्य के 17 महत्वपूर्ण शहरों क्रमशः भगवानपुर शहर, ऋषिकेश (मुनिकीरेती, नगर पालिका क्षेत्र), ऋषिकेश (जनपद देहरादून), ऋषिकेश (स्वर्गाश्रम क्षेत्र, पौड़ी), बनबसा, टनकपुर, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, रूड़की, देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, मसूरी, एवं उत्तरकाशी में ड्रेनेज समस्याओं के निदान हेतु मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार करते हुए निर्माण कार्य किया जाना है।
- चिन्हित 17 शहरों में से प्रथम चरण में भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेनेज की समस्या के निदान हेतु प्लान तैयार करते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भगवानपुर शहर, ऋषिकेश (मुनि की रेती, नगर पालिका क्षेत्र) में ड्रेनेज की समस्या के निदान हेतु प्लान तैयार करते हुए निर्माण कार्य प्रगति में है।
- द्वितीय चरण में 04 शहरों क्रमशः बनबसा, टनकपुर, पिथौरागढ़ ऋषिकेश (स्वर्गाश्रम क्षेत्र, पौड़ी) में ड्रेनेज की समस्या के निदान हेतु प्लान तैयार कर विशेष सहायता योजना मद में डी०पी०आर० स्वीकृति हेतु शासन को संदर्भित कर दी गयी है।
- तृतीय चरण में शेष शहरों की डी०पी०आर० गठन का कार्य प्रगति पर है।

14.3 लघु सिंचाई विभाग

1. पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाले अप्रयुक्त सतही पानी को रोक कर सिंचाई हेतु उपयोग में लाना।
2. राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप सिंचाई हेतु भू-जल, सतही प्रवाह एवं सतही लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
3. सिंचाई लागत को कम करने हेतु सोलर चालित पम्पसेट के उपयोग को बढ़ावा देना।
4. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

विभाग द्वारा कृषकों की इनपुट लागत कम करने तथा उनकी आय बढ़ाने हेतु सोलर पम्पसेटों की स्थापना, आर्टीजन कूपों का निर्माण, डीजल पम्पसेट को सोलर पम्पसेट में परिवर्तित करने का कार्य, जल संरक्षण एवं संवर्द्धन को बढ़ावा देने हेतु रिचार्ज शाफ्ट एवं छोटे चैक डेम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पानी की बचत एवं जल उपयोग दक्षता के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप / स्प्रिंकलर) की स्थापना का कार्य भी किया गया है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च 2024 तक 212 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 147 सोलर लिफ्ट योजना, 41950 सिंचाई हौज, 1151 हाईड्रम, 56767 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूसतहीय पम्पसेट, 731 मध्यम / गहरी बोरिंग, 32214 किलोमीटर सिंचाई

तालिका 14.7
उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचन क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टेयर)

वर्ष Year	क्षमता Potential				उपयोग Uses			
	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total	राजकीय लघु सिंचाई State Minor Irrigation	निजी लघु सिंचाई Minor Irrigation (Private)	वृहद एवं मध्यम सिंचाई Large & Medium Irrigation	योग Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2013-14	363.40	490.00	32.20	885.60	248.90	368.00	37.20	654.10
2014-15	366.90	509.00	32.20	908.10	253.30	382.00	37.20	672.50
2015-16	394.40	518.00	32.20	944.60	266.20	389.00	37.20	692.40
2016-17	370.00	524.00	74.80	968.80	251.60	393.00	62.60	707.20
2017-18	373.50	529.00	74.80	977.30	261.80	397.00	62.60	721.40
2018-19	382.60	534.00	74.80	991.40	252.00	401.00	62.60	715.60
2019-20	398.30	539.00	74.80	1012.10	199.10	404.00	45.00	648.10
2020-21	400.30		74.80		278.10		45.00	
2021-22	407.30		74.80		278.10		45.10	
2022-23	408.20	लघु सिंचाई	74.80		279.20	लघु सिंचाई	45.10	
2023-24	412.00		74.80		277.30		45.10	
2024-25 ([illegible])	412.40		74.80		273.30		45.10	

स्रोत: राजकीय सिंचाई / लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 14.8

वर्षवार सृजित सिंचन क्षमता

(लाख हैक्टेयर)

	सिंचन क्षमता						उपयोग					
वर्ष year	कुल राजकीय सिंचाई Total Sate Irrigation			वृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large& Mediumirrigation (Total State Irrigation Incuded)			राजकीय सिंचाई State Irrigation			वृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large& Medium irrigation (Total state irrigation incuded)		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
2014-15	2.150	1.841	3.991	0.422	0.326	0.748	1.467	1.438	2.905	0.319	0.307	0.626
2015-16	2.296	1.975	4.288	0.422	0.326	0.748	1.462	1.572	3.034	0.319	0.307	0.626
2016-17	2.407	2.041	4.448	0.422	0.326	0.748	1.523	1.691	3.214	0.319	0.307	0.626
2017-18	2.422	2.061	4.483	0.422	0.326	0.748	1.599	1.645	3.244	0.319	0.307	0.626
2018-19	2.482	2.092	4.574	0.422	0.326	0.748	1.541	1.605	3.146	0.320	0.308	0.628
2019-20	2.567	2.164	4.731	0.422	0.326	0.748	1.634	1.588	3.222	0.320	0.308	0.628
2020-21	2.576	2.175	4.751	0.422	0.326	0.748	1.638	1.593	3.231	0.322	0.309	0.631
2021-22	2.599	2.222	4.821	0.422	0.326	0.748	1.644	1.588	3.232	0.322	0.309	0.631
2022-23	2.604	2.226	4.830	0.422	0.326	0.748	1.618	1.625	3.243	0.324	0.311	0.635
2023-24	2.623	2.245	4.868	0.422	0.326	0.748	1.650	1.594	3.244	0.324	0.311	0.635
2024-25 (01/25तक)	2.625	2.247	4.872	0.422	0.326	0.748	1.590	1.594	3.184	0.324	0.311	0.635

स्रोत: राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट से संकलित)।

तालिका 14.9

उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचाई अवस्थापना

वर्ष Year	नहरों की लम्बाई (कि०मी०) Length of Canals (Km)	लघुडाल नहरों की संख्या Number of Lift Canals (No)	ट्यूबवेल (संख्या) Tubewells (No.)	सिंचाई राजस्व * संग्रहण (सिंचाई शुल्क, विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व तथा विभाग पर लगाये गये जल कर से प्राप्त राजस्व) Revenue Collection By Irrigation (Lakh ₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014-15	12215	195	1376	1768.819
2015-16	12421	211	1593	2126.303
2016-17	12578	220	1519	10887.792
2017-18	12626	229	1628	23789.179
2018-19	13209	234	1679	18126.900
2019-20	13239	245	1686	1537.855
2020-21	13276	268	1700	1790.79
2021-22	13292	282	1704	1838.00
2022-23	13330.12	296	1720	13400.597
2023-24	13375.13	321	1742	7192.756
2024-25 (01/25)	13385.13	324	1745	6527.431

स्रोत: राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट से संकलित)।

*- सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाओं में जल पर सेस, एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल राजस्व। स्रोत: राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय आकड़ियों में संकलित)।

तालिका 14.10

गत वर्षों के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क्र0 सं0	विवरण	वर्षवार क्रियान्वयन किये जाने वाले कार्यों /योजनाओं का विवरण										
		वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (12/24 तक)
1	वित्तीय प्रगति (लाख ₹ में)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
2	नवीन निर्मित नहरें (सं0 में)	40	00	40	20	5	34	40	16	15	16	03
3	नवीन निर्मित नहरों की लम्बाई पुर्नं सहित (कि0मी0)	500.07	105.71	117.230	40.005	277.70	34.580	37.11	15.50	30.12	46.21	10.00
4	नवीन निर्मित नलकूप (सं0 में)	28	127	26	50	51	7	14	74	11	22	03
5	नवीन निर्मित लघुडाल नहरें (सं0 में)	12	16	9	8	3	11	23	14	14	20	03
6	कमाण्ड क्षेत्र में अतिरिक्त वृद्धि (लाख है0)	0.002	0.258	0.171	0.046	0.004	0.187	0.052	0.050	0.006	0.025	0.035
7	अतिरिक्त सुविधा सिंचन क्षमता (लाख है0)	0.015	0.270	0.182	0.005	0.011	0.132	0.022	0.037	0.008	0.038	0.005
8	वास्तविक सींच (लाख है0)	3.005	3.034	3.140	3.244	3.146	3.222	3.231	3.229	3.241	3.224	3.186
9	बाढ़ कार्य (सं0 में)	36	66	62	26	41	34	25	12	12		
10	वर्ष के अंत में कमाण्ड क्षेत्र (लाख है0)	3.437	3.505	3.[illegible]	3.855	3.574	3.921	4.010	4.060	4.003	4.284	4.369
11	वर्ष के अंत में सिंचन क्षमता (लाख है0)	3.831	4.298	4.495	4.602	4.674	4.731	4.791	4.821	4.833	4.888	4.872

स्रोत: राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय आकड़ियों में संकलित)।

गूल/पाईप लाइन 33 छोटे गेटेड वियर एवं 455 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, 5,59,048 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक 33 सोलर लिफ्ट सिंचाई योजना, 65 बोरिंग पम्पसेट, 36 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 316 कि0मी0 सिंचाई गूल/पाईप लाइन, 12 आर्टीजन कूप एवं 446 सिंचाई हौज का निर्माण/स्थापना कर 5740 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1. सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण : राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि भूमि, उपलब्ध जल स्रोतों से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सोलर पम्प से पानी को अपलिफ्ट कर, कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम बार राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु बजट प्राविधान स्वीकृत हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 192.13 लाख लागत की 12 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिसके अन्तर्गत 12 सोलर लिफ्ट योजनाओं का निर्माण कार्य गतिमान है।

2. भूजल संरक्षण/संवर्द्धन हेतु पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण : राज्य के मैदानी जनपदों में भूजल स्तर के पुनर्भरण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भू–कटाव को रोकने, जल संरक्षण व संवर्द्धन हेतु भूजल संरक्षण/संवर्द्धन हेतु

पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 207.97 लाख लागत की 12 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिसके अन्तर्गत 8 चैकडेम, 6 तालाब एवं 5 रिचार्ज शॉफ्ट योजनाओं का निर्माण कार्य गतिमान है।

3. **नाबार्ड वित्तपोषित योजना:**–नाबार्ड वित्तपोषित, लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण मद में विभाग द्वारा सोलर पम्पसेट, चैक डेम, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, रिचार्ज शाफ्ट, छोटे गेटेड वियर, सिंचाई हौज तथा पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में नाबार्ड वित्तपोषित योजना RIDF-XVIII a RIDF-XXIX के अन्तर्गत 59 सोलर पम्पसेट, 64 रिचार्ज शॉफ्ट, 185 चैकडेम, 56सिंचाई हौज तथा 54.97 कि0मी0 पाईपलाईन/गूल का निर्माण किया गया है। RIDF-XXX के अन्तर्गत ₹ 9061.06 लाख लागत की 35 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिस पर निर्माण कार्य गतिमान है।

4. **ड्रिप /स्प्रिंकलरों का निर्माण:**– विभाग द्वारा निर्मित सिंचाई योजनाओं पर जल अपव्यय न्यून किये जाने, सिंचाई दक्षता में वृद्धि एवं जल की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 100.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है।

5. **आर्टीजन कूपों का निर्माण** :– ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। आर्टीजन कूपों के निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 69.43 लाख लागत की 08 आर्टीजन कूपों के निर्माण की योजनायें स्वीकृत हुई है, जिसका निर्माण कार्य गतिमान है।

6. **स्पेशल कम्पोनेंट सब प्लान–एस.सी.एस. पी.** :– उक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2024–25 में एस0सी0एस0पी0 मद में ₹ 450.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही गतिमान है।

7. **ट्राईबल सब प्लान–टी.एस.पी** :– उक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में टी0एस0पी0 मद में ₹ 120. 00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। योजनाओं की स्वीकृति हेतु कार्यवाही गतिमान है।

केन्द्रपोषित/केन्द्र सेक्टर योजना के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी** :– केन्द्रपोषित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (सतही लघु सिंचाई योजना) मद में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–24 हेतु ₹ 34939.33 लाख लागत की 422 कलस्टर/योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त योजनान्तर्गत 19624 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त योजना में माह दिसम्बर, 2024 तक 4204 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

2. **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम(पी0एम0कुसुम)** :– पी0एम0–कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट–बी के अन्तर्गत जैविक ईंधन आधारित ऊर्जा पर निर्भरता को कम किये जाने एवं सौर ऊर्जा में अधिकाधिक प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से जनपद ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून एवं हरिद्वार में कृषकों के

व्यक्तिगत संचालित डीजल सिंचाई पम्पस के स्थान पर 10.00 एच0पी0 क्षमता तक के सोलर पम्पस स्थापित किये जाने है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5367 डीजल पम्पस् के स्थान पर सोलर पम्पस स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक 989 डीजल पम्पसेटो को सोलर पम्पसेटों में परिवर्तित किया जा चुका है।

तालिका 14.11

उत्तराखण्ड में निजी लघु सिंचाई कार्यों की वर्षवार उपलब्धियाँ

वर्ष Year	सोलर लिफ्ट Solar Lift (No.)	सोलर बोरिंग पम्पसेट Solar Boring Pump sets (No.)	बोरिंग पम्प सैट Boring Pump sets (No.)	गहरे / मध्यम नलकूप Deep/Medium Tubewells (No.)	हाईड्रम Hydram (No.)	हौज Tanks (No.)	सिंचाई गूल Irrigation Gule (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2017–18	0	0	55793	731	1446	39744	30711
2018–19	0	0	55970	731	1446	39471	30951
2019–20	0	0	56217	731	1433	40333	31212
2020–21	0	0	56431	731	1433	40549	33449
2021–22	23	46	56565	731	1433	41283	31659
2022–23	51	188	56625	731	1226	41457	31929
2023–24	147	252	56767	731	1151	41950	32214
2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	190	248	56830	731	1151	42196	32530

स्रोत – लघु सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड

14.4 जलागम प्रबन्धन–

जलागम प्रबन्धन विकास योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पतियों का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। परियोजना कार्यक्रमों से जहाँ एक ओर प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित प्रबन्धन में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादकता एवं ग्रामीण समुदाय की क्षमता का विकास करते हुये आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न होते है। इन योजनाओं का संचालन ग्रामीण समुदाय की सामूहिक सहभागिता से ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है।

जलागम विभाग द्वारा प्रथम परियोजना के रूप में वर्ष 1982 से वर्ष 1988 तक यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई0ई0सी0) द्वारा वित्त पोषित दक्षिण भागीरथी फेज–। परियोजना, जनपद टिहरी गढ़वाल के 6 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में संचालित की गई। वर्ष 1982 से विभाग द्वारा कुल 11 विभिन्न बाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनायें सफलतापूर्वक पूर्ण की जा चुकी हैं।

सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का जलागम के आधार पर उपचार हेतु सम्पूर्ण विकास की योजना का निर्माण किया गया जिसमें प्रदेश को 1164 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में विभक्त किया गया, जिनका उपचार शनैः–शनैः किया जाना प्रस्तावित था। इन 1164 सूक्ष्म जलागमों में से 195 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र हिमाच्छादित अथवा अभ्यारण्य क्षेत्र में हैं, जिनमें उपचार नहीं किया जा सकता है। अवशेष 969

सूक्ष्म जलागम में से विभागीय वाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 464 सूक्ष्म जलागम का उपचार जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा तथा 291 सूक्ष्म जलागम का उपचार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मार्च 2019 तक किया गया है। वर्तमान में जलागम विभाग द्वारा केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत 25 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में तथा वाह्य सहायतित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना में 58 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में जलागम विकास के कार्य किये जा रहे हैं। वर्तमान में 418 सूक्ष्म जलागमों का उपचार किया जाना अवशेष है। जिसका विवरण निम्नवत है–

वर्तमान में विभाग द्वारा 2 वाह्य सहायतित परियोजनायें यथा जीफ वित्त पोषित जीफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर व विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) तथा 1 केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास घटक 2.0 संचालित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में जलागम विभागान्तर्गत राज्य स्तरीय Spring And River Rejuvenation Authority (SARRA) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

14.4.1 जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण

1. केन्द्र वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन के माध्यम से वर्षा आधारित/निम्नकोटी भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना है तथा ग्रामीण समुदायों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास करते हुए उनकी सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से आय में वृद्धि करना है।

- 05 वर्षीय यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 (माह जनवरी 2021 से प्रभावी) तक राज्य के तीन जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ हेतु 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जो 11 विकासखण्डों के 25 सूक्ष्म जलागमों के 70,231 हैक्टर क्षेत्रफल में क्रियान्वित की जायेगी। जिससे 370 ग्राम पंचायतों के 918 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे। परियोजना लागत–धनराशि ₹ 196.65 करोड़ (90% केन्द्रांश धनराशि ₹ 176.98 करोड़ एवं 10% राज्यांश ₹ 19.67 करोड़) है।

- वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य ₹ 84.41 करोड़ (विगत वर्ष की अवशेष धनराशि ₹ 2.23 करोड़ को सम्मिलित करते हुये कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 33.06 करोड़) के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 22.17 करोड़ का व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, माह दिसम्बर 2024 तक परियोजना की अद्यतन भौतिक प्रगति–

❖ **प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के अन्तर्गत–**

- भूमि एवं मृदा संरक्षण गतिविधि के अन्तर्गत 21,415 घन मी0 चैक डैम निर्माण।

- जल संग्रहण एवं लघु सिंचाई के अन्तर्गत 192 जल संग्रहण संरचनाएं यथा सिंचाई टैंक, ग्रामीण तालाब/अमृत सरोवर, जियो मैम्ब्रेन टैंक निर्माण तथा 70.02 कि0मी0 सिंचाई गूल एवं HDPE पाईपलाईन।

- जल स्रोतों के प्रबन्धन हेतु 74,537 खन्तियां एवं रिचार्ज पिट निर्माण, 270 डग आउट पोण्ड/चाल–खाल निर्माण, 151 चाल–खाल एवं

नौला–धारा जीर्णोद्धार।

- 27 हैक्टेयर वनीकरण, 52 हैक्टेयर परती भूमि उपचार एवं 137 हैक्टेयर नैपियर घास रोपण।

❖ उत्पादक प्रणाली के अन्तर्गत–

- 3600.60 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु उच्च मूल्य फसल बीज उपलब्ध कराये गये। 120 हैक्टेयर रबी फसलों एवं 289 हैक्टेयर खरीफ फसलों हेतु सहयोग।

- 54 हैक्टेयर में मसाले कल्टीवेशन। 294 हैक्टेयर पशबाड़ी पौधरोपण एवं 125 पॉली हाउस एवं पॉली टनल स्थापना कार्य।

निर्बल वर्ग हेतु आजीविका संवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत–

- 848 स्वयं सहायता समूहों/व्यक्तिगत लाभार्थियों का गठन कर विभिन्न गतिविधियों यथा– बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मौन पालन इत्यादि हेतु सहयोग प्रदान करना।

2. जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना (वाह्य सहायतित परियोजना)–

- सामुदायिक सहभागिता से जलागम विकास की अवधारणा पर वैश्विक पारिस्थितिकी/पर्यावरण लाभ और महत्वपूर्ण जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, सतत् भूमि प्रबन्धन तथा वन भू–दृश्य के संरक्षण के लिये कृषि क्षेत्रों में सुधार/प्रोत्साहन के दृष्टिगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजाजी कार्बेट वन्य जीव कॉरिडोर तथा कार्बेट वन्य जीव परिदृश्य क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 3,73,290 हैक्टेयर में 5.867 मिलियन अमेरिकन डॉलर (लगभग ₹ 46.93 करोड़ /₹ 80 प्रति डॉलर) लागत की जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 से किया जा रहा है, जो वर्ष 2025–26 में पूर्ण होगी। परियोजना की राष्ट्र स्तरीय क्रियान्वयन संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) है।

- परियोजनान्तर्गत 03 विकासखण्डों (दुगड्डा, जहरीखाल, यमकेश्वर) के उच्च प्राथमिकता वाले 83 ग्राम पंचायतों के 230 राजस्व ग्राम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

- परियोजना व्यय की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुदान के माध्यम से होती है। माह दिसम्बर 2024 तक जैफ संस्था से परियोजना कार्यों हेतु ₹ 1265

तालिका 14.12

जलसमेट क्षेत्र, जलागम, उप जलागम एवं सूक्ष्म जलागमों का विवरण

क्र०सं०	जलसमेट क्षेत्र का नाम	जलागमों की संख्या	उप जलागमों की संख्या	सूक्ष्म जलागमों की संख्या
1	यमुना	5	19	161
2	गंगा "अ"	2	5	56
3	गंगा "ब"	2	12	88
4	भागीरथी	2	18	159
5	अलकनन्दा	5	22	207
6	रामगंगा	3	11	87
7	कोसी	4	13	117
8	काली	3	16	235
9	2B6D & 2C6B	2	6	54
कुल		28	122	1164

स्रोत–जलागम विभाग उत्तराखण्ड

तालिका 14.13

जनपदवार सूक्ष्म जलागमों की अद्यावधिक स्थिति

क्र. सं.	जनपद	सूक्ष्म जलागम संख्या	सूक्ष्म जलागम जिनका उपचार सम्भावित नहीं	उपचार योग्य सूक्ष्म जलागम सं0	जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा उपचारित सूक्ष्म जलागम						अन उपचारित सूक्ष्म जलागम
					वर्ष 2000 से पूर्व	वर्ष 2000 के उपरान्त	वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही पी0एम0के0एस0वाई0 WDC 2-0	वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना	कालम 6 में से पुनः उपचारित	कुल उपचारित + कार्यान्वित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अल्मोड़ा	59	1	58	4	28	10	8	2	48	50
2	बागेश्वर	59	2	57	0	41	0	0	0	41	16
3	चमोली	139	36	103	2	30	0	0	0	32	71
4	चम्पावत	41	0	41	4	20	0	0	4	20	21
5	देहरादून	94	12	82	0	60	0	0	1	59	23
6	नैनीताल	71	8	63	9	38	0	7	5	48	15
7	पौड़ी गढ़वाल	126	18	108	43	43	6	9	19	82	26
8	पिथौरागढ़	129	42	87	0	35	9	0	0	44	43
9	रुद्रप्रयाग	45	4	41	5	23	0	10	1	37	4
10	टिहरी गढ़वाल	131	17	114	37	25	0	13	7	67	47
11	ऊधमसिंहनगर	11	0	11	0	2	0	1	0	3	8
12	हरिद्वार	54	7	47	0	18	0	2	0	20	27
13	उत्तरकाशी	165	48	117	0	41	0	9	0	50	67
	योग	**1164**	**195**	**969**	**103**	**404**	**25**	**58**	**39**	**551**	**418**

स्रोत–जलागम विभाग उत्तराखण्ड

71 लाख की अनुदान धनराशि प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, माह दिसम्बर 2024 तक परियोजना की अद्यतन भौतिक प्रगति–

- ग्राम कार्यान्वयन समितियों (Village Implementation Committee- VIC) की 68 बैठकों का आयोजन।

- कुल 23 School Ecoclubs की स्थापना।

- Sustainable Energy Alternatives एवं Incentives for reviving agrobiodiversity विषयों पर अध्ययन गतिमान है।

- Farmer Field Schools on Sustainable Green Agriculture पर 674 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन।

- Farmer Field Schools on Livestock Management पर 420 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन।

- परियोजनान्तर्गत महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुल 3,690 महिलाओं को Farmer Field Schools एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है।

- Green Lanscape Management Plans (GLMP's) तैयार कर परियोजना क्षेत्रों में निम्नलिखित लाभार्थीपरक गतिविधियां संचालित की गई हैं–

✓ Natural Resource Management (NRM) सम्बन्धी– 10 हैक्टेयर क्षेत्र में लेन्टाना उन्मूलन, 4250 cum Drainage Line Treatment, 30 Springshed Management Plan निर्माणाधीन आदि।

✓ **कृषि सम्बन्धी**– 6200 रनिंग मी० फेन्सिंग, 20 कुन्तल लहसुन बीज वितरण, 106 उन्नत कृषि यंत्र वितरण आदि।

✓ **औद्यानिकी सम्बन्धी**– 3 हैक्टेयर में फलदार पौध रोपण, 5 हैक्टेयर फलोद्यान स्थापना आदि।

✓ **पशुपालन सम्बन्धी**– 3500 मिनरल मिक्सचर वितरण, 10 पशुबाड़ा निर्माण आदि।

✓ **जल संरक्षण एवं संवर्द्धन सम्बन्धी**– 4 LDPE टैंक निर्माण, 18 जियो मैम्ब्रेन टैंक निर्माण आदि।

3. विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (वाह्य सहायतित परियोजना)

- परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में विस्तृत बारानी कृषि क्षेत्र पर स्थानीय कृषकों की निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए "राज्य के चयनित भू–परिदृश्य क्षेत्रों में वर्षा आधारित पर्वतीय कृषि प्रणाली को जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणाली के रूप में विकसित करना"।

- छः वर्षीय यह परियोजना राज्य के आठ जनपदों के 14 विकासखण्डों के चयनित 58 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 2,37,634 है० क्षेत्रफल में व्यवस्थित 510 ग्राम पंचायतों के 980 राजस्व ग्रामों में संचालित की जा रही है। परियोजना द्वारा लगभग 3,65,182 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

- परियोजना की कुल लागत 138.06 MUS (₹ 1148 करोड़), जिसमें विश्व बैंक का अंश 96.2 MUS (₹ 800 करोड़), राज्य का अंश 34.19 MUS (₹ 284.35 करोड़) तथा लाभार्थी अंश 7.66 MUS (₹ 63.68 करोड़) है।

- दिनांक 14 अगस्त, 2024 को परियोजना की समस्त औपचारिकता पूर्ण कर परियोजना के

अनुबन्ध पर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विश्व बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

• दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 से परियोजना क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

• वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु संशोधित वित्तीय लक्ष्य ₹ 34.17 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 15.60 करोड़ का व्यय हुआ है।

परियोजना के घटक –

1– ग्रीन हाउस गैस (जी.एच.जी.) न्यूनीकरण हेतु सक्षम तथा सुदृढ़ उत्पादन प्रणाली विकसित करना।

2– सुदृढ़ स्प्रिंगशेड का विज्ञान आधारित विकास।

3– आय में सशक्तता वृद्धि।

4– परियोजना प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, तथा सीख।

5– आकस्मिक आपातकालीन अनुक्रिया घटक।

परियोजना के Key Performance Indicator (KPI)

KPI–1: प्रतिनिधि कृषि भूमि क्षेत्रों से ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में न्यूनतम कमी– 5%

KPI–2: चयनित फसलों की उत्पादकता में वृद्धि– 20%

KPI–3: चयनित स्प्रिंग–शेड क्षेत्रों में जल उत्सर्जन में वृद्धि– 20%

KPI–4: परियोजना प्रोत्साहित Climate Smart कृषि तकनीकों व पद्धतियों अपनाने वाले कृषक– 50%

KPI–5: परियोजना क्षेत्रों में घरेलू कृषि आय में वृद्धि– 25%

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, माह दिसम्बर 2024 तक परियोजना की अद्यतन भौतिक प्रगति–

• दिनांक 30 जनवरी, 2024 को Department of Economic Affairs (DEA), भारत सरकार एवं विश्व बैंक के साथ सफलतापूर्वक Negotiation पूर्ण किया गया।

• विश्व बैंक बोर्ड द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को परियोजना अनुमोदित/स्वीकृत की गई।

• दिनांक 14 अगस्त, 2024 को परियोजना अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है।

• दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 से परियोजना क्रियान्वयन का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

• Project Appraisal Document (PAD), Cost Table, Project Implementation Plan (PIP) विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

• Monitoring & Evaluation (M&E) Consultancy द्वारा परियोजना क्षेत्र में Baseline survey का कार्य किया जा रहा है।

• परियोजना क्षेत्र में Household survey का कार्य गतिमान है।

• परियोजनान्तर्गत स्थापित 20 इकाई कार्यालय स्तर पर कुल 20 Project Orientation Workshops का आयोजन।

• परियोजना में रिपोर्टिंग, अनुश्रवण व वित्तीय एवं भौतिक प्रगति हेतु MIS Portal का निर्माण।

4. राज्य स्तरीय स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (SARRA) (नवीन प्रस्ताव/योजना)

• उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 169384/2023-07(05)(XIII-A-1)/2023,

दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के द्वारा राज्य में विशेष रूप से जलागम उपचार अवधारणा से सम्बन्धित योजनाओं के निरूपण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु स्थापित एवं इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव एवं विशेषज्ञता धारित करने वाले जलागम विभाग के अंतर्गत "स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (Spring and River Rejuvenation Authority-SARRA)" को स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

• स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण का उद्देश्य "राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण, जल संवर्द्धन में वृद्धि, मापन एवं अनुश्रवण तथा वर्षा आधारित नदियों के चिरस्थायी प्रवाह हेतु स्थानीय जनसमुदाय की सहभागिता एवं वैज्ञानिक पद्धतियों से वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चैकडैम आदि के माध्यम से उनका उपचार करते हुये सतत् उपयोग सुनिश्चित करना" है।

• इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जलागम विभाग नोडल विभाग के रूप में समस्त रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा।

कार्य क्षेत्र –राज्यान्तर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों एवं नदियों का चिन्हीकरण कर समस्त जनपदों में उपचार/पुनरोद्धार के कार्य किये जायेंगे।

प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्य–

• वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चैक डैम आदि के माध्यम से स्प्रिंग एवं नदियों का प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से पुनरोद्धार/उपचार

• सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों का सतत् रूप से अनुरक्षण

• सहभागी व्यवस्था के अन्तर्गत जल स्रोतों के बहाव एवं जल गुणवत्ता का समय–समय पर मूल्यांकन

• जल स्रोतों एवं नदियों के पुनरोद्धार हेतु प्रदेश के समस्त हितभागियों को इस विषय पर जागरूक करने हेतु राज्य, जनपद तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन।

➢ **वित्तीय वर्ष 2024–25 में, माह दिसम्बर 2024 तक प्राधिकरण की अद्यतन भौतिक प्रगति –**

➢ SARRA का राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापित किया जा चुका है।

➢ SARRA के क्रियान्वयन हेतु Society Registration Act के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है।

➢ जलागम विभाग के अंतर्गत राज्य के समस्त जनपदों में जिला स्तरीय SARRA सेल की स्थापना एवं जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

➢ हाई पावर कमेटी (HPC) की दो बैठकों का आयोजन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में किया गया है।

➢ राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (SLEC) की दो बैठकों का आयोजन अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में किया गया है।

➢ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति, (DLEC) की बैठकों का समय–समय पर आयोजन कर चिह्नित जल स्रोतों एवं चिह्नित सहायक नदियों/धाराओं की उपचार योजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन कर DPR निरूपण की कार्यवाही की जा रही है। समिति द्वारा समय–समय पर प्रगति समीक्षा/मूल्यांकन किया

जाता है।

➤ राज्यान्तर्गत SARRA के निर्देशन में माह–अप्रैल 2024 से जल संरक्षण अभियान–2024 गतिमान है, जिसके अन्तर्गत अद्यतन प्रगति निम्नवत् है:–

- ग्राम स्तर पर 6421 जल स्रोतों का चिह्निकरण व उपचार क्षेत्रों में जल संरक्षण गतिविधियाँ गतिमान है।

- विकासखण्ड स्तर पर 929 Critical सूख रहे जल स्रोतों को चिह्नित कर उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन।

- जनपद स्तर पर 292 सहायक नदियों/धाराओं को चिह्नित कर उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन।

- राज्यान्तर्गत 8,48,189 विभिन्न जल संचय व संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्यों द्वारा 32,12,693 घन०मी० Water Recharge.

- शहरी क्षेत्रों में भू–जल रिचार्ज के दृष्टिगत कुल लक्षित 297 रिचार्ज पिट/शॉफ्ट के सापेक्ष 57 निर्माण कार्य।

- 829 है० लक्षित वृक्षारोपण के सापेक्ष 2640 है० की प्रगति।

➤ वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दीर्घावधिक उपचार के दृष्टिगत राज्य के जनपद–देहरादून के सौंग, पौड़ी की पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, नैनीताल से शिप्रा एवं चम्पावत की गौड़ी वर्षा आधारित नदियों की उपचार कार्य योजना का निरूपण कार्य गतिमान है।

अध्याय–15
सड़क एवं रेल
Road and Train

सड़क एवं रेल आबादी वाले क्षेत्रों में इसकी पैठ के स्तर को ध्यान में रखते हुए, माल और यात्रियों दोनों तरह के परिवहन का सबसे अधिक लागत प्रभावी और पसंदीदा साधन माना जाता है। इस प्रकार, यह देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

15.1 आसान उपलब्धता व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अनुकूलता व लागत बचत कुछ ऐसे कारक हैं जो सड़क परिवहन के पक्ष में हैं।

जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तराखण्ड में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके लोक निर्माण विभाग ने 31 मार्च 2024 तक 33047 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़कों (जिसमें जीप योग्य एवं ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2024–25 हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी योजनाओं में ₹ 2572.24 करोड़ का प्राविधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2024–25 में भौतिक लक्ष्य एवं दिसम्बर 2024 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.1 में दर्शाया गया है–

सारणी 15.1

क्र0 सं0	मद	इकाई	लक्ष्य 2023–24	वर्ष 2023–24 की उपलब्धियां (माह मार्च 2024 तक)	लक्ष्य 2024–25	31.12.2024 तक की वास्तविक उपलब्धियां / 31.03.2025 तक की प्रत्याशित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
राज्य क्षेत्र	वाहन चलने योग्य सड़क	किमी0	269.01	316.02	187.32	152.83/187.32
	जल निकास	किमी0	269.01	316.02	187.32	152.83/187.32
	पक्की तथा विरासित सड़कें	किमी0	724.08	992.78	853.16	593.81/853.16
	जीप चलने योग्य सड़क	किमी0	-	-	-	-
	पुल	सं0	28	29	41	15/41
	गाँव जुड़े	सं0	58	79	51	24/51

स्रोतः लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

15.1.1 उत्तराखण्ड में दिसम्बर 2024 तक 13892 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा चार्ट संख्या 15.1 में दर्शाया गया है–

चार्ट 15.1

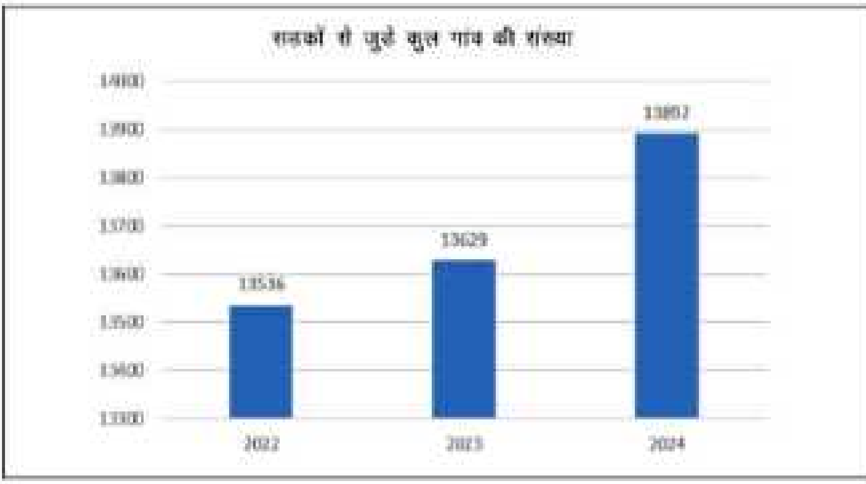

स्रोत: लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

तालिका 15.2

राज्य में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0 में)

क्र0 सं0	मार्ग का श्रेणी	2000	2010	31 मार्च 2024 तक	2024–25 के लक्ष्य	31.12.2024 तक की वास्तविक उपलब्धियां/ 31.03.2025 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	7	8
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	526	1345	2033	-	-
2	प्रादेशिक राजमार्ग	1233	3665	5689	-	-
3	मुख्य जिला मार्ग	1270	3040	3535	-	-
4	ग्रामीण मार्ग	5051	8964	15005	853	694/853
5	हल्का वाहन मार्ग	-	96	93	-	-
	कुल योग	**8080**	**17100**	**26355**	**853**	**694/853**

स्रोत: लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

राष्ट्रीय राज मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

15.1.2 प्रदेश में वर्तमान तक 3595 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2033 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनके सुधार के कार्य वर्ष 2024–25 में भी जारी रहे। दिसम्बर 2024 तक ₹ 322.46 करोड़ का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यों का विवरण निम्नवत है:–

1. ऑल वैदर रोड:– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 46 नं0 कार्य, 737 किमी0 लम्बाई हेतु ₹9917 करोड़ के स्वीकृत हैं। स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष कार्यों का दायित्व निम्न विभागों के पास है–

- लोक निर्माण विभाग
- पी.आई.यू.मोर्थ (Project Implementation Unit Ministry of Road Transport and Highway)
- बी.आर.ओ.(Border Road Organisation)
- एन.एच.आई.डी.सी.एल. (National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited)

इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 889 किमी0 लम्बाई में मार्गों का 02 लेन चौड़ाई में पक्के शोल्डर सहित निर्माण कार्य किया जाना है। जिसके अन्तर्गत 15 नं0 दीर्घ सेतुओं, 02 नं0 सुरंग मार्गों (चम्बा एवं चाड़ी टॉप) एवं 03 नं0 एलिवेटेड मार्गों (सोनप्रयाग– लम्बाई 775 मी0, मरीन ड्राइव– लम्बाई 575मी0 एवं मलेरी–लम्बाई 400मी0) का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2024 तक 28 नं0 कार्य, लम्बाई 455 किमी0, लागत ₹ 4606 करोड़ के पूर्ण हो चुके हैं, एवं 13 नं0 कार्य, लम्बाई 216 किमी0, लागत ₹ 4090 करोड़ के प्रगति पर है। वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत 737 किमी0 के सापेक्ष 597 किमी0 लम्बाई में 02 लेन चौड़ीकरण एवं 574 किमी0 लम्बाई में सतह लेपन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। वर्तमान तक स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष ₹ 7487.93 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2. सेतु भारतम योजना:– सेतु भारतम योजना के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या के निदान हेतु आर.ओ.बी. (Road Over Bridge) के निर्माण का प्राविधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश में निम्न रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनको माह मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है–

- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–74 पर काशीपुर के निकट दो लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 56.76 करोड़।
- राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–121 पर काशीपुर के निकट चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 78.52 करोड़।

3. श्री केदारनाथ धाम के पुनरोद्धार कार्य:–

सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम में कुल 47 नं0 कार्य, लागत ₹ 329.76 करोड़ के स्वीकृत हैं,

जिसके सापेक्ष 14 नं0 कार्य, लागत ₹ 96.13 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। 09 नं0 कार्य, लागत ₹ 116.67 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें माह जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 24 नं0 कार्य, लागत ₹ 117.98 करोड़ में से 04 नं0 कार्यों पर कार्य प्रगति एवं 20 नं0 कार्यों पर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है।

4. श्री बद्रीनाथ धाम के कार्य:— सी.एस.आर. के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम में कुल 41 नं0 कार्य, लागत ₹ 441.20 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 05 नं0 कार्य, लागत ₹ 70.75 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 30 नं0 कार्य, लागत ₹ 338.22 करोड़ के प्रगति पर हैं, जिन्हें शीघ्रातीशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 06 नं0 कार्य, लागत ₹ 32.33 करोड़ पर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है।

5. लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्य:—

- प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं अन्य मार्गों पर दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हिकरण कर दुर्घटना से बचाव हेतु क्रैश बैरियर लगाये जा रहे हैं।
- राज्य मार्गों व अन्य मार्गों सहित 6534 किमी0 लम्बाई में क्रैश बैरियर लगाये जाने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 2520 किमी0 लम्बाई में दिसम्बर 2024 तक क्रैश बैरियर लगाये जा चुके हैं। अवशेष 4014 किमी0 लम्बाई के सापेक्ष 1468 किमी0 लम्बाई में क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है, जिस पर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान है।
- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत वर्ष 1929 में निर्मित लक्ष्मणझूला सेतु के समीप 132.30 मीटर स्पान के वैकल्पिक सेतु (बजरंग सेतु) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, कार्य भौतिक रूप से 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 48.36 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। कार्य को मार्च 2025 तक पूर्ण करने के प्रयास जारी हैं।
- केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि (सी.आर.आई.एफ.) योजना के अन्तर्गत अद्यतिथि तक कुल 174 नं0 कार्य, लागत ₹ 2002 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं, जिनके सापेक्ष वर्तमान तक 152 नं0 कार्य, लागत ₹ 1459 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। अवशेष 22 नं0 कार्यों में से 18 नं0 कार्य, लागत ₹ 531 करोड़ के प्रगति पर है।
- केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि–सेतु बन्धन (सी.आर.आई.एफ.) के अन्तर्गत कुल 06 नं0 आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. निर्माण के कार्य, लागत ₹ 193.92 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जिनकी डी.पी.आर. गठन का कार्य गतिमान है।
- रिस्पना एवं बिन्दाल नदी पर 04 लेन एलीवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है, जिसकी कुल लागत ₹ 6204 करोड़ है उक्त परियोजना पर कन्सलटैन्सी एवं सर्वे कार्य गतिमान है। उक्त परियोजना पर अद्यतिथि तक ₹ 3.28 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

15.2 रेल यातायात:— यह भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक है। यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपितु बिखरे हुए क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने में और देश की राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करता है। देवभूमि उत्तराखंड की दिव्य सुंदरता सांस्कृतिक समृद्धि आध्यात्मिक महत्व, विरासत स्थलों और सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों के परिवहन हेतु कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इनमें ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल मार्ग का कार्य बहुत तेजी से गतिमान है।

125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई बीजी रेल लिंक परियोजना का संक्षिप्त विवरण

परिचय:

ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर नई ब्रॉड गेज (बीजी) रेलवे लाइन उत्तराखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच रेल लिंक प्रदान करने का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में स्थित तीर्थस्थलों तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ नए व्यापार केंद्रों को जोड़ना और क्षेत्र में रहने वाली आबादी की सेवा करना है। उम्मीद है कि इस तरह के लिंक से यात्रा के समय और लागत में काफी कमी आएगी। यह रेल लिंक क्षेत्र में औद्योगिक विकास, एवं कुटीर उद्योग के अवसर खोलेगा तथा राज्य में अर्थव्यवस्था और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देगा।

प्रस्तावित रेलवे लाइन 5 जिलों देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली के माध्यम से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी।

मुख्य विशेषताएं

1	परियोजना की कुल लंबाई	125.20 (Km)
2	मुख्य सुरंगों की संख्या	16 (Nos.)
3	पलायन सुरंगों की संख्या	12 (Nos.)
4	एडिट / शाफ्ट की संख्या	08 / 01 (Nos.)
5	मुख्य सुरंगों की कुल लंबाई	104.00 (Km)
6	पलायन सुरंगों की कुल लंबाई	97.72 (Km)
7	एडिट / शाफ्ट की कुल लंबाई	4.82 (Km)
8	क्रॉस–पैसेज की कुल लंबाई	7.05 (Km)
9	सुरंग निर्माण की कुल लंबाई	213.57 (Km)
10	सुरंग की अधिकतम लंबाई	14.58 (Km)
11	मार्ग सुरंग की लंबाई का प्रतिशत	83.07%
12	महत्वपूर्ण / प्रमुख रेल पुलों की संख्या	05 / 14 (Nos.)
13	महत्वपूर्ण और प्रमुख रेल पुलों की कुल लंबाई	3076.025 (m)
14	महत्वपूर्ण / प्रमुख रेल पुल (गौचर बीआर–18) की अधिकतम ऊंचाई	46.99 (m)
15	रेल पुल की अधिकतम लंबाई (श्रीनगर बीआर–08)	460.00 (m)
16	रेल पुल की अधिकतम लंबाई (देवप्रयाग बीआर–06)	125 (m)
17	महत्वपूर्ण प्रमुख रेल पुल की लंबाई का प्रतिशत	2.21%
18	सड़क पुलों की संख्या	06 (Nos.)
19	रोड ओवर पुलों / आर ओ बी की संख्या	02 (Nos.)
20	रोड अण्डर पुलों / एलएचएस की संख्या	03 / 01 (Nos.)
21	लघु पुल की संख्या	38 (Nos.)
22	नए स्टेशनों की कुल संख्या	12 (Nos.)
23	खुली कटिंग / तटबंध की लंबाई	18.43 (Km)

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को रेल मंत्रालय द्वारा सितंबर–2011 में इस प्रतिष्ठित परियोजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया था। पहले के अध्ययनों के आधार पर, रेलवे मंत्रालय द्वारा 2010–11 में 4295.3 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई बीजी रेल लाइन को मंजूरी दी गई थी। विस्तृत आंकलन के अनुसार नवंबर–2016 में बोर्ड द्वारा 16216.31 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

सुरंगों और पुलों की योजना और डिजाइनिंग के साथ–साथ साइट तक पहुंच के लिए वास्तविक सुरंग निर्माण कार्य शुरू होने से पहले निम्नलिखित निर्माण के लिए साइट को तैयार करने वाले कार्य शुरू किए गए और पूरे किए गए।

- संपूर्ण परियोजना के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (1:5000 स्केल) और भू–भौतिकीय अध्ययन (भूकंपीय और प्रतिरोधकता सर्वेक्षण) पूरा हो गया।
- पूरे प्रोजेक्ट के लिए भू–तकनीकी जांच (जीटीआई) पूरी की गई – 164 बोर होल और 15.8 किमी रॉक ड्रिलिंग (800 मीटर गहराई तक)।
- सभी प्रमुख पुलों के लिए हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन (राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान) और साइट विशिष्ट भूकंपीय अध्ययन और एमएएसडब्ल्यू अध्ययन (आईआईटी रूड़की) पूरे हो गए।
- विभिन्न कार्य स्थलों तक एप्रोच रोड का निर्माण पूरा हो चुका है।
- वीरभद्र स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश के बीच 5.7 किलोमीटर लंबाई का पहला ब्लॉक खंड चालू किया गया है, जिसमें वीरभद्र स्टेशन पर सुविधाओं का उन्नयन और ऋषिकेश में विश्व स्तरीय ग्रीन रेलवे स्टेशन का निर्माण शामिल है।
- मौजूदा वीरभद्र स्टेशन और योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन (पीके–1ए) के बीच 5.7 किमी का पहला ब्लॉक खंड मार्च 2020 में चालू किया गया है। इसमें ऋषिकेश तक बाईपास रोड पर एक आरयूबी और देहरादून की महत्वपूर्ण सड़क पर एक आरओबी का निर्माण भी शामिल था।
- योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन पर ट्रेन रखरखाव की सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

सुरंग कार्य–

- वीरभद्र स्टेशन से 6 किमी से आगे का संरेखण सुरंगों में है। सुरंग निर्माण कार्य में 46 ड्राइव, 8 एडिट के साथ 16 सुरंगें शामिल हैं और जंबो ड्रिल जैसी सबसे परिष्कृत आधुनिक मशीनरी का उपयोग करके प्रति माह 06 किमी की औसत प्रगति पर सभी सुरंगों (77 फेस के साथ सुरंग ड्राइव) में प्राथमिक लाइनिंग के साथ भूमिगत खुदाई जारी है। तेज खुदाई के लिए कम स्पंदन तकनीक वाली शॉटक्रीट मशीनें और कान्टिन्यूअस लोडर को प्रयोग में लाया जा रहा है। कुल सुरंग खुदाई की प्रगति (मुख्य सुरंग, एस्केप सुरंग, एडिट और क्रॉस पैसेज सहित) 89.25% है जो 213 किमी (एमटी–104 किमी, ईटी–97.7 किमी, एडिट–4.8 किमी और सीपी–7) के कुल लंबाई के मुकाबले 187.98 किमी पूरी हो चुकी है।
- 46 ड्राइव में से ब्रेकथ्रू (आर पार) टी2, टी3, टी4, टी6, टी7, टी8, टी9, टी10, टी11, टी12, टी13, टी15 और टी16 पूरे हो चुके हैं, जिनकी कुल लंबाई 98.79 किमी है, जिससे अंतिम

लाइनिंग कार्य शुरू करने के लिए रास्ता साफ हो गया है, ताकि फ़ीएलटी कार्य शुरू किया जा सके। वर्तमान में, टीबीएम सुरंग सहित 70.34 किमी फाइनल लाइनिंग पूरी हो चुकी है।

सुरंग जो पूरी तरह आर–पार हो चुकी है –ET–2, MT–2, ET–3, MT–4, MT–6, MT–7, MT–9, MT–10, ET–10, ET–11, ET–12, ET–13, MT–13, ET–15 –ET–16 (MT-MainTunnel, ET-Escape Tunnel)

रेलवे पुल

- चंद्रभागा सहित अलकनंदा नदी पर 19 में से 05 महत्वपूर्ण/प्रमुख पुल पूरे हो चुके हैं, जबकि 10 पुल इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है।
- सुरंग कार्यों के साथ–साथ शेष महत्वपूर्ण और प्रमुख पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
- श्रीनगर, गौचर और सिवाई में कार्य स्थलों तक पहुंच के लिए प्रमुख सड़क पुल पूरे हो गए हैं।
- सुरंग कार्यों के साथ–साथ शेष महत्वपूर्ण और प्रमुख पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
- लंबी सुरंगों को जल्दी पूरा करने और इस प्रकार परियोजना को जल्दी पूरा करने की सुविधा के लिए सुरंग खुदाई के अतिरिक्त फेस बनाने के लिए जहां भी संभव हो, विभिन्न सुरंगों में आठ एडिट की पहचान की गई। 8 में से 8 एडिट (4.822 किमी) का काम पूरा हो चुका है। इससे मुख्य सुरंग निर्माण में तेजी आई है।

अध्याय–16
उद्योग
Industry

राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद औद्योगिक विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। राज्य के देश में सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक होने का श्रेय अनुकूल औद्योगिक नीति और उदार कर नीति को जाता है। इन लाभों से उत्पन्न पूंजी निवेश में भारी वृद्धि की है। विनिर्माण क्षेत्र में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 48 प्रतिशत वृद्धि होने के बावजूद राज्य में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों की संख्या अत्यधिक न्यून है। राज्य में सीमेंट, खाद्य तेल, रसायन, वनस्पति, खनिज प्रसंस्करण, विद्युत इंजीनियरिंग, वस्त्र, फार्मा, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती, बागवानी जैव प्रौद्योगिकी, एफ०एम०सी०जी० (FMCG) ऑटोमोबाईल जैसे उद्योगों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है।

राज्य में नवीन एकीकृत औद्योगिक आस्थान (SIDCUL), पंतनगर, देहरादून, हरिद्वार, सितारगंज में स्थापित किये गये हैं। यही नहीं अपितु राज्य सरकार द्वारा एम०एस०एम०ई० (MSME) नीति 2015, विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008, लागू कर मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति सम्मेलन का आयोजन कर वृहत स्तर पर औद्योगिक समूहों को निवेश हेतु आमंत्रित किया गया।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, क्रय वरीयता नीति लागू की गई है। एक जनपद दो उत्पाद (One District Two Product) कार्यक्रम प्रारम्भ कर स्थानीय ऐसी वस्तुओं को उत्पादन प्रचार–प्रसार कर स्वरोजगार उत्पन्न करने के प्रयास किये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न औद्योगिक नीतियों को निवेशकों के अनुरूप बनाया गया है। सिंगल विंडो सुविधा के साथ ही सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को विशेष लाभ प्रदान किया गया है। युवाओं में स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने के लिये स्टार्ट–अप नीति लागू की गई है।

विगत 24 वर्षों में तेजी से औद्योगिक विकास मैदानी जनपदों तक ही सीमित होने के कारण राज्य के पर्वतीय जनपद लाभान्वित नहीं हो पाये हैं। पर्वतीय जनपदों में औद्योगिक निवेश की सम्भावना वाले क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं पर्यटन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय जनपदों में उद्यान एवं कृषि से सम्बन्धित उद्योगों को वरीयता प्रदान किये जाने की भी आवश्यकता है।

तीव्र औद्योगिक विकास हेतु एमएसएमई क्षेत्र की, कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर सृजित करने में, राष्ट्रीय आय और आय के अधिक समान वितरण, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर, 2024 तक) में कुल 88489 औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं। गत 24 वर्षों में औद्योगिक इकाईयों में 6 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि इसके सापेक्ष निवेश में 24 गुना तथा रोजगार में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

राज्य में लघु स्तरीय उद्योग (SSIs) के अन्तर्गत पंजीकृत तथा एमएसएमईडी एक्ट के तहत ईएम पार्ट–2, उद्योग आधार ज्ञापन तथा उद्यम रजिस्ट्रेशन दाखिल करने वाले कुल उद्यमों में ₹ 17057.74 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 442193 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

तालिका 16.1
उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों की स्थिति

वर्ष	उद्योगों की संख्या					पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)	सृजित रोजगार (संख्या)
	बृहद उद्योग	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग	सूक्ष्म उद्योग	योग		
2019–20	28	16	501	3586	4131	1731.15	26730
2020–21	2	29	250	3990	4271	908.48	22187
2021–22	0	106	252	4715	5073	871.50	35990
2022–23	0	1	32	5451	5484	646.13	22597
2023–24	0	0	26	5284	5310	655.87	23057
2024–25 (माह नवम्बर, 2024 तक)	0	1	14	3719	3734	411.18	14108

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 16.2

विवरण	स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या		पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)		सृजित रोजगार	
	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत
08.11.2000 तक पंजीकृत लघु–लघुत्तर इकाईयां	14153	39	700.29	8369.79	38509	29197
09.11.2000 से माह नवम्बर, 2024 तक पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	74326	290	16357.45	29588.15	403684	82254
योग:-	**88479**	**329**	**17057.74**	**37957.94**	**442193**	**111451**

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–16.1

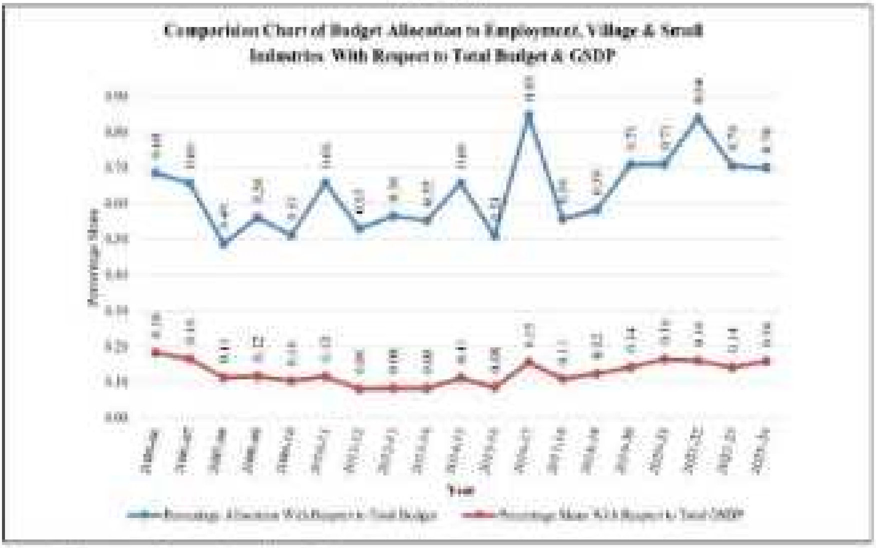

Source: (Directorate of economics and statistics)

16.1 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः– विनिर्माणक, सेवा तथा व्यवसाय की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा एवं स्वीकृत परियोजना पर 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में अनुदान सहायता दी जाती है। यद्यपि सीधे कृषि कार्य (फसल उगाना) पर योजना का लाभ अनुमन्य नहीं है, परन्तु कृषि आधारित क्रियाकलापों एवं संरक्षित कृषि जैसे मशरूम उत्पादन, फ्लोरीकल्चर, पॉली हाउस में साग–सब्जियों, हर्बल और सगन्ध पौध की खेती, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, भेड़–बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन आदि मात्र गतिविधियों में सम्मिलित हैं। योजना हेतु अभ्यर्थी द्वारा www.msy.uk.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है।

तालिका 16.3

वर्षवार लाभार्थियों एवं रोजगार की स्थिति

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	सृजित रोजगार
2020–21	3136	9408
2021–22	4863	14589
2022–23	7407	22221
2023–24	9569	28707
2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)	6661	19983

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.2 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम– अक्टूबर, 2021 से लागू योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) के अंतर्गत www.msy.uk.gov.in के माध्यम से प्राप्त सफल ऑनलाईन आवेदकों को रू0 50 हजार तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान/ग्राण्ट का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा को विकसित पोर्टल द्वारा लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (Direct Benefit Transfer) किया जाता है। कुल परियोजना लागत पर 25–40 प्रतिशत उपादान (Subsidy) का भी प्राविधान है।

तालिका–16.4
वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
2021–22	902
2022–23	2361
2023–24	1136
2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)	246

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.3 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)– अगस्त, 2008 से प्रारम्भ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने एवं रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत योजना का क्रियान्वयन खादी ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जनपद के जिला उद्योग केन्द्र तथा जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र के लिये 50 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिये 20 लाख तक ऋण सुविधा का प्राविधान है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15, 25 एवं 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है। अभ्यर्थी www.kviconline.gov.in ऑनलाईन आवेदन करते हैं।

तालिका–16.5
वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वितरित मार्जिन मनी (करोड़ रू0 में)	सृजित रोजगार
2019–20	1615	34.00	15420
2020–21	2237	45.13	17976
2021–22	1632	39.60	14666
2022–23	1803	48.32	14424
2023–24	1346	41.40	10766
2024–25 (माह दिसम्बर तक)	443	12.96	3544

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.4 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था– "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" हेतु संयुक्त पोर्टल (www.investmentuttarakhand.com) पर उद्यमी सभी सूचनायें निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत 'निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्र' के माध्यम से प्रदान की जा रही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने एवं विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुज्ञापनों/अनुज्ञप्तियों/अनुमतियों में शिथिलीकरण करते हुये सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त तीन वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के लिये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक–2022 पारित किया गया है।

तालिका– 16.5

	Unit Type	Total Unit Approved	Investment (INR. Crore)	Employment
April-2016 To March-2017	MSME	468	631.95	5422
	LARGE	15	1639.64	3134
April-2017 To March-2018	MSME	549	1144.81	9195
	LARGE	17	1412.16	3809
April-2018 To March-2019	MSME	1075	3201.08	24354
	LARGE	48	5554.96	8823
April-2019 to March-2020	MSME	1560	4352.5	35725
	LARGE	56	7656.65	8448
April-2020 to March, 2021	MSME	1495	2768.73	26390
	LARGE	41	1888.46	4417
April-2021 to March, 2022	MSME	1791	4796.72	32903
	LARGE	63	4088.38	13911
April-2022 to March, 2023	MSME	2014	8220.47	38138
	LARGE	17	3172.5	3849
April-2023 to March, 2024	MSME	2062	10865.43	42708
	LARGE	21	1498081	6821
April-2024 to December 2024	MSME	1628	10283.43	34390
	LARGE	9	1381.99	1872
GRAND TOTAL FOR MSME UNITS		**12098**	**12642**	**46265.12**
GRAND TOTAL FOR LARGE UNITS		**282**	**287**	**41775.55**
GRAND TOTAL (MSME + LARGE)		**12380**	**12929**	**88040.67**

स्रोत– उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

16.5 ईज आफ डूईंग बिजनेस– वर्ष 2021 में ईज आफ डूईंग बिजनेस के सुधार कार्यक्रमों में उत्तराखण्ड अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित हुआ है। एमएसएमई नीति में इस क्षेत्र के विकास के लिये आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ–साथ समुचित इको सिस्टम विकसित करने पर सरकार का ध्यान, एक नागरिक अनुकूल और उत्तरदायी प्रशासन के प्रति केन्द्रित है। 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' के माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुए सार्वजनिक इंटरफेस में पारदर्शिता लाकर तरह–तरह की मंजूरी के लिए समय–सीमा में कमी की है। राज्य में एकल खिड़की व्यवस्था, व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए अपेक्षित सभी लाईसेंस और अनुमोदनों के "वन स्टॉप शॉप" के रूप में प्रारम्भ की गयी है।

16.6 जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) का संचालन– भारत सरकार द्वारा एमएसएमई की

प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, उन्हें टिकाऊ बनाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियन के रूप में बदलने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पहल की शुरुआत की गई। जेड प्रमाणन के माध्यम से, एमएसएमई इकाईयां अपने नुकसान को काफी हद तक कम और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसके माध्यम से पर्यावरण, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं। जेड योजना में एमएसएमई को कार्य संस्कृति, उत्पादों के मानकीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

तालिका 16.7

वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिसम्बर, 2024) तक राज्य की प्रगति

जेड प्रमाणन की श्रेणी	राज्य की एमएसएमई इकाईयां
गोल्ड	11
सिल्वर	8
ब्रॉन्ज	723
योगः–	742

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.7 उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति-2023–उत्तराखण्ड में खाद्य और कृषि, यात्रा और पर्यटन, शिक्षा, फार्मास्युटिकल, वेलनेस, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ड्रोन, रोबोटिक्स आदि क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप को सामरिक हब के रूप में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से, राज्य की अनुकूल नीतियों, व्यवसाय के लिये मैत्रीपूर्ण वातावरण, मजबूत बुनियादी ढांचा व राज्य को देश में स्टार्टअप्स के लिये सर्वाधिक उपयुक्त बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2023 प्रख्यापित की गई है।

लक्ष्य:

- आगामी 5 वर्षों में प्रौद्योगिकी संचालित उद्यमों सहित 1000 स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देना।

- नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी, कार्यविधि या प्रक्रियाओं, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी, स्थिरता वाले स्टार्टअप उद्यमों की जटिल समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रोजगार सृजन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करते हैं।

- प्रदेश में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की स्थापना करना।

- प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इनक्यूबेशन सेन्टर के साथ राज्य भर में 30 नए इनक्यूबेशन सेन्टर स्थापित करना।

- स्टार्टअप उद्यमों के विकास के लिए पूंजी, प्रमुख बुनियादी ढांचे एवं अन्य प्रमुख संसाधनों तक पहुंच हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र स्थापित करना।

- अनुकूल वातावरण का सृजन कर उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।

16.8 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन:–

तालिका 16.8

क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों की जनपदवार विवरण

क्र.स.	जनपद का नाम	पंजीकृत इकाईयाँ
1.	देहरादून	39
2.	हरिद्वार	5
3.	ऊधमसिंहनगर	6
4.	टिहरी	1
5.	नैनीताल	19
6.	अल्मोड़ा	4
7.	बागेश्वर	4
8.	पिथौरागढ़	1
9.	रूद्रप्रयाग	2
10.	पौड़ी गढ़वाल	1
योग:–		81

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

- **वित्तीय प्रोत्साहन:**– स्टार्टअप आवेदन को उचित मूल्यांकन के बाद, स्टार्टअप की स्थापना, प्रगति तथा विभिन्न चरणों के लिए पोषण की आवश्यकता के बाद स्वीकृत किये जाते हैं।

- **मासिक भत्ता:**– टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ₹ 15,000 प्रतिमाह मासिक भत्ता पाने के लिए अर्ह होंगे। महिला उद्यमियों के स्वामित्व में या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, जो ग्रासरूट पर नवाचारों की दिशा में काम कर रहा है या असंगत प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे ग्रामीण प्रभाव वाले किसी भी नवोन्मेषी स्टार्टअप ₹ 20,000 प्रतिमाह/प्रति स्टार्टअप मासिक भत्ते के रूप में देय होगा।

- **सीड फण्ड:**–एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो विचार अवस्था या प्रोटोटाइप चरण में है, ₹ 10 लाख तक की एकमुश्त सीड फंडिंग के लिए पात्र होगा। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, ट्रांसजेंडर या ग्रामीण प्रभाव वाले नवाचारों की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप के मामले में, ₹ 12.5 लाख तक सीड फंडिंग दी जायेगी। असंगत प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले स्टार्टअप को ₹ 2.5 लाख तक की अतिरिक्त सीड फंडिंग प्रदान की जाएगी।

पेटेंट:–भारतीय पेटेंट के लिए व्यय की गई राशि की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम ₹ 1.0 लाख (प्रति पेटेंट) तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु ₹ 5.0 लाख (प्रति पेटेंट) पेटेंट आवेदन दाखिल करने के बाद 75 प्रतिशत और पेटेंट के अनुदान के समय 25 प्रतिशत प्रत्येक स्टार्टअप को स्वीकृत किया जायेगा।

- **ट्रेडमार्क:**–ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल करने पर ₹ 10,000 रुपये (प्रति ट्रेडमार्क) तक की प्रतिपूर्ति। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को अधिकतम दो ट्रेडमार्क हेतु प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी।

- **औद्योगिक डिजाइन:**–औद्योगिक डिजाइन आवेदन जमा करने के लिए ₹ 10,000 (प्रति औद्योगिक डिजाइन) तक की प्रतिपूर्ति। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को अधिकतम दो डिजाइन हेतु प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी।

एमएसएमई नीति के अधीन प्रोत्साहन:–उत्तराखण्ड

एमएसएमई नीति या पात्र स्टार्टअप संबंधित नीतियों के तहत निर्दिष्ट मानदंड और उचित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।

प्री–इन्क्यूबेशन सपोर्ट—महत्वाकांक्षी उद्यमी या महिला / छात्र उद्यमी या ग्रास रूट प्रभाव वाले स्टार्टअप या नवप्रवर्तक / उद्यमी उत्पाद विकास हेतु मेंटरिंग तथा हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट पर एक बार निःशुल्क इन्क्यूबेशन सहायता के लिए पात्र होंगे।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर—मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, एक्सपोजिशन, सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक्सलरेशन कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

तालिका 16.9

सहायता की आवृत्ति	भागीदारी की श्रेणी	प्रतिपूर्ति सहायता
एक	अंतर्राष्ट्रीय	• इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना (एक संस्थापक / सह–संस्थापक के लिए) • कमरा आवास (एक संस्थापक / सह–संस्थापक के लिए) • स्टाल स्थान भागीदारी शुल्क, यदि कोई हो
दो	राष्ट्रीय	

तालिका–16.10
इन्क्यूबेशन केंद्रों के लिए पूंजीगत अनुदान

विवरण	सहायता की मात्रा	सहायता की सीमा
नए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना	₹ 1 करोड़ तक	अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव पर
मौजूदा इन्क्यूबेशन केंद्रों का विस्तार	₹ 50 लाख तक	अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के प्रस्ताव पर

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

तालिका–16.11
शैक्षणिक संस्थानों में इन्क्यूबेशन सेंटर

वित्तीय सहायता	विश्वविद्यालय	संस्थान और कॉलेज
नए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान	₹ 1 करोड़ तक	₹ 30 लाख तक
मौजूदा इन्क्यूबेशन केंद्रों के विस्तार के लिए पूंजीगत अनुदान	₹ 50 लाख तक	₹ 20 लाख तक

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

तालिका–16.12
जनपदवार मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का विवरण

क्र.सं.	जनपद का नाम	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स
1.	देहरादून	120
2.	हरिद्वार	22
3.	ऊधमसिंहनगर	14
4.	नैनीताल	15
5.	पौड़ी	9
6.	अल्मोड़ा	5
7.	चमोली	2
8.	टिहरी	2
9.	पिथौरागढ़	3
	योग–	192

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–2

Startup Uttarakhand: Sector-wise Distribution

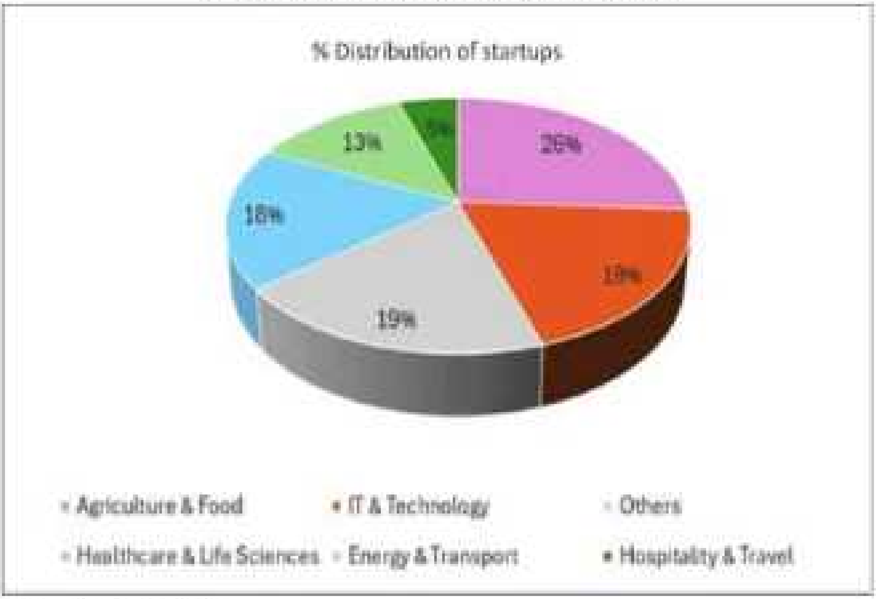

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–3

No of Startups (Growth)

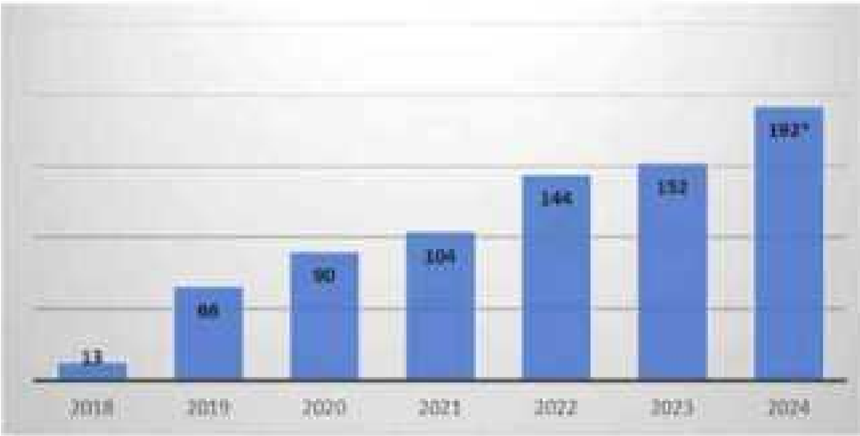

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.9 उत्तराखण्ड से निर्यात एवं आयात की स्थिति– नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में वर्ष 2022 की रैंकिंग में हिमालयी राज्यों में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान और सम्पूर्ण देश में नौवें स्थान पर है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 15 दिसम्बर, 2021 को नई निर्यात नीति लागू की गई है। राज्य में लॉजिस्टिक सुविधायें विकसित करने की दिशा में पंतनगर और काशीपुर में 02 आईसीडी (इनलैण्ड कन्टेनर डिपो) तथा पंतनगर मे 01 मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क के रूप में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक संपदा विकसित की है। बनबसा (चम्पावत) में 01 लैण्ड कस्टम स्टेशन को लैण्ड पोर्ट अथोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा एक एकीकृत चैक पोस्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज एक्रास डिफ्रेन्ट स्टेट्स रैंकिंग में उत्तराखण्ड राज्य एचीवर्स श्रेणी में शामिल है।

उत्तराखण्ड ऑटोमोबाइल एवं फार्मा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाये जाने की अपार सम्भावनायें हैं। औद्योगिकी, पुष्पकृषि, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, वैलनेस एवं हैल्थ टूरिज्म, सगन्ध एवं औषधीय पौध आधारित उद्योगों, जैव–प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प आदि निर्यात सम्भावनाओं हेतु अन्य थ्रस्ट सेक्टर हैं। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2024–25 में माह अगस्त, 2024 तक का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–16.12

वर्ष	कुल निर्यात (करोड़ रुपये में)
2011–12	5530
2012–13	6071
2013–14	6792
2014–15	6539
2015–16	7350

2016–17	9011
2017–18	10827
2018–19	16285
2019–20	15971
2020–21	15915
2021–22	14414
2022–23	14311
2023–24	16928
2024–25 (माह अगस्त, 2024 तक)	34.80

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका–16.14
उत्तराखण्ड से निर्यात का विवरण
(वित्तीय वर्ष 2024–25) (माह अगस्त, 2024 तक)

S.No	HS Codes	Commodity Section	Value In INR (In Crore)
1	01.05	पशु एवं पशु उत्पाद	0
2	06.14	सब्जी उत्पाद	0.42
3	15	पशु या वनस्पति वसा	0
4	16.24	तैयार खाद्य पदार्थ	1.86
5	25.27	खनिज उत्पाद	0.08
6	28.38	रासायनिक उत्पाद	6.24
7	39.40	प्लास्टिक और रबर	2.83
8	41.43	खाल और खाल उत्पाद	0
9	44.46	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	0.01
10	47.49	लकड़ी के गूदे के उत्पाद	0
11	50.63	कपड़ा एवं कपड़े की वस्तुएँ	0.48
12	64.67	जूते, टोपी	0.01
13	68.70	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टस की वस्तुएँ	0.20
14	71	मोती, कीमती या अर्धकीमती पत्थर, धातुएँ	12.81
15	72.83	आधारभूत धातुएँ और उनसे बनी वस्तुएँ	7.72
16	84.85	मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण	0.39
17	86.89	परिवहन उपकरण	0.81
18	90.92	उपकरण-यंत्र, घड़ियाँ	0.06
19	93	हथियार और गोला बारूद	0
20	94.96	विविध	0.88
21	97.98	कला के कार्य	0
22	99	अन्य	0
कुल योग:-			**34.80**

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

16.10 उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023:–विभिन्न जनपदों को उनकी भौगोलिक परिस्थिति तथा उनके औद्योगिक विकास के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–

श्रेणी	सम्मिलित / आच्छादित क्षेत्र
श्रेणी–ए	पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र।
श्रेणी–बी	अल्मोड़ा, पौढ़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भू–भाग।
	टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय बहुल भूभाग।
	नैनीताल (भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा देहरादून (चकराता विकासखण्ड)।
	टिहरी का मैदानी भाग (डालनवाला, तपोवन, मुनि की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र)।
श्रेणी–सी	देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
	नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र।
श्रेणी–डी	हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भू–भाग।
	नैनीताल के रामनगर, हल्द्वानी विकासखण्ड, नगर निगम हल्द्वानी, नगरपालिका लालकुआं, नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र।
	देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र।

16.11 अनुमन्य गतिविधियां:–

- **वित्तीय प्रोत्साहन सहायता** – सूक्ष्म उद्यमी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर, व्यय शुल्क की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सम्बन्धित उद्यमों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त देय होगी

- **स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति** – उद्यमी द्वारा भूमि पट्टे पर लेने / क्रय करने / हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, श्रेणी–ए और बी हेतु 100 प्रतिशत, श्रेणी–सी हेतु 75 प्रतिशत, श्रेणी–डी हेतु 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात देय होगी।

- **पूंजीगत उपादान** – विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी / उपकरण में किये गए स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर, नियमानुसार पूंजीगत उपादान

सहायता देय होगी।

- अतिरिक्त पूंजीगत उपादान – विशिष्ट श्रेणी के नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नियमानुसार अतिरिक्त पूंजीगत उपादान देय होगा।

- **टॉप–अप सहायता**– ऐसे उद्यम जिन्हें पीएमईजीपी / पीएमएफएमई / एमएसवाई योजनान्तर्गत मार्जिन मनी सहायता अनुमन्य है और उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 की निषिद्ध गतिविधियों में भी सम्मिलित है, को पूंजीगत उपादान/अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता अनुमन्यता अनुसार टॉप–अप के रूप में देय है। पूंजीगत उपादान सहायता/अतिरिक्त पूंजीगत उपादान दावा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- **ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति** – नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण [Term Loan] पर ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय है।

- **विद्युत ड्यूटी पर छूट** – ऐसे नये उद्यम, जिनमें स्वीकृत विद्युत भार 500 कि०वा० तक हो, को 5 वर्ष तक विद्युत ड्यूटी में छूट देय है।

- **गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति** – नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस. [illegible] मार्किंग/ट्रेडमार्क/कॉपीराइट/एफ.एस.एस.ए.आई./प्रदूषण नियंत्रण/जेड– Zero Effect Zero Defect आदि) प्राप्त करने पर, इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1 लाख, प्रति इकाई की प्रतिपूर्ति देय है।

- **मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति** – श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले कृषि एवं उद्यान आधारित नये खाद्य प्रसंस्करण तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्यमों को राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थित मण्डी से कच्चा माल क्रय करने पर, इस पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति, अधिकतम 5 वर्ष तक देय है।

- **जेड प्रमाणित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरस्कार** – गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज श्रेणी में प्रमाणन प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पुरस्कार स्वरूप स्मृति चिन्ह, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र तथा निम्नवत् धनराशि प्रदान की जाती है–

तालिका–10.11

जेड प्रमाण पत्र श्रेणी	पुरस्कार धनराशि ₹ में
गोल्ड श्रेणी	75000 प्रति इकाई
सिल्वर श्रेणी	50000 प्रति इकाई
ब्रॉन्ज श्रेणी	25000 प्रति इकाई

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखंड

- **क्लस्टर विकास:–** राज्य में विकसित 50 क्लस्टर को अधिकतम ₹ 05 करोड़ (प्रति क्लस्टर) तक की सहायता वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में देय है।

16.12 निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2023:–

- राज्य में निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों की स्थापना के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने के लिए नई नीति प्रख्यापित की गयी है। नई नीति के प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से है–

- निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम 30 एकड़ और पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 02 एकड़ या इससे अधिक भूमि होनी आवश्यक है।

- निजी क्षेत्र में आईटी पार्क / बायोटैक्नोलॉजी पार्क के विकास के लिए सीडा के प्रचलित भवन उपविधियों के अनुसार न्यूनतम 18000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है।

- इस नीति के तहत विनिर्माणक उद्योगों के साथ–साथ सैक्टर विशेष के उद्योगों, जैसे परिधान / वस्त्र उद्योग पार्क, फूड पार्क, अरोमा पार्क, ऑटोमोबाइल एंसिलरी उद्योग पार्क, आईटी / सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, एयरोस्पेस एवं रक्षा पार्क, नॉलेज पार्क, फिल्म सिटी / क्षेत्र, मेडिसिटी, एजुसिटी आदि के विकास के लिए औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है।

- निवेशक / प्रवर्तक अपने स्रोतों से स्वयं भूमि की व्यवस्था करेगा। भूमि प्राप्त करने हेतु सिडकुल को प्रस्ताव देना होगा, ताकि सिडकुल बोर्ड प्रस्ताव पर नियम व शर्तों के साथ निर्णय ले सके।

- निजी क्षेत्र के आस्थानों को सीडा के मानदण्डों, यूनीफाइड बिल्डिंग बॉय–लॉज का पालन करना आवश्यक होगा।

- औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आन्तरिक सड़कों, नालियों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सामान्य सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व आस्थान की प्रवर्तक संस्था / कम्पनी / स्वामी का होगा।

- मैदानी क्षेत्र के वृहत औद्योगिक आस्थानों में न्यूनतम 10 स्वतन्त्र एमएसएमई इकाईयों तथा पर्वतीय क्षेत्र के निजी औद्योगिक आस्थानों में न्यूनतम 05 स्वतन्त्र एमएसएमई इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि दी जानी आवश्यक होगी।

- निजी औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन / विनियमन की प्रक्रिया के प्रथम चरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा दूसरे चरण में आस्थान के लिए अर्जित भूमि पर सीडा द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

- निजी औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों के बाहर अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये ₹ 100 करोड़ की निधि से अवस्थापना विकास कोष बनाया जायेगा, जिसका संचालन सिडकुल द्वारा किया जायेगा। कोष की उक्त निधि में से औद्योगिक आस्थान में किये जा रहे कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष 2 प्रतिशत धनराशि आस्थान के बाहर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु दिया जायेगा।

- निजी औद्योगिक आस्थानों / क्षेत्रों के विकास के लिए आवेदकों को औद्योगिक आस्थान के बुनियादी ढांचे के विकास पर ₹10 लाख प्रति एकड़ की दर से पूंजीगत उपादान भी दिया जायेगा, जिसकी 10 प्रतिशत धनराशि प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि के अर्जन, स्थल विकास / ले–आउट की

स्वीकृति का कार्य पूर्ण होने पर अवमुक्त की जाएगी। तत्पश्चात 25 प्रतिशत धनराशि अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण होने पर, 40 प्रतिशत धनराशि कुल बिक्री योग्य भूखण्डों में से 60 प्रतिशत भूखण्डों की बिक्री होने तथा 25 प्रतिशत धनराशि औद्योगिक आस्थान के पूर्ण रूप से संचालन तथा 50 प्रतिशत उद्योगों की स्थापना होने पर देय होगी।

- निजी औद्योगिक आस्थानों में सीईटीपी की स्थापना पर भी किये गये अचल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 01 करोड़ तक का अनुदान दिया जायेगा।

- स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहनों का संवितरण सिडकुल द्वारा बनाए गए एस्क्रो एकाउण्ट के माध्यम से किया जायेगा।

- प्रस्तावित नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी और आगामी 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

16.13 एक जनपद दो उत्पाद:– प्रदेश के समग्र एवं समावेशी आर्थिक विकास तथा स्थानीय लोगों की आजीविका के उन्नयन के उद्देश्य से एक जनपद दो उत्पाद योजना, सितम्बर, 2021 में लागू की गयी है।

- **मार्जिन मनी सहायता:** प्रत्येक जनपद में चिन्हित ओडीटीपी उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के लिए नयी एवं पूर्व से कार्यरत इकाईयों के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, एमएसएमई नीति–2015, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना आदि से डवटेलिंग की जायेगी।

- **सामान्य सुविधा केन्द्र सहायता:** सामूहिक सुविधा केन्द्रों का विकास भी केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, जैसे क्लस्टर विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना, स्फूर्ति योजना, डीसी हैण्डलूम एवं डीसी हैण्डीक्राफ्ट की सामान्य सुविधा केन्द्र योजना / राज्य की ग्रोथ सेन्टर योजना से डवटेलिंग करते हुए किया जायेगा।

- **विपणन सहायता:** जनपद / राज्य / राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला, प्रदर्शनी एवं सेमिनार / बायर–सेलर मीट में प्रतिभाग पर स्टाल किराया / आने जाने का व्यय प्रतिपूर्ति तथा आवास के लिए सामूहिक व्यवस्था ऑनलाइन मार्केटिंग / पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं / राज्य सरकार की मार्केटिंग योजना के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

ब्राण्डिंग: चिन्हित उत्पादों की ब्राण्डिंग के लिए विभिन्न स्थानों पर विभाग द्वारा विपणन हेतु विक्रय केन्द्र खोले जायेंगे और विकास आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हथकरघा भारत सरकार की योजनाओं से डवटेलिंग कर सहायता प्रदान की जायेगी।

पात्र गतिविधियां: पात्र गतिविधियों में एक जनपद दो उत्पाद योजना में जनपद हेतु चिन्हित दो उत्पादों के विनिर्माण / सेवा तथा राज्य के सभी 26 उत्पादों के व्यवसाय से सम्बन्धित गतिविधि शामिल है।

16.14 विश्व बैंक सहायतित रैम्प योजना (Raising and Accelerating MSME Productivity Programme)

रैम्प योजना एमएसएमई के सुधार हेतु सेन्ट्रल सैक्टर योजना के रूप में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट 2022–23 में बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार, केन्द्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों, सम्बन्धों, साझेदारियों को बेहतर करने, एमएसएमई द्वारा विलम्बित भुगतान और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से सम्बन्धित मुद्दों को

सुलझाने के उद्देश्य से लागू की गयी है।

16.15 योजना के घटक– RAMP का महत्वपूर्ण घटक रणनीतिक निवेश योजना (Strategic Investment Plan) तैयार कर सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को आमंत्रित किया जाना है। इस हेतु मंत्रालय को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग निर्धारित समयावधि मे दिया जाना होगा। भारत सरकार द्वारा SIP तैयार करने में ₹ 5.00 करोड़ तक का अनुदान दिया जाना है। यह अनुदान 20 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों में प्राप्त होगा।

SIP और RAMP के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु योजना के रूप में प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान करना, विशेष उपलब्धियों एवं परियोजना का निर्धारण तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण व गैर–कृषि व्यवसाय, थोक एवं खुदरा व्यापार, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, महिला उद्यम आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये आवश्यक बजट पेश करना शामिल है। RAMP की समग्र निगरानी और नीति का अवलोकन एक शीर्ष राष्ट्रीय MSME परिषद द्वारा किया जाएगा। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित केन्द्र मंत्रालय के मंत्री शामिल होंगे। इस योजना के तहत MSME मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम समिति गठित होगी।

16.16 योजना के लाभ– RAMP कार्यक्रम प्रतिस्पर्धा के मामले में मौजूदा MSME योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि कर क्षमता निर्माण, हैंडहोल्डिंग, कौशल विकास, गुणवत्ता संवर्धन, तकनीकी उन्नयन, डिजिटलीकरण, आउटरीच और मार्केटिंग प्रमोशन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेगा।

उच्च उद्योग मानकों, उद्योग प्रथाओं में नवाचार और वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा दे कर तथा MSME को आवश्यक तकनीकी इनपुट प्रदान कर 'आत्मनिर्भर भारत मिशन' का पूरक होगा।

16.17 हथकरघा एवं हस्तशिल्प सैक्टर– परंपरागत शिल्प क्षेत्र मे विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार" योजना के अंतर्गत राज्य के 54 शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किये गये। बी०पी०एल० श्रेणी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिल्पियों को पेंशन प्रदान की जा रही है।

थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं को रोजगार से जोड़े जाने हेतु विभिन्न शिल्पों में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें उन्हें दो माह का विभिन्न शिल्पों मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के साथ विपणन को सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। उत्कृष्ट उत्पादों को "हिमाद्रि" ब्राण्ड नेम के साथ विपणन किया जा रहा है। ऑनलाईन पोर्टल अमेजान एवं फ्लिपकार्ट पर भी राज्य के शिल्प उत्पादों का विपणन किया जा रहा है। राज्य के 5 हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों भोटिया दन, ऐपण, रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद एवं थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जी०आई०) प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2021 में प्रथम बार 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जी०आई० प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में नेटल(बिच्छू घास), पिछौड़ा, नैनीताल की आर्टिस्टिक कैन्डल, जनपद चमोली से मुखौटा एवं रूद्रप्रयाग से मन्दिर प्रतिकृति को जी०आई० प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतांक(जी०आई०) प्राप्त होने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने एवं उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता होगी।

16.18 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2024 – माह नवम्बर, 2024 में भारत मण्डपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 43वें भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2024 (IITF) आयोजित किया गया है जिसकी थीम इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा **Viksit Bharat@2047** निर्धारित की गयी थी। उत्तराखण्ड राज्य से स्टार्टअप, हथकरघा एवं हस्तशिल्प एवं लघु ग्राम उत्पादों के 34 स्टॉलों के अतिरिक्त हिमाद्रि इम्पोरियम, देहरादून उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून के 05 विभागीय स्टॉल सहित कुल 39 स्टॉल स्थापित किये गये। शिल्पियों/बुनकरों/उद्यमियों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों की कुल बिक्री ₹ 1.49 करोड़ रही। भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2024 के पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखण्ड राज्य को स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पदक से पुरस्कृत किया गया।

16.19 उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी का अर्थ है– कपास, रेशम या ऊन के हाथ से कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। ग्रामोद्योग का अर्थ है– ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थायी पूंजी निवेश (संयत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी मैदानी क्षेत्र में 3.00 लाख एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 4.50 लाख से अधिक न हो, इस हेतु परिभाषित (ग्रामीण क्षेत्र में) समस्त राजस्व ग्राम सम्मिलित है।

अगस्त, 2002 में गठित उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुए अथवा उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा उनका संगठन करना है। बोर्ड द्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार है–

- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना, जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हो।

- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के उत्पादन, प्रचार तथा क्रय–विक्रय की व्यवस्था करना।

- खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना, स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण और अनुरक्षण में सहायता करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।

- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियाँ भी है, से समन्वय करना एवं खादी निर्माताओं द्वारा सहकारी प्रयास को बढ़ावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।

- आवश्यकता अनुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों, जैसे– सर्वेक्षण, मार्केटिंग, पैकेजिंग, हाथ कागज, खादी डिजाईनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

16.20 विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण :—

1. उत्तराखण्ड ऊन योजना:— उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में ऊनी व्यवसाय की असीम संभावनाओं को देखते हुये पारम्परिक कास्तकारी के संरक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों (विशेषकर महिलाओं) को ऊनी कताई—बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2024—25 में प्रदेश में 60 महिलाओं को कताई एवं 30 व्यक्तियों को बुनाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

तालिका—16.16

वर्ष 2024—25 में उत्पादन एवं बिक्री की प्रगति

(धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	केन्द्र का नाम	धागा उत्पादन (किग्रा)		वस्त्र उत्पादन		बिक्री	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य (धनराशि)	पूर्ति	लक्ष्य (धनराशि)	पूर्ति
1.	क्षेत्रीय औद्योगिक प्रयोग (ऊन) अल्मोड़ा	5684.000	734.250	77.04	45.34	100.00	52.45
2.	लोक वस्त्र इकाई, जसपुर (ऊ0 सिंह नगर)	7900.000	3520.100	73.00	37.72	72.00	35.65
3.	क्षेत्रीय औद्योगिक प्रयोग (ऊन) चम्बा	5684.000	3227.700	77.04	59.58	100.00	26.75
4.	क्षेत्रीय औद्योगिक प्रयोग (ऊन) श्रीनगर गढ़वाल	5684.000	316.000	77.04	22.51	100.00	26.27
	योग —	24952.000	7798.050	304.12	165.15	372.00	141.12

स्रोत— उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):— छोटे—छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सेवा क्षेत्र हेतु ₹ 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु ₹ 50.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत मार्जिन मनी/सब्सिडी का स्तर निम्नवत है:—

पीएमईजीपी के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणियाँ	लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत)	सब्सिडी की दर (परियोजना लागत)	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान)	(प्रतिशत में)	शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10	15	25
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिले, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा अधिसूचित) आदि सहित	5	25	35

तालिका–16.17

वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर 2024) तक की प्रगति

जनपद	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय (लाख में)	रोजगार	इकाई संख्या	मार्जिन मनी (लाख में)	रोजगार संख्या
नैनीताल	38	104.10	419	9	17.85	167
ऊधम सिंह नगर	30	82.10	330	10	46.21	37
अल्मोड़ा	25	68.49	275	18	45.35	135
बागेश्वर	14	38.35	154	3	4.20	14
पिथौरागढ़	30	82.19	330	10	18.95	221
चम्पावत	27	73.97	297	9	49.69	91
चमोली	28	76.71	308	12	16.07	84
देहरादून	28	76.71	308	11	29.60	54
हरिद्वार	28	76.71	308	19	60.29	260
पौड़ी	20	54.70	220	7	17.84	46
रुद्रप्रयाग	17	46.57	187	11	24.42	74
टिहरी	27	73.97	297	8	18.93	96
उत्तरकाशी	17	46.57	187	7	16.36	92
योग–	**329**	**901.32**	**3619**	**134**	**332.49**	**1361**

स्रोत– उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

3. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना:– बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रेरित एवं प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹ 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत ₹ 10.00 लाख तक ऋण स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2024–25 में योजना की प्रगति निम्नवत् है–

तालिका–16.18

वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर 2024) तक की प्रगति

जनपद	लक्ष्यांक इकाई संख्या	बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र	बैंको द्वारा स्वीकृत	बैंको द्वारा वितरित	मार्जिन मनी दावा
नैनीताल	300	130	31	16	15
ऊधमसिंहनगर	200	63	12	12	12
अल्मोड़ा	240	23	14	8	8
बागेश्वर	270	38	23	15	15
पिथौरागढ़	250	43	26	18	17
चम्पावत	250	68	43	43	43
चमोली	300	47	21	20	18
देहरादून	250	156	48	32	27
हरिद्वार	300	224	53	41	41

पौड़ी	270	79	43	37	36
रुद्रप्रयाग	250	225	70	30	30
टिहरी	200	83	50	47	46
उत्तरकाशी	270	142	40	32	32
योग—	**3350**	**1389**	**475**	**350**	**338**

स्रोत- उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

4. खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट :— प्रत्येक वर्ष 02 अक्टूबर श्री गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर 108 कार्यकारी दिवसों हेतु 10 प्रतिशत की छूट का लाभ अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा पंजीकृत 60 संस्थाओं के लगभग 200 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुँचाई जाती है। योजना का उद्देश्य खादी की पहुँच आम जनमानस तक पहुँचाना एवं पारम्परिक कातकारों को रोजगार उपलब्ध कराना है।

कत्तिन-बुनकर (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये) का विवरण निम्नवत् है :—

तालिका- 16.19

कत्तिन-बुनकर (श्रेणीवार) का विवरण

कत्तिन	14842	पुरुष	2168	सामान्य	7385
बुनकर	1846	महिला	14954	अनु0जाति	1451
अन्य	434			अनु0जनजाति	768
				पिछड़ी जाति	7518
योग	**17122**		**17122**		**17122**

स्रोत- उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.21 भूतत्व एवं खनिकर्म— उत्तराखण्ड एक हिमालयी पर्वतीय राज्य है, जहाँ विद्यमान मुख्य खनिज के रूप में मैग्नेसाइट, लाईमस्टोन, बेसमेटल (सोना, चाँदी, लेड आदि) इत्यादि तथा उपखनिज में सर्वाधिक बहुतायें किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट आदि तथा नदी तल उपखनिज के रूप में बालू, बजरी, बोल्डर आदि उपलब्ध हैं। वन क्षेत्रान्तर्गत नदी तल, खनन क्षेत्रों में खनन/चुगान का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा तथा निजी नाप भूमि क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों द्वारा खनन कार्य किया जाता है।

राज्य में मैग्नेसाइट की 03 खदानें, लाईमस्टोन की 02 खदानें, खनिज सोपस्टोन की 179 खदानें, सिलिका सैण्ड की 01 खदान, उपखनिज आर०बी०एम० की 85 खदानें वर्तमान में स्वीकृत हैं।

उपखनिज आर०बी०एम० पर आधारित कुल 387 स्टोनक्रेशर्स/स्क्रीनिंग प्लांट्स स्वीकृत/संचालित हैं।

वित्तीय वर्ष 2023—24 में खनिजों से कुल ₹ 875.00 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष कुल ₹ 645.00 करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2024—25 में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 875 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक कुल ₹ 699.42 करोड़ का राजस्व अर्जन हुआ है।

16.22 विभाग के मुख्य कार्य:— खनिज अन्वेषण एवं भू-अभियांत्रिकी सम्बन्धी कार्य विभाग में कार्यरत भू-वैज्ञानिकों एवं खनन प्रशासन से सम्बन्धित खनन अभियंताओं के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। खनिज अन्वेषण से सम्बन्धित कार्य

प्राईवेट एक्सप्लोरेशन एजेन्सी, भारत सरकार में पंजीकृत है, के द्वारा भी किया जा रहा है। भारत सरकार में पंजीकृत एक प्राईवेट एक्सप्लोरेशन एजेन्सी, जियो वेल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा छः खनन क्षेत्रों में मुख्य खनिज बेसमेटल के अन्वेषण कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्यवाही गतिमान है। राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यों हेतु मुख्य खनिज के पट्टाधारकों से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराया जाने का प्राविधान है, जिसमें माह दिसम्बर, 2024 तक उक्त कोष में जमा ₹ 7.42 लाख की धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा आवंटित खनिज अन्वेषण कार्यों में किया जायेगा।

प्रदेश में माह अक्टूबर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2024, माह अक्टूबर, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोनक्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोनक्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति, 2024 एवं माह सितम्बर, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 प्रख्यापित की गई है।

अवैध खनन एवं परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Mining Digital Transformation and Surveillance System (MDTSS), भारत सरकार के उपक्रम आई0टी0आई0 लि0 को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित है। सम्बन्धित कार्यों हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा ₹ 94. 53 करोड़ अनुमोदित है। चार मैदानी जनपदों में अवैध खनिजों के परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु 40 स्थानों में अत्याधुनिक तकनीकी युक्त 45 चैक गेट स्थापित किये जायेंगे, जिस हेतु आई0टी0आई0 लि0 के साथ (MoU) कर प्रथम किश्त ₹ 25.00 करोड़ का भुगतान किया गया है।

खनिज परिवहन/खनन सर्विलांस हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के सुचारू क्रियान्वयन के दृष्टिगत ई–रवन्ना पोर्टल का उच्चीकरण किया जाता है। खनन प्रशासन कार्य कलापों के अन्तर्गत खनिज क्षेत्रों के आवंटन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

16.23 वर्ष 2025–26, 2026–27 एवं 2027–28 हेतु रणनीति–वर्ष 2027–28 तक खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य लगभग ₹ 3000 करोड़ होने का अनुमान है तथा खनन प्रशासन के अन्तर्गत क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यों एवं अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के लगभग 9000 तथा भू–अभिग्रहितिकीय के लगभग 4000 प्रकरणों का निष्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 में प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) भी सम्मिलित है। प्रत्येक जनपद में स्थापित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास द्वारा उपखनिजों की रॉयल्टी का 15 प्रतिशत, मुख्य खनिजों की रॉयल्टी का 30 प्रतिशत धनराशि अंशदान के रूप में जमा कराया जाता है, जो जनपदों में खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों में प्रयोग की जाती है। जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में अंशदान के रूप में माह नवम्बर, 2024 तक ₹ 463.07 करोड़ जमा हुआ है। जनपदों में विकास से सम्बन्धित स्वीकृत कुल 2400 योजनाओं हेतु लगभग ₹ 153.98 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

स्टार्ट–अप

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2023–24 में राज्य में पंजीकृत 152 स्टार्ट–अप का सर्वेक्षण कराया गया। 21 स्टार्ट–अप असहयोगी/बन्द पाये गये, 30 स्टार्ट–अप निष्क्रिय पाये गये, इस प्रकार 101 क्रियाशील स्टार्ट–अप, जो कि पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां, साझेदारी फर्म, सीमित देनदारी फर्म तथा अन्य के रूप में स्थापित हैं, के द्वारा सर्वेक्षण में सहर्ष रूप से प्रतिभाग किया गया, जिनसे प्राप्त आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

1. मात्र 39 फीसदी स्टार्ट–अप ही राजस्व अर्जित कर पाने की स्थिति में है। उनके द्वारा स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान कर राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान दर्ज किया गया है।

2. 14 प्रतिशत स्टार्ट–अप कृषि क्षेत्र, 8 प्रतिशत शिक्षा, 2–2 प्रतिशत मीडिया और मनोरंजन एवं वित्तीय सेवाएं, 5 प्रतिशत ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा, 3 प्रतिशत परिवहन और रसद, 6 प्रतिशत स्वास्थ्य, 2–2 प्रतिशत उद्यम एवं सामाजिक–उद्यम, 7 प्रतिशत खाद्य, 14 प्रतिशत विनिर्माण, 4 प्रतिशत उत्पाद विकास, 1 प्रतिशत हार्डवेयर विकास, 6 प्रतिशत जैव–प्रौद्योगिकी, 11 प्रतिशत आई०टी० परामर्श/समाधान, 2 प्रतिशत सॉफ्टवेयर विकास, 6 प्रतिशत यात्रा एवं टूरिज्म, 8 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित है।

3. 32 प्रतिशत स्टार्ट–अप बाजार में विद्यमान उत्पाद का नया संस्करण तैयार कर रहे हैं जबकि 40 प्रतिशत स्टार्ट–अप कोविड महामारी के दौरान उत्पन्न कठिनाईयों का सामना करने के बाद अभिनव उत्पादों पर भी अत्यधिक कार्य कर रहे हैं।

4. वर्ष 2017 से अब तक स्थापित स्टार्ट–अप में से मात्र 45 प्रतिशत स्टार्ट–अप ही राजस्व अर्जन की स्थिति में पाये गये जबकि 18 प्रतिशत स्टार्ट–अप अपने उत्पाद हेतु नये बाजार की तलाश रहे हैं। 23 प्रतिशत स्टार्ट–अप अपने उत्पाद हेतु अनुमोदन प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया में हैं और 11 प्रतिशत स्टार्ट–अप विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु कान्सेप्ट लेवल पर ही काम कर रहे हैं।

5. स्टार्ट–अप स्थापित करने के सहायक कारकों में अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तथा बाजार की मांग को 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रथम विकल्प, जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा अनुभवी टीम, बाजार की मांग एवं ईज ऑफ डुईंग बिज़नेस को द्वितीय विकल्प/वरीयता प्रदान की गयी है। अधिकतम 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बाजार की मांग तथा न्यूनतम 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा द्वारा कम अवरोध/प्रतिबंध को तृतीय विकल्प/वरीयता प्रदान की गयी है।

6. राज्य में स्थापित स्टार्ट–अप हेतु ग्राहकों के प्रकार में भिन्नता पाई गई है जिसके दृष्टिगत अधिकतम 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बिज़नेस टू बिज़नेस तथा मात्र 2 प्रतिशत ने बिज़नेस टू गवर्नमेंट को प्रथम विकल्प के रूप में चयनित किया है।

7. स्टार्ट–अप के संचालन में संस्थापकों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना निरन्तर करना पड़ रहा है। 71 प्रतिशत सर्वेक्षित स्टार्ट–अप के द्वारा प्रथम विकल्प के रूप में अत्यधिक वित्तीय चुनौती, 10

प्रतिशत ने नये बाजारों की खोज व शेष स्टार्ट–अप ने अन्य चुनौतियों का होना बताया। स्टार्ट–अप के संस्थापक अधिकतर युवा वर्ग (30 वर्ष से कम) के है, जो नवीन विचारों पर कार्य कर रहे है परन्तु स्टार्ट–अप स्थापित करने में अत्यधिक कठिनाइयों जैसे कि (पर्याप्त स्थान, आधारभूत संरचना, वित्तीय संसाधनों का अभाव एवं विभिन्न नीतियों व योजनाओं का उचित लाभ न प्राप्त होना) आदि का भी सामना कर रहे है।

8. कुल सम्मिलित एवं सर्वेक्षित 101 स्टार्ट–अप संस्थापकों में से 76 प्रतिशत पुरुष एवं 24 प्रतिशत महिला पाये गये। 30 वर्ष से कम आयु के संस्थापकों में 27 प्रतिशत पुरुष एवं 7 प्रतिशत महिलाएँ रही जबकि सर्वाधिक 14 प्रतिशत महिलायें 30–45 आयु वर्ग में संस्थापक के रूप में कार्यरत मिली। इसी आयु वर्ग में 36 प्रतिशत पुरुष संस्थापक कार्यरत मिले।

9. सर्वाधिक 62 प्रतिशत संस्थापक स्नातकोत्तर व उच्च शैक्षिक योग्यता वाले प्राप्त पाये गये। स्टार्ट–अप स्थापित करने में स्नातकोत्तर व उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त पुरुषों का प्रतिशत, 19 प्रतिशत महिलाओं के सापेक्ष 43 प्रतिशत रहा। 27 प्रतिशत पुरुषों एवं 4 प्रतिशत महिला संस्थापकों की शैक्षिक योग्यता स्नातक पाई गई।

10. सर्वाधिक 55 प्रतिशत स्टार्ट–अप ऐसे पाये गये, जिनमें संस्थापक के अतिरिक्त 2 पार्टनर है, 20 प्रतिशत स्टार्ट–अप में 1 पार्टनर तथा 11 प्रतिशत स्टार्ट–अप में संस्थापक के अतिरिक्त 3 पार्टनर है, जबकि 5 प्रतिशत स्टार्ट–अप में संस्थापक के अतिरिक्त कोई पार्टनर नहीं है।

11. सर्वेक्षित 131 स्टार्ट–अप में से सर्वाधिक 85 प्रतिशत स्टार्ट–अप मैदानी क्षेत्र में व 15 प्रतिशत स्टार्ट–अप पर्वतीय क्षेत्र में पाये गये।

12. 18 प्रतिशत स्टार्ट–अप द्वारा सरकार से अपेक्षित सहयोग प्राप्त न होने, 24 प्रतिशत ने वित्तीय समस्याओं के चलते, 21 प्रतिशत ने निवेशकों की कमी के कारण संचालन स्थगित किया हुआ है।

13. प्रथम वरीयता के रूप में, सर्वाधिक 53 प्रतिशत निष्क्रिय स्टार्ट–अप द्वारा वित्तीय समस्याओं को, 25 प्रतिशत द्वारा सरकार से सहयोग प्राप्त न होने को तथा 23 प्रतिशत द्वारा निवेशकों की कमी, अनुपयुक्त क्षेत्र में स्टार्ट–अप के होने आदि को, कारण बताया गया।

14. कुल 101 क्रियाशील स्टार्ट–अप में से सर्वाधिक 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में तथा 14 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में पाये गये है, जबकि शिक्षा एवं आई0टी0 परामर्श जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मात्र 8 व 9 प्रतिशत स्टार्ट–अप कार्य कर रहे हैं।

15. सर्वाधिक 40 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में ₹1 लाख से ₹10 लाख तक प्रारम्भिक पूंजी निवेश किया गया, तदोपरान्त 30 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में ₹1 लाख से कम तक का तथा 31 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में ₹10 लाख व अधिक तक का प्रारम्भिक पूंजी निवेश किया गया। सर्वाधिक 62 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप जनपद–देहरादून में कार्यरत है।

16. 78 प्रतिशत स्टार्ट–अप के एंजल निवेशक वर्तमान में भी स्टार्ट–अप से जुड़े है तथा 22 प्रतिशत एंजल

निवेशक वर्तमान में स्टार्ट–अप से नहीं जुड़े है। सर्वाधिक 6 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्ट–अप ऐंजल निवेशक वर्तमान में भी स्टार्ट–अप से जुड़े हुए है।

17. 94 प्रतिशत स्टार्ट–अप में ऐंजल निवेशक ने ₹50 लाख से कम धनराशि नियोजित की है तथा 6 प्रतिशत स्टार्ट–अप में ऐंजल निवेशक द्वारा 50 लाख व अधिक की धनराशि नियोजित की है। सर्वाधिक 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में तथा 9 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में ऐंजल निवेशक द्वारा ₹50 लाख से कम धनराशि नियोजित की गई है। खाद्य, विनिर्माण व जैव प्रौद्योगिकी में से प्रत्येक क्षेत्र के 2–2 प्रतिशत स्टार्ट–अप में ऐंजल निवेशक द्वारा ₹50 लाख व अधिक की धनराशि नियोजित की गई है।

18. मात्र 23 प्रतिशत स्टार्ट–अप को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है। सर्वाधिक 4 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्ट–अप को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है। 23 प्रतिशत स्टार्ट अप को ₹10 लाख से कम तथा 77 प्रतिशत को ₹10 लाख से अधिक की सहायता प्रदान की गयी है।

19. मात्र 13 प्रतिशत स्टार्ट–अप हेतु संस्थापक के द्वारा ऋण लिया गया जबकि 87 प्रतिशत स्टार्ट–अप हेतु संस्थापक के द्वारा ऋण नहीं लिया गया। सर्वाधिक विनिर्माण एवं आई०टी० परामर्श / सम्बद्धन क्षेत्रों में से प्रत्येक में ऋण लेने वाले स्टार्ट–अप 3–3 प्रतिशत रहे।

20. 56 प्रतिशत स्टार्ट–अप ने ₹10 लाख से कम तथा 44 प्रतिशत ने ₹10 लाख से अधिक का केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त किया है।

21. 23 प्रतिशत स्टार्ट–अप द्वारा राज्य सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त किया गया है जिनके 96 प्रतिशत को ₹10 लाख रूपये से भी कम का वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि 77 प्रतिशत स्टार्ट–अप को राज्य सरकार से अथक प्रयास के उपरान्त भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो सका है।

22. मात्र 13 प्रतिशत स्टार्ट–अप द्वारा ही बैंकों आदि से ऋण प्राप्त किया गया, जबकि कुछ स्टार्ट–अप को अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता नहीं थी तथा ज्यादातर स्टार्ट–अप अथक प्रयासों के बाद भी ऋण प्राप्त करने में असफल रहे।

23. 49 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में 5 से कम कर्मचारी हैं, 42 प्रतिशत में 5 से 20 तक कर्मचारी है जबकि 10 प्रतिशत स्टार्ट–अप में 20 से अधिक कर्मचारी हैं। सर्वाधिक 15 प्रतिशत कर्मचारी कृषि क्षेत्र के क्रियाशील स्टार्ट–अप में कार्यरत हैं, जबकि 14 प्रतिशत कर्मचारी विनिर्माण क्षेत्र के क्रियाशील स्टार्ट–अप में कार्यरत हैं।

24. 19 प्रतिशत क्रियाशील स्टार्ट–अप में महिला कर्मचारियों की संख्या शून्य है, 68 प्रतिशत स्टार्ट–अप में शून्य से 5 तक महिला कर्मचारी है जबकि 13 प्रतिशत स्टार्ट–अप में 5 व अधिक महिला कर्मचारियों की संख्या है। सर्वाधिक 62 प्रतिशत महिला कर्मचारी जनपद देहरादून के स्टार्ट–अप में कार्यरत है।

25. सर्वाधिक 9 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में, शिक्षा, खाद्य, विनिर्माण में से प्रत्येक में 4–4 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 8 प्रतिशत स्टार्ट–अप पाये गये।

26. 71 प्रतिशत स्टार्ट–अप के स्वामी के मतानुसार उत्तराखण्ड में जी०एस०टी०, कर, भविष्य निधि आदि

की पंजीकरण प्रक्रिया सरल है, जबकि 29 प्रतिशत स्टार्ट–अप के स्वामी के अनुसार उत्तराखण्ड में जी०एस०टी०, कर, भविष्य निधि आदि की पंजीकरण प्रक्रिया सरल नहीं है।

27. स्टार्ट–अप की क्षेत्रवार उत्पादित सकल मूल्य वृद्धि की दर प्राप्त हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक सकल मूल्य वृद्धि कुल ₹ 81022277 रही है, जिसका प्रतिशत 116.29 रहा है। इस क्षेत्र में उद्योगों तथा उससे सम्बन्धित स्टार्ट–अप की अच्छी प्रगति प्रदर्शित हुई है। द्वितीय स्थान पर शिक्षा का क्षेत्र रहा है, जिसमें सकल मूल्य वृद्धि ₹ 22638816 तथा 32.94 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है। तृतीय स्थान पर कृषि क्षेत्र रहा है, जिसमें सकल मूल्य वृद्धि ₹ 21934309 तथा प्रतिशत 31.47 रहा है।

स्टार्ट–अप के स्वामी / साझेदार / संचालकों से प्राप्त सुझाव

- नये स्टार्ट–अप स्थापित करने में जनपद देहरादून व हरिद्वार अग्रणी रहे हैं। इन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों (मानव संसाधन व अनुकूल परिस्थितियों) का उपयोग कर एक नई क्रांति का आगमन हुआ है। वहीं पर्वतीय जनपदों में कुशल श्रमिकों का अभाव व परिस्थितियों के अनुकूल न होने के कारण स्टार्ट–अप की संख्या काफी कम है।

- कई पर्वतीय जनपदों (जैसे–बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग आदि) में एक भी स्टार्ट–अप नहीं है, जो दर्शाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को असीम सम्भावनाओं वाले स्टार्ट–अप ईको सिस्टम की ओर आकृषित करने के लिये वर्तमान नीति में इस विषयक समुचित प्रावधानों को सम्मिलित करने की नितांत आवश्यकता है।

- सर्वेक्षण में स्टार्ट–अप संचालकों द्वारा सुझाव दिया गया कि स्टार्ट–अप प्रारम्भ करने तथा नवीन विचार को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिस हेतु उद्योग विभाग के अन्तर्गत कार्पस निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- उत्तरदाताओं द्वारा स्टार्ट–अप नीति को और अधिक व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता पर भी सुझाव दिया गया है। उद्योग विभाग को स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत समस्त स्टार्ट–अप संस्थापकों को समय–समय पर दिशा–निर्देश एवं ऋण प्राप्ति के विभिन्न माध्यम से अवगत कराने हेतु भिन्न–भिन्न प्रकार के आयोजन सम्पन्न कराने की भी नितांत आवश्यकता है।

- स्टार्ट–अप नीति को अद्यतन रखने हेतु स्टार्ट–अप संस्थापकों की राय / विचार प्राप्त किये जाने का सुझाव भी अनेक उत्तरदाताओं से प्राप्त हुआ है। उद्योग विभाग, इन्क्यूबेशन सेन्टर तथा स्टार्ट–अप संस्थापकों के मध्य आपसी सामंजस्य मजबूत करने के दृष्टिगत औद्योगिक ईकाईयों के साथ समय–समय पर इंडस्ट्रियल–मीट आयोजित किये जाने की नितांत आवश्यकता है

अध्याय–17

श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास

Labour-Employment and Skill Development

17.1 सतत् विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से अवैतनिक घरेलू कार्य करने वाले लोगों के योगदान को मौद्रिक रूप में मापने, महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने, अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करने, बाल श्रम के निषेध और तत्काल उन्मूलन के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

17.1.1 श्रम में रोजगार की संरचना– जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है, जो इंगित करती है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में है। कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि करना आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण है, जिस हेतु विभागीय प्रयासों के सोपानों में महिलाओं की भागीदारी भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

तालिका 17.1

राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

क्र0सं0	मद	श्रेणी	दैनिक मजदूरी दर ₹ में
1	2	3	4
1	57 अनुसूचित नियोजन	अकुशल	482.00
2		अर्द्धकुशल	511.00
3		कुशल	538.00
4		अतिकुशल	588.00
5	कृषि नियोजन	अकुशल	315.00
6	अभियन्त्रण नियोजन (50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थान)	अकुशल	426.00
7		अर्द्धकुशल	468.00
8		कुशल	519.00
9	अभियन्त्रण नियोजन (500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थान)	अकुशल	447.00
10		अर्द्धकुशल	492.00
11		कुशल	536.00

स्रोत– श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

17.1.2 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) :– दिनांक : 17.12.2024 तक PM-SYM में 39503 श्रमिकों द्वारा अपना नामांकन कराया गया है।

17.1.3 ई–श्रम योजना– दिनांक : 16.12.2024 तक कुल 30,55219 असंगठित श्रमिकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है।

17.1.4 औद्योगिक सम्बन्ध :— औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण प्रदेश में श्रम विभाग औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति तथा समन्वय आदि हेतु कार्यरत है। समझौता प्रक्रिया असफल होने पर विवादों / मामलों को श्रम न्यायालयों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में 01 औद्योगिक न्यायाधिकरण / श्रम न्यायालय हल्द्वानी में तथा 03 श्रम न्यायालय क्रमशः देहरादून, हरिद्वार तथा काशीपुर में स्थित है।

राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कानून:— राज्य में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संविदा श्रम अधिनियम 1970, कारखाना अधिनियम 1948, ब्वायलर अधिनियम 1923, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम 1961,वेतन संदाय अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, न्यूनतम अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, आनुतोषिक भुगतान अधिनियम 1972, स्थाई आदेश अधिनियम 1946, उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधि. 1996, बाल श्रम अधिनियम 1986, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधि0 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965, मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961तथा 2040, औद्योगिक विवाद अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

NPS-Traders में दिनांक 17.12.2024 तक 912 लाभार्थियों का नामांकन कराया गया है।

17.1.5 विभागीय उपलब्धियाँ:—

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कारखानों तथा वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण कार्य ऑनलाईन किये गए हैं।

- राज्य में स्थापित कारखानों के निरीक्षण का कार्य प्रत्येक माह कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा रेण्डम आधार पर किया जाता है। जिसकी रिपोर्ट 48 घण्टों के अन्तर्गत पोर्टल पर अपलोड किये जाने का प्राविधान है।

- कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखानों के लाईसेंस का नवीनीकरण 10 वर्ष तक

तालिका 17.2

जनपद	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन	ई—श्रम योजना में पंजीकृत कामगार
अल्मोड़ा	2198	198567
बागेश्वर	884	86290
चमोली	1907	125363
चम्पावत	2918	90412
देहरादून	6646	409102
हरिद्वार	6079	535429
नैनीताल	4663	282868
पौड़ी गढ़वाल	2714	176675
पिथौरागढ़	2949	131866
रूद्रप्रयाग	1072	79621
टिहरी गढ़वाल	2903	226080
ऊधमसिंह नगर	3672	588366
उत्तरकाशी	1098	121490
योग	**39503**	**3055719**

स्रोत— श्रम विभाग, उत्तराखंड

किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे कारखानों को व्यापार की सुगमता हुई है।

- कारखाना अधिनियम–1948, ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1979 तथा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेंस स्वतः नवीनीकरण किए जाने का प्राविधान है।

- दिनांक : 01–04–2024 से दिनांक : 31–12–2024 तक विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 897 निरीक्षण किये गये। उल्लंघनकर्ता सेवायोजकों के विरूद्ध 45 उपशमन/अभियोजन दायर किये गये। ग्रेच्युटी, एवार्ड आदि के 34 दावों का निस्तारण करते हुए 18 श्रमिकों/मृत श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 57.19 लाख की धनराशि भुगतान कराई गई। विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बोनस के रूप में 34140 श्रमिकों को ₹ 7510.18 लाख की धनराशि भुगतान करायी गयी। विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क आदि के रूप में ₹ 19.99 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया।

- प्रदेश में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण दिनांक : 15–03–2024 को 57 अलग–अलग नियोजनों हेतु किया गया, जिसमें वर्ष 2019 में घोषित न्यूनतम वेतन के सापेक्ष 26 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

- संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत स्थापनों/ठेकेदारों में 20 से अधिक कर्मकारों के नियोजित होने पर पंजीयन एवं लाईसेंस की व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए, उक्त संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, जिससे 50 से कम कर्मकार वाले स्थापनों/ठेकेदारों हेतु पंजीयन एवं लाईसेंस की बाध्यता समाप्त हो गयी है, जिससे व्यापार में सुगमता आयी है।

- राज्य में स्थापित कारखानों में कार्यरत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिससे महिला कर्मकारों को और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) में दिनांक : 17.12.2024 तक में 39,503 अंशदाताओं द्वारा अपना नामांकन कराया गया है।

- भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटा बेस (National Data Base for unorganized worker) (NDUW) तैयार कराये जाने हेतु ई–श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की कार्यवाही गतिमान है। दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 तक कुल 30,55,219 असंगठित श्रमिकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है।

- प्रदेश में 3815 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 7.06 लाख श्रमिक नियोजित हैं।

- ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अन्तर्गत उद्योगों/प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों का 01 अप्रैल, 2019 से दिसम्बर 2024 तक 116 यूनियनों का पंजीकरण किया गया है।

- विभागीय वेबसाइट को "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" के अन्तर्गत उद्योग विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल तथा भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान/ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत किए गए कार्य–

1- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत उद्योगों/अधिष्ठानों के पंजीयन एवं लाईसेंसीकरण का कार्य ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है, जिससे नियोजकों/अवस्थानों को व्यापार प्रारम्भ करने में सुगमता हुई है।

2. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्तें), अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निम्न कार्य :–

I. दुकानों/अधिष्ठानों की अनिवार्य साप्ताहिक बन्दी के प्रावधानों से छूट प्रदान कर सतत व्यापार को बढ़ावा दिया गया है।

II. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने हेतु छूट संबंधी संशोधन प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त संशोधन से महिलाओं के नियोजन में वृद्धि होगी साथ ही इसमें सुरक्षा संबंधी प्राविधान रखे गये है ताकि उनके नियोजन में सुरक्षा संबंधित मानकों का अनुपालन नियोजक द्वारा किया जा सके।

III. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्तें) नियमावली, 2020 के नियम–11 उप नियम–4 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत दुकानों एवं स्थापनों, रेस्टोरेन्ट, मॉल, थियेटर इत्यादि जो दुकान एवं स्थापनों की परिभाषा से आच्छादित हैं, में नियोजक द्वारा सभी कार्यरत कर्मकारों को कार्य करते समय कार्यस्थल में बैठने हेतु उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिससे कर्मकारों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव होगा एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

IV. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्तें), अधिनियम, 2017 की धारा–21 में संशोधन प्रस्ताव ("इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन को दोषी अभिनिर्धारित किए जाने पर, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को गम्भीर शारीरिक क्षति या उसकी मृत्यु कारित करने वाले कोई दुर्घटना हुई है, जुर्माने से , जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दस लाख रुपये तक हो सकेगा से, दंडनीय होगा।") पर सहमति प्रदान की गयी है।

3. Ease of Doing Business (व्यापार के सरलीकरण) हेतु भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में औचक निरीक्षण व्यवस्था के स्थान पर ऑनलाईन निरीक्षण व्यवस्था प्रचलित की गयी है, जिससे संबंधित प्रतिष्ठान को विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानित नियमानुसार अनुपालन करने में सुगमता हुई है।

4. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों में महिलाओं को राज्य में रात्रि पाली

(रात्रि 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक) में कार्य करने की छूट दी गयी है, इसमें उनकी सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाएं रोकने हेतु प्राविधान किए गए हैं, साथ ही उन्हें आवागमन सुविधा, आवागमन हेतु पृथक से सुरक्षा गार्ड, महिलाओं के छोटे बच्चों हेतु क्रेच आदि की अनिवार्यता से महिला कामगारों को अनुकूल वातावरण बनाने में अत्यधिक बल मिला है।

5. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाइसेंस नवीनीकरण 10 वर्ष तक की अवधि तक किये जाने का प्राविधान किया गया है।

6. Low risk वाले कारखानों के लिए स्व–प्रमाणीकरण योजना शुरू की गई है।

7. कारखाना अधिनियम, ब्वॉयलर अधिनियम तथा श्रम कानूनों के अंतर्गत थर्ड पार्टी ऑडिट की योजना प्रचलित की गयी है।

8. विभागीय वेबसाईट को "मेक इन इण्डिया" के तहत उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

9. विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित किया गया है तथा प्रत्येक कार्य हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।

10. कारखाना अधिनियम, 1948, संविदा श्रम अधिनियम, 1970 तथा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अंतर्गत जारी किये जाने वाले लाईसेंसों हेतु स्वतः नवीनीकरण (Deemed Renewal) का प्राविधान कर अधिष्ठानों /प्रतिष्ठानों को व्यापार में सुगमता की व्यवस्था की गई है।

11. संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा–1 में संशोधन कर 20 कर्मकार के स्थान पर 50 कर्मकार किया गया है, जिससे 50 से कम कर्मकार नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को उक्त अधिनियम के प्राविधानों से छूट प्राप्त हुई है।

अतएव प्रदेश के श्रमिकों सेवायोजकों, हित धारकों के समावेशी विकास, व्यापार सुगमता, श्रमिक हितों को केन्द्र में रखते हुए विभाग द्वारा नवीन व्यवस्थाएँ, तकनीकी का अधिकतम उपयोग एवं सरलीकरण एवं समायोजन का कार्य किया जा रहा है।

12. भारत सरकार द्वारा जारी 04 श्रम संहिताओं के अन्तर्गत नियमावली प्रख्यापित कर राज्य में लागू किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

17.2 सेवायोजन (Employment):–

सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों के सापेक्ष रोजगार, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान कर युवा बेरोजगारी के प्रतिशत को कम करने हेतु सेवायोजन कार्यालय स्थापित है जिसकी सक्रिय पंजिका (Live Register) में कुल 784893 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर 2024 तक 96 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 7531 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया तथा इन मेलों के माध्यम से 885 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयन किया गया।

17.2.1 कैरियर काउन्सिलिंग प्रोग्राम (Career Counselling Programme):- राज्य के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर 2024 तक 306 कैरियर वार्तायें आयोजित की गयी। इस प्रकार आयोजित कैरियर वार्ताओं में 22214 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लिया गया।

17.2.2 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण (Training for Preparation of Competitive Examinations):- वर्ष 2024–25 में राज्य के 18 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के माध्यम से 594 छात्र–छात्राओं एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

17.2.3 रोजगार पंजीयन सेवायें (Employment Registration Services):- सेवायोजन विभाग द्वारा पंजीयन, नवीनीकरण एवं शैक्षिक योग्यता अपडेट किये जाने सम्बंधी सेवायें "अपणि सरकार" पोर्टल पर उपलब्ध है। इस आनलाइन पंजीयन कार्य से दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं को Common Service Center से पंजीयन हेतु विभागीय सेवाएं सुलभता से उपलब्ध है।

17.2.4 व्यवसायिक मार्ग निर्देशन/स्वतः नियोजन (Vocational Guidance/Self-Employment):- इसके अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों में आने वाले अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के मद्देनजर उन्हें

बेहतर रोजगार चुनने हेतु मार्ग दर्शन दिया जाता है, तथा सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्रों मे रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु जानकारी दी जाती है।

17.2.5 विदेश रोजगार प्रकोष्ठ, सहसपुर :– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 1285/2021 दिनांक 09 नवम्बर 2021 के अनुपालन में राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसर से जोड़े जाने के उद्देश्य से "विदेश रोजगार प्रकोष्ठ" सहसपुर में संचालित है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यमंत्री उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने हेतु **"भारत–जापान तकनीकी इंटर्न कार्यक्रम"** के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ सहसपुर में केयर गिवर जॉब रोल हेतु प्रथम बैच के जापानी भाषा में 33 युवाओं को विदेश रोजगार प्रकोष्ठ/स्किल हब सहसपुर में एवं निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु पूरे प्रदेश से चयनित 01 अभ्यर्थी (बीपीएल धारक) Navis Hr Bangalore द्वारा Navis Hr के प्रशिक्षण केन्द्र Bangalore में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से 24 युवाओं द्वारा जापानी भाषा (N4) सफल परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही समस्त प्रशिक्षणार्थियों का जापानी नियोजकों द्वारा जापान में जॉब हेतु चयन कर लिया गया है, वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत नर्सिंग क्षेत्र में 26 अभ्यर्थियों को N.S.D.C. International द्वारा विदेश रोजगार प्रकोष्ठ/स्किल हब सहसपुर में, 26 अभ्यर्थियों को LEARNET Skills For Life Ltd, 14/C-1 Old Survey Road Dehradun द्वारा शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र देहरादून में जापानी भाषा का प्रशिक्षण एवं जर्मनी में नर्सिंग के क्षेत्र में जॉब हेतु 15 अभ्यर्थियों को महिला आई0टी0आई0 निकट सर्वे चौक देहरादून में जर्मनी भाषा B2 का प्रशिक्षण एवं यू0के0 में रजिस्टर्ड नर्स/असिस्टेंट नर्स के रूप मे कार्य करने हेतु 09 अभ्यर्थियों को IELTS का ऑनलाइन प्रशिक्षण Envertiz Consultancy, 21, Twin Spires Business Park, Kerala के साथ ही Hospitality के क्षेत्र में 08 युवाओं को N.S.D.C. International द्वारा सहसपुर में जापानी भाषा का प्रशिक्षण गतिमान है। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में नर्सिंग क्षेत्र के साथ ही जर्मनी में Automotive 4-Wheeler Technician के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में विभाग द्वारा अद्यतिथि तक पूरे प्रदेश के लगभग 25 नर्सिंग कालेजों के साथ ही 18 Hotel management के कालेजों से Mobilization किये जाने के साथ ही Facebook तथा Integram- के साथ ही दैनिक अखबारों पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान में जनवरी प्रथम सप्ताह से N.S.D.C. International के साथ जापान में केयर गिवर, जर्मनी में नर्सिंग एवं के साथ जर्मनी में मैकेनिकल के क्षेत्र में रोजगार हेतु बैच बनाये जाने हेतु विभिन्न नर्सिंग कालेजों, पॉलीटेक्निकल्स एवं आई0टी0आई0 में Mobilization का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

17.2.6 रोजगार प्रयाग पोर्टल :– "रोजगार प्रयाग पोर्टल" में अद्यतिथि तक कुल 50739 युवाओं द्वारा अपना पंजीकरण किया गया है। अद्यतिथि तक उक्त पोर्टल के माध्यम से 367 अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जा चुका है, एवं 2384 पदों हेतु विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुयी है।

17.2.7 योजनाओं की वित्तीय स्थिति–

1–रोजगार अधिष्ठान (Employment Establishment):- वर्ष 2024–25 में सेवायोजन कार्यालयों हेतु ₹1480.25 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष

₹908.20 लाख की धनराशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गयी।

2–शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र (Teaching & Guidance Centre):– समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी एवं निजी सेवाओं में उनकी सेवा योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से 08 नगरों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का संचालन किया जाता है, जिसमें वर्ष 2024 में 338 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में स्वीकृत ₹118.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹73.03 लाख की धनराशि माह दिसम्बर 2024 तक व्यय की गयी।

3– कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों परामर्श कार्य:- उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड के समस्त 22 सेवायोजन कार्यालयों/विश्वविद्यालय एवं मंत्रणा केन्द्रों को रोजगार दिशा केन्द्रों के रूप में 2003 से विकसित किया गया है तथा तब से लगातार दिशा केन्द्रों को सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में ₹ 8.80 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹3.36 लाख की धनराशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गयी।

4– विदेश रोजगार प्रकोष्ठ– इस योजना के अन्तर्गत आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मॉडल कैरियर सेन्टर (MCC) सहसपुर, देहरादून में स्थापना की गई है। इस मद में ₹69.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹10.70 लाख की धनराशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की गयी।

5–जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशेष सेवायोजन कार्यालय कालसी:- इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कालसी में एक विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति हेतु) की स्थापना की गयी है, जिसमें दिसम्बर 2024 तक 22946 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वर्ष 2024–25 में ₹52.20 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹33.93 लाख की धनराशि दिसम्बर 2024 तक व्यय की जा चुकी है।

17.3 कौशल विकास एवं सेवायोजन (प्रशिक्षण प्रखण्ड)–

17.3.1 उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (Uttarakhand Skill Development Mission)

पलायन को रोकने मे कौशल विकास की अति महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभागों को सम्मिलित करते हुए दिसम्बर 2018 में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का गठन किया गया। युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में, स्वरोजगार के अवसर सृजित कर राज्य के आर्थिक सुधार हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (UKSDM) के अन्तर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

17.3.2 स्किल प्रतियोगिता–

(अ) इंडिया स्किल्स 2024 – युवाओं का रूझान बढ़ाने के उद्देश्य से इण्डिया स्किल्स 2024 के अन्तर्गत विभिन्न कौशल के क्षेत्रों में प्रतियोगिता का आयोजन 15 मई 2024 से 19 मई 2024 के मध्य किया गया। जिसमें राज्य के 02 युवाओं को गोल्ड मेडल, 01 युवा को सिल्वर मेडल, 03 युवाओं को ब्रॉन्ज मेडल तथा 02 युवाओं को मेडल ऑफ एक्सीलेन्स प्रदान किये गये। यह प्रतियोगिता प्रथम चरण में जिला स्तर पर आयोजित की गई जिसके विजेताओं द्वारा देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जायेगा।

(ब) वर्ल्ड स्किल्स 2024 – वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल द्वारा

आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो हर दो साल में आयोजित किया जाता है। यह प्रतियोगिता व्यावसायिक शिक्षा और कौशल उत्कृष्टता के लिए समर्पित सबसे बड़ा वैश्विक मंच है, जो विभिन्न उद्योगों में अभ्यास के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करता है। यह युवा पेशेवरों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और दुनिया भर के साथियों और उद्योग के नेताओं के साथ नेटवर्क बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 10 सितंबर से 15 सितंबर, 2024 तक फ्रांस के ल्योन में हुई। इस वर्ष, प्रतियोगिता में लगभग 70+ देशों के 1,400 प्रतियोगियों ने भाग लिया। जिसमें भारत को 04 ब्रॉन्ज मेडल तथा 12 युवाओं को मेडल ऑफ एक्सीलेन्स प्राप्त हुए। जिसमें उत्तराखण्ड राज्य से एक युवा भी प्रशान्त सैनी है।

17.3.5 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (Craftsman Training Scheme) के अन्तर्गत राज्य में 87 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण शैक्षणिक परिषद (National Council of Vocational & Education Training) से सम्बन्धता प्राप्त विभिन्न 29 रोजगारपरक इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में इन संस्थानों में 8883 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत हैं। उक्त के अतिरिक्त 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य स्तरीय राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (State Council of Vocational Training) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसमें वर्तमान वर्तमान में 312 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत हैं।

Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE)- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण तथा उनको उद्योगों की मांग के अनुरूप विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की 100 प्रतिशत केन्द्र सहायतित Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) योजना है जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य से 08 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथा बेतालघाट, टनकपुर, हरिद्वार, रामनगर, सल्टमहादेव, कालसी, दिनेशपुर एवं चम्बा का चयन किया गया है। स्ट्राईव योजनान्तर्गत सम्पादित की गयी मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार है:–

- विभागीय वेबसाईट आई०टी०सी०एम० के सर्वर पर लॉच की गयी।
- राज्य के 21 संस्थानों में हाई स्पीड ब्रांड इन्टरनेट कनेक्टिविटी आई०टी०डी०ए० के माध्यम से करायी गयी।
- औद्योगिक संस्थानों के निकट देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर एवं दिनेशपुर संस्थानों में सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों के औद्योगिक भ्रमण (ओ०जे०टी०) हेतु हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून एवं दिनेशपुर संस्थान में स्थित छात्रावासों का जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्य कराये जाने के साथ ही बैड, गद्दे, तकिया, कंबल, बेडशीट, वाशिंग मशीन, डाईनिंग टेबल विद चेयर एवं साफ पानी की व्यवस्था हेतु वाटर कूलर की व्यवस्था ओ०जे०टी० हेतु जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु की गयी।
- विभिन्न 19 संस्थानों एवं स्किल हब सहसपुर के कुल 20 कक्षा कक्षों को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों एवं कार्यरत अनुदेशकों के कौशल में वृद्धि हेतु इण्डस्ट्री एक्सपर्ट एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने एवं आवश्यकतानुसार लैक्चर रिकॉर्ड किये जाने हेतु अत्याधुनिक आई०टी० इक्यूपमेंट से सुव्यवस्थित कक्ष तैयार किया गया।

➤ राज्य के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं विभागान्तर्गत संचालित अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणरत छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों के पर्सनल हाईजीन के दृष्टिगत महिला प्रशिक्षणार्थियों /स्टाफ हेतु सैनेटरी वैन्डिंग मशीन एवं सैनेटरी इंसीनरेटर मशीनें स्थापित की गयी।

➤ आच्छादित समस्त 8 संस्थानों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आई०एस०पी (Institute Strategic Plan) के अनुसार एनसीवीईटी मानकानुसार संचालित/प्रस्तावित नये व्यवसायों में उपकरण, साज–सज्जा की कमी की पूर्ति, फर्नीचर, लाईब्रेरी हेतु पुस्तकें, स्मार्ट क्लास रूम, आई०टी० लैब, इन्टरनेट कनैक्टिविटी एवं मशीन अनुरक्षण करते हुये मशीनों को चलायमान बनाये जाने आदि कार्य किया गया है।

टाटा टैक्नोलॉजी के सहयोग से उद्योग 4.0 की माँग के अनुरूप राज्य के 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण– उद्योग 4.0 की मांग के अनुरूप राज्य के 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा युवक देहरादून, हरिद्वार, पिरान कलियर, नरेन्द्रनगर, सल्ट, गोपेश्वर, काशीपुर, सितारगंज, हल्द्वानी, कालाढूंगी, पिथौरागढ़, चम्पावत व अल्मोड़ा का उन्नयन (Upgradation) सम्बन्धी कार्य विभिन्न शर्तों के अधीन टाटा टैक्नोलॉजी प्रा०लि० के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा योजनान्तर्गत चिन्हित 13 राजकीय संस्थानों में कार्यशाला एवं टैक्नोलॉजी लैब के निर्माण कार्य हेतु ₹7909.56 लाख की धनराशि नाबार्ड से स्वीकृत हुयी है तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹2135.5620 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इन संस्थानों के उच्चीकरण के उपरान्त इनमें इण्डस्ट्री 4.0 के अनुरूप 06 व्यवसाय यथा Mechanic electric vehicle, Advanced CNC Machining, Industrial Robotics & Digital manufacturing, Basics designer & virtual verifier, Manufacturing process control & Automation, Artisan using advanced tools में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा, जिससे राज्य के युवाओं को इन क्षेत्र की इण्डस्ट्री में रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नाबार्ड योजनान्तर्गत नये स्वीकृत कार्य– नाबार्ड योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2024–25 में 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 19 निर्माण कार्यों हेतु नाबार्ड से ₹5349.54 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसके क्रम में 19 निर्माण कार्यों हेतु ₹4481.123 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग एवं विभिन्न संस्थाओं के साथ किये गये एमओयू–

➤ कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और Skill Development Network, Bengaluru के मध्य दिनांक 17.10.2023 को 03 वर्ष के लिये एक Memorandum of Understanding (MOU) किया गया है Wadhwani Operation Foundation का मुख्य उद्देश्य अनुदेशकों/प्रशिक्षणार्थियों को Employability Skills का प्रशिक्षण प्रदान करना है।

➤ कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और Medha Learning Foundation के मध्य दिनांक 15.03.2024 को एक Memorandum of Understanding (MoU) किया गया है Medha Learning Foundation का मुख्य उद्देश्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक्सपोजर विजिट्स, इंडस्ट्री टॉक, OJT, प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप समर्थन के लिए उद्योग संघ के साथ साझेदारी कर प्रशिक्षण प्रदान कराना है।

➤ कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और Naandi Foundation, Hyberabad (Mahindra

Pride Classroom Program) के मध्य दिनांक 30.04.2024 को एक Memorandum of Understanding (MOU) किया गया है Naandi Foundation, Hyberabad (Mahindra Pride Classroom Program) का मुख्य उद्देश्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्किल डेवलपमेन्ट को बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान कराना है।

➢ कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और Tata Community Initiatives Trust "BMS Project" (Bajaj Manufacturing Systems) के मध्य दिनांक 01.01.2025 को एक Memorandum of Understanding (MOU) किया गया है Tata Community Initiatives Trust "BMS Project" (Bajaj Manufacturing Systems) का मुख्य उद्देश्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बी०एम०एस० प्रोग्राम के अन्तर्गत मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एवं कौशल विकास को बढ़ावा प्रदान करने से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान कराना है।

राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि एवं नये व्यवसायों को प्रारम्भ किया जाना:–

➢ उत्तराखण्ड राज्य में Uttarakhand Work Force Development Project (UKWDP) के अन्तर्गत 21 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं Skills Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE) योजनान्तर्गत 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा 01 अन्य संस्थान में प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार नई दिल्ली से विभिन्न व्यवसायों की 135 यूनिट (प्रवेश क्षमता 2804) हेतु National Council of Vocational Education and Training (NCVET) सम्बद्धन प्राप्त किया गया जिससे राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश क्षमता 14228 से बढ़कर कुल प्रवेश क्षमता 16582 हो गयी है।

➢ उक्त संस्थानों में प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार से आधुनिकतम नये व्यवसायों यथा सोलर टेक्नीशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मैकेनिक मशीन टूल मेंटीनेंस, टूल एण्ड डाई मेकर, मैकेनिक टू एंड थ्री व्हीलर, मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स एप्लाईन्स, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, वैल्डर (फैब्रिकेशन एण्ड फिटिंग) व कैटरिंग एण्ड हॉस्पिटल असिस्टेंट आदि जैसे नये व्यवसायों का खोला जाना है जिससे राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को व्यवसायों के अधिक से अधिक विकल्प प्राप्त हो सकेंगे तथा प्रवेश की प्रतिशतता में भी वृद्धि हो सकेगी।

सैन्टर ऑफ एक्सीलेन्स– विभाग द्वारा आई०टी०आई० काशीपुर में Schneider Electric के तकनीकी सहयोग से तथा आई०टी०आई० हरिद्वार में Philips के सहयोग से Manufacturing के क्षेत्र में Centre of Excellence स्थापित किया गया है जिसमें आई०टी०आई० उत्तीर्ण युवाओं को उच्च प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च मानदेय पर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तीन माह के Advance प्रशिक्षण के उपरान्त का० काशीपुर द्वारा 115 प्रशिक्षित युवाओं को 18–22000 के मासिक वेतन पर तथा CoE हरिद्वार द्वारा 96 प्रशिक्षित युवाओं को 16–24000 के मासिक वेतन पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं जो कि आई०टी०आई० उत्तीर्ण युवाओं को मिलने वाले औसत वेतन से अधिक है। उक्त का० की सफलता के दृष्टिगत स्किल हब सहसपुर में Schneider के सहयोग से Advance Electrical एवं, Festo के सहयोग से Mechatronics, Hydraulics, Pneumatic एवं Robotics तथा Philips के सहयोग से Precision Manufacturing, Industrial Maintenance से सम्बन्धित CoE स्थापित किये जा रहे हैं जो कि अन्तिम चरण में हैं। इसी प्रकार आई०टी०आई० काशीपुर में भी Philips के सहयोग से Precision Manufacturing से सम्बन्धित CoE स्थापित किया जा रहा है।

आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा की 10 एवं 12वी

की समतुल्यता – उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसी छात्र–छात्रायें जिन्होंने कक्षा–8 एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (10वीं) एवं इण्टरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा में केवल हिन्दी विषय में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के पात्र होंगे तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा क्रमशः हाईस्कूल (कक्षा–10वीं) एवं इण्टरमीडिएट (12वीं) की समकक्षता प्रदान की जायेगी।

National Apprenticeship Promotion Scheme% आई0टी0आई0 उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों एवं नॉन आईटीआई आवेदकों हेतु भारत सरकार द्वारा शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अप्रेन्टिस ट्रेनिंग के उन्नयन के लिए National Apprenticeship Promotion Scheme को राज्य में लागू किया गया। जिसके अन्तर्गत राज्य में स्थापित विभिन्न निजी अधिष्ठानों/सार्वजनिक उपक्रमों में कुल कार्मिक क्षमता का न्यूनतम 2.5 प्रतिशत व अधिकतम 15 प्रतिशत तक के बैण्ड में शिशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है। अधिनियम के अन्तर्गत Designated Trade एवं Optional Trade में 06 माह से लेकर 03 वर्ष तक के पाठ्यक्रमों में अधिष्ठानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शिशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि के दौरान आवेदक को न्यूनतम ₹5000/– से ₹9000/– तक योग्यतानुसार छात्रवृत्तिका प्रदान की जाती है। वर्तमान में योजनान्तर्गत 1099 अधिष्ठानों में कुल 27719 शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

Periodic Labour Force Survey (PLFS)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जून 2023 से जून, 2024 तक की अवधि के लिये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में रोजगार सृजन में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। सभी आयु समूहों में राज्य की बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गयी है। जो एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 15–29 वर्ष के महत्वपूर्ण आयु समूह में बेरोजगारी दर विगत वर्ष के 14.2 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत हो गई है।

15–59 आयु वर्ग में भी उत्तराखण्ड का औसत 64.4 प्रतिशत, जो कि राष्ट्रीय औसत से (64.3 प्रतिशत) से अधिक रहा है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए राज्य का औसत 60.7 प्रतिशत रहा जो राष्ट्रीय स्तर (60.1 प्रतिशत) से अधिक है। वर्ष 2022–23 की तुलना में उत्तराखण्ड के सभी आयु समूहों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पर्याप्त सुधार आया है। 15–29 आयु वर्ग के श्रमिक जनसंख्या अनुपात 37.5 प्रतिशत से बढ़कर 44.2 प्रतिशत हो गया है जो यह दर्शाता है कि अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये। इसी प्रकार 15–59 आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 61.2 प्रतिशत हो गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिये श्रमिक जनसंख्या अनुपात 53.5 प्रतिशत से बढ़कर 58.1 प्रतिशत हो गई है।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 में श्रम बल भागेदारी दर में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 15–29 आयु वर्ग के लिये बल भागेदारी दर 43.7 से बढ़कर 49.0 प्रतिशत हो गई है। 15–59 आयु वर्ग 60.1 प्रतिशत से बढ़कर 64.4 प्रतिशत तथा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के श्रम बल भागीदारी दर 56.0 प्रतिशत से बढ़कर 60.7 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट–17.1

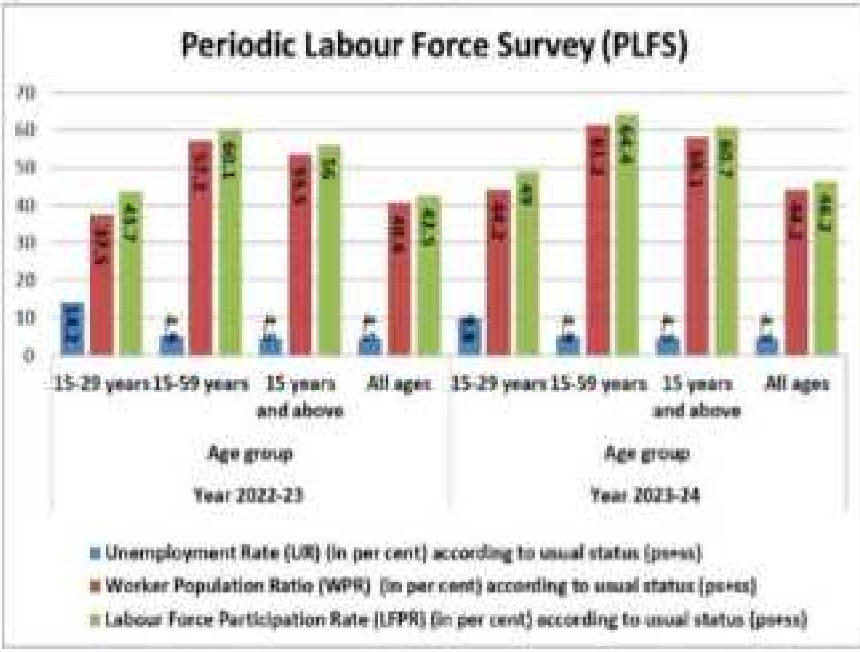

तालिका:–17.3

Periodic Labour Force Survey (PLFS)

Sl. No.	Item	Year 2022-23				Year 2023-24			
		Age group				Age group			
		15-29 years	15-59 years	15 years and above	All ages	15-29 years	15-59 years	15 years and above	All ages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Unemployment Rate (UR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	14.2	4.9	4.5	4.5	9.8	4.9	4.3	4.3
2	Worker Population Ratio (WPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	37.5	57.2	53.5	40.6	44.2	61.2	58.1	44.2

3	Labour Force Participation Rate (LFPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	43.7	60.1	55.0	42.5	49.0	54.4	60.7	46.2

स्रोत– PLFS Mospi (July23 to June 24)

तालिका–17.4

PLFS [(15 years and above)]

Item	Year 2022 -23			Year 2023 -24		
	Age group (15 years and above)			Age group (15 years and above)		
	Male	Female	Person	Male	Female	Person
Unemployment Rate (UR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	4.6	4.2	4.5	4.5	4.1	4.3
Worker Population Ratio (WPR) (in per cent) according t o usual status (ps+ss)	70.1	37.00	53.5	73	43.7	58.1
Labour Force Participation Rate (LFPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	73.5	38.7	56.00	76.4	45.6	60.7

स्रोत– PLFS Mospi (July23 to June 24)

चार्ट–17.2

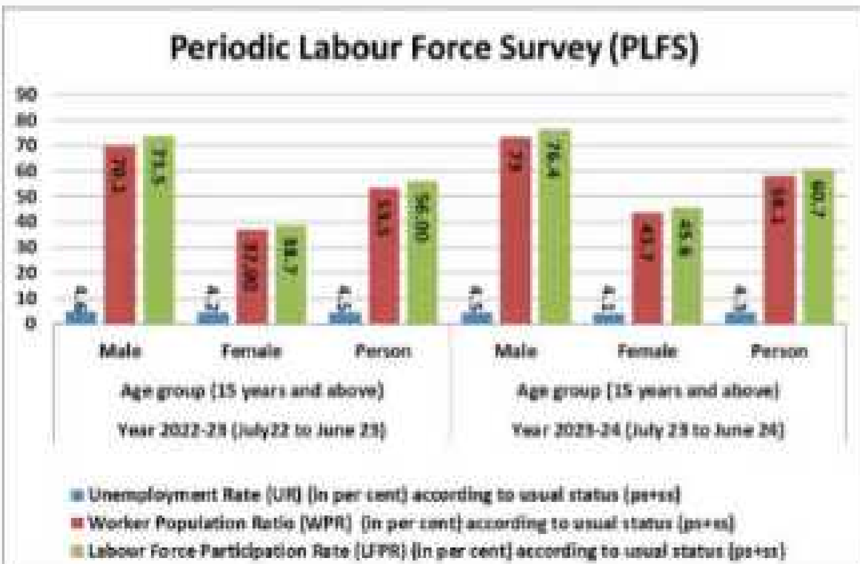

15 से अधिक आयु वर्ग में पुरुष समूह की बेरोजगारी दर 4.6 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत हो गयी है। जबकि की इस समूह की महिलाओं की बेरोजगारी दर 4.2 से घटकर 4.1 हो गयी है, जो एक सकारात्मक प्रवृति को दर्शाता है। इसी प्रकार 15–59 आयु वर्ग के पुरुषों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 71.1 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत हो गया है। जबकि इसी वर्ग की महिलाओं में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 37 प्रतिशत से बढ़कर 43.7 प्रतिशत हो गयी है। वर्ष 2023–24 में श्रम बल भागेदारी दर मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 15 से अधिक आयु वर्ग में पुरुष समूह मे के लिये श्रम बल भागेदारी दर 73.5 से बढ़कर 79.4 प्रतिशत हो गई है। जबकि इसी वर्ग की महिलाओं में श्रम बल भागेदारी दर 38.7 प्रतिशत से बढ़कर 45.6 प्रतिशत हो गयी है।

तालिका–17.5

PLFS (Rural-Urban)

Item	Year 2022 -23 (July22 to June 23)			Year 2023 -24 (July 23 to June 24)		
	Age group (15 years and above)			Age group (15 years and above)		
	Rural	Urban	Rural + Urban	Rural	Urban	Rural + Urban
Unemployment Rate (UR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	3.9	6.6	4.5	3.9	5.8	4.3
Worker Population Ratio (WPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	57.1	43.2	53.5	61.9	46.6	58.1
Labour Force Participation Rate (LFPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)	59.4	46.2	56.0	64.5	49.5	60.7

स्रोत– PLFS Mospi (July23 to June 24)

ग्रामीण क्षेत्र में 15 से अधिक आयु वर्ग में पुरुष समूह की बेरोजगारी दर 3.9 प्रतिशत जब कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.6 से घटकर 5.8 हो गयी है, जो एक सकारात्मक प्रवृति को दर्शाता है। इसी प्रकार 15–59 आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रो मे श्रमिक जनसंख्या अनुपात 57.1 प्रतिशत से बढ़कर 61.9 प्रतिशत हो गया है। जबकि इसी वर्ग मे की शहरी क्षेत्र में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 43.2 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गयी है। वर्ष 2023–24 में श्रम बल भागेदारी दर मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 15 से अधिक आयु वर्ग में श्रम बल भागेदारी दर 59.4 से बढ़कर 64.5 प्रतिशत हो गई है। जबकि इसी वर्ग की शहरी क्षेत्र में श्रम बल भागेदारी दर 46.2 प्रतिशत से बढ़कर 49.5 प्रतिशत हो गयी है।

चार्ट – 17.3

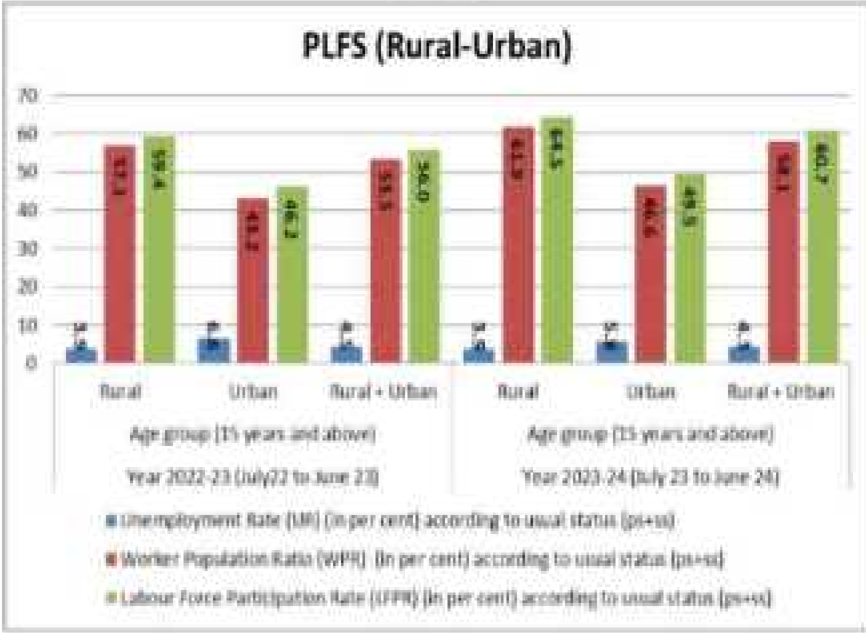

PLFS (Rural-Urban)
70
60
50
40
30
20
10
0
Rural
Urban
Rural + Urban
Rural
Urban
Rural + Urban
Age group (15 years and above)
Year 2022-23 (July22 to June 23)
Age group (15 years and above)
Year 2023-24 (July 23 to June 24)
Unemployment Rate (UR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)
Worker Population Ratio (WPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)
Labour Force Participation Rate (LFPR) (in per cent) according to usual status (ps+ss)

ग्रामीण एवं शहरीविकास

अध्याय–18
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
Rural Development & Panchayati Raj

विभिन्न केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना आदि के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न ग्रामीण अवमूल्यन कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, रिवर्स पलायन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। राज्य में राज्य तथा केन्द्र द्वारा विकासात्मक योजनायें /कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है–

18.1 केन्द्र पोषित योजनायें

18.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)– यह योजना उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में चरणबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों का क्षमता एवं कौशल विकास कर उन्हें सतत आजीविका संवर्द्धन के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।

- स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के बाजारीकरण हेतु 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 17 सरस सेन्टरों को जनपद स्तर पर आउटलेट के रूप में तैयार किया जा रहा है।
- 1.53 लाख लखपति दीदी तैयार की गयी हैं।
- राज्य में 24 ग्रोथ सेन्टरों का संचालन कर समूहों एवं संगठनों द्वारा राज्य के विभिन्न उत्पादों का प्रोसेसिंग कर विपणन किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 से एम0एस0एम0ई0 द्वारा संचालित ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत 24 ग्रोथ सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं।

मिशन के अन्तर्गत वर्तमान तक 68637 स्वयं सहायता समूह की 4.90 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 7183 ग्राम संगठन तथा 490 कलस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। 53432 समूहों को अब तक कुल रू0 7482.32 लाख परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी जरूरतों की पूर्ति तथा आपसी लेन–देन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है। 127374 समूहों द्वारा समूहों की सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करते हुये कुल 38847 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (सी0आई0एफ0 फण्ड) के रूप में रू0 26366.23 लाख आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 के लिए रू0 129.87 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गयी है, जिसमें कुल 30000 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कुल रू0 300 करोड़ ऋण के रूप में प्रदान किए जाने हैं, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक कुल 15877 स्वयं सहायता समूहों को कुल रू. 20196.14 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। आजीविका मिशन के अन्तर्गत 31.12.2024 तक जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से है–

तालिका–18.1

एन०आर०एल०एम० के अन्तर्गत जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि

जनपद	भौतिक (समूहों का बैंक से जुड़ाव)		वित्तीय (लाखों में)	
	स्वयं सहायता समूहों का लक्ष्य	उपलब्धियां	ऋण का लक्ष्य	ऋण वितरण
अल्मोड़ा	2400	1,392	1940	1452.20
बागेश्वर	1350	583	1070	928.43
चमोली	2300	630	1560	955.68
चम्पावत	1600	320	1120	288.98
देहरादून	2100	1,439	2430	2586.70
हरिद्वार	2700	892	2060	1426.69
नैनीताल	2400	1,594	1190	1783.51
पौड़ी	3700	1,712	1170	1395.36
पिथौरागढ़	2300	598	1640	712.24
रुद्रप्रयाग	1350	844	1330	764.97
टिहरी	2150	1,181	1160	1518.09
ऊधमसिंह नगर	4200	2,525	4910	2574.92
उत्तरकाशी	2100	1,000	1220	2287.30
कुल योग	**30000**	**15877**	**30000**	**20196.14**

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेन्टर, 17, सरस सेन्टर, 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, 02 राज्य स्तरीय आउटलेट स्थापित किये गये हैं। प्रारम्भ से 2025 तक 1.50 लाख लखपति दीदी बनाये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 153529 लखपति दीदी तैयार की गयी है।

राज्य में डे०एन०आर०एल०एम० योजना के अन्तर्गत 03 ड्रोन दीदी तैयार की गयी है।

18.1.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना– भारत सरकार की इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2013 से 2024 तक 25000 ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न कौशल विकास के सेक्टरों में प्रशिक्षित किया जाना है। दिसम्बर, 2024 तक 28032 अभ्यर्थी (Commenced) प्रशिक्षणरत हैं, 23367 अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर 19318 अभ्यर्थियों को रोजगार में स्थापित किया गया तथा 14360 अभ्यर्थियों द्वारा तीन माह या उससे अधिक का रोजगार किया जा चुका है।

डीडीयू–जीकेवाई के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण पश्चात कम्पनी कोचिन में पिछले एक वर्ष से भी अधिक अवधि से कार्य कर रही है

18.1.7 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–

देश की उत्तरी सीमा (भारत–चीन) में अवस्थित सीमावर्ती गांवों को विकसित करने तथा इन गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती गांव शामिल किये गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य में जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	वी0वी0पी0 गांवों की संख्या
1	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	8
		धारचूला	17
		कनालीछीना	2
		पिथौरागढ़ – कुल गांव	27
2	चमोली	जोशीमठ	14
3	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	10
कुल वी0वी0पी0 गांव			51

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशानुसार, जनपदों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराये गयी कार्ययोजना को राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत एस0एल0एस0सी0 बैठक में अनुमोदन उपरांत कुल 523 योजनायें, रू0 520.13 करोड़ की गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की गयी हैं, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 93 योजनायें वी0वी0पी0 मद के अंतर्गत रू0 16.99 करोड़ की एवं 47 योजनायें कनवर्जेन्स मद के अंतर्गत रू0 175.25 करोड़ की स्वीकृत की गयी हैं। शेष पर भारत सरकार स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

18.1.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण

योजना अन्तर्गत द्वितीय फेज वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक 56623 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुए हैं एवं आवास प्लस सूची में 56014 लाभार्थी सम्मिलित हैं। जिसके सापेक्ष 56014 आवासों को स्वीकृत करते हुए 55511 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 हेतु आवास प्लस की स्थाई प्रतीक्षा सूची शत–प्रतिशत संतृप्तिकरण के फलस्वरूप आवास निर्माण का लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। वर्ष 2024–25 में आवास प्लस सूची के गत वर्षों के निर्माणाधीन 9010 आवासों के सापेक्ष 8508 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है, शेष निर्माणाधीन 503 आवासों को पूर्ण कराया जा रहा है, वर्ष 2024–25 में कुल उपलब्ध धनराशि रू0 10780.93 लाख में से रू0 7063.13 लाख का व्यय माह दिसम्बर 2024 तक किया गया है।

अभिनव प्रयास

- पीएम–जनमन के तहत पात्र पाये गये पीवीटीजी (राजी एवं बुक्सा) को पीएमएवाई–जी के तहत बुनियादी सुविधा युक्त पक्के मकान के निर्माण से लाभार्थी परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।

- पीएम–जनमन अन्तर्गत 1751 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 1657 आवासों को स्वीकृत करते हुए कुल 1317 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है।

- पीएम–जनमन अन्तर्गत प्राप्त कुल धनराशि रू. 1992.20 लाख के सापेक्ष रू. 2827.20 लाख का व्यय किया जा चुका है (अतिरिक्त व्यय की धनराशि का वहन पीएमएवाई–जी से भारत

सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है)।

• मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत किचन सामग्री/बर्तन आदि की खरीद हेतु रू0 6000/– की अतिरिक्त सहायता धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

तालिका 18.2

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवास

क्र0 सं0	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण आवास	व्यय धनराशि (लाख में)
1	2020–21	13197	13157	13102	131.99
2	2021–22	3007	2997	2991	13703.30
3	2022–23	17875	17820	17886	17830.34
4	2023–24	22544	22040	21722	36240.11
5	2024–25 दिसम्बर, 2024	0	0	0	7863.53
योग		56623	56014	55611	568148.80

18.1.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act- MGNREGA):–ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण परिवारों के पलायन को रोकने हेतु यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी केन्द्र पोषित योजना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर, 2024 तक भारत सरकार द्वारा रू0 57024.36 लाख तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश के रूप में रू0 4553.63 लाख अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष रू0 64163.16 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। 11287 परिवारों को 100 दिन

का रोजगार उपलब्ध करवाकर 143.57 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में कुल 10.14 लाख परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये, जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डो की संख्या 7.34 लाख है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2023–24 में माह मार्च, 2024 तक प्रति परिवार औसत लगभग 41.75 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

उक्त तालिका 18.3 से ज्ञात होता है कि वर्ष

तालिका 18.3

मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	कुल व्यक्ति जिनके द्वारा कार्य की मांग की गयी	कुल व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया	कुल सृजित मानव दिवस	कुल सृजित मानव दिवस (महिला)
1	2017–18	735423	662639	22304235	12146439
2	2018–19	707138	639054	22187135	12232764
3	2019–20	734557	661269	20623216	11677147
4	2020–21	874464	791092	22067314	11997614
5	2021–22	864523	792160	24322052	13445270
6	2022–23	743485	682235	20672931	11709065
7	2023–24	691394	636301	19092289	11194745
8	2024–25 दिसम्बर 2024	560649	559598	14357299	7958022

2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24, 2024–25 माह दिसम्बर, 2024 तक कुल 559598 व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया का प्रतिशत क्रमशः 90.10 प्रतिशत, 90.37 प्रतिशत, 90.02 प्रतिशत, 90.46 प्रतिशत, 91.63 प्रतिशत, 91.76 प्रतिशत, 92.32 प्रतिशत तथा 99.78 प्रतिशत रहा। सृजित मानव दिवस में महिलाओं का योगदान वर्ष 2017–18 से वर्ष 2024–25 माह दिसम्बर, 2024 तक 54.45 प्रतिशत से अधिक रहा जो सराहनीय है।

तालिका 18.4
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये विभिन्न कार्य

क्र0 सं0	वर्ष	सूखा प्रभावित सुधार		बाढ़ नियंत्रण		भूमि सुधार		लघु सिंचाई कार्य	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2017-18	1511	1133.53	9987	11817.69	9424	13647.42	3325	4109.41
2	2018-19	1785	1215.59	7629	8300.05	10153	12205.32	3758	4701.96
3	2019-20	1524	1882.82	3808	6541.69	8725	17290.54	3034	6000.80
4	2020-21	1207	3090.59	2345	6445.65	7437	19193.56	3042	6174.70
5	2021-22	1867	2897.51	2490	5858.37	9003	20467.77	2844	6252.14
6	2022–23	4115	3311.49	6261	8675.02	25527	29398.22	8387	8071.02
7	2023–24	4285	2140.44	3687	3931.84	18685	14111.12	5951	5580.57
8	2024–25 दिसम्बर, 2024	4994	950.95	3088	1471.28	14180	4955.64	3637	1920.76

क्र0 सं0	वर्ष	पारम्परिक जल स्रोतों का सुधार		ग्रामों को जोड़ने का कार्य		ग्रामीण स्वच्छता	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)
1	2	11	12	13	14	15	16
1	2017-18	125	1129.56	10690	13951.6	34266	3424.38
2	2018-19	3146	921.14	6789	6787.03	8809	1005.87
3	2019-20	770	975.85	3390	6583.59	1899	619.46
4	2020-21	589	865.10	3336	8302.61	1049	360.34
5	2021-22	509	845.22	3755	8609.55	1310	289.95
6	2022–23	1306	1678.76	9277	13615.35	1472	248.45
7	2023–24	836	894.86	6476	6491.37	814	109.09
8	2024–25 दिसम्बर, 2024	608	235.58	5109	2726.72	725	21.48

क्र0 सं0	वर्ष	जल संरक्षण एवं सुधार कार्य		व्यक्तिगत भूमि सुधार		अन्य	
		पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय (रू0 लाख में)
1	2	17	18	19	20	21	22
1	2017-18	6404	5163.33	30890	8772.72	1958	627.71
2	2018-19	5859	4693.31	34354	9008.25	534	182.95
3	2019-20	4534	7344.93	17263	5693.17	42	18.56
4	2020-21	4648	8837.79	8041	4507.48	11	7.83
5	2021-22	5709	8028.77	3698	7232.33	246	1539.67
6	2022-23	12422	13052.67	33897	11485.99	561	2427.19
7	2023-24	8181	5868.66	32221	9515.56	7	0
8	2024-25 दिसम्बर, 2024	6270	1584.83	34881	4567.57	10	0

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका–18.4 के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में क्रमशः 108409, 80858, 45538, 31705, 36291, 103305, 81143 एवं 73697 कार्य पूर्ण किये गये तथा 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में क्रमशः रू0 60357.29 लाख, रू0 49116.12 लाख, रू0 52951.91 लाख, रू0 57815.08 लाख, रू0 62091.88 लाख, रू0 91964.16, रू0 48683.91 लाख एवं रू0 18056.75 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2024–25 दिसम्बर, 2024 तक 580945 कार्य पूर्ण किये गये तथा रू0 441037.60 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

अभिनव प्रयोग

आजीविका पैकेज मॉडल : निर्धन ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष दैनिक रोजगार के साथ आजीविका के सतत साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को पैकेज के रूप में उपलब्ध कराने हेतु आजीविका पैकेज मॉडल प्रारम्भ किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से परिवार को एक से अधिक आजीविका परक परिसम्पत्ति उपलब्ध करायी जाएगी जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आजीविका पैकेज में वर्तमान तक 37847 परिवारों का चयन किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 36605 कार्य प्रारम्भ एवं 12836 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

अमृत सरोवर : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जल संरक्षण के साथ–साथ जल स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से पूरे देश में प्रत्येक जनपद हेतु 75 सरोवर के निर्माण / पुनरुद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य में कुल लक्ष्य 975 (75 सरोवर प्रति जनपद) का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष 1322 अमृत सरोवर निर्मित किये जा चुके हैं। इन सरोवरों में 413.22 करोड़ लीटर जल संग्रह किया जा रहा है। इन सरोवरों का निर्माण ग्राम्य विकास, वन विभाग और अन्य विभागों द्वारा

किया जा रहा है।

SARRA के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य: महात्मा गांधी नरेगा एवं SARRA के सहयोग से राज्य में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को वर्ष 2024 में प्रारम्भ किया गया है। Spring and River Rejuvenation Authority के अंतर्गत 4931 क्रिटिकल जल स्रोतों को चिह्नित करते हुए ग्राम स्तर, विकासखंड स्तर एवं जनपद स्तर पर जल संरक्षण कार्य किये जा रहे हैं।

House of Himalayas Brand

राज्य के स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग /पैकेजिंग/ब्राडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्राण्ड के रूप में House of Himalayas का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के पश्चात् राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय निवेशकों द्वारा House of Himalayas से जुड़ने हेतु उत्साह दिखाया है।

- प्रथम चरण में मिलेटस, राजमा, पर्वतीय दालें, लाल चावल, हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, एरोमैटिक एण्ड हर्बल टी, नैनीताल मोमबत्ती, ऐपण, पिछौड़ा को shortlist किया गया है। राज्य के सभी जी0आई0 प्रोडेक्टस को हाउस ऑफ हिमालया ब्रान्ड में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। Implementation & Marketing तथा Wordmark & Device Trademark पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है पूर्व में स्थापित प्रोसेसिंग/ग्रोथ सेन्टर का गुणवत्ता मूल्यांकन करने के उपरान्त प्रथम चरण में House of Himalayas के एक–एक प्रोसेसिंग /ग्रोथ सेन्टर गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही। House of Himalayas की वेबसाइट तैयार की गई है।

हाऊस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद निम्न माध्यमों से उपलब्ध है –

1. Official e-commerce website (houseofhimalyas.com)
2. Major e-commerce platforms like Amazon, DNDC and Jio Mart
3. Listing on Online commerce platforms such as Blink it Basket.
4. Product are available for punches from Modern trade online like Nature's

18.1.5 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंयोजित गांवों को बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में 500 से अधिक की आबादी वाले एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों के संयोजन हेतु यह योजना संचालित है। नवीन तकनीक के द्वारा वर्ष 2017–18 से दिसम्बर, 2024 तक कुल 4433 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है।

तालिका–18.5

पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

Financial Year	Financial Status (Rs. in Cr.)		Physical Progress					
			Works in Nos.		Length in Km.		Habitations in Nos. (250+)	
	Sanctioned Cost from GoI	Expn.	Sanctioned Works	Completed Works	Sanctioned Length	Constructed Length	Sanctioned	Connected
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18	1070.08	607.33	218	135	1766.06	1839.11	242	207
2018-19	3665.71	658.43	857	150	6269.05	1756.29	330	202
2019-20	566.05	1080.48	112	148	905.83	2086.49	0	154
2020-21	0.00	1493.50	0	223	0.00	3365	0	144
2021-22	1077.81	1218.85	284	296	1156.77	2103	0	150
2022-23	856.84	1350	104	485	1090.74	935	0	28
2023-24	967.73	800	108	270	1197.21	608	0	06
2024-25 Dec., 2024	-	368	-	37	-	217	0	02
Total	**8204.62**	**7616.19**	**1683**	**1724**	**12326.46**	**12823.85**	**572**	**883**

नोट– व्यय धनराशि में गत वर्ष की अवशेष धनराशि सम्मिलित है तथा पूर्ण कार्यों में बैकलॉग भी जुड़ा है।
स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

18.1.6 सांसद आदर्श ग्राम योजना– ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत सभी माननीय सांसद गण ने अपने संसदीय क्षेत्र से चरण 1 से चरण 8 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत का चयन किया है, जिसका विवरण तालिका 18.6 में दिया गया है–

तालिका 18.6

माननीय सांसदों द्वारा चयनित ग्रामों का विवरण

क्र. सं0	मा0 सांसद का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	चयनित आदर्श ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6
चरण– 1 (वर्ष 2014–16)					
1.	श्री भगत सिंह कोश्यारी	नैनीताल	भगतुड़ा (लालपुरा कन्या बीजम)	खटीमा	ऊधमसिंह नगर
2.	मे0जन0 भुवन चन्द्र खण्डूड़ी	पौड़ी	देवली भणीग्राम	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग
3.	डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	गोवर्धनपुर	खानपुर	हरिद्वार
4.	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	टिहरी	बौन	पुरोला	उत्तरकाशी
5.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	सूपी	कपकोट	बागेश्वर
6.	श्री महेन्द्र माहरा	राज्य सभा	[illegible]	पाटी	चम्पावत
7.	श्री राजबब्बर	राज्य सभा	[illegible]	गैरसैंण	चमोली
चरण– 2 (वर्ष 2017–18)					
1.	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	जुम्मा	धारचूला	पिथौरागढ़
2.	डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	जमालपुर कलां	हरिद्वार	हरिद्वार
3.	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	टिहरी	अटकफार्म	सहसपुर	देहरादून
4	श्री भगत सिंह कोश्यारी	नैनीताल	जोशाली	बेतालघाट	नैनीताल

5	श्री तरुण विजय	राज्य सभा	लेवा	जौनपुर	टिहरी
6	श्री प्रदीप टम्टा (श्री तरुण विजय के स्थान पर)	राज्य सभा	सामा	कपकोट	बागेश्वर
			चरण– 3 (वर्ष 2018–19)		
1	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	[illegible]	चम्पावत	चम्पावत
2	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	खेड़ीशिकोहपुर	रुड़की	हरिद्वार
3	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	टिहरी	[illegible]	जौनपुर	टिहरी
			चरण– 4 (वर्ष 2019–20)		
1	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	जोशियागाँव	कोटाबाग	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	सिलगांठी	थलीसैंण	पौड़ी
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	सुनौली	ताकुला	अल्मोड़ा
4	श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह	टिहरी	[illegible]	रायपुर	देहरादून
5	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	औरंगाबाद	हरिद्वार	हरिद्वार
			चरण– 5 (वर्ष 2020–21)		
1	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	देवीपुरा	कोटाबाग	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	बेराई	फकोट	टिहरी
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	गोशनी	पाटी	चम्पावत
4	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	दौलतपुर	रुड़की	हरिद्वार
			चरण– 6 (वर्ष 2021–22)		
1	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	विजयपुर([illegible])	हल्द्वानी	नैनीताल
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	स्यूर बांगर	जखोली	रुद्रप्रयाग
3	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	गोगना	विण	पिथौरागढ़
4	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	खदरीखड़कमाफ	डोईवाला	देहरादून
			चरण– 7 (वर्ष 2022–23)		
1	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	बड़ागांव	जोशीमठ	चमोली
2	श्री अजय टम्टा	अल्मोड़ा	[illegible]	गरुड़	बागेश्वर
3	डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक'	हरिद्वार	मारखमग्रान्ट	डोईवाला	देहरादून
4	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	विजयनगर	गदरपुर	ऊधमसिंह नगर
5	श्री नरेश बंसल	राज्य सभा	जौलीग्रान्ट	डोईवाला	देहरादून
6	डॉ० कल्पना सैनी	राज्य सभा	[illegible]	खानपुर	हरिद्वार
			चरण– 8 (वर्ष 2023–24)		
1	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	मल्ला बनास	यमकेश्वर	पौड़ी
2	श्री तीरथ सिंह रावत	पौड़ी	तल्ला बनास	यमकेश्वर	पौड़ी
3	श्री अजय भट्ट	नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	पटेली	रुद्रपुर	ऊधमसिंह नगर
4	श्री नरेश बंसल	राज्य सभा	हरिपुरकलां	डोईवाला	देहरादून

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

18.2 राज्य पोषित योजनायें

18.2.1 मेरा गांव मेरी सड़क योजना –

योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 6478.278 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 4653.473 लाख व्यय किया गया तथा ₹ 471.732 लाख की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास को पार्किंग कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में गत अवशेष सहित कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 1792.69 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक गत अवशेष के सापेक्ष ₹ 339.75 लाख व्यय किया गया। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 38 सड़कों लम्बाई 32.39 कि.मी. के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक 1.39 कि.मी. सड़क निर्मित तथा 5 पर कार्य प्रगति पर है।

18.2.2 इन्दिरा अम्मा भोजनालय—राज्य के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित है। कैन्टीनों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल उपलब्ध धनराशि, 100.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 62.00 लाख व्यय किया गया तथा 612947 थालियाँ वितरित की गयी।

18.2.3 आइफैड द्वारा वित्त पोषित "ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना–"ग्रामोत्थान" (Rural Enterprise Acceleration Project-REAP)" का शुभारम्भ करते हुये राज्य के 13 जनपदों के सभी 95 विकास खण्डों में उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) के अन्तर्गत 50,000 SHGs तथा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) अन्तर्गत गठित 10,000 उत्पादक समूहों, कुल 60,000 समूहों तथा 601 आजीविका संघ/कलस्टर लेवल फेडरेशनों के माध्यम से 5,60,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका में वृद्धि करना।

परियोजना की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

- आइफैड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना हेतु आगामी सात सालों के लिए परियोजना लागत के अंतर्गत ₹ 771.00 करोड़ का ऋण अनुबन्ध पत्र दिनांक 2 जून 2022 को हस्ताक्षर हो गया है।

- परियोजना का औपचारिक शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जून 2022 को किया गया।

- **REAP** हेतु 13 जनपदों में जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित कर Human Resource Agency के माध्यम से 350 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विकासखंड एवं जिलास्तर पर नियुक्त किया जा चुका है एवं परियोजना क्रियान्वयन कार्य गतिमान है।

- **REAP** परियोजना के संचालन हेतु Management Consulting Firm (MCF) का चयन कर लिया गया है।

- एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंतर्गत गठित 134 आजीविका संघ को बिजनेस सहयोग हेतु ₹ 9.29 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।

- कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबोझ कम करने हेतु आधुनिक कृषि उपकरण (फार्म मशीनरी बैंक) 67 CLF स्तर पर भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत दिलाये गये जिसमें ₹ 5.36 करोड़ भारत सरकार से अनुदान तथा ₹ 1.34 करोड़ की धनराशि रीप परियोजना अंतर्गत प्रदान की गई।

- 10370 अति गरीब परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से 10319 परिवारों के एकीकृत आजिविका सुधार योजना तैयार करवाकर रू. 35,000.00 प्रति परिवार की दर से बिना ब्याज के ऋण के रूप में ₹ 36.11 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।

- परियोजना क्षेत्र हेतु 25 Value Chains को चिन्हित किया गया है। जिसमें से 6 Value Chains (1. मिलेट वैल्यू चैन 2. अदरक वैल्यू चैन 3. आलू वैल्यू चैन 4. मटर वैल्यू चैन 5. दालों की वैल्यू चैन 6. Red Rice Value Chain) का Detailed Survey एवं Analysis किया जा चुका है। उक्त 6 Value Chains के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार स्तर से शासनादेश निर्गत किए गए हैं।

- परियोजना अंतर्गत 1,45,376 परिवारों को चिन्हित कर शेयरधन राशि ₹ 500 प्रति परिवार की दर शेयर अंश के रूप में ₹ 11.59 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है।

- परियोजना अन्तर्गत 2798 व्यक्तिगत उद्यम एवं 46 सामुदायिक उद्यम स्थापित किये जा चुके है।

- समूहों द्वारा आधुनिक एवं क्लाइमेट स्मार्ट कृषि तकनीक, फोडर एवं साइलेज निर्माण हेतु कृषि तकनीक अपनाने हेतु 150 परियोजना स्टाफ को मास्टर ट्रेनर के रूप में गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

- 423 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के 8880 किसानों को आधुनिक एवं क्लाइमेट स्मार्ट कृषि तकनीक अपनाने हेतु 150 मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- परियोजना अंतर्गत प्रत्येक जनपद में यात्रा मार्गों पर जहां पर्यटक अधिकांश संख्या में भ्रमण करते है उन स्थानों का चयनित किया जा रहा है और Way-side Aminity बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

- परियोजना क्रियान्वयन की तिथि– परियोजना का क्रियान्वयन 2 जून 2022 से किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत व्यय– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु रु0 140.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष ₹ 75.00 करोड़ की धनराशि की कार्ययोजना स्वीकृत कर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) एवं जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) को योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 65.00 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है, अवशेष धनराशि शीघ्र ही व्यय की जायेगी।

मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना(RBI) योजना का क्रियान्वयन राज्य में वित्तीय वर्ष 2021–22 से किया जा रहा है। राज्य में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने एवं बढ़ावा देने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुये राज्य से युवाओं के पलायन को कम करने तथा रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना साथ ही राज्य के निवासियों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने एवं उद्यम स्थापना हेतु प्रारम्भ से अंत तक उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

योजनान्तर्गत अब तक कुल 4653 एन्टरप्राइस को इन्क्यूबेशन सहयोग प्रदान करते हुये, 1300 से अधिक उद्यमों को ऑनलाइन व ऑफलाइन मार्केट से जोड़ा गया, 1400 से अधिक नये उद्यम स्थापित किये गये एवं एन0आर0एल0एम0 के अंतर्गत पंजीकृत एस0एच0जी0 की 1200 से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने हेतु इन्क्यूबेशन सहयोग सहयोग प्रदान किया गया।

18.2.4 मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदों के 9 सीमान्त विकास खण्डों में आवासित परिवारों को स्थाई आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जाना है।

योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से

किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 हेतु स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष जनपदों को क्रमशः ₹ 14.04 करोड़, रु0 20.07 करोड़ एवं ₹ 20 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा क्रमशः ₹ 14.04 करोड़ रु0 18.74 करोड़ एवं ₹ 18.76 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुये 116, 65 एवं 159 कार्य पूर्ण किये गये।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपदों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 20.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष माह, दिसम्बर, 2024 तक ₹ 9.81 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 33 कार्य पूर्ण किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 20.00 करोड़ का वित्तीय प्राविधान किया गया है।

18.2.5 मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेरोजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्ट्स आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रूप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम से पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत कृषि, उद्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, तथा पशुपालन से सम्बन्धित स्वरोजगारपरक/कौशल विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

योजना का क्रियान्वयन 2020–21 से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपदों हेतु ₹ 18.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा शतप्रतिशत उपयोग कर कुल 364 कार्य पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपदों हेतु ₹ 18.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष जनपदों द्वारा ₹ 18.00 करोड़ का व्यय कर कुल 347 कार्य पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनपदों हेतु ₹ 25.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष ₹ 21.88 करोड़ व्यय कर कुल 762 कार्य पूर्ण किये गये।

वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 25.00 करोड़ का वित्तीय प्राविधान के सापेक्ष ₹ 25 करोड़ जनपदों को अवमुक्त की गयी जनपदों द्वारा ₹ 12.85 करोड़ व्यय कर 182 कार्य पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 10.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project-REAP)

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) ग्रामीण उद्यमों की स्थापना के उद्देश्य से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के वित्त पोषण से बाह्य सहायतित परियोजना 2 जून 2022 को 7 वर्षों हेतु स्वीकृत हुई है। परियोजना का कार्यकाल 31 मार्च 2029 तक है।

परियोजना राज्य के 13 जनपदों के सभी 95 विकासखण्डों में कार्य कर रही है परियोजना का लक्ष्य समूह उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) अन्तर्गत गठित 60,000 स्वयं सहायता समूह तथा 601 क्लस्टर लेवल फैडरेशन है। इनके माध्यम से 5,00,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की ग्रामीण उद्यम आधारित आजीविका में वृद्धि करना REAP परियोजना का लक्ष्य है।

परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2029 तक निम्न गतिविधियों को संपादित किया जायेगा :

- 601 आजीविका संघ/क्लस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 5,00,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका में वृद्धि।

- परियोजना क्षेत्र के उद्यमी परिवारों को बैंकों व वित्तीय संस्थानों से ₹ 1365.38 करोड़ की ऋण के रूप में वित्तीय सहयोग (Financing) उपलब्ध कराना तथा विभिन्न मूल्य आधारित श्रृंखलाओं से जोड़कर 30,000 उद्यमों की स्थापना करायी जायेगी।
- बेस लाइन में प्राप्त आँकड़ों के सापेक्ष परियोजना के प्रयासों से प्रत्येक लाभार्थी परिवार की आय में 70 प्रतिशत की वृद्धि करना।
- 30 प्रतिशत पलायन वापसी (Returnee Migrant) परिवारों के विभिन्न मूल्य आधारित श्रृंखलाओं से जोड़कर उद्यम स्थापित करना।
- 50 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा Environmentally Sustainable and Climate Resilient Practices/Technology अंगीकरण पर कार्य करना।
- 70 प्रतिशत ग्रामीण उद्यमियों की आय में वृद्धि कराना।
- 28 किसान उत्पादक संगठन (FPO) का गठन कर ग्रामीण उत्पादों के विक्रय के चैनल स्थापित करना।
- 10,000 अति गरीब परिवारों को आय अर्जक गतिविधियों Ultra poor package से लाभान्वित करना।
- 80 प्रतिशत ग्रामीण उत्पादक संगठनों का– क्लस्टर लेवल फेडरेशन / किसान उत्पादक संगठनों (CLF/FPOs) को आर्थिक रूप से लाभ प्रदान कर सशक्त होने में सहयोग करना।

तालिका 18.7

परियोजना अंतर्गत वर्तमान तक गतिमान कार्य

क्रoसंo	गतिविधि	लक्ष्य	वर्तमान तक उपलब्धि
1.	परिवारों का आच्छादन	660000	292041
2.	स्वयं सहायता समूहों का आच्छादन	60000	53094
3.	CLF का आच्छादन	440	269
4.	किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का आच्छादन	28	7
5.	कैपर पूंजी CLF को देना (प्रथम बार)	460000	138836
6.	कैपर पूंजी CLF को देना (द्वितीय बार)	460000	47367
7.	व्यापार प्लान सहयोग	440	103
8.	FPO को सिडिंग फण्ड	30	7
9.	Ultra Poor Package	10000	8622
10.	व्यक्तिगत उद्यम	8000	2047
11.	सामूहिक उद्यम	215	34

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

1. वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेषी (Innovative) योजना का विवरण :–

• अमृत सरोवर : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जल संरक्षण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए अमृत सरोवर का निर्माण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य द्वारा लक्ष्य 975 के सापेक्ष 1322 सरोवर स्थलों पर कार्य प्रारम्भ कर 1322 सरोवरों को पूर्ण किया जा चुका है। कार्य

पूर्ण किये जाने के मानक में राज्य प्रारम्भ से ही अग्रणी राज्यों में सम्मिलित रहा है। राज्य द्वारा अभिनव पहल करते हुए जल संरक्षण के साथ इन सरोवरों को आजीविका से जोड़ने हेतु 340 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालन से जोड़ने हेतु मत्स्य पालक ग्रुप बनाये गए हैं।

2. वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का विवरण–

- प्रत्यक्ष रोजगार के रूप में ₹ 150.00 लाख मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष ₹ 143.57 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके है जो कि 95.72 % है।

- अप्रत्यक्ष रोजगार (स्वरोजगार) हेतु कुल कार्यों के 38.13 % कार्य व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कराये गये हैं।

3. वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के क्रियान्वयन से आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण:–

- योजनान्तर्गत श्रमांश, सामग्री एवं प्रशासनिक मद की धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण न ही अकुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समय पर किया जा रहा है और न ही कार्मिकों को समय पर मानदेय दिया जा रहा है और न ही सामग्री मद का भुगतान समय पर हो रहा है जिस कारण योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- योजनान्तर्गत अधिकांश क्रियाकलाप यथा– मस्टररोल जारी करना, National Mobile Monitoring System, जियोटैगिंग आदि नेटवर्क आधारित हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण निरन्तर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

- वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत कार्मिक ही शासकीय एवं आउटसोर्स संस्था के माध्यम से योजनान्तर्गत तैनात हैं। कार्मिकों की कमी के कारण योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है।

4. वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों (Investments, Technology and Innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरण:–

5. विगत 08 वर्षों (2017 से 2024) के अन्तर्गत विभागीय (मुख्य क्रियाकलाप) प्रगति का संक्षिप्त विवरण।

तालिका 18.8
वर्षवार प्रगति (लाख में)

वित्तीय वर्ष	भौतिक प्रगति (मानव दिवस सृजन)		वित्तीय प्रगति	
	लक्ष्य	सृजित मानव दिवस	लक्ष्य	व्यय
2017-18	182.00	223.02	56268.94	69225.98
2018-19	200.00	221.67	61834.00	63320.16
2019-20	215.00	206.20	69129.66	55608.23
2020-21	299.00	303.71	100165.00	85383.60
2021-22	240.00	243.22	81600.00	62819.91
2022-23	200.00	206.73	71000.00	90735.16
2023-24	190.00	196.91	72833.33	72314.13

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

आकांक्षी विकास खण्ड कार्यक्रम- आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार (नीति आयोग) राज्य के 06 जनपदों के 06 विकासखण्डों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 09 जनपदों के 09 विकासखण्डों का चयन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा चयनित विकासखण्ड

S.No.	District	Block
1	Almora	Syaldey
2	Bageshwar	Kapkote
3	Haridwar	Bahadrabad
4	Pauri Garhual	Duggada
5	Udam Singh Nagar	Gadarpur
6	Uttar Kashi	Mori

राज्य सरकार द्वारा चयनित विकासखण्ड

S.No	District	Block
1	Almora	Dhola devi
2	Champawat	Champawat
3	Nainital	Okhalkanda

4	Tehri Garhwal	Jakhanidhar
5	Rudrapryag	Agastmuni
6	Chamoli	Joshimath
7	Dehradun	Kalsi
8	Pauri Garhwal	Veerokhal
9	Pithoragrah	Dharchula

भारत सरकार (नीति आयोग) द्वारा आकांक्षी विकासखण्डों का चयन 39 Key Performance Indicators (KPIs) के आधार पर 05 मुख्य थीम Health & Nutrition, Education, Agriculture and Allied Services, Basic Infrastructure, and Social Development पर किया गया।

S. No.	Theme	No. of KPI	Weightage (%)
1	Health & Nutrition	14	30%
2	Education	11	30%
3	Agriculture and Allied Services	5	20%
4	Basic Infrastructure	5	15%
5	Social Development	4	5%
TOTAL		39	100%

18.3 पंचायती राज

पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

18.3.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान– इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना है। वर्ष 2023–24 में शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित इस योजना को रिविम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के रूप में पुनर्गठित करते हुए प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित मदों को 90:10 के अनुपात में केन्द्रांश व राज्यांश के तहत जबकि केन्द्र की पुरस्कार योजनाओं तथा ई–पंचायतीराज से सम्बन्धित योजनाओं को शत–प्रतिशत केन्द्रांश के माध्यम से आच्छादित किया जा रहा है।

- योजनान्तर्गत मुख्यतः क्षमता विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ऑनलाईन और ऑफ लाईन दोनों माध्यमों से पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों, पंचायतों में लागू योजनाओं, विकास योजनाओं के निर्माण आदि के सम्बन्ध में सतत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत रू0 190.40 करोड़ (रूपये एक सौ नब्बे करोड़ चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 25.00 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) आवंटित हुआ है। राज्यांश के रूप में रू. 2.78 करोड़ (रू. दो करोड़ अठहत्तर लाख मात्र) का आवंटन हुआ है। इस प्रकार कुल आवंटन रू. 27.78 करोड़ (रू. सत्ताईस करोड़ अठहत्तर

तालिका 18.9

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत घटकवार आवंटित धनराशि (रु0 करोड़ में) का विवरण

(Rs. in crore)

Component	Amount approved by CEC
Capacity Building and Training(CB&T)	
General Orientation(56166 participants)	28.46
Refresher Training (4450 participants)	0.9
Training on Panchayat Development Plan(71167participants)	15.69
Thematic Training -(71167 participants)	23.46
Speciali zed Trainings(4916 participants)	1.19
Any other Training(CBT on Mahila& Bal Sabha - 12795 participants; 30 days' General orientation of newly appointed field functionaries - 232 participants)	6.84
Total of CB&T	**76.54**
Other Activities under CB&T	
Hand holding support for GPDP(238)	0.48
Development of Training module	0.1
Training Material Development	0.2
Exposure visits within State(5000 for 3 days)	5.25
Exposure visits outside State(10,000 for 5 days @ 5000)	25
Development of Panchayat Learning Cen tre(13)	0.91
Leadership/Management Development Program (100 participant)	0.5
Total of other activities under CB&T	**32.44**
Institutional Infrastructure (recurring cost)	
SPRC Recurring Cost	0.84
DPRC Recurring Cost (20lakh/DPRC/annum) for13DPRCs	2.58
Hir ing of Training infrastructure & equipments at District Level	0.12
BPRCs in rented Building for 19 BPRCs	0.68
BPRC Recurring Cost for 48 BPRCs	2.02
Hiring of Training infrastructure & equipments at Block Level	1.25
Total of Institutional Infrastructure (Recurring cost)	**7.49**
Programme Management Unit	
State Programme Management Unit(SPMU)	0.26
District Programme Management unit(for 13 DPMU)	1.4
Block Programme Management Unit(for 95 BPMU)	4.56
Total of PMU	**6.22**
Support for Panchayat Bhawan	
Construc tion of new 112 PB (100 PBs + 12 PBs)	22.4
Construction of 72 PB (carry over from 2023 -24)	15.5
Co-location of new CSC (100) with Panchayat Bhawan	5
Co-location of CSC (56) (Carry over from 2023 -24)	3.65
Total of Panchayat Infrastructure	**46.55**

e-Enab lement of Panchayats	
Computer and Accessories (2745 GPs)	13.72
Total of e -Enablement	13.72
Innovative Activity (Carry over)	1
Total of Innovative Activity	1
Sub Total (S. No 1 to 7)	181.96

स्रोत: पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।

लाख मात्र) के सापेक्ष कुल रू0 16.00 करोड़ (रूपये सोलह करोड़ मात्र) का व्यय/उपभोग किया गया है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः क्षमता विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायतों के लगभग 23000 प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को बाल सभा तथा महिला सभा हेतु क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण दिया जाना है।

- राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC)– राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित हो चुका है, जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

- आउट सोर्स एजेन्सी के माध्यम से विकास खण्डों में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की गयी है।

- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों में गति लाने हेतु ई–निविदा के माध्यम से राज्य के 95 विकास खण्डों में कॉम्पैक्टर की स्थापना की जा रही है, वर्तमान में कुल 88 कॉम्पैक्टर स्थापित किये जा चुके हैं।

- राज्य के अन्दर एवं राज्यों का अध्ययन भ्रमण गतिमान है। अतिथि तक 1727 पंचायत प्रतिनिधियों का भ्रमण कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है।

- 240 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का 30 दिवसीय मूलभूत आवासीय प्रशिक्षण प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी/देहरादून में गतिमान है।

- धनराशि ₹ 4.55 करोड़ (₹ चार करोड़ पचपन लाख मात्र) से 13 जनपदों हेतु 13 Portable Vacuum Based Garbage Suction Machine (Litter Picker Machine) क्रय कर जनपदों को उपलब्ध कराई गई है, जिला पंचायतों द्वारा उक्त मशीनों का संचालन किया जा रहा है।

18.3.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि आवंटन एवं उपयोग– राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों हेतु 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों हेतु 30 प्रतिशत तथा जिला पंचायतों हेतु 35

तालिका 18.10
वर्ष 2024–25 में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों हेतु आवंटित धनराशि

(रू.लाख में)

क्रमांक	पंचायत का नाम	आवंटित धनराशि (रू. लाख में)
1	जिला पंचायत	22550.00
2	क्षेत्र पंचायत	14100.00
3	ग्राम पंचायत	36400.00
	योग	73050.00

स्रोत: पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रतिशत राशि वितरण के मानक निर्धारित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गयी है:–

18.3.3 15वाँ वित्त आयोगः– (वर्ष 2020–21 से 2025–26)

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए रू0 471.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के सापेक्ष कोई धनराशि जारी नहीं की गयी है।

> 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को मूल अनुदान (40 प्रतिशत) एवं आबद्ध अनुदान (टाईड फण्ड) (60 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
>
> **मूल अनुदान (Untied Fund)**– मूल अनुदान के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतें अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मूलभूत सेवाओं हेतु, मानदेय अथवा अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर, उपयोग कर सकेंगी।
>
> **आबद्ध अनुदान (Tied Fund)**– टाईड फण्ड के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से (1) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को कायम रखने तथा (2) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण हेतु उपयोग कर सकेंगे।

18.3.4 डॉ0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना– इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 में समस्त 7795 ग्राम पंचायतों में बैठकें आहूत करते हुए योजनाएँ प्लान प्लस पर अपलोड कर दी गयी है।

18.3.5 ई–पंचायत– त्रिस्तरीय पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता, तकनीकी का उपयोग एवं जनसामान्य को इसकी जानकारी सुलभ कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई–पंचायत के अन्तर्गत निम्न एप्लीकेशन्स तैयार किये गये हैं।

18.3.6 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

संविधान का अनुच्छेद 243 जी ने राज्यों को अनुदेश है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करें ताकि कि वे ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों सहित सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए स्वसंस्थानों के रूप में कार्य कर सकें।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 9 विषयों (पंचायती राज मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा चिन्हित) के तहत ब्लॉक, जिला, राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की बहु–स्तरीय विशाखित प्रतियोगिता होगी। सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के 9 विषय है: (i) गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, (ii) स्वस्थ गांव, (iii) बाल हितैषी गांव, (iv) पर्याप्त जल वाले गांव, (v) स्वच्छ और हरित गांव, (vi) आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव, (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, (viii) सुशासन वाले गांव और (ix) महिला हितैषी गांव। इन विषयों के तहत पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके कार्य–निष्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग्रोथ सेन्टर

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु राज्य में स्थापित 110 ग्रोथ सेन्टर का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के दौरान 79 ग्रोथ सेन्टर कार्यरत पाये गये। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष निम्न प्रकार है:–

- 79 चालू ग्रोथ सेंटर में 72 ग्रोथ सेन्टर ग्रामीण क्षेत्र में, 07 ग्रोथ सेन्टर शहरी क्षेत्र में कार्यरत है। 09 ग्रोथ सेन्टर निजी भवनों में, 56 सरकारी भवनों में, 04 किराये के भवनों में, 06 स्वयं सहायता समूह के भवनों में तथा 04 अन्य भवनों में कार्यरत है।

- कुल 79 ग्रोथ सेन्टर में से 58 ग्रोथ सेंटर विनिर्माण सम्बन्धी कार्य, 10 ग्रोथ सेन्टर ट्रेडिंग गतिविधि में, 06 ग्रोथ सेंटर सेवा क्षेत्र में तथा शेष 05 ग्रोथ सेंटर अन्य क्षेत्र में कार्यरत है।

- सेवा क्षेत्र में देहरादून में कार्यरत एक ग्रोथ सेन्टर जो कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण के कार्य में संलग्न है, जिसका मूल्यवर्द्धन अत्याधिक होने के कारण सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र में कार्यरत ग्रोथ सेन्टर के संकेतांक सकारात्मक अनुमानित है।

- विनिर्माण कार्य में लगे 58 ग्रोथ सेंटर में 98 पुरूष श्रमिक, 361 महिला श्रमिक कार्यरत है तथा कुल 4928 सदस्य सम्बद्ध है। सेवा क्षेत्र के ग्रोथ सेन्टर में 08 पुरुष श्रमिक, 12 महिला श्रमिक तथा कुल 744 सदस्य सम्बद्ध है। अन्य प्रकार के ग्रोथ सेन्टर 16 पुरूष श्रमिक, 22 महिला श्रमिक तथा कुल 56 सदस्य सम्बद्ध है।

- वर्तमान में कार्यशील ग्रोथ सेन्टरों में से 60% ग्रोथ सेन्टरों का स्वामित्व व संचालन, स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। 32.5% ग्रोथ सेन्टर का स्वामित्व व संचालन, सहकारिता द्वारा किया जा रहा है. 5% ग्रोथ सेन्टर का स्वामित्व व संचालन, साझेदारी के माध्यम से किया जा रहा है तथा शेष 2.5% ग्रोथ सेन्टर का स्वामित्व व संचालन, निजी सम्पत्ति के रूप में किया जा रहा है।

- सर्वेक्षण में पाया कि अधिकांश ग्रोथ सेन्टरों को वित्तीय, विपणन, उद्यमशीलता का अभाव आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश ग्रोथ सेन्टर द्वारा दो या दो से अधिक समस्याओं से ग्रसित होने से अवगत कराया गया।

- लगभग 41% ग्रोथ सेन्टरों का संचालन स्नातक व स्नातकोत्तर प्राप्त अध्यक्षों द्वारा किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के परिपेक्ष्य में यह पाया गया कि लगभग 78% अध्यक्षों को कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त नहीं है।

- ग्रोथ सेन्टरों द्वारा स्थानीय उत्पाद न मिल पाने अथवा उनकी प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त साधन प्राप्त न हो पाने के कारण अपनी आर्थिक गतिविधियों में बदलाव किया गया है। गतिविधि में बदलाव के कारणों के रूप में वित्तीय, विपणन, मानव संसाधन की कमी आदि का उल्लेख किया गया है।

- सर्वेक्षण में पाया गया कि मात्र 6% ग्रोथ सेन्टर ने कोई बैंक अकाउन्ट नही खोला है तथा लगभग 35% ग्रोथ सेन्टर द्वारा अपने दैनान्दिन कार्यों में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है।

- सर्वेक्षण के माध्यम से पाया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर व अल्मोड़ा द्वारा पूर्ण रूप से स्थानीय उत्पाद का प्रयोग किया जा रहा है। शेष जनपदों में स्थापित ग्रोथ सेन्टरों द्वारा अन्य स्थानों से कच्चा माल क्रय कर अथवा मात्र वस्तुओं का व्यापार कर ग्रोथ सेन्टरों का संचालन किया जा रहा है।

- **ग्रोथ सेन्टर संचालन के दृष्टिगत चुनौतियां व अवसर का निम्न प्रकार अभिज्ञान हो सका है:–**

✓ अधिकांश ग्रोथ सेन्टर रीप (REAP), हिलांस, आजीविका आदि बड़ी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे है, जिस कारण ग्रोथ सेन्टर बड़ी संस्थाओं की एक इकाई के रूप मे कार्यरत है। संघा क्षेत्र में कार्यरत निजी स्वामित्व मे कार्यरत ग्रोथ सेन्टर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

✓ कतिपय ग्रोथ सेन्टर में यह देखा गया कि स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग कार्य हेतु आवश्यक उपकरण/मशनरी उपलब्ध है परन्तु श्रमिकों व ग्रोथ सेन्टर संचालकों को उक्त उपकरणों/मशनरी के संचालन का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, पर अभी उपलब्ध उपकरणों/मशीनों का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है।

✓ कतिपय ग्रोथ सेन्टर के संचालन हेतु गठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अक्रियाशील है और उनमें तकनीकी ज्ञान की अनुभवहीनता होने के कारण, ग्रोथ सेन्टर में कोई आर्थिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे ग्रोथ–सेन्टर मात्र उक्त संस्थाओं से प्राप्त सामग्री को विक्रय करने हेतु क्षणिक लगातार संचालित हो रहे हैं।

✓ ग्रोथ सेन्टर के स्थापना से सर्वेक्षण तक भी ऐसे ग्रोथ सेन्टर कार्यरत है, जो माल उत्पादित करने हेतु आवश्यक मशनिरी, ट्रेनिंग, उन्नत किस्म का कच्चा माल, उत्पादित वस्तुओं को बेचने हेतु बाजार का अभाव, वित्तीय संसाधनों की कमी, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता का अभाव जैसी समस्याओं के कारण स्वावलंबी नहीं हो सके है इससे अन्य संस्थाओं पर निर्भरता बनी हुयी है।

✓ सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि जहाँ ग्रोथ सेन्टर अपने उद्योग को संचालित करने में वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सके है वही उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे निजी स्वामित्व के उद्यमी भी है जो स्वयं के संसाधनों से अपने उसी उद्योग को लाभदायक बनाने की ओर अग्रसारित है।

✓ कतिपय ग्रोथ सेंटर ने संचालन व उद्यमशीलता कौशल विद्यमान होने के कारण, सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे है।

✓ समग्र रूप में यह कहना उचित होगा कि ग्रोथ–सेन्टर ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन और सदस्यों की आर्थिकी के सुधार में सक्षम तो है परन्तु इनके पदाधिकारियों और सदस्यों को क्रमशः प्रबन्धन और सुनियोजित व्यवसाय का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय–19

शहरी विकास एवं आवास

Urban Development & Housing

19.1 सामान्य विवरण : आर्थिक विकास के अनेक मापदण्डों में बढ़ता शहरीकरण एक महत्वपूर्ण सूचक है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त राज्य में नये नगरों का गठन समय–समय पर किया जाता रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर रोजगार, शिक्षा एवं बेहतर सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जनसंख्या का पलायन होता रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पूर्व के शहरों में आधारभूत सुविधायें व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं तथा नव गठित शहरों में आधारभूत अवसंरचना की आवश्यकता प्रबलता से महसूस होती रही है। बढ़ते शहरीकरण के कारण सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक, सीवरेज, स्वास्थ्य सुविधायें तथा रोजगार के विकल्पों/अवसरों की कमी जैसी समस्यायें भी सामने आयी हैं।

राज्य सरकार द्वारा **"सतत विकास लक्ष्य 2030"** के अन्तर्गत शहरी विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति हेतु "सतत विकास लक्ष्य सं0 11, जिसका लक्ष्य शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार, पार्कों की स्थापना, शौचालयों का निर्माण, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, रैन बसेरा का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी योजना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

तालिका 19.1

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001	वर्ष 2011	2024/ वर्तमान स्थिति
1	शहरी स्थानीय निकाय	63	72	105
1.1	नगर निगम	01	06	09
1.2	नगर पालिका परिषद	31	28	47
1.3	नगर पंचायत	31	38	49
1.4	छावनी परिषद	09	09	09
2	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	21.72	26.56	36.77
3	विकास प्राधिकरणों की संख्या	05	05	14
4	अन्य आवास एवं विकास परिषद् आदि की संख्या	01	01	01

स्रोत : शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

वित्तीय वर्ष 2024–25 में दो नगर निकायों–अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़, तीन नगरों पंचायतों को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद– पुरोला, कालाढूंगी तथा भीमताल तथा दो नगर पंचायतों–गढ़ीनेगी तथा पाटी का गठन किया गया।

तालिका 19.2

स्थानीय नगर निकायों/सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर (CAGR)

शहरी : आधारभूत सांख्यिकी		
वर्ष	जनसंख्या	स्थानीय निकाय तथा सेंसस टाउन की संख्या (जनगणना के आधार पर)
(जनगणना 2001 के अनुसार)	21.79 लाख (25.70%)	91
(जनगणना 2011 के अनुसार)	36.30 लाख (34.10%)	105

स्रोत : शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

जनगणना 2011 के आधार पर स्थानीय नगर निकायों तथा सेंसस टाउन में जनसंख्या की संयुक्त वार्षिक दर 3.42 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की संयुक्त वार्षिक दर मात्र 1.10 प्रतिशत है जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता रुझान है।

वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम, 47 नगर पालिका परिषद और 49 नगर पंचायतों सहित कुल 105 शहरी स्थानीय नगर निकाय हैं। स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित है:–

तालिका 19.3
स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	वर्ष	आय		व्यय
		स्वयं के स्रोत से	राज्य / केन्द्र से प्राप्त	
1	2020-21	13,600.00	1,31,765.10	73,802.40
2	2021-22	13,165.64	1,11,593.75	1,26,032.35
3	2022-23	16,717.98	1,12,601.99	1,10,392.01
4	2023-24	25,800.00	1,41,092.61	1,13,161.08
5	2024-25 (प्रस्तावित)	28,000.00	1,07,577.44	93,155.03

स्रोत : शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 19.1
स्थानीय निकायों का आय का वर्गीकरण

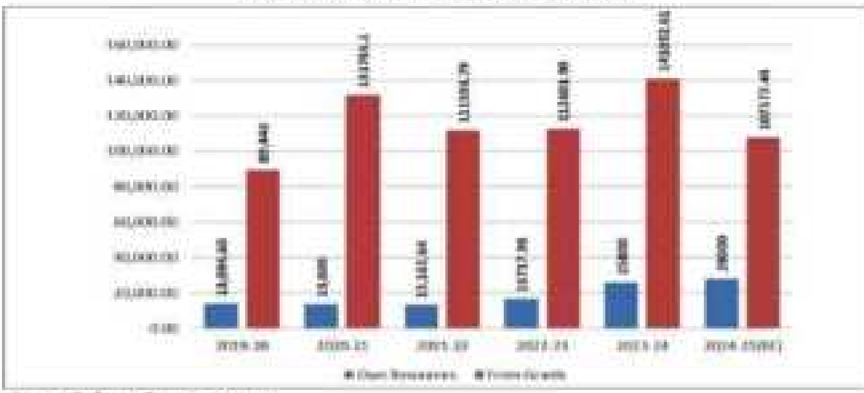

स्रोत : शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 19.3 एवं चार्ट 19.1 से स्पष्ट है:–

- स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा व्यय के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय (वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 हेतु क्रमशः 15%, 22.8% एवं 30% (प्रस्तावित)) है।
- वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 (प्रस्तावित) तक स्वयं के स्रोतों से आय में गत वर्षों से अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कोविड–19 के कारण निकायों की स्वयं के स्रोतों की आय में कमी दर्ज की गयी है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में स्थानीय नगर निकायों के अपने स्रोतों से भी भविष्य में आय बढ़ाने हेतु विचार किया जाना आवश्यक है।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड के नगरीय निकायों के लेखा का विवरण प्राप्त कर विश्लेषण किया जाता है। जिसके आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की वर्ष 2022–23 में कुल आय (राजस्व एवं पूँजीगत हेतु प्राप्ति सम्मिलित) के सापेक्ष कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत व्यय सम्मिलित) का प्रतिशत 82.53 है। चार्ट 19.2 के माध्यम से जनपदवार उक्त विश्लेषण को दर्शाया गया है।

चार्ट 19.2
वर्ष 2022–23 में नगरीय निकायों का कुल प्राप्ति के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत

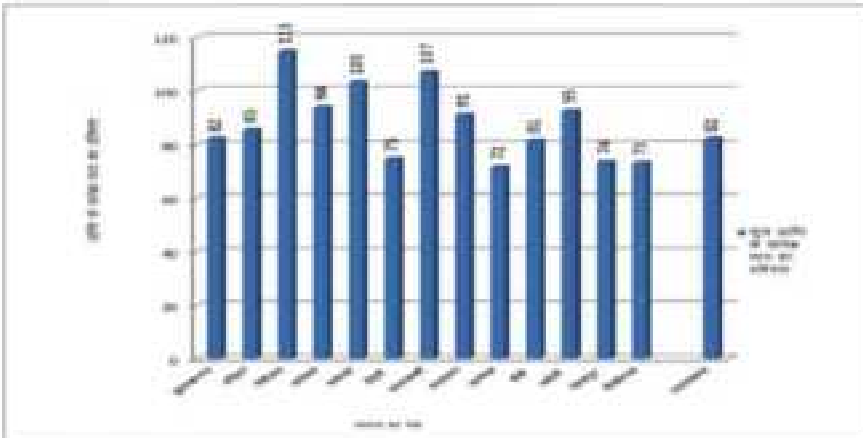

स्रोत : अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

चार्ट 19.2 के माध्यम से स्पष्ट है कि जनपद नैनीताल ने आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत 114.61 है जो कि सबसे अधिकतम है तथा जनपद अल्मोड़ा ने आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत मात्र 72 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। व्यय में पूंजीगत व्यय सम्मिलित होने के कारण कतिपय जनपदों में 100 प्रतिशत से अधिक व्यय दृष्टिगत है।

चार्ट 19.3 में जनपदवार पूंजी निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है। वर्ष 2022–23 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सकल पूंजी निर्माण पर ₹48043.28 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

चार्ट 19.3
नगरीय स्थानीय निकायों पर वर्ष 2022–23 में सकल पूंजी निर्माण पर व्यय

(लाख रु0 में)

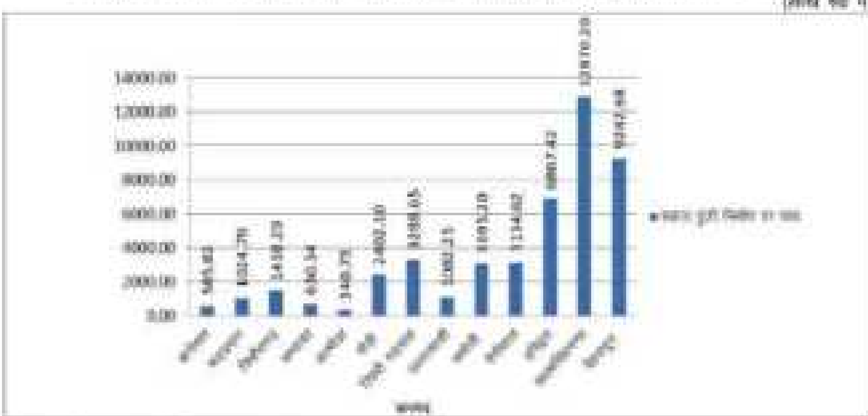

स्रोत : अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

जनपदवार विश्लेषण में इंगित है कि जनपद अल्मोड़ा में पूंजी निर्माण पर व्यय सबसे कम तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में सबसे अधिक है।

सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए शहरी विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है:–

केन्द्र सहायतित योजना

केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 42043.00 लाख का बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2024 तक ₹ 5609.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है जिसमें से ₹ 9170.00 लाख (प्रारम्भिक अवशेष सहित) का उपयोग माह दिसम्बर, 2024 तक कर लिया गया है।

केन्द्र सहायतित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

19.2– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission, NULM) योजना का उद्देश्य :–

- शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एवं आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराना।
- शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराना।

मिशन के प्रमुख घटक

सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 225 लक्ष्य के सापेक्ष 441 महिला स्वयं सहायता समूहों व 29 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन एवं ₹ 63.50 लाख की आवर्ती निधि आवंटन निर्गत की गयी तथा 4325 महिलाओं का आजीविका संवर्द्धन किया गया।

- **स्व–रोजगार कार्यक्रम** के अन्तर्गत 410 लक्ष्य के सापेक्ष 516 लाभार्थियों को ₹ 643.75 लाख के ऋण की स्वीकृति की गयी।
- **शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता** के अन्तर्गत 20886 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित कर पहचान पत्र वितरित किये गये है, जिसके फलस्वरूप इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रोजगार संवर्द्धन किया गया है।
- **प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना** फेरी व्यवसायियों के लिए 01 जून 2020 से लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत 56250 फेरी व्यवसायियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया गया है, जिसमें बैंकों द्वारा 43302 आवेदकों को ₹ 67.36 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया है।
- कौशल विकास एवं प्लेसमेंट द्वारा रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 500.00 लाख की प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष ₹ 278.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

19.3–स्वच्छ भारत मिशन:–स्वच्छ भारत मिशन 02 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, जिसका **मुख्य उद्देश्य** निम्नलिखित है:–

- "खुले में शौच" की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन।
- स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता।

मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है:–

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण।
- सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों एवं यूरिनल का निर्माण।
- वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- सूचना शिक्षा एवं संचार (आई०ई०सी०) एवं जनजागरूकता।
- निकायों का क्षमता सम्वर्द्धन।

प्रति यूनिट शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि:– भारत सरकार द्वारा ₹ 10,800.00 प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि (₹ में) भारत सरकार द्वारा ₹ 39,200.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम ₹ 58,800.00 कुल ₹ 98,000.00 प्रति सीट अनुदान दिया जाता है।

1–व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कुल लक्ष्य 27840 के सापेक्ष 27840 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

2–सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय के कुल लक्ष्य 2798 के सापेक्ष 2583 सीट के सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय पूर्ण हो चुके हैं।

3–ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid waste management)

- Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid & Solid Waste Management हेतु City Sanitation Plan (CSP) निर्मित की जा चुकी है।
- कुल 1289 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा 1168 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की ₹ 33,222.74 लाख की डी०पी०आर० पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा 90 निकायों हेतु गठित 62 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डी०पी०आर० भारत सरकार से स्वीकृत व धनराशि प्राप्त।
- नीति आयोग के तकनीकी सहयोग से रूड़की क्लस्टर जिस में मंगलौर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर निकाय सम्मिलित हैं के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत ₹ 5,121.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष दिसम्बर 2024 तक ₹ 1,343.31 लाख अवमुक्त हुआ है, जिसका व्यय कर लिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0– स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत 5440 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय हेतु प्रति इकाई ₹ 10800.00 की दर से केन्द्रांश हेतु ₹ 583.20 लाख की धनराशि प्रथम किश्त तथा 218 सीटों के सार्वजनिक शौचालयों हेतु ₹ 1.35 लाख प्रति सीट की दर से 294.30 लाख एवं 105 सीटों के सार्वजनिक मूत्रालय हेतु ₹ 28800.00 प्रति सीट की दर से ₹ 30.24 लाख, इस प्रकार केन्द्र सरकार ने ₹ 324.54 लाख की प्रथम किश्त अवमुक्त की है।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (लीगेसी वेस्ट)– स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत 14 निकायों की 15 परियोजनाओं में लीगेसी वेस्ट की कुल मात्रा 17.51 लाख मीट्रिक टन के निस्तारण हेतु ₹ 86.78 करोड़ की डीपीआर भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी जिसके सापेक्ष भारत सरकार के द्वारा प्रथम चरण में नगर निगम देहरादून को ₹ 27.45 करोड़,

हरिद्वार को ₹ 22.44 करोड़, काशीपुर को ₹ 3.41 करोड़, हल्द्वानी को ₹ 11.39 करोड़, रूड़की को ₹ 7.17 करोड़, ऋषिकेश को ₹ 6.46 करोड़, कोटद्वार को ₹ 0.92 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत की गयी। जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 7 निकायों हेतु ₹ 24.38 करोड़ अवमुक्त किये गये तथा ₹ 14.31 करोड़ माह दिसम्बर, 2024 तक व्यय किये जा चुके हैं।

19.4–अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission For Reduvenation and Urban Transformation, AMRUT 1.0):-

सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के स्थान पर उक्त अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम, काशीपुर, रूद्रपुर) 01 नगर पालिका परिषद (नैनीताल) में संचालित की जा रही है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं वर्तमान स्थिति:–

- प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित जल सुलभ कराना।
- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।
- अमृत योजना 1.0 की कुल लागत ₹ 593.02 करोड़ के सापेक्ष कुल 151 योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी जिसके सापेक्ष कुल ₹ 591.02 करोड़ केंद्रांश व राज्यांश अवमुक्त किया जा चुका है तथा वर्तमान तक कुल 143 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है तथा शेष प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिसम्बर 2024 तक ₹ 5,2330.00 लाख की धनराशि व्यय कर लिया गया है। योजनान्तर्गत जलापूर्ति में लक्ष्य 47 के सापेक्ष 44 पूर्ण एवं 03 योजनायें पर कार्य प्रगति पर है। सीवरेज में लक्ष्य 44 के सापेक्ष 42 योजनायें पूर्ण एव 2 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। ड्रेनेज में लक्ष्य 16 योजनाओं के सापेक्ष 15 योजनायें पूर्ण एवं 1 योजना पर कार्य प्रगति पर है।
- अमृत उपयोजना 7 अमृत नगरों का जी0आई0एस0 मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिस हेतु स्वीकृत व्यय ₹ 3.58 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2.87 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है तथा मास्टर प्लान पूर्ण रूप से तैयार किये जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 0.71 करोड़ धनराशि अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है।

अमृत 2.0 – योजनान्तर्गत कुल ₹ 660.00 करोड़ (केन्द्रांश एवं राज्यांश) की धनराशि प्राविधानित है। ट्रेन्च–1 के अन्तर्गत 19 योजनाओं की स्वीकृत धनराशि ₹ 233.74 करोड़ के सापेक्ष ₹ 42.07 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से केन्द्रांश तथा ₹ 4.68 करोड़ राज्यांश इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 46.75 करोड़ की प्रथम किश्त (20 प्रतिशत) अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 42.34 करोड़ तक व्यय कर दिया गया है।

ट्रेन्च–2 के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु शेष धनराशि ₹ 341 करोड़ के सापेक्ष एस0एस0टी0 एम0सी0 8 योजना से जिनकी लागत ₹ 406.12 करोड़ को स्वीकृत कर भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अमृत 2.0 योजना के अमृत मित्र उपयोजना के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, रूड़की की 6 पार्कों (लाला लाजपत राय पार्क, इन्दिरानगर कालोनी देहरादून, दून विहार कालोनी, तिलक पार्क जाखन, गोविन्दपुरी पार्क हरिद्वार, मीना एनक्लेव

पार्क हरिद्वार, केशव एवं मालवीय पार्क रूड़की) के रखरखाव हेतु ₹ 53.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त ₹ 20.00 लाख के सापेक्ष ₹ 14.00 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के अन्तर्गत श्रेणी–2 के 10 शहर तथा श्रेणी 03 के 13 शहर चयनित किये गये है। जिसके क्रम में केन्द्र को ₹ 1656.00 लाख अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त ₹ 331.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है।

19.5– प्रधानमंत्री आवास योजना:– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष दिसम्बर 2024 तक आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया हैं।

विकास विभाग की उपलब्धियाँ–

1– प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा आवास विभाग के Online Application System eASE APP को State Based Service Delivery Platform के लिए Best Practice श्रेणी में नामित किया गया है।

2– राज्य में मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध किया गया है समस्त राज्य में एकल आवासीय मानचित्र 15 दिनों में तथा गैर आवासीय मानचित्र 30 दिवसों में स्वीकृत किये जाते हैं।

3– मानचित्रों में बार–बार आपत्ति लगाये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है तथा प्रत्येक मानचित्र में प्राधिकरणों द्वारा एक बार ही आपत्ति लगायी जा सकती है।

4– मानचित्र की स्वीकृति के लिए विभिन्न विभागों से ली जाने वाली प्रक्रिया को सरल किया गया है जिसमें एकल आवासीय मानचित्रों हेतु 7 दिन तथा गैर आवासीय मानचित्रों हेतु 15 दिवस अनापत्ति प्राप्त होने के लिए निर्धारित किया गया है। इससे अधिक दिवस होने पर आवेदकों के मानचित्र स्वतः स्वीकृत मान लिये जायेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मिशन घटक एवं अनुमन्यता निम्नलिखित है–

- निजी भागीदारी के द्वारा संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए विद्यमान मलिन बस्तियों का इन–सिटू पुनर्विकास– प्रति आवास ₹ 1.00 लाख का केन्द्रीय अनुदान दिया जाना है।

- निजी / सार्वजनिक क्षेत्र तथा पैरास्टेटल एजेंसियों की भागीदारी में किफायती आवास (Afordable Housing in Partnership)- प्रति EWS आवास निर्माण हेतु ₹ 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता उन परियोजनाओं हेतु जहाँ 35 आवास EWS श्रेणी हेतु आरक्षित हो। **भागीदारी में किफायती आवास घटक** अन्तर्गत 20 परियोजनाओं हेतु 15980 आवासों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। जिनमें से 1866 आवासों पर कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं व शेष आवासों पर कार्य प्रगति पर है।

- योजना अन्तर्गत **लाभार्थी आधारित निर्माण घटक** अन्तर्गत EWS श्रेणी के लाभार्थियों को ₹ 1.50 लाख केन्द्रांश तथा ₹ 0.50 लाख राज्यांश के रूप में आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में घटक अन्तर्गत 332 परियोजनायें स्वीकृत है, जिसमें में 25760 आवास स्वीकृत किये गये जिनमें से 13088

आवास पूर्ण कर लिये गये हैं और शेष का कार्य प्रगति पर है।

- वर्ष 2024–25 में ₹ 21100.00 लाख का बजट में प्रावधान है दिसम्बर, 2024 तक ₹ 4407.13 लाख का व्यय किया गया है।

19.6–स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून नगर का चयन किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत देहरादून नगर के चयनित वार्डों के सम्पूर्ण विकास के लिए ₹ 1,000.00 करोड़ प्राविधानित है, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर जो शहर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कूड़ा प्रबन्धन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं यथा स्मार्ट स्कूल, वाटर ए0टी0एम0, स्मार्ट टायलेट, पेयजल आपूर्ति संवर्धन, परेड ग्राउण्ड जीर्णोद्धार, पल्टन बाजार पैदल मार्ग का विकास, मोडर्न दून लाइब्रेरी, स्मार्ट पोल, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक, इलेक्ट्रिक बस, ग्रीन बिल्डिंग कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम, इंटीग्रेटेड सीवेरज, स्मार्ट रोड के कार्य संचालन गतिमान हैं जो कि अक्टूबर, 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे तथा ग्रीन बिल्डिंग का कार्य प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत 13 सरकारी विभागों को स्थानान्तरित किया जा रहा है एवं आम जनता को एक ही स्थान पर सभी कार्यालय होने से लाभ प्राप्त होगा तथा कार्य सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। योजना प्रारम्भ से जून 2024 तक कुल ₹ 1,000.00 करोड़ का बजट में प्राविधान है, जो कि स्मार्ट सीटी को अवमुक्त किया गया, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 750.65 करोड़ (84.68 %) की धनराशि स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों में खर्च कर दी गयी है।

स्मार्ट सिटी CITIIS Project के अन्तर्गत फुटपाथों का निर्माण, रेलिंग, ओवरब्रिज, आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। CITIIS परियोजना का कार्य को 2 फेज में विभाजन किया गया है। फेज–1 में कुल विद्यालयों की संख्या 34 है एवं फेज–2 के अन्तर्गत 72 विद्यालयों को चयनित किया गया है। फेज–1 तथा फेज–2 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 58.00 करोड़ अवमुक्त जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक ₹ 54.88 करोड़ व्यय हो चुके हैं।

बाह्य सहायतित योजना

19.7– नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) का गठन वर्ष 2008 में शहरी विकास विभाग के अधीन किया गया। संस्था के अन्तर्गत विभिन्न वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से नगरीय अवस्थापना विकास कार्य सम्पादित किये जाते हैं। विगत एक वर्ष में UUSDA द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत कुल ₹ 897981.00 लाख की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

Uttarakhand Integrated & Resilient Urban Development Project (UIRUDP) एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित परियोजना के माध्यम से देहरादून तथा नैनीताल नगरों में ₹ 118481.00 लाख की लागत से पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। परियोजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 26700.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन से ₹ 17060.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा

चुकी है एवं स्वीकृति के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 12140.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। परियोजना में ए०डी०बी० द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का सफल सम्पादन किया जा रहा है एवं परियोजना अन्तर्गत ए०डी०बी० ऋण 4148-IND हेतु प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान के उपरान्त माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 45734.00 लाख के प्रतिपूर्ति दावे ए०डी०बी० को प्रेषित किये जा चुके हैं जिसमें से ₹ 42508.20 लाख के प्रतिपूर्ति दावों की धनराशि भारत सरकार से उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित की जा चुकी है एवं शेष ₹ 3225.90 लाख के दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रियाधीन में है।

UIRUDP परियोजना के द्वितीय ऋण (UIRUDP-Additional Financing ऋण 4407-IND हेतु एशियन विकास बैंक (ADB) सहायतित लगभग ₹ 203200.00 लाख की लागत से हल्द्वानी, देहरादून तथा टनकपुर नगर में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित है। DEA भारत सरकार, ए०डी०बी० एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबन्ध नवम्बर, 2024 में हस्ताक्षरित किया जा चुका है। विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत एवं किच्छा नगर में परियोजना हेतु कार्य आवंटित किया जा चुका है एवं हल्द्वानी में सब प्रोजेक्ट हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है। परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 16900.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष ₹ 16657.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष ₹ 7782.00 लाख माह दिसम्बर 2024 तक व्यय किया जा चुका है। परियोजना में ए०डी०बी० द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का सफल सम्पादन किया जा रहा है एवं परियोजना के अन्तर्गत ए०डी०बी० ऋण 4407-IND हेतु प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष किये गये भुगतान के उपरान्त माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 10068.77 लाख के प्रतिपूर्ति दावे ए०डी०बी० को प्रेषित किये जा चुके है। जिसमें से ₹ 17643.42 लाख के प्रतिपूर्ति दावों की धनराशि भारत सरकार से उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित की जा चुकी है एवं शेष ₹ 1415.35 लाख दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रियाधीन है।

Uttarakhand Liveability Improvement Project- (UUP–EIB) परियोजना हेतु यूरोपियन निवेश बैंक सहायतित लगभग ₹ 228600.00 लाख की लागत से हल्द्वानी, विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत एवं किच्छा नगर में पेयजल व सीवरेज सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त परियोजना हेतु DEA भारत सरकार एशियन विकास बैंक (ADB) एवं शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबन्ध किया जा चुका है तथा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 10000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष ₹ 6500.00 अवमुक्त किया जा चुका है तथा माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 5293.00 लाख व्यय किया जा चुका है।

Integrated Urban Infrastructure Development in Rishikesh (IUIDH) परियोजना हेतु लगभग ₹ 1,70,000.00 लाख (फेज–1 ₹ 70000 लाख एवं फेज–2 ₹ 1,00,000 लाख) की लागत के अन्तर्गत यू०यू०एस०डी०ए० द्वारा ऋषिकेश में पेयजल, सीवर, सड़क एवं परिवहन, जल निकासी, भू–निर्माण, अर्बन रिफार्म सेक्टरों में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ऋषिकेश नगर परिक्षेत्र में उक्त परियोजना हेतु DEA भारत सरकार एवं KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) के मध्य फेज–1 का ऋण अनुबन्ध माह दिसम्बर 2022 एवं फेज–2 का ऋण अनुबन्ध माह दिसम्बर 2023 में किया गया है। उक्त परियोजना हेतु कंसल्टेंसी सर्विसेज (PMDSC) की निविदा प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2024–2025 में ₹ 2700.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

परियोजना के उद्देश्य व लाभ

आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई इन परियोजनाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत अच्छे आमजन के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता में सुधार, उचित कार्यों की स्थापना व आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा विकसित करने, असमानता कम करने, लैंगिक समानता को लागू करने, सतत शहरी और समुदायों को संगठित करने, व्यवस्थित जलवायु कार्यों, जल प्रौद्योगिकी को विकसित करने, भूमि पर जीवन विकास, गरीबों को निःशुल्क सुविधायें प्रदान करने जैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

राज्य वित्त पोषित योजनायें

राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 8588.40 लाख ₹ धनराशि प्राविधानित की गई है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक ₹ 495.20 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। राज्य सैक्टर द्वारा संचालित योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरण:–

19.8–उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (Urban Reform Incentive Programme, UA-URIF):– इस योजना में अटल निर्मल नगर पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वच्छता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठतम 09 स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष अवस्थापना स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 100.00 लाख का बजट के प्राविधान गया है।

19.9–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (Urban Infrastructure Development) - इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायों की सीमान्तर्गत मूल-भूत नागरिक सुविधायें यथा–ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियां, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाएं आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नवगठित हो रही नगर निकायों को निकाय के गठन, कार्यालय स्थापना तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान भी इसी के तहत स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 2024–25 में ₹ 5000.00 लाख का बजट में प्रावधान है, उक्त के क्रम में दिसम्बर, 2024 तक 15 नगर निकायों को ₹ 1429.98 लाख के प्रस्ताव स्वीकृति कर शासन को प्रेषित किये गये हैं तथा 05 नगर निकायों को ₹ 211.62 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

19.10–श्वान पशु बन्ध्याकरण के लिए ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन (Animal Birth Control) योजना के अन्तर्गत आवारा श्वान पशुओं के बन्ध्याकरण हेतु नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में (एनिमल बर्थ कन्ट्रोल) ए0बी0सी0 कैम्पसों का निर्माण एवं उक्त कैम्पस में श्वान पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वर्तमान में एबीसी कैम्पस चार नगर निकायों देहरादून, मसूरी, हल्द्वानी, हरिद्वार, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में संचालित है तथा काशीपुर, रुड़की, अल्मोड़ा और रुद्रपुर में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2024–25 में ₹ 300.00 लाख का बजट में प्रावधान है, ₹ 73.73 लाख नगर निगम देहरादून, काशीपुर, रुड़की, हरिद्वार, को अवमुक्त किया जा चुका है। योजनान्तर्गत अतिथि तक कुल 81934 श्वान पशुओं का बन्ध्याकरण कर लिया गया है।

19.11–रैन बसेरों का निर्माण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत बेघर और बेसहारा लोगों को रात्रि आश्रय प्रदान करने तथा शीत ऋतु में ठण्ड से सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत रैन बसेरों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 2023–24 में ₹ 50.00 लाख का बजट में प्रावधान है।

19.12–निराश्रित गोवंशों के लिए गौशाला निर्माण योजना अन्तर्गत नगर निकायों में निराश्रित पशुओं से जनता व फसलों का हानि से सुरक्षा एवं सड़कों पर सुलभ आवागमन हेतु शहरी क्षेत्रों में निराश्रित गोवंशों के रख रखाव एवं पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 20.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गई।

19.13–हाईटेक शौचालयों का निर्माण– यात्रामार्ग एवं पर्यटक स्थलों पर स्थापित नगर निकायों में यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 200.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 49.53 लाख की धनराशि नगर पंचायत, कालाढुंगी को अवमुक्त की गयी है।

19.14–सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता से सम्बन्धी सामग्री व स्वास्थ्य जांच आदि कराना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान है।

19.15–सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को नगर की सफाई व्यवस्था में सर्वोत्तम योगदान देने पर पुरस्कृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 20.00 लाख का बजट प्राविधान है।

19.16–प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवासहीन परिवारों को आवास :

- उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल 20 आवासीय परियोजनाओं में 15660 आवासों का निर्माण गतिमान है।
- वर्तमान में 1790 (EWS) आवासों का निर्माण किया चुका है तथा 1482 लाभार्थियों को कब्जा प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 14637 EWS आवासों को लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा चुका है।
- नये शहरों की स्थापना के अन्तर्गत राज्यस्तर से 10 स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें पौड़ी जनपद के श्रीनगर के समीप बेल केदार से बेल कण्डी स्थान पर टाउनशीप विकसित किये जाने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है।

19.17– वाहन पार्किंग परियोजनायें :–

राज्य में वाहन पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु आवास विभाग के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में वाहन पार्किंग परियोजनाओं का निर्माण गतिमान है। राज्य के 171 स्थानों में पार्किंग परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है जिसमें सरफेस पार्किंग की 56, मल्टीलेवल कार पार्किंग की 95, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 09 तथा टनल पार्किंग हेतु 11 स्थान चिन्हित किये गये है। जिसमें 100 परियोजनाओं में ₹ 5006.20 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

मेट्रो रेल परियोजना:–

उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने निवासियों को विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक आवागमन सुविधाएं, बुनियादी ढांचे के निर्माण और एकीकृत टाउनशीप की पेशकश करने की एक पहल और उत्तराखंड के नागरिकों की जीवन शैली की गुणवत्ता में सुधार

करने की दृष्टि से, कंपनी का गठन किया गया था। देहरादून में विकसित किये जाने वाले मेट्रो को नियो मेट्रो के नाम से जाना जायेगा। यह टीयर 2 / 3 के शहरों के लिए उपयुक्त होता है। दून मेट्रो में दो कॉरिडोर होंगे जिसमें पहला आई०एस०बी०टी० से गाँधी पार्क तथा दूसरा कॉरिडोर एफ०आर०आई० से रायपुर तक होगी। परियोजना की कुल लम्बाई 22.42 किमी० होगी तथा 25 स्टेशन होंगे परियोजना की कुल लागत ₹ 2303 करोड़ अनुमानित है। वर्तमान में परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड सरकार को भेजा जाना है जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 02 विकल्पों का प्रस्ताव दिया जा रहा है–

1– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 40 प्रतिशत वित्त पोषण और उत्तराखण्ड सरकार की सार्वभौमी गारंटी की साथ यूकेएमआरसी द्वारा घरेलू उधार के माध्यम से 60 प्रतिशत वित्त पोषण ।

2– उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण।

यह प्रस्ताव तकनीकी लेखा परीक्षा समिति के जाँच के उपरान्त वित्त विभाग को प्रेषित किया जाता है।

सैद्धान्तिक रूप से निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है–

1–हरिद्वार में पी०आर०टी० (Personal Rapit Transit) (पॉड टैक्सी) इस परियोजना को **''हरिद्वार दर्शन''** के नाम से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में सीतापुर से भारत माता मंदिर तथा सिटी हॉस्पिटल से दक्ष मंदिर तक के कॉरिडोर है जिनकी कुल लम्बाई 21 किमी० तथा इसमें 21 स्टेशन होंगे। परियोजना की कुल लागत ₹ 1884 करोड़ की लागत प्रस्तावित है।

2– हर–की–पैड़ी से चण्डी देवी मन्दिर तक रोपवे परियोजना पी०पी०पी० मोड पर तैयार की जाने वाली यह परियोजना की कुल लम्बाई 2.3 किमी एवं कुल लागत ₹ 150 करोड़ है जिसमें कुल 02 स्टेशन एवं 13 टावर है।

3–ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे परियोजना

यह परियोजना की कुल लम्बाई 6.5 किमी० तथा 4 स्टेशन एवं 36 टावर पर तैयार की जायेगी। परियोजना का संचालन पी०पी०पी० मोड पर किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रो परियोजना की संचालन हेतु वर्ष 2024–25 के बजट में ₹ 2150.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें से माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 1050.00 लाख अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2024 तक ₹ 602.87 लाख व्यय किया जा चुका है।

अध्याय–20
शिक्षा
Education

शिक्षा के मूल्यांकन एवं संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर शिक्षा निदेशालय कार्य कर रहे है, जिसके फलस्वरूप गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ ही अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। राज्य विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौम पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत है।

20.1 प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा एक बुनियादी अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा–1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु निःशुल्क विद्यालयी शिक्षा प्रदान किया जाना है। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जाते हैं।

तालिका 20.1

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल	पुरुष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय विद्यालय	13743	216032	223761	439793	15918	14081	29999
निजी / प्राइवेट विद्यालय	3985	241541	193606	435147	7324	23415	30739

स्रोत: UDISE 2023 & 24

20.1.1 खेल प्रतियोगिताएं:– प्रारम्भिक शिक्षा की क्रीड़ा प्रतियोगिताएं न्याय पंचायत स्तर से प्रारम्भ कर चयनित छात्र–छात्राओं को विकासखण्ड स्तर पर एवं चयनित टीम द्वारा जनपद स्तर पर प्रतिभाग किया जाता है। तद्पश्चात विभिन्न जनपदों से चयनित लगभग 2700 प्रतिभागियों द्वारा राज्य स्तर विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया जाता है। राज्य स्तर से चयनित छात्र–छात्राओं द्वारा (विद्यालयी) 68वें राष्ट्रीय खेलों में भी प्रतिभाग किया जा रहा है। जिसमें छात्र–छात्राओं द्वारा आतिथि तक 12 मेडल प्राप्त किये गये हैं।

20.1.2 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण:– पीएम पोषण केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से इस भोजनालक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों / मकतब / मदरसों में कक्षा–1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बच्चों के पोषण में सुधार करना है। निर्धन एवं अपवंचित वर्गों के छात्रों को विद्यालय में नियमित रूप से विद्यालय आने तथा शिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रत्येक विद्यालय को खाद्यान्न के रूप में मानकानुसार चावल उपलब्ध कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 164432 विद्यालयों में 618420 छात्र–छात्राएं नामांकित है। विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु वर्तमान में कुल 23889 भोजन मातायें कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा कुल 15089.14 मी०टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुमोदित कुल ₹ 24932.88 लाख में केन्द्रांश ₹ 14116.70 लाख एवं राज्यांश ₹ 10816.17 लाख सम्मिलित है।

20.1.3 निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक 2024–25:– शैक्षिक वर्ष 2024–25 में सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण तथा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं ऐसे मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू करते है, के कुल 661136 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु ₹ 9.00 (नौ करोड़) की धनराशि आवंटित की गयी है।

20.1.4 निःशुल्क जूता एवं बैग 2024–25:– वर्ष 2024–25 हेतु राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं बैग हेतु डी०बी०टी० (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से कुल 580443 छात्र–छात्राओं को ₹ बाइस करोड़ पांच लाख बाइस हजार चार सौ दस मात्र, की धनराशि हस्तान्तरित कर लाभान्वित किया गया है।

20.1.5 आदर्श विद्यालय:– वर्ष 2024–25 हेतु 285 राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं हेतु ₹ उन्हत्तर लाख छप्पन हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र एवं विद्यालय भवनों की मरम्मत कार्य हेतु ₹ उन्नीस लाख उन्सठ हजार मात्र की धनराशि आवंटित की गयी है।

20.1.6 फर्नीचर:– वर्ष 2024–25 में अध्ययनरत् कुल 18079 छात्र–छात्राओं हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत, ₹ तीन करोड़ इकसठ लाख अठावन हजार मात्र की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

20.1.7 अनुरक्षण/रूपान्तरण/वृहद् निर्माण कार्य:– वर्ष 2024–25 में राज्य के 32 विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु ₹ दो करोड़ अठहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र, जनपद चम्पावत के 31 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के रूपान्तरण कार्य हेतु ₹ एक करोड़ तीन लाख साठ हजार एवं वृहद् निर्माण मद के अन्तर्गत 44 विद्यालयों हेतु ₹ बारह करोड़ छः लाख चौदह हजार चार सौ की धनराशि आवंटित की गयी है।

20.1.8 समग्र शिक्षा योजना:– सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक–शिक्षा का एकीकरण करते हुये वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा योजना कक्षा 12वीं तक के लिए प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी 90:10 के अनुपात में निर्धारित की गयी है।

20.1.9 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत निर्माण कार्य:– विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु नवीन विद्यालय, विद्यालयों का पुनर्निर्माण, पेयजल व्यवस्था, बालक/बालिका शौचालय, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, चाहरदीवारी, रैम्प–रैलिंग, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, किचनगार्डन, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, विद्युतीकरण, वृहदमरम्मत, आदि निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में

माह दिसम्बर, 2024 तक उक्त निर्माण कार्यों के कुल लक्ष्य 937 के सापेक्ष कुल निर्माणाधीन 459 तथा कुल अनारम्भ निर्माण कार्य 478 है।

20.1.10 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12 (1)(C)– इसके अन्तर्गत कमजोर एवं अपवंचित वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेशित बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। निजी विद्यालयों में लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या एवं प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि निम्नवत् है–

चार्ट–20.1

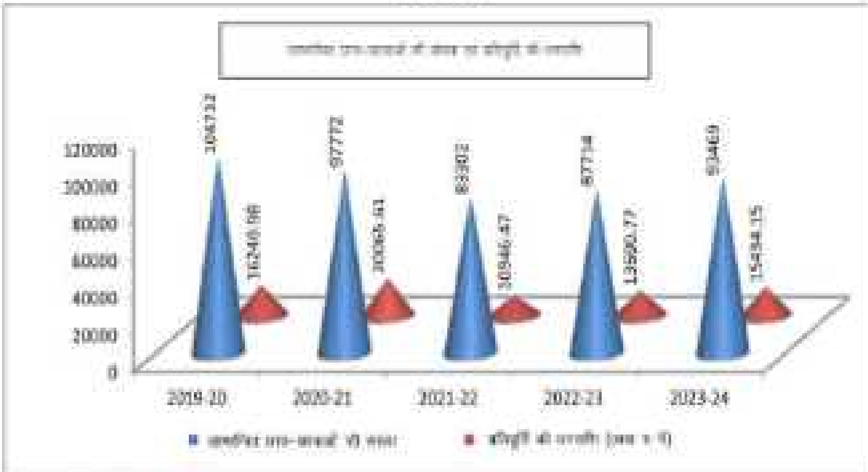

स्रोत: प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.1.11 कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय (Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya) / छात्रावास– 39 के0जी0बी0वी0 के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की छात्राओं हेतु शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2024–25 में के0जी0बी0वी0 में 3993 छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है। विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिये जाने का प्रविधान है।

वर्ष 2024–25 में जापान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेन्सी के द्वारा संचालित जापान साइन्स हाईस्कूल प्रोग्राम (साकुरा साइंस प्रोग्राम) में के0जी0बी0वी0 में नियामत 03 साइंस स्ट्रीम की छात्राएं, जिन्होंने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा–2023 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये, को जापान जाकर वहाँ की उन्नत वैज्ञानिक तकनीक देखने एवं वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ।

20.1.12 आवासीय एवं गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम:– विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु गैर आवासीय एवं आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 1803 बच्चों को आयु आधारित कक्षा में प्रवेश हेतु तैयार किया जा रहा है।

20.1.13 एस्कॉर्ट सुविधा–जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यालय आने–जाने वाले 7073 बच्चों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।

20.1.14 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय छात्रावास:– अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न जनपदों में 19 आवासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1900 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान की जाती है।

> वर्तमान में कुल 14947 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 5975 केन्द्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं। समग्र यू०पी०–प्राइमरी के अन्तर्गत चिन्हित को–लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों को चाइल्ड फ्रेण्डली फर्नीचर, आउटडोर प्ले मैटिरियल एवं बाल चौपर्स से आच्छादित किया जा रहा है। बालवाटिका संचालन से सम्बन्धित शिक्षक संदर्शिका एवं बच्चों के लिए तीन गतिविधि पुस्तिकाएँ– स्वास्थ्य, सृजन एवं संवाद विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी है। बालवाटिका से सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकत्री का अभिमुखीकरण किया गया है।

20.1.15 व्यावसायिक शिक्षा:– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र, लचीला और कौशल विकास आधारित बनाना है, जिससे छात्रों को रोजगार एवं उद्यमिता के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके। वर्तमान में चयनित 559 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 08 व्यावसायिक शिक्षा सेक्टर्स के अन्तर्गत 586 व्यावसायिक शिक्षा लैब्स कार्यरत हैं, जिनमें कक्षा 9–12 के 42000 से अधिक छात्र–छात्राएं अध्ययनरत् हैं।

National Skill Qualification Framework (NSQF) से मान्यता प्राप्त 08 सेक्टर्स (IT/ITeS, Tourism & Hospitality, Beauty & Wellness ,Automotive, Agriculture, Retail, Electronics & Hardware, Plumbing) के अन्तर्गत Job Roles संचालित हैं।

सत्र 2023–24 में कुल 26400 छात्र–छात्राएं, जिनमें 55 प्रतिशत से अधिक बालिकाएं हैं, सामान्य शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। सत्र 2023–24 में प्रथम बार NSQF से मान्यता प्राप्त 08 सेक्टरों के अन्तर्गत कक्षा–11 में NSQF level-4 के अन्तर्गत 188 विद्यालयों में कक्षा–11 में 238 व्यावसायिक शिक्षा लैब्स का संचालन किया गया।

1. व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के व्यापक प्रसार के लिए 27 विद्यालयों को Hub School के रूप में विकसित कर प्रत्येक Hub School को एक निकटवर्ती माध्यमिक विद्यालय से Hub & Spoke Model के अन्तर्गत संयोजित किया गया। इससे सत्र 2023–24 में 27 Spoke Schools के 326 छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुए।

2. 140 राजकीय जूनियर हाई स्कूल के कक्षा–6, 7 एवं 8 में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिमुखीकरण हेतु कार्यक्रम आयोजित किये गये।

20.1.16 वर्चुअल / स्मार्ट कक्षा:– वर्ष 2024–25

मे 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टी०सी०आई०एल० (Telecommunications Consultants India Limited) के सहयोग से वर्चुअल कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय में 04 केन्द्रीय स्टूडियो कार्यरत हैं। Two way Seamless प्रसारण के लिए विद्यालयों को Satellite से द्वारा जोड़ा गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 708 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गयी है इसके अतिरिक्त विद्यालयों में सी०एस०आर०. (Corporate Social Responsibility) जनपद स्तर पर खनन न्यास, जिलाधिकारियों के निर्देशन पर उपलब्ध धनराशि आदि से Digital Learning को प्रोत्साहित किये जाने के लिए स्मार्ट क्लास स्थापित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त 840 विद्यालयों में हाइब्रिड मोड मे वर्चुअल एवं स्मार्ट कक्षायें संचालित हैं तथा 1124 विद्यालयों मे स्मार्ट कक्षाएं स्थापित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

20.1.17 पी.एम. श्री योजनाः– 5 सितम्बर, 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों को मूर्त रूप में लागू करने हेतु प्रधान मंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PRADHAN MANTRI SCHOOLS FOR RISING INDIA) की स्थापना की घोषणा की गयी। इन विद्यालयों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवीनतम शिक्षण उपकरण और प्रौद्योगिकी, स्किल डेवलपमेन्ट, स्मार्ट कक्षाओं, खेल शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि सुविधाओं से आच्छादित किया जा रहा है।

राज्य में पी.एम. श्री योजना का क्रियान्वयन 2022–23 से किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में 141 (28 प्राथमिक, 11 हाईस्कूल एवं 102 इण्टरमीडिएट) विद्यालयों तथा द्वितीय चरण में 84 (06 प्राथमिक एवं 78 इण्टरमीडिएट) विद्यालयों का चयन किया गया। वर्तमान में कुल 225 पी.एम. श्री विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानदण्डों के अन्तर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण के 141 पी०एम० श्री विद्यालयों हेतु ₹ 55.93 करोड़ की बजट स्वीकृति प्रदान की गई है, साथ ही द्वितीय चरण में चयनित 84 पी०एम० श्री विद्यालयों हेतु ₹ 68.25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड हेतु वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत बजट के अन्तर्गत पी०एम० श्री विद्यालयों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, आई.सी.टी. लैब एवं स्मार्ट क्लास/डिजिटल बोर्ड/डिजिटल टी.वी., ऑडियो–विजुअल सिस्टम, टैम्पू सेट, संगीत वाद्ययंत्र, गणित किट, विज्ञान किट, सामाजिक विज्ञान किट, साइंस सर्कल, गणित सर्कल आदि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतिरिक्त कक्षा कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, विद्युतीकरण, बालिका शौचालय, वाचनालय कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल, लघु एवं वृहद मरम्मत आदि की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया है। विभिन्न नवाचारी गतिविधियों के अन्तर्गत बैगलेस डे, विद्यालय पत्रिका, समर कैम्प, एक्सपोजर विजिट (बाहरी राज्य), जैव विविधता पार्क, टी०एल०एम० पार्क आदि की स्वीकृति प्रस्ताव के अनुरूप ही प्रदान की गयी है। ग्रीन स्कूल के अन्तर्गत

डस्टबिन, एलईडीडी लाइट, फील्ड विजिट, एक्सपर्ट टॉक, स्वच्छता पखवाड़ा, यूथ एण्ड ईको क्लब हेतु भी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

20.1.18 विद्या समीक्षा केन्द्रः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 सितम्बर 2023 को उत्तराखण्ड में स्थापित विद्या समीक्षा केन्द्र को NDEAR Compliant (National Digital Education Architecture) बनाया गया है तथा राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केन्द्र से जोड़ा गया है जिससे राज्य के आंकड़े रियल टाइम आधार पर भारत सरकार को मिल रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य पहले 4 राज्यों में है जिनके विद्या समीक्षा केन्द्र को सीधे राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केन्द्र से जोड़ा गया है।

20.2 माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था, संचालन, छात्र–छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा का मूल्यांकन कर उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणादि करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना है।

तालिका–20.2

माध्यमिक शिक्षा शैक्षिक सूचकांक

सूचकांक	माध्यमिक स्तर	उच्च माध्यमिक स्तर
सकल नामांकन दर(GER) (माध्यमिक)	95.29	75.38
शुद्ध नामांकन दर(NER) (माध्यमिक)	48.54	37.37
एडजेस्टेड शुद्ध नामांकन दर(ANER) (माध्यमिक)	56.04	42.97
पुनरावृत्ति दर (Repetition Rate)(माध्यमिक)	4.01	2.55
ड्रापआउट दर (Dropout Rate) (माध्यमिक)	8.44	1.76
संक्रमण दर (Transition Rate)	91.03	79.76
प्रोन्नति दर (Promotion Rate)	87.55	96.89
छात्र–शिक्षक अनुपात (PTR) (राजकीय माध्यमिक विद्यालय)	12	16
ठहराव दर (Retention Rate) (Secondary)	95.33	96.89
(GPI) (Secondary)	0.99	1.06
(Gender Gap) (Secondary)	5.52	3.05

(स्रोत – यू-डायस 2022–23)

तालिका–20.3

राज्य में स्थित विद्यालयों का विवरण–

क्र.सं.	विद्यालय का स्तर	राजकीय	अशासकीय सहायता प्राप्त	मान्यता प्राप्त एवं अन्य	योग
1	हाईस्कूल	906	65	431	1402
2	इण्टर कालेज	1406	342	912	2660
योग		2312	407	1343	4062

(स्रोत 2023–24 यू-डायस)

तालिका–20.4
माध्यमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन

स्तर	राजकीय	अशासकीय सहायता प्राप्त	मान्यता प्राप्त एवं अन्य	योग
माध्यमिक	371839	136223	719448	1225799

(स्रोत 2023–24 यू0डाइस)

20.2.1 राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयः– वर्तमान में प्रत्येक जनपद में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय व सहशिक्षा के केन्द्र हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 3510.20 लाख की स्वीकृत के सापेक्ष ₹ 1936.61 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.2.2 राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयः– प्रदेश के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभावान बालक / बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु 04 जनपदों (नैनीताल के बेतालघाट, पिथौरागढ़ के बेरीनाग, चमोली के जोशीमठ, पौड़ी के जयहरीखाल) में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना हेतु ₹ 76.40 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 30.96 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.2.3 क्लस्टर विद्यालयों की स्थापनाः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छात्र–छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत कुल 559 उत्कृष्ट विद्यालयों (Centre For Excellence) की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण हेतु में ₹ 150.56 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 150.56 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.2.4 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकः– माध्यमिक स्तर पर राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त (अशासकीय) विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–9 से 12 तक के समस्त छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अध्ययनरत् सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का विवरण निम्न प्रकार है–

तालिका–20.5

वर्ग	छात्र संख्या	पाठ्य–पुस्तकों की संख्या	व्यय धनराशि
सामान्य	233577	2300430	347985468
अनु0 जाति	108266	1083335	163299329
अनु0 जनजाति	11229	134546	20347650
कुल योग	**353072**	**3518320**	**531632467**

स्रोतः माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.2.5 साईकिल योजना:– कक्षा–08 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा 09 में प्रवेशित छात्राओं को साईकिल का क्रय करने हेतु अधिकतम ₹ 2850 की धनराशि प्रदान की जाती है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कक्षा–9 में अध्ययनरत् 49130 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

20.2.6 पं0 दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार:– छात्र–छात्राओं में पठन–पाठन की रूचि बढ़ाने एवं प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण विकसित किये जाने हेतु प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा घोषित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की परीक्षा में टॉप–10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हाईस्कूल स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमश: 15000, 11000, 9000 तथा चतुर्थ से दसवें स्थान तक ₹ 5100 की धनराशि का नकद पुरस्कार तथा इसी प्रकार इण्टरमीडिएट स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को क्रमश: 21000, 15000, 11000 तथा चतुर्थ से दसवें स्थान तक ₹ 5100 की धनराशि का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024–25 में इस योजनान्तर्गत 71 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

20.2.7 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई भौतिक सुविधायें:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान तक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को निम्न भौतिक सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है:–

- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 12393 विद्यार्थियों के लिये फर्नीचर क्रय हेतु ₹ 2.4786 करोड़ (दो करोड़ सैंतालीस लाख छियासी हजार) की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी।
- 40 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों निर्माण किये जाने हेतु ₹ 1.94 करोड़ (एक करोड़ चौरानबे लाख) की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी।
- 24 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 160 कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹ 0.72 करोड़ (बहत्तर लाख) की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी।
- 66 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वृहद मरम्मत/भवन निर्माण/प्रयोगशाला निर्माण हेतु ₹ 4955.27 लाख की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी।

20.2.8 मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 6–12):– राज्य के राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) के छात्र–छात्राओं को क्रमोत्तर विद्यालयों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने एवं छात्र ड्राप आउट को रोकने के दृष्टिगत कक्षा 6 से 12 तक के छात्र–छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत है:–

तालिका–20.8

कक्षा	छात्रवृत्ति	अवधि
कक्षा–06	₹ 600 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–07	₹ 700 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–08	₹ 800 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–09 व 10	₹ 900 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–11	₹ 1200 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)
कक्षा–12	₹ 1200 प्रतिमाह	(अधिकतम 1 वर्ष)

स्रोत: माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.2.9 शैक्षिक भ्रमण योजना– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विकासखण्डवार 02–02 छात्र–छात्राओं को भ्रमण कराये जाने हेतु ₹ 50.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को भारत दर्शन–शैक्षिक भ्रमण करवाया जायेगा, जिससे एक ओर जहां छात्र–छात्राओं के बौद्धिक स्तर का विकास होगा वहीं दूसरी ओर छात्र–छात्राओं का व्यावहारिक ज्ञान भी बढ़ेगा।

20.2.10 मॉडल स्कूल– शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षक शैक्षिक परिवेश हेतु विद्यालय सौन्दर्यीकरण, शैक्षिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं संस्थाओं में कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में माध्यमिक स्तर के 02 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। इस प्रकार कुल 190 मॉडल स्कूल वर्तमान में संचालित किये जा रहे है। वर्ष 2024–25 में ₹ 105.00 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 34.37 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

20.2.11 अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना– छात्र/छात्राओं को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने तथा प्रतिस्पर्धा के लिए सुदृढ़ रूप से तैयार किये जाने के उद्देश्य से "अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना" संचालित की गयी है। 189 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर उन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है। वर्ष 2024–25 में ₹ 611.13 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

20.3 उच्च शिक्षा (Higher Education)

माध्यमिक शिक्षा के बाद दी जाने वाली शिक्षा में कॉलेज, विश्वविद्यालय, और पॉलिटेक्निक जैसे संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों से स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, और प्रमाणपत्र जैसे शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान ज्ञान, कौशल, और योग्यता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और योग्यता को विकसित समाज के सक्रिय सदस्य बनने में सक्षम बना सकते हैं।

तालिका 20.7

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2000 से 2024 तक प्राप्त उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण

क०सं०	उच्च शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां	वर्ष 2000	वर्ष 2024
1	उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना	संयुक्त निदेशक कार्यालय हल्द्वानी	1. उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, नवाबखेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल)। 2. क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, दून विश्वविद्यालय परिसर, देहरादून।
2	उच्च शिक्षा निदेशालय में पदों का विवरण	17 पद	65 पद
3	उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत महाविद्यालयों की संख्या	34	117
4	महाविद्यालय के भवनों की स्थिति	30 महाविद्यालयों के अपने भवनों में संचालित	112 महाविद्यालयों के अपने भवनों में संचालित
5	स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या	36	38
6	शिक्षकों के स्वीकृत पदों का विवरण	1105	2298
7	शिक्षणेत्तर कर्मियों के पदों का विवरण	1066	2176
8	राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या	02	05
9	नैक प्रत्यायन महाविद्यालयों की संख्या	0	39
10	संचालित छात्रवृत्तियों का विवरण	0	1. प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की कोचिंग हेतु विशेष आर्थिक सहायता। 2. एन०डी०ए०, आई०एम०ए०, ओ०टी०ए०, आई०एन०ए०, आई०ए०एफ० में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना। 3. मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। 4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियाँ। 5. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति।
11	शोध प्रोत्साहन योजना	0	1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन। 2. मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना। 3. राज्य विश्वविद्यालय परिसर एवं शासकीय महाविद्यालयों में पीएच०डी० में पंजीकृत शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना।
12	उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन योजना	0	1. उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञान वर्धन प्रशिक्षण योजना। 2. देवभूमि उद्यमिता योजना

तालिका 20.8

वर्ष 2024–25 में उच्च शिक्षा विभाग से संचालित विभिन्न विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाएं

क्रमांक	जनकल्याणकारी, स्वरोजगारपरक, एवं विकासपरक योजनाओं का नाम	योजना का लाभ	वर्ष					
			2023–24			2024–25		
1	2	3	स्वीकृत बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत बजट	व्यय	लाभार्थियों की संख्या
1	राज्य के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की कोचिंग हेतु विशेष आर्थिक सहायता योजना।	राज्य लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण को रू0 50,000/– तथा संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण को रू0 100000/–	56.50 लाख	56.50 लाख	113	150.00 लाख	73.50 लाख	74
2	एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, आई0एन0ए0, आई0ए0एफ0 में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना।	50,000/– प्रति अभ्यर्थी	70.50 लाख	70.50 लाख	141	75.00 लाख	64.50 लाख	129
3	मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।	**NIRF (National Institutional Ranking Framework) रैंकिंग में शीर्ष 50 विश्वविद्यालय/संस्थान** में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले 100 छात्रों हेतु योजना।	वर्ष 2024–25 से लागू, कुल बजट 60 लाख **(NIRF रैंकिंग में शीर्ष 50 विश्वविद्यालय/संस्थान)**					
4	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	स्नातक प्रथम- 3000/– द्वितीय-2000/– तृतीय-1000/– स्नातकोत्तर प्रथम -4000/– द्वितीय-3000/– तृतीय-2000/–	642.70 लाख	773.76 लाख	2610	10 करोड़	8.70 करोड़	2200
5	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना	शोध हेतु अनुदान राशि की अधिकतम सीमा **रू0 15 लाख** तक होगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढ़ाते हुए कुल रू0 18 लाख तक प्रस्तुत किया जा सकता है।	200 लाख	200 लाख	44 प्रस्ताव	200 लाख	–	–

6	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण योजना	राज्य के प्रत्येक जनपद के महाविद्यालय की अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।	30.90 लाख	30.90 लाख	–	30.90 लाख	30.90 लाख	–
7	देवभूमि उद्यमिता योजना	ई०डी०आई०आई० अहमदाबाद के सहयोग से उद्यमिता एवं कौशल विकास संबंधित पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इन्टर्नशिप को सम्मिलित करते हुए उद्यमिता कौशल, स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना।	711.95 लाख	711.95 लाख	12500 छात्रों द्वारा प्रतिभाग। 82 फैकल्टी मेन्टर प्रशिक्षित किये गये 10 महाविद्यालयों में सेन्टर और इकोसिस्टम बनाया जाना।	711.95 लाख	–	–
8	नैक ग्रेडिंग के आधार पर प्रोत्साहन योजना। The National Assessment and Accreditation Council (NAAC)	राज्य के विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों को नैक में उच्च ग्रेडिंग हेतु प्रोत्साहित करना।	01 करोड़ 02 लाख	01 करोड़ 02 लाख	19 राजकीय महाविद्यालयों को नैक की ग्रेडिंग के अनुसार	244.54 लाख	–	–
9	मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना।	राज्य में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से संचालित।	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान कुल बजट – 10 लाख					
10	उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञान कौशल प्रशिक्षण योजना।	छात्र-छात्राओं को प्रतिष्ठित संस्थानों में शैक्षिक भ्रमण हेतु योजना।	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान कुल बजट – 10 लाख					
11	विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना।	महाविद्यालयों के मेधावी छात्रों को शैक्षिक भारत भ्रमण योजना।	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान कुल बजट – 20 लाख					
12	मुख्यमंत्री कोचिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति।	राज्य के मेधावी छात्रों को भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन हेतु योजना।	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान कुल बजट – 200 लाख					

13	राज्य विश्वविद्यालय परिसर एवं शासकीय महाविद्यालयों में पीएचडी० में पंजीकृत शोधार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना।	₹ 5000/– प्रति माह।	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान

20.3.1 वर्ष 2024–25 में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का विवरण– प्रदेश के 59 राजकीय महाविद्यालयों में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को बेहतर रोजगार देने के उद्देश्य से मूल्य संवर्द्धन रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है। देवभूमि उद्यमिता योजना के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को उद्यमिता गुणों के विकास, कौशल विकास एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्राध्यापकों (वर्तमान तक 92 प्राध्यापकों) को उद्यमिता हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत 12500 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रति वर्ष 20 छात्रों को अपने स्टार्टअप हेतु ₹ 75000.00 प्रति छात्र का सीड फंड वितरित किया गया है।

व्यवसायिक संचालित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2019 से वर्तमान तक उपलब्ध कराये गये स्वरोजगार का विवरण–

चार्ट 20.2

स्रोत: उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 में किए जा रहे प्रमुख कार्य

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों सहित समस्त हित धारकों को समयबद्ध रूप से वांछित सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न डिजिटल प्रयास किए जा रहे हैं।

- समर्थ पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार पर उच्च शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों का पंजीकरण।
- समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही शासकीय महाविद्यालयों के अर्ह शिक्षकों की कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत व्यक्तिगत प्रोन्नति प्रक्रिया ऑनलाइन।
- उच्च शिक्षा विभाग के वेबसाइट का नवीकरण, (Learning Management System) का निर्माण।
- एन0आई0सी0 भारत सरकार के सहयोग से राज्य में ई–ग्रंथालय के अंतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालय पंजीकृत, समस्त विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान, 16 लाख से अधिक की पुस्तकें सूचीबद्ध, कॉपीराइट मुक्त पाठ्य सामग्री सुलभ कराना।
- समस्त महाविद्यालयों का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर पंजीकरण करवाना।
- समस्त शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं एवं प्राध्यापकों हेतु अमृता विश्वविद्यालय केरल के सहयोग से वर्चुअल लैब की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- वर्ष 2024–25 में दो राजकीय महाविद्यालय, जनपद हरिद्वार के बहादुरपुर जट क्षेत्र में स्वीकृत 21 पदों के साथ एवं जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत लामा (लोस्तु बडियार) में 10 पदों के नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2024–25 में राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी, यमकेश्वर में विज्ञान संकाय के संचालनार्थ 14 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- राजकीय महाविद्यालय, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग में बी0एस0सी0 जीव विज्ञान की कक्षाओं के संचालन हेतु राजकीय महाविद्यालय जैंती से 07 पदों को हस्तांतरित किया गया है।
- वर्ष 2024–25 में नवीन राजकीय महाविद्यालय बहादुरपुर जट, हरिद्वार के संचालनार्थ 1.3010 हैक्ट0 भूमि प्राप्त कर भवन निर्माण हेतु ₹ 898.24 लाख का आंगणन एस0ए0एस0सी0आई0 (Scheme for Special Asistance to State for Capital Investment) योजना के अन्तर्गत है।
- वर्ष 2024–25 में राजकीय महाविद्यालय नानकमत्ता हेतु 2.158 हैक्ट0 भूमि प्राप्त की गयी एवं राजकीय महाविद्यालय गदरपुर, उधमसिंह नगर हेतु 1.7710 हैक्ट0 भूमि प्राप्त की गयी है।
- वर्ष 2024–25 में नवीन राजकीय महाविद्यालय, मोरी, उत्तरकाशी के भवन निर्माण हेतु ₹ 512.12 लाख के अनुमोदन के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में ₹ 204.84 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- उच्च शिक्षा विभाग हेतु विद्या समीक्षा केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु ₹ 485.09 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में ₹ 194.036 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इन्फोसिस, बैंगलुरु के साथ MoU समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है।

20.3.2 वित्तीय वर्ष 2023–2024 के अन्तर्गत मुख्य क्रियाकलापों का प्रगति विवरण:–

- राज्य के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता सुनिश्चित हेतु मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु कुल 19 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट ग्रेड लाने पर ₹1.02 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है।
- **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना:–** विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है। वर्ष 2023–24 में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को अपने–अपने महाविद्यालयों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर कुल 2610 को सात करोड़ तिहत्तर लाख छिहत्तर हजार रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्गत की गयी।
- **आर्म्ड फोर्स में चयनित अभ्यर्थियों को पुरस्कार योजना :–** इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे युवा जो एन0डी0ए0/आई0एम0ए0 व अन्य सैन्य सेवाओं में अधिकारी के रूप में चयनित होते हैं, उनको ₹ 50000/– मात्र की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। वर्ष 2023–24 में कुल 141 चयनित अभ्यर्थियों को सत्तर लाख पचास हजार रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्गत की गयी।
- **संघ/राज्य लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता योजना :–** संघ लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं (NDA, CDS, OTA, Indian Naval Academy, Indian air Force Academy etc) की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹ 1,00,000/– तथा राज्य लोक सेवा आयोग समूह 'क' एवं 'ख' संवर्ग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ₹ 50,000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023–24 में कुल 113 चयनित अभ्यर्थियों को छप्पन लाख पचास हजार रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्गत की गयी।
- **मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना :–** उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के शोध हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गयी है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा ₹15 लाख तक होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढ़ाते हुए कुल ₹ 18 लाख तक अनुमन्य किया जा सकता है। वर्ष 2023–24 में कुल 44 प्राध्यापकों को ₹ 02 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी।
- **अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण योजना:–** राज्य के प्रत्येक जनपद के महाविद्यालय को अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2023–24 में छात्र–छात्राओं को अट्ठाइस लाख पचास हजार रूपये की धनराशि निर्गत की गयी।
- **देवभूमि उद्यमिता योजना:–** महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को ई0डी0आई0आई0 (Entrepreneurship Development Institute of India) अहमदाबाद के सहयोग से उद्यमिता एवं कौशल विकास संबंधित पाठ्यक्रम, गतिविधि एवं इन्टर्नशिप को सम्मिलित करते हुए उद्यमिता

कौशल, स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतु देवभूमि उद्यमिता योजना संचालित की गयी है। वर्ष 2023–24 में छात्र–छात्राओं हेतु ई0डी0आई0आई0, अहमदाबाद को ₹ 711.65 लाख की धनराशि निर्गत की गयी। कुल 12500 छात्रों का पंजीकरण करते हुए प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

20.4 तकनीकी शिक्षा (Technical Education)

राज्य के आर्थिक विकास में पिछले कुछ दशकों में प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र ने महत्वपूर्ण प्रगति कर न केवल कौशल विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि रोजगार के अवसरों को भी सृजित किया है। प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

राज्य के गठन (2000) से पूर्व मात्र 15 प्राविधिक संस्थानों के सापेक्ष वर्तमान में 71 प्राविधिक संस्थानों में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कम्प्यूटर साइंस और फार्मेसी में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत नये पाठ्यक्रमों और क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू करने की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही कई निजी प्राविधिक संस्थान भी स्थापित हुए, जो राज्य के विभिन्न जिलों में छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

वर्तमान में प्राविधिक संस्थानों को एन0बी0ए0 (National Board of Accreditation) मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है साथ ही शिक्षकों को उन्नत तकनीकी विषयों और डिजिटल उपकरणों में प्रशिक्षित करने हेतु उच्च स्तरीय संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली, सी–डैक मोहाली, एन0आई0टी0, टीटीआर चंडीगढ़, इनफोसिस, ईएसटीसी कानिया आदि के सहयोग से नवीनतम प्रशिक्षण उन्नत कौशल तकनीकी, आधुनिक शिक्षण विधियों और उद्योग की नवीनतम आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इससे न केवल अध्यापकों की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि छात्रों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

चार्ट 20.3
विभिन्न जनपदों में संचालित राजकीय प्राविधिक संस्थाओं का विवरण

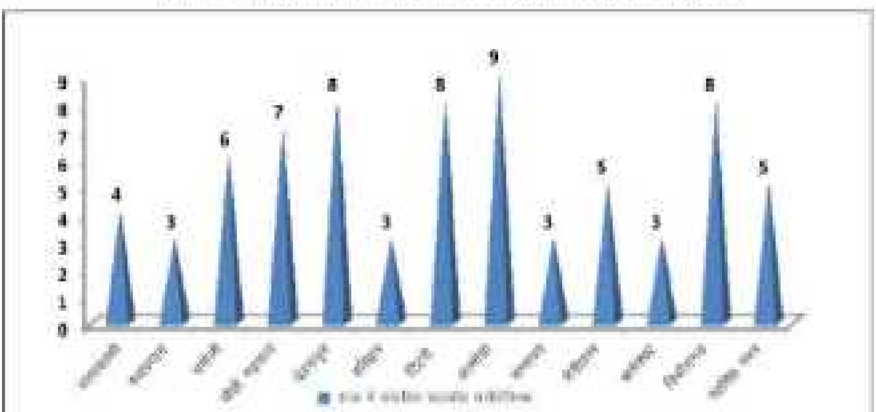

स्रोत: प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

चार्ट 20.4

प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित जनपदवार प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश की स्थिति 2023–24

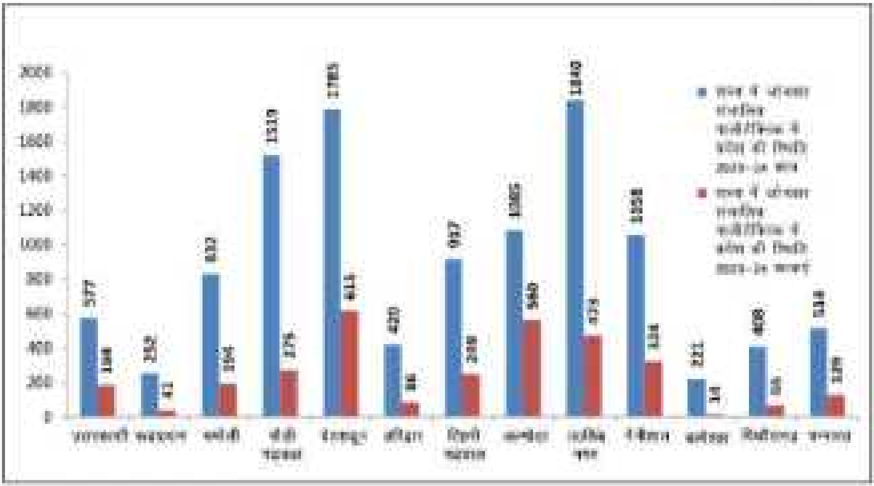

स्रोत: प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

चार्ट 20.5

उत्तराखण्ड में संचालित राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राविधिक संस्थाओं में प्रवेश की स्थिति 2023–24

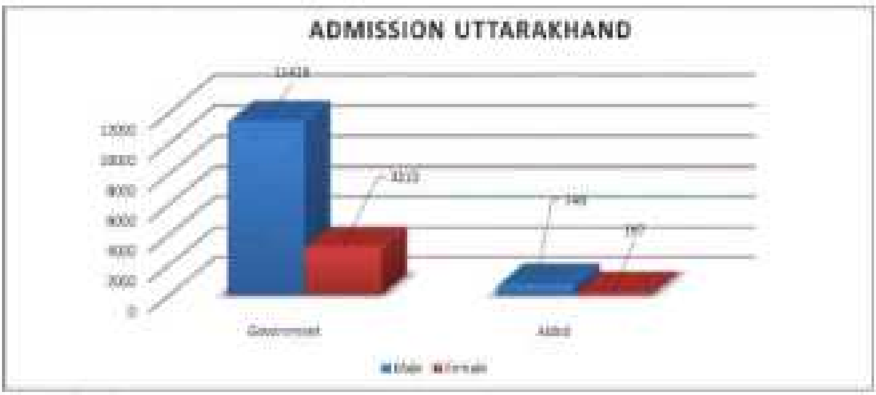

स्रोत: प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

वर्ष 2023–24 में विभिन्न सेक्टर (Agriculture, Automobile, Cement, Construction, Electrical, Electronics, Fire Safety, Health, Heavy Machinary, Home Appliances ,Information Technology, Heavy Machinary,Outsourcing, Paper Industry, Pharmaceuticals, Pipe Industry, Rubber Industry, Skill Development) के अन्तर्गत रोजगार के लिये चयन किया गया।

20.4.1 विभाग के अंतर्गत संचालित योजनायें:– नाबार्ड योजना / अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 10 संस्थाओं में ₹ 2507.86 लाख की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है–

तालिका–20.7

क्र०सं०	कार्यों का विवरण	(धनराशि लाख में)
1	रा०पा० नरेन्द्रनगर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	270.24
2	रा०पा० श्रीनगर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	275.84
3	रा०पा० उत्तरकाशी में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	235.03
4	रा०म०पा० देहरादून में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	255.00
5	रा०पा० हरिद्वार में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	232.27
6	रा०पा० पौड़ी में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	269.10
7	रा०पा० लोहाघाट में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	188.65
8	रा०पा० काशीपुर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	307.26
9	रा०पा० नैनीताल में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	274.58
10	अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक कालसी में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कार्य	199.89
	कुल योग	2507.86

स्रोतः प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.4.2 नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० (Rural Infrastructure Development Fund)योजना के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, नरेन्द्रनगर में ए०आई०सी०टी०ई० (All India Council for Technical Education)के मानकों को पूर्ण कराये जाने हेतु ₹ 3272.72 लाख की लागत से भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

नाबार्ड की आर० आई० डी० एफ० योजना के अन्तर्गत ही राजकीय पालीटेक्निक, कोटीखाल में ए० आई० सी० टी० ई० के मानकों को पूर्ण कराये जाने हेतु ₹ 477.10 लाख की लागत से भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नाबार्ड की आर० आई० डी० एफ० योजना में निम्नलिखित 02 संस्थाओं में ₹ 1135.09 लाख की लागत से छात्रावासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है–

तालिका–20.8

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	स्वीकृत लागत (धनराशि लाख में)
1	रा०पा० नरेन्द्रनगर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	**710.49**
2	रा०पा० श्रीनगर में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।	**424.60**
	कुल योग	**1135.09**

स्रोतः प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

20.4.3 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना – योजना के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक, काशीपुर तथा राजकीय पालीटेक्निक पन्तनगर में पी०सी०आई०/ ए० आई० सी० टी० ई० के मानकों को पूर्ण कराये जाने हेतु ₹ 1363.22 लाख की लागत से भवनों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2022–23 से राजकीय पॉलीटेक्निक, अम्बाला, देहरादून/आई०आर०डी०टी० देहरादून में Aircraft Maintenance Engineering में डिप्लोमा कोर्स का संचालन।

20.4.4 उत्तराखण्ड तकनीकी उद्यम–क्रांति अभियान:– युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्ट–अप नीति 2023 का उद्देश्य नौकरी प्रदाताओं के रूप में अवसर प्रदान करना है। उत्तराखंड में 71 राजकीय एवं 01 सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक हैं जहां से हर साल कई छात्र डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। इन संस्थानों को छात्र तकनीकी–उद्यम के केंद्र के रूप में मजबूत किया जा सकता है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के साथ किये जाने वाले करार में मुख्यतः निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित है–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत उद्यमिता को एक नियमित विषय के रूप रखना।
- तकनीकी–सक्षम व्यावसायिक अवसरों पर परियोजना प्रोफाइल तैयार करना।
- जागरूकता निर्माण और संवेदीकरण।
- राज्य में टेक–वेंचर समिट, हैकथॉन, प्रदर्शनियों और इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन।
- उद्यम क्रांति केंद्र की स्थापना।
- प्रमुख पॉलिटेक्निक में माइक्रो–बिजनेस इनक्यूबेशन हेतु पहल।
- टेक–आधारित स्केलेबल उद्यमों का चयन करने के लिए समर्थन।

- **20.4.5 भारत सरकार द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता योजना (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित):–**

- वर्ष 2023–24 में 14 पॉलीटेक्निक संस्थानों हेतु ₹155.00 लाख की धनराशि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।
- वर्ष 2009 से वर्तमान तक 52302 युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया, जिनमें से लगभग 7838 लाभार्थियों को स्वरोजगार एवं 9340 प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया।

20.5 संस्कृत शिक्षा (Sanskrit Education)

विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत अन्य भाषाओं की तुलना में अत्यन्त समृद्ध है, इसका महत्व भाषा के रूप में नहीं अपितु इसमें वर्णित तथ्यात्मक ज्ञान से है। भारत की अमूल्य धरोहर संस्कृत की पाण्डुलिपियों तथा अभिलेखों को संकलित कर वैज्ञानिक विधियों से संरक्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी क्रियाशील है।

वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 104 संस्कृत विद्यालय संचालित है।

20.5.10 राजकीय संस्कृत विद्यालयों का सुदृढीकरण–

वर्तमान में संस्कृत विद्यालयों में प्रवेशिका(कक्षा 1) से उत्तर मध्यमा (इण्टर) स्तर तक के पाठ्यक्रम परम्परागत विषयों हेतु सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा पाठ्यक्रम एवं आधुनिक विषयों हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम संचालित है। राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में कक्षा–1 से 12 तक के लाभार्थियों को पाठ्य पुस्तकें क्रय किये जाने हेतु प्रत्यक्ष लाभान्तरण (डी0बी0टी0) के माध्यम से धनराशि भुगतान किये जाने की योजना संचालित है।

20.5.2 उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय–

प्रदेश में विश्वविद्यालय से 43 संस्कृत महाविद्यालय (शास्त्री/आचार्य) एवं अन्य 38 संस्थायें सम्बद्ध हैं जिन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ–साथ परम्परागत विषयों जैसे हिन्दी, इतिहास आदि

पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता दी गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम रोजगारपरक है।

विद्यावारिधि (पीएच.डी.):– विश्वविद्यालय में विद्यावारिधि (पीएच.डी. पाठ्यक्रम) एवं विशिष्टाचार्य (एम०फिल०) पाठ्यक्रम संचालित है।

उपलब्ध सुविधायें:– विश्वविद्यालय में केन्द्रीय पुस्तकालय/ई–लाईब्रेरी, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०), कम्प्यूटर प्रयोगशाला, छात्रावास, शोध (पीएच.डी.) छात्रावास, परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ, परामर्श एवं निर्देशन प्रकोष्ठ, शोध छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध है।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रमुख उपलब्धियां वर्ष 2024–25

1– उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में ₹495.28 लाख की लागत से अतिथि गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

अतिथि गृह की हस्तान्तरण की कार्यवाही गतिमान है।

2– उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में ₹274.96 लाख की लागत से कुलपति आवास का निर्माण कार्य हो रहा है।

प्रथम किश्त के रूप में ₹ 109.984 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

3– उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में ₹1657.38 लाख की लागत से 150 क्षमता का बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹ 500.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

20.6 नर्सिंग संस्थान

20.6.1 संचालित पाठ्यक्रम:–

- **एन०पी०एम०(Nurse Practitioner in Midwifery) प्रोग्राम:–** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में एन०पी०एम० पाठ्यक्रम की 30 सीटें संचालित है, जिसमें नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ ओपीडी एवं प्रसूति करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

संस्थान से उत्तीर्ण होने वाले अधिकतर विद्यार्थी देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान जैसे एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कोर तथा विभिन्न चिकित्सालयों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होकर अपनी सेवायें दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थी सीएचओ (Community Health Officer) के माध्यम से राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों में केवल एम्स में ही 70 से 90 प्रतिशत छात्र–छात्रों का नर्सिंग आफिसर के पद पर चयन हुआ है जो कि संस्थान की बड़ी उपलब्धि है।

20.6.2 बेसिक बी०एस–सी० (नर्सिंग):– बेसिक बी०एस–सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी को कक्षा 11 व 12 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में यू0जी0/पी0जी की सीटों का विवरण:-

तालिका-20.9

क0सं0	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	यू0जी0 सीट/प्रति वर्ष	पी0जी0 सीट/प्रति वर्ष
01	राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	एम0बी0बी0एस0	150	एम0डी0/एम0एस0-24 डिप्लोमा पोस्ट(NBS)- 39 पोस्ट डिप्लोमा (DNB) - 03 पोस्ट(MBBS)डिप्लोमा-14
02	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	एम0बी0बी0एस0	125	66
03	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून	एम0बी0बी0एस0	150	83
04	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा	एम0बी0बी0एस0	100	-
05	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार	एम0बी0बी0एस0	100	-

स्रोत: चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड

अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है एवं प्रत्येक विषय में 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्तमान तक स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम के 07 बैचों में लगभग 473 छात्र-छात्रायें उत्तीर्ण हो चुके है। पूर्व में स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में 60 सीट स्वीकृत थी, जो वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण 06 सीट एवं जम्मू कश्मीर हेतु Prime minister Special Scholarship scheme के अन्तर्गत 05 सीट कुल बढ़कर 71 सीट हो गयी।

20.6.3 पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 (नर्सिंग):- अभ्यर्थी को जी0एन0एम0(General Nursing and Midwifery) डिप्लोमा प्रमाण पत्र एवं आर0एन0 (Registered Nurse) और आर0एम0(Registered Midwife) के साथ राज्य नर्सिंग परिषद् से पंजीकृत होना चाहिए। उक्त कोर्स वर्ष 2010 से पी0बी0 बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम 30 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 10 सीट चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्टाफ नर्स के लिए आरक्षित है। वर्तमान में पोस्ट बेसिक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण 03 सीट कुल बढ़कर 33 सीट हो गयी है। पोस्ट बेसिक बी0एस-सी0 नर्सिंग के 10 बैच पास आउट हो चुके है। जिनमें लगभग 256 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो कर विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवायें दे रहे है।

20.6.4 एम0एस0सी0 नर्सिंग:- राजकीय नर्सिंग कॉलेज, चन्दर नगर, देहरादून में शैक्षणिक सत्र 2013-14 से एम0एस0सी0 नर्सिंग, पाठ्यक्रम 18 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण- 02 सीट, कुल 20 सीट हो गयी है। वर्तमान तक एम0एस-सी0 नर्सिंग के कुल 07 बैच पास आउट हो चुके है, जिनमें कुल 133 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो कर विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवायें दे रहे है। वर्ष 2024 में एम0एस-सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की राजकीय नर्सिंग कॉलेज, चमोली में 25 सीट, पौड़ी में 25 सीट, हल्द्वानी में 25 सीट,

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का विवरण

तालिका–20.10

क्र0 सं0	राजकीय पैरामेडिकल कॉलेज-04 निजी पैरामेडिकल कॉलेज-72	क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि (वर्ष में)	राजकीय पैरामेडिकल संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटें	निजी पैरामेडिकल संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटें	कुल स्वीकृत सीटें
		01	BMLT	03	105	2299	2404
		02	BMRIT	03	105	1915	2020
		03	BOTT	03	105	808	913
		04	BPT	04	—	1747	1747
		05	B.Sc. MM	03	—	788	788
		06	B.Sc.Optometry	03	—	315	315
		07	M.Sc. MLT	02	—	245	245
		08	MPT	02	—	755	755
		09	M.Sc. MM	02	—	112	112
		10	BASLP	01	—	73	70
		Total			315	6588	6903

स्रोत: चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड

अल्मोड़ा में 25 सीट एवं स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में 10 सीट की वृद्धि की गयी है।

20.6.5 एन0 पी0 सी0 सी0 (Nurse Practitioners in Critical Care):– संस्थान 2021–22 से एन0पी0सी0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम 20 सीटों के साथ प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण– 02 सीट कुल 22 सीट हो गयी है। राजकीय अस्पतालों में क्रिटीकल केयर नर्सिंग प्रेक्टिस नर्स के रूप में उक्त विद्यार्थियों के द्वारा अपनी सेवायें दी जायेंगी।

अध्याय–21
स्वास्थ्य
Health

21.1 राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति–कुछ दशकों पूर्व स्वास्थ्य अधिकतम जनमानस के लिए प्राथमिकता का विषय नहीं था। किन्तु वर्तमान समय में जीवन शैली में हो रहे लगातार बदलाव एवं जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य सभी के जीवन का मुख्य पहलू है। यही ध्यान में रखते हुये, सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। स्वास्थ्य मानव विकास का एक मुख्य पहलू है।

21.1.2 स्वास्थ्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य पर बजट निरन्तर बढ़ाती जा रही है वर्ष 2021–22 में राज्य का स्वास्थ्य (एलोपैथी) का बजट प्राविधान रू0 3019.59 लाख था, जो कि 2022–23 में रू0 3992.51 लाख एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 5052.4 लाख हो गया है। उक्त बढ़ते हुये परिव्यय को राज्य के कुल बजट व कुल सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में निम्न चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है।

चार्ट 21.1

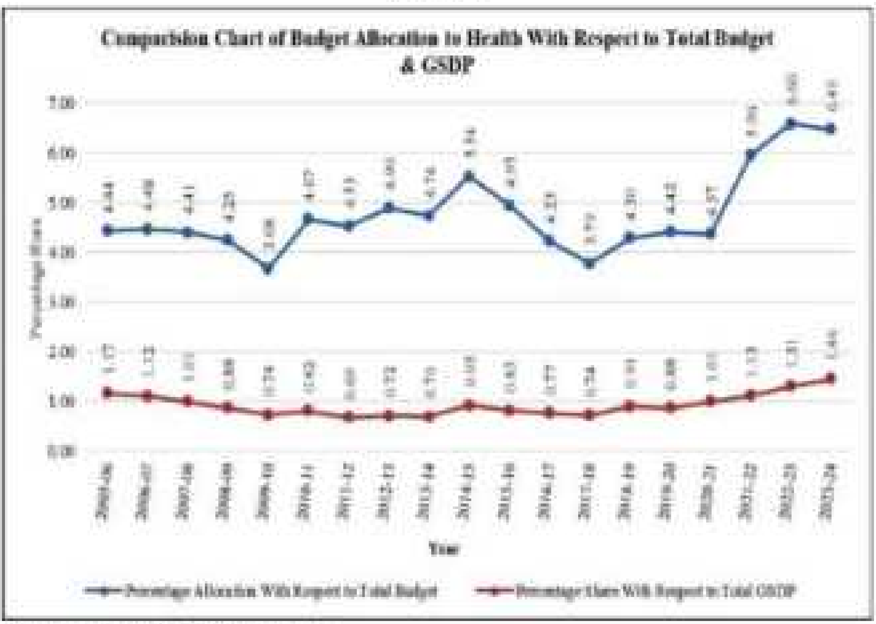

Source:- अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड

21.2 राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति—कुछ दशकों पूर्व स्वास्थ्य अधिकतम जनमानस के लिए प्राथमिकता का विषय नहीं था किन्तु वर्तमान समय में जीवन शैली में हो रहे लगातार बदलाव एवं जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य सभी के जीवन का मुख्य पहलू है। यही ध्यान में रखते हुये सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। स्वास्थ्य मानव विकास का एक मुख्य पहलू है। कतिपय मुख्य संकेतांकों के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका 21.1
स्वास्थ्य क्षेत्र के मुख्य संकेतांक

Sl. No.	Indicators	2016 -17	2020 -21	अद्यतन स्थिति
1	IMR	38 per 1000 Live births	27 per 1000 Live births	24 per 1000 Live births (SRS -2020)
2	MMR	201 per 1,00,000 Live births	103 per 1,00,000 Live births	103 per 1,00,000 Live births (SRS -2018 -20)
3	Institutional Delivery	69% NFHS -4	83.20% NFHS-5 (2019 -21)	82% (HMIS Data, April to Nov 2024)
4	Children (12 -23 Month) fully vaccinated	71%	88.60%	88.6% NFHS -5 (2019 -21)
5	4 ANC Visits	30.90% NFHS -4	61.80%	84% (HMIS Data, April to Nov. 2024)
6	All women age 15 -49 Years anemic	46.40% NFHS -4	40.90% NFHS -5 (2019 -21)	40.90% NFHS -5 (2019 -21)
7	Child Sex Ratio	888 NFHS-4 (2015-16)	984 NFHS -5 (2019 -20)	984 NF HS-5 (2019 -20)

Source:- Sample Registration System (SRS) Bulletin 2021.

21.2.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission, NHM):– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा नगरीय जनता, महिलाओं, बच्चों, किशोरों व वृद्धजनों के लिये बेहतर स्तर की स्वास्थ्य देखभाल और जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही इस मिशन के अन्तर्गत पेयजल, सफाई, स्वच्छता और पोषण के साथ समन्वय कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराना है। वर्ष 2024–25 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से है–

21.2.2 राष्ट्रीय वैक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम:– वर्ष 2024–25 में 20 दिसंबर 2024 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 623438 रक्त पट्टिकाओं का परीक्षण किया गया और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नहीं आया। इस वर्ष मलेरिया के 30 केस रिपोर्ट हुये हैं।

21.2.3 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम:– राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापकता दर नवम्बर, 2024 में 0.24 प्रति दस हजार रह गई है। वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर 2024) तक कुल 226 नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 194 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 279 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

21.2.4 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम:– कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 13 जिला क्षय नियन्त्रण केन्द्र, 95 टी0बी0यूनिट, 194 माईक्रोस्कोपिक केन्द्र और 131 NAAT Machine कार्यरत हैं। वर्ष 2024 में माह नवम्बर तक 27018 क्षय रोगियों को नोटिफाई किया गया है। राज्य के सभी जनपदों में कार्यक्रम संचालित है। वर्ष 2024 (माह नवम्बर तक) में अधिसूचना लक्ष्य दर 214 प्रति लाख आबादी के सापेक्ष 225 प्रति लाख प्राप्त हुई है।

21.2.5 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम:– यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माह नवम्बर 2024 तक 2892 बन्ध्याकरण, 17081 लूपनिवेशन, 5215 अन्तरा, 12481 ओ.सी.पी. तथा 25677 सी.सी. प्रयोगकर्ता हैं।

21.2.6 टीकाकरण कार्यक्रम:– वर्ष 2024–25 में कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका में प्रदर्शित है–

तालिका 21.2

वर्ष 2024–2025

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	**143688**	125421	87
2	पोलियो (O.P.V.)	**126174**	105170	86
3	[illegible]	**126174**	105431	84
4	[illegible]	**126174**	107340	85

5	रोटावायरस-3	**91610**	67929	74
6	मीजिल्स रुबेला	**126174**	118490	94

Source: HMIS माह नवम्बर, 2024 तक 95 प्रतिशत पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्राप्त किया गया है।

21.2.7 रक्त सुरक्षा कार्यक्रम:- प्रदेश में 64 रक्तकोष (ब्लड बैंक) और 20 रक्त संग्रहण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील हैं। नवम्बर 2024 तक राज्य में स्थापित रक्तकोषों द्वारा कुल 142170 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 72.91 प्रतिशत यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किया गया, तथा कुल 1530 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

21.2.8 राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (एन०पी०–एन०सी०डी०). राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख कैंसर, स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की जाँच हेतु Universal Screening For Common NCDs योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सामान्य एनसीडी के लिए 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को स्क्रीन करना जिससे गैर संचारी रोगों की समय से पहचान की जा सके तथा प्रारम्भिक अवस्था में उपचार प्रदान किया जा सके।

जनपदों में समस्त चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, ए०एन०एम० एवं आशा कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा घर–घर जाकर 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोग से सम्बन्धित लक्षणों की पहचान कर CBAC प्रपत्र में अंकित किया जा रहा है। जिसके पश्चात उन्हें स्क्रीनिंग हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र (Ayushman Arogya Mandir) पर लाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 21 दिसम्बर तक आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा 2228979 व्यक्तियों के CBAC प्रपत्र भरे गये हैं जिनकी CHO द्वारा गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की गयी। अद्यतिथि तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु के कुल 20.50 लाख व्यक्तियों की गैर संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख कैंसर, स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर आदि की जांच की गई तथा जांच में पाये गये रोगियों को उपचार हेतु उच्च चिकित्सा ईकाई पर संदर्भित किया गया।

21.2.9. बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE):– वृद्ध नागरिकों को बेहतर In-patient Departments (IPD) सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य के 13 जनपदों में 10 बेड के Geriatric Ward की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में अप्रैल से सितम्बर 2024 तक त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जिरिएट्रिक क्लीनिक में 136419 वृद्ध नागरिकों को ओ०पी०डी० तथा 11932 वृद्ध नागरिकों को आई०पी०डी० की सेवायें प्रदान की गई।

21.2.10 राष्ट्रीय ओरल हेल्थ प्रोग्राम (NOHP):– मुख स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किए जाने हेतु राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम राज्य के समस्त 13 जनपदों में संचालित है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुख स्वास्थ्य के निर्धारकों में सुधार करना, मुख स्वास्थ्य से सम्बन्धित रोगों से होने वाली रुग्णता को कम करना, मुख स्वास्थ्य संवर्धन और निवारक सेवाओं को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकृत करना तथा बेहतर मुख स्वास्थ्य हेतु सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) मॉडल को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार कुल 101748 मरीजों

के मुख से सम्बन्धित रोगों की जांच की गई।

21.2.11 मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)- राज्य में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु मानव संसाधन में Gap को दूर करने के लिए समस्त 13 जनपदों से कुल 33 चिकित्सकों को NIMHANS, Bengaluru के सहयोग से AIIMS Rishikesh में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही जनपद में एन0सी0डी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत कुल–100 कर्मियों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को AIIMS Rishikesh में NIMHANS, Bengaluru के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा वर्ष 2018–23 में 30 नये चिकित्सकों को AIIMS Rishikesh एवं NIMHANS, Bengaluru के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। चिकित्सकों द्वारा अपने सम्बन्धित जनपद में मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों को उपचार प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में AIIMS Rishikesh के सहयोग से समस्त 13 जनपदों से कुल 68 ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को Addiction Disorder Training Program हेतु प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर्स (प्रशिक्षित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी) सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को प्रशिक्षित करेंगे ताकि मानसिक रोगों हेतु रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और उपचार में योगदान दे सकें और देखभाल की निरंतरता में सुधार कर सकें।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में 21 दिसम्बर तक 11188 रोगियों को ओ0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गयी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, उत्तराखंड राज्य में टेलीपरामर्श के माध्यम से 24x7 मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में टेली मानस पहल शुरू की गई जिसके अन्तर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में राज्य टेली मानस सेल की स्थापना की गई।

21.2.12 बहरेपन के निवारण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPCD):–वित्तीय वर्ष 2024–25 में द्वितीय त्रैमास तक कुल 1736 व्यक्तियों के बहरेपन का परीक्षण किया गया तथा 1736 व्यक्तियों के बधिरता हेतु सर्जरी की गयी।

21.2.13 राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (NPCB):–वर्ष 2024–25 में नवम्बर 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की समस्त चिकित्सा इकाईयों तथा अनुबन्धित गैर सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से कुल 39498 मोतियाबिन्द अापरेशन किये गये। निःशुल्क चश्मे वितरण के अन्तर्गत स्कूल के छात्रों को 3860 व वृद्ध नागरिकों को 3770 चश्मे वितरित किये गये हैं।

21.2.14 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP):– वित्तीय वर्ष 2024–25 में त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार COTPA 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पाये गये 24789 व्यक्तियों का चालान किया गया, जिसमें धनराशि रू0 9,30,986.00 अर्थदण्ड के रूप में वसूली गयी। कुल 18327 व्यक्तियों को तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति परामर्श प्रदान किया गया, जिसमें से 1545 व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया गया। कुल 799 विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा 40465 छात्र–छात्राओं को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

21.2.15 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम –राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 2015–16 से राज्य के 06 जनपदों –देहरादून हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल में तथा

द्वितीय चरण में तीन जनपदों – अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग , कुल 09 जनपदों में कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राज्य के 17 लाख किशोर /किशोरियों को लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 70 किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों की स्थापना की गई है जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एवं हल्द्वानी, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित हैं। किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों के संचालन हेतु 74 किशोर स्वास्थ्य काउंसलरों की नियुक्ति की गई है। किशोर स्वास्थ्य परामर्श केन्द्रों में नवम्बर 2024 तक कुल 84005 किशोर–किशोरियों को परामर्श एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है।

21.2.16 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम:–राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क व न्यूनतम दरों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से वर्ष 2024–25 में दून चिकित्सालय, देहरादून, कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, मेला चिकित्सालय, हरिद्वार, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय, बागेश्वर, ट्रामा सेंटर, कर्णप्रयाग, संयुक्त चिकित्सालय, रुड़की, जी0बी0पंत चिकित्सालय, नैनीताल, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग, उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, जिला चिकित्सालय, चंपावत, जिला चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी एवं जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में कुल 19 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। संयुक्त चिकित्सालय, विकासनगर एवं उप जिला चिकित्सालय, धारचूला में भी कुल 02 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना का कार्य गतिमान है। कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में कुल 976 रोगियों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गयी। कुल 64,398 डायलिसिस सेशन किये गये हैं।

21.2.17 आयुष्मान आरोग्य मंदिर:- भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उच्चीकरण किया जाना है एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के 13 जनपदों में कुल 1939 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित किया गया है। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कुल 1607 में से 1488 उपकेन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में वर्ष 2024–25 में उच्चीकृत किया गया है। शेष उपकेन्द्रों में इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में उच्चीकृत कर लिया जायेगा। माह 21 दिसम्बर, 2024 तक कुल 1465 Community Health Officer कार्यरत है तथा शेष 142 रिक्त पदों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में भर लिया जायेगा। वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 12 सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं।

21.2.18 आशा कार्यक्रम :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकत्रियों के सापेक्ष 11896 कार्यरत है। वर्तमान में 11688 आशा कार्यकत्रियों के द्वारा नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओपन स्कूल के द्वारा आयोजित करायी गयी आशा सर्टिफिकेशन की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है। आशा सपोर्ट स्ट्रक्चर में आशा कार्यकत्रियों के कार्यों में सहयोगात्मक सुपरविजन हेतु 606 आशा फैसिलिटेटरों, 101 ब्लाक कोऑर्डिनेटर व 13 जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर का चयन किया गया है। आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त आशा कार्यकत्रियों व आशा फैसिलिटेटरों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए गये हैं जिससे कि आशाओं के द्वारा समुदाय को लोगों को ई–संजीवनी के द्वारा घर पर

ही ओ०पी०डी० की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आशाओं के द्वारा नवजात शिशु की घरों में देखभाल किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष एच०बी०एन०सी० किट एवं एच०बी०वाई०सी० ई०सी० किट उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष आशा कार्यकत्रियों को यूनिफार्म व आशा डायरी उपलब्ध करायी जाती है साथ ही आशा कार्यकत्रियों को प्रत्येक माह उनके फोन नम्बर पर Internet की Recharge हेतु धनराशि उनके बैंक खाते में निर्गत की जाती है।

21.2.19 वी०एच०एस०एन०सी०—राज्य के अन्तर्गत 14915 वी०एच०एस०एन०सी० (ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति) का गठन किया गया है। एक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में कम से कम 15 सदस्यों का चयन किया जाता है। समिति की अध्यक्ष गांव की महिला पंचायत प्रतिनिधि व सदस्य सचिव आशा कार्यकत्री होती है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार की जाती है, एवं स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं तथा समुदाय एवं जरूरत मंद लोगों को सहयोग प्रदान किया जाता है। समिति का मुख्य उद्देश्य समुदाय को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण पर जानकारी प्रदान करना व कार्यवाही करना होता है।

21.2.20 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission-NUHM)- नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इससे नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों में रोगियों का दबाव कम हुआ है तथा उन्हें निकटतम स्थान पर बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुल 37 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– आयुष्मान आरोग्य मंदिर (26 यू०पी०एच०सी० पी०पी०पी० मोड, एवं 11 गवर्नमेंट मोड) दिनांक 01 जून 2019 से संचालित किए जा रहे हैं तथा 01 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन दिनांक 25 फरवरी 2024 से किया जा रहा है।

तालिका 21.3

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के संचालन केन्द्र

क्र०सं०	शहर	संचालित 37 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 01 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का विवरण :–
1	देहरादून	1.अधोईवाला 2. बकरालवाला 3. भगत सिंह कॉलोनी 4. चूना भट्टा 5. दीपनगर 6. गांधीग्राम 7. जाखन 8.कारगी 9.खुडबुडा 10.माजरा 11.रैता मण्डी 12. सीमाद्वार।
2	ऋषिकेश	1. चंद्रेश्वर नगर 2. शान्ति नगर।
3	हरिद्वार	1.ज्वालापुर–1. 2.ज्वालापुर–2. 3.टिबड़ी 4.कनखल 5.रामधाम कालोनी 1. भूपतवाला (यू०सी०एच०सी०)
4.	रूड़की	1.आदर्शनगर 2.चन्द्रपुरी 3.गणेशपुर 4.माहीग्राम 5.पुरानी तहसील 6.सलेमपुर।
5.	हल्द्वानी	1.काठगोदाम 2. राजपुरा 3. शनि बाजार 4.बनभूलपुरा।
6.	रामनगर	1.रामनगर
7.	रूद्रपुर	1.ट्रांजिट कैम्प 2. रम्पुरा 3. खेड़ा
8.	काशीपुर	1.महेशपुरा 2. अली खान

9.	जसपुर	1.नई बस्ती
10	कोटद्वार	1.कोटद्वार

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 अप्रैल, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक कुल यू0पी0एच0सी0 की संख्या 37, कुल उपचारित व्यक्तियों की संख्या 572163, कुल पंजीकृत ए0एन0सी0 की संख्या 19370, यू0पी0एच0सी0 में कुल 93954 लैब टैस्ट, जबकि आउटसोर्स के माध्यम से कुल 128967 लैब टैस्ट किए गए है तथा कुल 5967 यू0एच0एन0डी0 हैं।

21.2.21 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम—राज्य के सभी 13 जनपदों में 148 मोबाईल हैल्थ टीमें कार्य कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा समाज कल्याण के समन्वय से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के तृतीयक स्तरीय शल्य चिकित्सा की व्यवस्था के तहत एम्स चिकित्सालय, ऋषिकेश, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, बरेली, दून चिकित्सालय, देहरादून, मेडिटरीना चिकित्सालय, देहरादून, श्री सत्य साई संजीवनी चिकित्सालय पलवल, हरियाणा, ग्राफिक एरा चिकित्सालय देहरादून, मिशन स्माइल एवं स्माइल ट्रेन देहरादून, क्योर इंडिया देहरादून/हल्द्वानी में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह नवम्बर तक 88 बच्चों के दिल का आपरेशन, 24 बच्चों का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, 39 बच्चों को कानों की मशीन, 17 बच्चों को आंखों में मोतियाबिंद, 78 बच्चों को कटे होंठ एवं तालु, 48 टेढ़े पैर वाले बच्चों को Special Shoes देकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

तालिका 21.4

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों में पंजीकृत बच्चों की स्क्रीनिंग (अप्रैल 2024 से नवम्बर 2024)

संस्था	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	प्रतिशत
पाठशाला	1027867	624639	61%
आंगनबाड़ी	1256572	676480	54%

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.2.22 – आपातकालीन 108 सेवा/ खुशियों की सवारी—राज्य में आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में कुल 272 एम्बुलेन्स (54 ए0एल0एस0, 217 बी0एल0एस0 व 01बोट एम्बुलेन्स) का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह नवम्बर 2024 तक कुल 96028 लाभार्थियों द्वारा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त की गई जिसमें 20794 गर्भवती महिलाएं भी सम्मिलित हैं। 461 बच्चों का जन्म इन एम्बुलेन्सों में हुआ। सड़क दुर्घटना के 7978 केस हुए है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के नवम्बर 2024 तक 32772 गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पश्चात नवजात शिशु सहित खुशियों की सवारी सेवा के 128 के माध्यम से चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क पहुँचाया गया है। 13367 गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड सेवाओं का लाभ प्रदान करवाये जाने हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई।

21.2.23 कोविड–19 वैक्सीनेशन कवरेज—भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार वर्तमान में 12 वर्ष से अधिक आयु के समस्त पात्र लाभार्थियों का कोविड–19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राज्य द्वारा दिनांक 31–01–2023 तक 20143372 वैक्सीन डोज लगायी जा चुकी है।

जिसमें 102.0 प्रतिशत प्रथम डोज, 96.8 प्रतिशत द्वितीय डोज एवं 28.2 प्रतिशत प्रीकाशन डोज लगायी जा चुकी है।

कोविड–19 वैक्सीन हेतु कोल्ड चेन प्वाइंट का विवरण:–राज्य में कोविड–19 वैक्सीन हेतु कुल 319 कोल्ड चेन प्वाइंट उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित संरचना के अनुसार है–

1. SVS (स्टेट वैक्सीन स्टोर)	1
2. RVS (रीजनल वैक्सीन स्टोर)	3
3. DVS (जनपद वैक्सीन स्टोर)	13
4. BVS (ब्लॉक वैक्सीन स्टोर)	26
5. Peripheral CCPs (कोल्ड चेन प्वाइंट)	327

समस्त जनपदों में कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत बनाने हेतु जनपद स्तर पर कोविड 19 वैक्सीन के भण्डारण एवं वितरण हेतु अतिरिक्त स्थान पहचान की जा चुकी है।

राज्य में वर्तमान में ILR (Ice Line Refrigerators), Deep Freezers, Walk in Cooler and Walk in Freezers की निम्नवत उपलब्धता है–

• ILR (Ice Line Refrigerators)	678
• Deep Freezers	619
• Walk in Cooler	07
• Walk in Freezers	04

21.2.24 उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19: एक दृष्टि में

- प्रदेश में वर्तमान समय तक (20.12.2024 तक) कुल 452788 कोविड–19 संक्रमित मरीज पाये गये हैं, जिनमें से 445010 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 98.28 है।
- वर्तमान में 20.12.2024 तक कोविड–19 संक्रमण के शून्य सक्रिय मरीज है। अतिथि तक कोविड मृत्यु मामलों की संख्या 7778 है।

21.2.25 क्वालटी एश्यूरेन्स कार्यक्रम– भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत राज्य में क्वालिटी एश्यूरेन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत NQAS, LaQshya एवं Kayakalp कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

अब तक उत्तराखण्ड राज्य में 13 NQAS National Certification एवं 20 LaQshya National Certification प्राप्त हुए है। इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक उत्तराखण्ड राज्य को भारत सरकार से 5 NQAS National Certification प्राप्त हुए हैं एवं 2 LaQshya National Certification प्राप्त हुए हैं। 22 चिकित्सा इकाईयों की NQAS National Assessment कराने हेतु रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। इसके साथ ही 15 अन्य चिकित्सा इकाईयाँ NQAS National Certification हेतु प्रक्रिया में है।

कायाकल्प विजेता चिकित्सा इकाईयों में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 144 चिकित्सा इकाईयों को कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में 174 चिकित्सा इकाईयों को कायाकल्प अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस वित्तीय वर्ष 2024–25 में कायाकल्प Peer Assessment सभी जनपदों में पूर्ण करा लिया गया है एवं कायाकल्प External Assessment होने की प्रक्रिया में है।

21.2.26 टैलीमेडिसिन

इस हस्तक्षेप के अन्तर्गत एचयूँ 19.29 करोड़ की लागत से 4 मेडिकल कॉलेज (हब) एवं 400 चिन्हित PHC (स्पोक) की माध्यम से दुरस्थ स्थानों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐजेन्सी द्वारा 400 स्पोक्स का भ्रमण कर निरीक्षण किया जा चुका है। 4 मेडिकल कॉलेज में इसका हब विकसित किया जा चुका है। उक्त 400 पीएचसी तथा 4 मेडिकल कॉलेज में आवश्यक उपकरण (टेबलेट, प्रिन्टर तथा इन्टरनेट व्यवस्था) एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त 400 पी0एच0सी0 तथा 4 मेडिकल कॉलेज हब के माध्यम से दिनांक 6 अगस्त से अतिथि तक 28000 कन्सलटेशन सफलता पूर्वक किये जा चुके है।

इसी क्रम उपरोक्त के अतिरिक्त 185 PHC (स्पोक) तक टैलीमेडिसिन सुविधा को विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे उत्तराखण्ड स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत संचालित सभी 585 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आच्छादित कर समस्त उत्तराखण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर पर टैलीमेडिसिन सुविधाए दी जा सकती है।

21.2.27 प्राईवेट लैब द्वारा कोविड–19 जांच की प्रतिपूर्ति –

उक्त के क्रम में DGHS द्वारा चयनित / ईम्पैनल्ड प्राइवेट लैब के साथ अनुबन्ध कर प्राईवेट लैब में RT PCR टेस्टिंग प्रतिपूर्ति का कार्य जारी है। इस क्रम में फेज 01 में 05 प्राईवेट लैबों के साथ अनुबन्ध के सापेक्ष 68856 टेस्ट कर लगभग 10,90,32,630 / – का भुगतान किया जा चुका है।

विश्व बैंक तथा प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित रू0 20.24 करोड़ के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार की अनुशंसा पर 2 निजी प्रयोगशालाओं के साथ आर0टी0पी0सी0आर0 जांच किये जाने के सापेक्ष रू0 11 करोड़ मूल्य के अनुबंध हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं। उक्त के सापेक्ष लगभग रू0 4.74 करोड़ के बिल प्राप्त हुये है जिनका भुगतान कर दिया गया है।

21.2.28 गहन चिकित्सा इकाई (ICU) की स्थापना –

विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में एवं मेडिकल कॉलेजों में कुल 60 करोड़ रूपये की लागत की विस्तृत अधिप्राप्ति योजना विश्व बैंक के अनुमोदनोपरान्त HLL द्वारा कुल 10 चिकित्सालयों / मेडिकल कॉलेजों कुल 169 शैयायें ICU को विकसित किया जा चुका है एवं हस्तान्तरण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

21.3 लोक निजी सहभागिता (PPP) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का विवरण:–

डायलिसिस यूनिट :–

21.3.1 लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership, PPP):– राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक सुलभ व प्रभावी बनाने हेतु लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership, PPP) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नांकित है:–

उत्तराखण्ड राज्य में नैफ्रो डायलिसिस यूनिट क्रमशः जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून एवं बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत स्थापित की गयी, जिसके अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं एच0आई0वी0 रोगियों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाती है।

21.3.2 जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) चिकित्सालय, देहरादून :–

नैफ्रोडायलिसिस यूनिट का अनुबन्ध संस्था मै0 नैफ्रोप्लस एवं विभाग के मध्य दिनांक 20 / 02 / 2021

को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार पुनः संस्था को 19/02/2024 से आगामी 02 वर्ष हेतु सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। संस्था द्वारा दिनांक 01/03/2021 से नवीन दर प्रति डायलिसिस रू0 1290/– (All Consumables) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त डायलिसिस सेन्टर में 25 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है।

तालिका 21.5

मार्च 2017 से 30 नवम्बर 2024 तक		
कुल डायलिसिस रोगियों की संख्या	कुल बी0पी0एल0 डायलिसिस रोगियों की संख्या	कुल आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या (वर्ष 2019 से)
113617	77791	33508
01 मार्च 2021 से 30 नवम्बर 2024 तक		
62605	39612	29010

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.3.3 बेस चिकित्सालय हल्द्वानी :–

21.3.4 नेफ्रोडायलिसिस यूनिट का अनुबन्ध संस्था मै0 नैफ्रोप्लस एवं विभाग के मध्य दिनांक 20/02/2021 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। संस्था द्वारा दिनांक 01/03/2021 से नवीन दर प्रति डायलिसिस रू0 1290/–(All Consumables) के अनुसार कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त डायलिसिस सेन्टर में 25 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है।

तालिका 21.6

मार्च 2017 से 30 नवम्बर 2024 तक		
कुल डायलिसिस रोगियों की संख्या	कुल बी0पी0एल0 डायलिसिस रोगियों की संख्या	कुल आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या (वर्ष 2019 से)
195430	84324	98720
01 मार्च 2021 से 30 नवम्बर 2024 तक		
88830	84403	77928

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

कार्डियक केयर यूनिट:–

21.3.4 पं0दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून :– इनवेसिव कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने हेतु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से नवीन संस्था M/S Meditrina Hospital Pvt. Ltd,Kerala का चयन किया गया है एवं विभाग एवं चयनित संस्था के मध्य दिनांक 16/03/2022 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था। अनुबन्ध के तहत नवीन चयनित संस्था द्वारा राज्य के बी0पी0एल0 जनमानस को सी0जी0एस0एस0 की दर पर 12 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, जिसका भुगतान विभाग द्वारा किया जाना है।

तालिका 21.7

दिनांक 28 मार्च 2022 से दिनांक 30 नवम्बर2024 तक				
ओ0पी0डी0	आई0पी0डी0	[illegible]	टी0एम0टी0	सर्जरी (10 अक्टूबर 2022 से)
30615	20786	8122	1235	368

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.3.5 108 आपातकालीन सेवा :–

कार्यदायी संस्था कम्युनिटी एक्शन थ्रु मोटिवेशन प्रोग्राम (कैम्प), भोपाल के द्वारा दिनांक 01 मई 2019 से राज्य में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन किया जा रहा है। पुनः संस्था को आगामी 01 वर्ष हेतु सेवा–विस्तार प्रदान किया गया है। जिसके अन्तर्गत दुर्घटना, प्रसव से पीड़ित महिला, बीमार बच्चे एवं नवजात शिशुओं तथा अन्य गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं आदि एवं पुलिस व अग्नि शमन सेवायें उपलब्ध करायी जाती है। आपात स्थिति में 108 आपातकालीन सेवायें टोल फ्री नं0–108 पर कॉल(24X7) करके निःशुल्क प्रदान की जाती है। राज्य में 108 आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत कुल 272 एम्बुलेन्स (01 बोट, 217 बी0एल0एस0, 54 ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स) का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संस्था द्वारा 651 ई0एम0टी0, 645 वाहन चालक एवं 84 अन्य स्टॉफ नियुक्त किये गये है।

तालिका 21.8
संस्था द्वारा संचालित 272 एम्बुलेन्सों की जनपदवार सूचना–

क्र0सं0	जनपद	बी0एल0एस0	ए0एल0एस0	कुल एम्बुलेन्स
1.	देहरादून	25	07	32
2.	हरिद्वार	23	06	29
3.	चमोली	18	04	22
4.	टिहरी गढ़वाल	18	04	22
5.	पौड़ी गढ़वाल	23	05	28
6.	उत्तरकाशी	14	05	19
7.	रूद्रप्रयाग	09	03	12
8.	नैनीताल	19	04	23
9.	अल्मोड़ा	19	03	22
10.	चम्पावत	07	03	10
11.	बागेश्वर	07	03	10
12.	ऊधमसिंह नगर	22	03	25
13.	पिथौरागढ़	14	04	18
कुल योग		219	54	272

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 21.9

108 Emergency Services Monthly Progress Report

S.No.	Category	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025 (Nov 2024)
1.	Pregnancy Cases	40799	40530	46063	48656	43684	26333
a.	Birth In Ambulance	465	559	714	765	718	461
2.	Sick Infants (0-1 year)	1977	2308	3748	3782	3315	1925
3.	Injury						
a.	Road Traffic Accidents	7199	8306	11490	13628	12096	7928
b.	Other Injuries	5916	7351	8766	10444	9491	5957
4.	Acute Abdomen	5931	7232	11615	14536	12949	9080
5.	Respiratory	6095	5370	10700	12467	11048	7436
6.	Cardiac	4044	3800	5935	6629	6510	4332
7.	Stroke	924	1063	1548	1602	1603	876
8.	Others	32063	30249	57492	49786	49862	31650
	Total	**106013**	**106768**	**158071**	**162295**	**151276**	**96028**

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

चिकित्सा उपचार अनुभाग

राज्य व्याधि सहायता निधि

- राज्य व्याधि सहायता निधि राज्य में वित्तीय वर्ष 2005–2006 से प्रारम्भ हुयी है।
- उक्त योजना के तहत बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के उपचार हेतु प्रति रोगी धनराशि रू0–1,50,000.00(रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) दिये जाने का प्राविधान है।
- वित्तीय वर्ष 2005–2006 से वर्तमान तक राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या–1044 एवं रू012,85,41,175.00 की कुल धनराशि आवंटित की गयी है।

- उत्तराखण्ड से नई दिल्ली रैफर होने वाले रोगियों एवं उनके परिजनों के ठहरने की व्यवस्था हेतु अतिथिगृह में ठहरने वाले तीमारदारों की सूचना–
- यह योजना दिनांक–01.12.2007 से प्रारम्भ की गई ।
- योजना प्रारम्भ होने अतिथि तक कुल तीमारदारों की संख्या–10480 है।

तालिका 21.10

Details Of Kidney Transplant In Uttarakhand

SL. No.	Name of Hospital	Date of NOC & Renewal	Year of Transplant	No. of Kidney Transplant
1-	**Himalyan Hospital**	03.05.2004	2005	01
			2006	03
		08.06.2009 (Renewal)	2007	04
			2008	04
			2009	01
	Total =76	25.09.2015 (Renewal)	2014	01
			2015	01
			2016	02
			2017	11
			2018	03
		15.03.2021 (Renewal)	2019	05
			2020	03
			2021	17
			2022	17
			2023	03
			Till Nov, 2024	00
2-	**Shri Mahant Indresh Hospital, Patel Nagar Dehradun**	02.11.2015	2016	02
			2017	05
			2019	03
			2020	00
			2021	
	Total =14		2022	04
		15.03.2021 (Renewal)	**2023**	00
			Till Nov, 2024	02

3-	Max Super Speciality Hospital Dehradun Total =3	02.01.2018 (Renewal) 31.03.2023 (Renewal)	2018 2019 2020 2021 2022 2023 Till Nov, 2024	01 02 00 00 00 00 00
4-	AIIMS, Rishikesh Total =1	08.01.2021 (NOC)	2022 2023 Till Nov, 2024	00 01 00
5-	Arihant Hospital	31.03.2023 (NOC)	NIL Till Nov, 2024	00
			TOTAL	104

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.4 उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम्स् डेवलपमेंट परियोजना

उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत 87.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर (638 करोड़ रू0) है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 70 मिलियन यू0एस0 डॉलर के ऋण की स्वीकृति की गई है तथा शेष 17.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं परियोजना की कुल अवधि 5 वर्ष है। उक्त क्रम में भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को अनुबन्ध हस्ताक्षर किया गया, सितम्बर 2023 में अनुबंधावधि समाप्त होने से पूर्व विश्व बैंक एवं उच्च स्तरीय कमेटी के अनुमोदन उपरान्त परियोजना का 15 माह का विस्तार किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 होगी।

भौतिक प्रगति

घटक–1

प्रदेश के पर्वतीय तथा असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना– इस उपघटक में चिन्हित जनपदों में लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत जनपद के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालय को एक समूह के रूप में संचालित किया जायेगा जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों को संदर्भण हेतु मोबाईल हैल्थ वैन भी समूह का एक हिस्सा होगी।

21.4.1 टिहरी क्लस्टर– जनपद टिहरी के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालय एवं 03 सचल चिकित्सा वाहन के संचालन हेतु निविदा के आधार पर चयनित हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रान्ट के सहयोग से मार्च 2019 से 07 जून 2023 तक संचालित किया गया। अनुबंधावधि पूर्ण होने के उपरान्त जिला चिकित्सालय बौराड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर तथा 03 सचल चिकित्सा वाहन का संचालन दिनांक 08.06.2023 से महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा किया जा रहा है।

21.4.2 रामनगर क्लस्टर– रामनगर क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर सेवा प्रदाता के रूप में शुभम सर्वम मेडिकल प्रोजेक्ट एल0एल0पी0 को चयनित किया गया।

1. उक्त क्लस्टर के अन्तर्गत राजकीय संयुक्त

चिकित्सालय रामनगर को माह जुलाई 2020 से क्रियाशील किया जा चुका है। इस क्रम में आर०डी० जोशी, संयुक्त चिकित्सालय के पी०पी०पी० मोड में आने से पूर्व की अवधि में माह जुलाई 2019 से जून 2020 में कराये गये 311 शल्य चिकित्सा के सापेक्ष जुलाई 2020 से माह जून 2021 तक 1663 सामान्य शल्य चिकित्सा एवं माह जुलाई 2021 से जून 2022 में कुल 2150, जुलाई 2022 से जून 2023 में कुल 2368, जुलाई 2023 से जून 2024 तक 2999, जुलाई 2024 एवं नवम्बर 2024 में कुल 1258 शल्य चिकित्सा तथा संस्थागत प्रसव में माह जुलाई 2019 से जून 2020 में कराये गये 758 सामान्य प्रसव के सापेक्ष जुलाई 2020 से माह जून 2021 तक 946 सामान्य प्रसव एवं माह जुलाई 2021 से जून 2022 तक कुल 807, जुलाई 2022 से जून 2023 में 874, जुलाई 2023 से जून 2024 तक 876, जुलाई 2024 एवं नवम्बर 2024 में कुल 413 सामान्य प्रसव, पी०पी०पी० मोड में आने के बाद प्रथम बार माह जुलाई 2020 से माह जून 2021 तक कुल 313 सीजेरियन प्रसव तथा जुलाई 2021 से जून 2022 तक 385, जुलाई 2022 से जून 2023 में 318 जुलाई 2023 से जून 2024 तक 354, जुलाई 2024 एवं नवम्बर 2024 में कुल 123 सीजेरियन प्रसव किये गये हैं।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासैंण का लोक निजी सहभागिता के आधार पर दिनांक 28 जनवरी 2021 से क्रियाशील किया जा चुका है। जनवरी 2021 से नवम्बर 2024 तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में 92111 ओ०पी०डी०, 2196 आई०पी०डी०, 276 मेजर तथा 624 माइनर सर्जरी, 426 सामान्य प्रसव, 97 सीजेरियन प्रसव, 10321 एक्स–रे तथा 138726 लैब जांच एवं प्रथम बार जनवरी 2021 से नवम्बर 2024 तक 2371 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके हैं।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीरोंखाल का संचालन दिनांक 29 मार्च 2021 से किया जा रहा है। 29 मार्च 2021 से माह नवम्बर 2024 तक 50468 ओ०पी०डी०, 1232 आई०पी०डी०, 5118 एक्स–रे एवं 85424 लैब जांच एवं प्रथम बार मार्च 2021 से नवम्बर 2024 तक 1890 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके हैं।

21.4.3 पौड़ी क्लस्टर– पौड़ी क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर सेवा प्रदाता के रूप में श्री गुरू राम राय चिकित्सा संस्थान को चयनित कर दिनांक 17/06/2020 अनुबन्ध को हस्ताक्षरित किया गया। उक्त क्लस्टर के अंतर्गत जिला चिकित्सालय पौड़ी तथा सामु० स्वा० केन्द्र पाबौ का संचालन लोक निजी सहभागिता के आधार पर 01 फरवरी 2021 से तथा सामु० स्वा० केन्द्र घण्डियाल का संचालन दिनांक 05 फरवरी 2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

1 जिला चिकित्सालय पौड़ी में माह फरवरी 2021 से माह नवम्बर 2024 तक 363606 ओ०पी०डी०, 11654 आई०पी०डी०, 1681 मेजर तथा 3494 माईनर सर्जरी, 1824 सामान्य प्रसव, 308 सीजेरियन प्रसव, 53670 एक्स–रे तथा 626405 लैब जांच, 28409 अल्ट्रासाउन्ड तथा 1092 सी०टी० स्कैन किये जा चुके है।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाबौ में माह फरवरी 2021 से माह नवम्बर 2024 तक 71722 ओ०पी०डी०, 2584 आई०पी०डी०, 962 सामान्य प्रसव, एवं नवम्बर 2024 तक 15 सिजेरियन प्रसव, 11985 एक्स–रे तथा 46124 लैब जांच एवं पी०पी०पी० मोड में आने के बाद प्रथम बार माह फरवरी 2021 से नवम्बर 2024 तक 2104 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके है।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घण्डियाल में माह फरवरी 2021 से माह नवम्बर 2024 तक 38691

ओ०पी०डी०, 876 आई०पी०डी०, 28772 लैब जांच तथा 1301 ई०सी०जी० एवं 9508 एक्स–रे एवं पी०पी०पी० मोड में आने के बाद प्रथम बार माह फरवरी 2021 से नवम्बर 2024 तक 934 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके है।

घटक–

21.4.4 स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण– इस घटक का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की परिचालक क्षमता बढ़ाने हेतु शासकीय संस्थागत ढांचों में एन०ए०बी०एच० गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति, स्वास्थ्य सेवा प्रदान तथा राज्य के मानव संसाधन की क्षमता के विकास को बढ़ाने पर केन्द्रित होगा ताकि आवश्यक कौशल क्षमताओं की राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपलब्धता हो सके। इसके अतिरिक्त राज्य की आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा प्रबन्धन तंत्र, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा अन्य सहायक शोध, साक्ष्य उत्पत्ति तथा तद्नुसार रणनीतिक नियोजन हेतु साक्ष्य के उपयोग, डाटा जनरेशन और आवश्यक प्रबन्धन आदि भी उक्त उपघटक का महत्वपूर्ण अंग होंगे।

1. जिला चिकित्सालयों में गुणवत्ता समर्थन (NABH Entry Level Certification)–

इस घटक के अन्तर्गत चयनित पाँच जनपदीय स्तर चिकित्सालयों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़) NABH गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति के लिये उपरोक्त चिकित्सालयों को NABH स्तरीय मानकों तक लाने के लिये Gap Assessmentds आधार पर डी०पी०आर० का अनुमोदन शासन द्वारा प्राप्त कर प्रोक्योरमेंट हेतु प्रक्रिया गतिमान है। उक्त NABH प्रमाणन एवं चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 89.98 करोड़ रुपयों की लागत से सितम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाना है।

- चिकित्सालयों की Gap Assessment
- NABH Accreditationdh कार्य योजना।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०)
- Project Interim Report
- Project Draft Report

Gap Analysis Report के आधार पर NABH Accreditation तक पहुँचाने के लिये Turn Key Basis पर चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण का कार्य गतिमान है। इस क्रम में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 10 विशेषज्ञ चिकित्सक, 10 स्टाफ नर्स, 2 लैब टैक्नीशियन, 1 एक्स–रे टैक्नीशियन एवं 1 मात्रिका (मैट्रन) तैनात किये जाने का प्राविधान है, जिसके सापेक्ष अद्यावधि तक तैनात किए जा चुके मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टॉफ का विवरण निम्नवत है।

जिला चिकित्सालय–अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय–बागेश्वर, जिला चिकित्सालय–पिथौरागढ़ जिला महिला चिकित्सालय–पिथौरागढ़, जिला चिकित्सालय–गोपेश्वर तथा जिला चिकित्सालय–रुद्रप्रयाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 50 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 20 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत है। इसी प्रकार मैट्रन 05/05 एवं एक्स–रे टैक्नीशियन के स्वीकृत सभी 05/05 पदों के सापेक्ष कार्मिकों की पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। स्टाफ नर्स के स्वीकृत 50 पदों के सापेक्ष पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। लैब टैक्नीशियन के 10 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 10 पदों पर पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। इन समस्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निरन्तर कार्यवाही गतिमान है। साथ ही भौतिक सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिससे यह चिकित्सालय गुणवत्ता के उच्चतम मानक NABH प्रमाणन को प्राप्त कर सके। उक्त चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा कार्मियों का एन०ए०बी०एच० मानकानुसार विभिन्न

विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, तथा एन०क्यू०ए०एस० एसेसर्स द्वारा जिला चिकित्सालय–अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय –बागेश्वर, जिला चिकित्सालय–पिथौरागढ़ जिला महिला चिकित्सालय– पिथौरागढ़, जिला चिकित्सालय –गोपेश्वर तथा जिला चिकित्सालय–रुद्रप्रयाग का पुनः प्री एसेसमेंट प्रक्रिया गतिमान है, एवं जिला चिकित्सालय बागेश्वर एवं जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ का एन०क्यू०ए०एस० इण्ट्री लेवल प्रमाणीकरण प्राप्त किया जा चुका है, शेष चिकित्सालयों (जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा, गोपेश्वर एवं रुद्रप्रयाग को NABH CAPA का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा एन०क्यू०ए०एस० को समस्त वांछित अभिलेखों / सूचनाओं सहित प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है।

स्वास्थ्य गुणवत्ता संवर्धन के क्रम में एन०ए०बी०एच० मानकों की पहुंच हेतु चयनित चिकित्सालयों का में लघु सिविल कार्य एवं उपकरण संयोजन यथा सी०टी० स्कैन, माड्यूलर ओ०टी०, एस०टी०पी०, सी०एस०एस०डी०, एच०वी०ए०सी०, मॉर्चरी कैबिनेट, फायर फाईटिंग उपकरण इत्यादि का स्थापन कार्य चयनित एजेन्सी द्वारा Turn Key Basis पर 90% पूर्ण किया जा चुका है शेष अन्तिम चरण में गतिमान है।

- राज्य के 05 एन०ए०बी०एच० आच्छादित चिकित्सालयों में Informative LED Display Boards का कार्य पूर्ण।
- राज्य के 05 एन०ए०बी०एच० आच्छादित चिकित्सालयों में 08 Anesthesia Work Station की स्थापना हेतु निर्गत डी०पी०आर० की टी०ए०सी० एवं अनुमोदन प्रक्रियाधीन।

2. प्रशिक्षण–

- राज्य के 13 जिलों के सभी कैडर के चिकित्साकर्मियों (चिकित्सक, स्टॉफनर्स, पैरामेडिकल एवं सहायक स्टॉफ) की क्षमता संवर्धन हेतु वृहत्तर प्रशिक्षण के क्रम में चयनित संस्था द्वारा 10212 चिकित्साकर्मियों का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट विषय पर वर्ष 2022 में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
- ट्रेनिंग आवश्यकता आकलन के आधार पर स्वास्थ्य तन्त्र के सभी कैडर की क्षमता संवर्धन हेतु वृहत्तर प्रशिक्षण के क्रम में ट्रेनिंग एजेन्सी का चयन पूर्ण कर लिया गया है, उक्त प्रशिक्षण लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से 2024 तक पूर्ण किया जाना है। वर्ष 2022 से आतिथि राज्य के 10 जनपदों के विभिन्न कैडर के हैल्थ केयर स्टाफ (25099) को 7 प्रकार की श्रेणी में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, शेष प्रक्रियाधीन है।
- **शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण –**

स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक पदों (CMO, CMS, ACMO आदि) के प्रबंधन कौशल संवर्धन हेतु शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान IIHMR Jaipur तथा ASCI Hyderabad के माध्यम से 52 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कम्युनिकेशन कार्य योजनाः कम्युनिकेशन कार्य योजना चयनित संस्था के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है।

डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान– डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान चयनित एजेन्सी के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है।

3. कोविड–19 पैकेज – इस पैकेज के अन्तर्गत कोविड–19 प्रबंधन में सहायता हेतु विश्व बैंक के स्तर से निम्नलिखित पैकेज में सैद्धान्तिक सहमति दिनांक 02/06/2020 को प्राप्त हुई। इस पैकेज में कुल अनुमोदन 14850 लाख रूपये का प्राविधान है।

21.5 उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :– उक्त कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में Estimated Adult HIV Prevalence (15–49 Year) संक्रमण दर 0.13 (Source- Technical Report-2022, NACO) प्रतिशत (नाको) है। कार्यक्रम का उद्देश्य एच0आई0वी0/एड्स के प्रति शत–प्रतिशत जागरूकता स्तर प्राप्त करना, एच0आई0वी0 संक्रमण दर को स्थिर एवं ऋणात्मक दिशा प्रदान करना तथा एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सा–उपचार की व्यवस्था करना इत्यादि है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति आख्या :–

1 **एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच केन्द्र:–** एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच हेतु प्रदेश में कुल 49 केन्द्र स्थापित है एवं एक मोबाईल आई0सी0टी0सी0 मोबाईल वैन भी संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त केन्द्रों में कुल 3,39,486 व्यक्तियों को निःशुल्क परामर्श एवं जांच सुविधा प्रदान की गयी जिनमें से 1061 व्यक्ति एच.आई.वी. संक्रमित पाये गये।

2 **यौन रोग नियंत्रण क्लीनिक:–** प्रदेश में एस.टी.आई./आर.टी.आई. सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत यौन जनित संक्रमण/प्रजनन तंत्र संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु 29 क्लीनिकों की स्थापना की गयी है, जहां यौन रोगों की रोकथाम एवं उपचार के अन्तर्गत लक्षणों के आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक लक्षण हेतु नाको, भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार ही औषधि प्रदान की जाती है। 2024–25 में उक्त केन्द्रों में कुल 34,921 व्यक्तियों को उपचार सुविधा प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

3 **रक्त सुरक्षा कार्यक्रम:–** उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्तकोषों का सुदृढ़ीकरण एवं स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है, जिस हेतु राज्य के समस्त जिलो में समय–समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में 80 रक्तकोष (ब्लड बैंक) स्थापित एवं कार्यशील है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य में स्थापित रक्तकोषों में कुल 1,31,822 रक्त यूनिटो को एकत्रित किया गया जिसमें से 65% प्रतिशत से अधिक यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किये गये तथा कुल 1143 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरो का आयोजन किया गया।

4 **एंटी रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रम:–** प्रदेश में वर्तमान में 12 ए.आर.टी. केन्द्रों (एंटी रेट्रो वायरल थैरपी केन्द्रों) की स्थापना की गयी है, जहां एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को नियमानुसार एंटी रेट्रो वायरल दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्तमान में केन्द्रों में 7,574 एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति दवा प्राप्त कर रहे है।

5 **लक्ष्यगत हस्तक्षेप कार्यक्रम:–** उत्तराखण्ड में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 37 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रहा है। इनके अन्तर्गत एच0आई0वी0/एड्स के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सशक्त रूप से संचालित है। लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना के अन्तर्गत उच्च जोखिम समूहों के मध्य कार्य किया जा रहा है जहां संक्रमण की अधिक संवेदनशीलता है, जिसके अन्तर्गत महिला यौनकर्मी, इन्जेक्टिंग ड्रग यूजर्स, समलिंगी (एम.एस.एम.) एवं ब्रिज पापुलेशन के अन्तर्गत ट्रक ड्राईवर एवं माइग्रेंट्स के मध्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है।

6 **प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**—उत्तराखण्ड में एच0आई0वी0/एड्स के नियन्त्रण, रोकथाम एवं जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) की अहम भूमिका है। एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, होर्डिंग, फोक मीडिया एवं आई0 ई0सी0 कैम्पेन के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाता है। राज्य में युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रेड रिबन क्लबों का गठन किया गया है। विभिन्न विभागों यथा शिक्षा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग इत्यादि के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

तालिका 21.11
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष : 2024–25

क्र. सं.	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र कार्यक्रम	49 निःशुल्क एच.आई.वी. परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील		
	(क) एच.आई.वी. जांच किये गये व्यक्ति	49	5,82,077	3,39,486
	(ख) एच.आई.वी. अनुकूल पाये गये व्यक्ति	49	–	1061
2.	यौन रोग नियंत्रण (सुरक्षा क्लीनिक)	29	70,725	34,921
3.	रक्त सुरक्षा कार्यक्रम	63	1,00,000	1,51,822
4.	एंटी रेट्रोवायरल दवा एवं उपचार कार्यक्रम	12	6,900	7,574
5.	लक्ष्यगत इन्टरवेंशन परियोजनाएं	37	1,86,780	1,34,931

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.6 होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से समुचित विकास एवं पद्धति के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित है। जनपद स्तर पर 13 जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थापित हैं, जिसके अन्तर्गत निम्नवत क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं :–

1 सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में कुल 111 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं।

2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 28 होम्योपैथिक चिकित्सालय प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

3 केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार,

ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी गढ़वाल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित 05 मातृ एवं बाल स्वास्थ्य होम्योपैथिक चिकित्सालय (आर० सी० एच० विंग) संचालित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2024–25 में अद्यतिथि तक कुल 36174 रोगियों का उपचार किया गया।

4 केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित कुल 04 त्वचा विज्ञान केन्द्र संचालित हैं जिसमें कई चर्म रोग जैसे–एक्जिमा, वार्ट्स,कार्न, स्केबीज, अर्टिकेरिया, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस एवं अन्य चर्म रोगों के कुल 19657 रोगियों को लाभान्वित किया गया।

5 वित्तीय वर्ष 2024–25 में अद्यतिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा सामान्य बीमारियों, तीव्रगति से फैलने वाले रोग, असाध्य, गम्भीर बीमारियाँ, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कारगर है, में मुख्यतः निम्नलिखित बीमारियों से ग्रसित लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

तालिका 21.12

क्र०सं०	रोग का विवरण	लाभार्थियों की संख्या
1	श्वास रोग संक्रमण	46951
2	पेट से सम्बन्धित बीमारियां	41569
3	गुर्दे की पथरी एवं रोग	21584
4	महिलाओं से सम्बन्धित बीमारियां (गाईनोकलोजिकल डिजीजेस)	43658

स्रोत: होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

1 **राष्ट्रीय आयुष मिशन:–** राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम चरण में 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर होम्योपैथिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों) के रूप में स्थापित किया जा चुका है एवं वर्तमान में संचालित कर रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

2 वित्तीय वर्ष 2021–22 में 17 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों) के रूप में उच्चीकृत किया जा चुका है, उक्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों) के माध्यम से आमजनमानस को होम्योपैथिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विभिन्न प्रकार के साथ–साथ सामान्य जांचों की सुविधा हेतु लैबोरेटरी की स्थापना भी की जा चुकी है जिसमें सामान्य जांचों की सुविधा जैसे–उच्च रक्त चाप, शुगर, मलेरिया, हैपेटाइटिस, हिमोग्लोबिन, टाइफाईड, ओरल एवं सर्विक्स कैंसर सम्बन्धी स्क्रीनिंग के साथ–साथ योगा की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही आमजनमानस हेतु हर्बल गार्डन भी विकसित किया जा चुका है जिसके माध्यम से उन्हें होम्योपैथिक औषधि पादपों की जानकारी प्राप्त होगी।

3 वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपदों में डेंगू, चिकनगुनिया एवं अन्य स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 943 आउटरीच शिविर लगाये गये जिसमें लगभग 68,368 आमजनमानस का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार एवं रोगों से बचाव हेतु परामर्श के साथ–साथ निशुल्क होम्योपैथिक औषधि वितरित की गयी।

4 कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिये होम्योपैथिक विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर भारत सरकार की गाईड लाईन तथा मा0 मंत्रीमण्डल के निर्णयों के अनुपालन में कोविड–19 की प्रथम चरण में 13,34,181 (तेरह लाख चौंतीस हजार एक सौ इक्यासी), द्वितीय लहर में 11,78,912 तथा तृतीय लहर में 3,98,338 व्यक्तियों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक अल्बम–30 का वितरण किया गया। वैश्विक महामारी कोविड–19 से आमजनमानस की सुरक्षा हेतु वृहद स्तर पर अभियान चलाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक अल्बम–30 वितरण का कार्य किया गया है।

5 वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश भर में होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से 12,52,447 रोगियों का उपचार किया गया।

6 Super Specialist Clinic– आगामी वित्तीय वर्ष हेतु केरला मॉडल ऑफ होम्योपैथी की तर्ज पर अति विशिष्ट क्लीनिकल (त्वचा रोग, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं वृद्धजनों हेतु) गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल में रैफरल केन्द्र के रूप में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

7 जनपद हरिद्वार में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय रोशनाबाद को उच्चीकृत किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदेश भर में आयुर्विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत 461 शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 27,530 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

8 राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना– उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान है।

तालिका 21.13

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत जनपद स्तर पर चिकित्साधिकारियों, भेषजिकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण–

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्साधिकारी	111	81	30
02	भेषजिक	111	110	01
03	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	132	90	42

स्रोत: होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 21.14

होम्योपैथिक विभाग में भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत स्थापित चिकित्सालयों में स्वीकृत चिकित्सकों, भेषजिकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का विवरण:-

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्सक	28	26	02
02	भेषजिक	28	27	1

स्रोत: होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

1 दिनांक 08 एवं 09 दिसम्बर, 2023 को जनपद देहरादून के एफ0आर0आई0 में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में होम्योपैथिक विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें होम्योपैथिक के क्षेत्र में राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा देने के दृष्टिगत चार निवेशकों द्वारा प्रदेश में उद्योग स्थापित किये जाने हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये।

2 सी0सी0आर0एच0 की सी0आर0 आई0 इकाई जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में प्रस्तावित है.

21.7 आयुर्वैदिक चिकित्सा :–

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदत्त करने के लिये 13 जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हैं। जिनके पर्यवेक्षण में कुल 545 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, (542 आयुर्वेदिक, जनपद नैनीताल में 01– 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय तथा 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय) 05 यूनानी चिकित्सालय एवं28–जिला चिकित्सालय, 180–आयुष विंग तथा 29– सी0 एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) तथा 90 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों (एम0 ओ0सी0एच0) में सेवा प्रदान की जा रही है।

21.7.1 राज्य की एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंगों की स्थापना :– सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में (जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित नहीं है)आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ही छत के नीचे समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एलोपैथिक चिकित्सालयों में 180 आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

21.7.2 जिला चिकित्सालयों की स्थापना :– जिला मुख्यालय में जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु एक पुरुष विंग एवं महिला विंग इस प्रकार कुल 26 आयुष विंग पर संचालित है।

21.7.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगों की स्थापना :– भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 29 सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 60 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में 213 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों की स्थापना की जा चुकी है। जिनमें से अद्यतिथि तक 273 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों संचालित हो रहे हैं

वैलनेस सेन्टरों को क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त के अतिरिक्त 100 अन्य राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पैथोलॉजी रैपिड किट के माध्यम से जाँच की सुविधा प्रदान की जा रही है।

21.7.4 राष्ट्रीय आयुष मिशन :– केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा कुल 545 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, (542 आयुर्वेदिक 01– 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय तथा 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय) 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 26–जिला चिकित्सालय, 180– आयुष विंग तथा 29–सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) तथा 90 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों (एम0ओ0सी0एच0) औषधियों के क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

21.7.5 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत ए0एच0डब्ल्यू0सी0 की स्थापना :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में 273 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को आयुष हैल्थ वैलनेस सेन्टरों के रूप में स्थापित किया जा चुका है।

21.7.6 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय :– 150 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों को NABH प्रत्यायित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसमें 66 आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों को प्रत्यायित किया जा चुका है।

जनपद–टिहरी के ग्राम–जलेथ, पट्टी जाखणीधार में 50 शैय्यायुक्त समन्वित चिकित्सालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को रू0 490.00 लाख की धनराशी अवमुक्त की जा चुकी है भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है।

जनपद–चम्पावत के टनकपुर में 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना नवीन कार्यदायी निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, लोहाघाट चम्पावत द्वारा किया जा रहा है जिसको स्वीकृत लागत रू0 1503.91 लाख के सापेक्ष रू0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार में 50 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास, पौड़ी को स्वीकृत लागत रू0 1758.01 लाख के सापेक्ष रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, तथा भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

जनपद हरिद्वार के पथरी में 10 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऋषिकेश को स्वीकृत लागत रू0 692.50 लाख के सापेक्ष रू0 392.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। वर्तमान में 85: निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है

जनपद नैनीताल के भीमताल में 10 शैय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम हल्द्वानी को स्वीकृत लागत रू0 635.14 लाख के सापेक्ष रू0 207.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

21.7.7 यूनानी चिकित्सा पद्धति :– राज्य में मात्र 05 यूनानी चिकित्सालय संचालित है। यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु पिरान कलियर, जनपद–हरिद्वार में 50 शैय्यायुक्त यूनानी चिकित्सालय एवं कॉलेज की स्थापना की जा रही है। शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण

निगम के द्वारा रू0 2400.00 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है।

21.7.8 राज्य में राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निर्माणशालाओं की स्थिति :– राज्य में कुल 240 आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि निर्माणशालायें स्थापित हैं। हरिद्वार जिलान्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित है। फार्मेसी के द्वारा राज्य बजट से जनपदों की मॉग एवं प्राप्त बजट के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है एवं राज्य के समस्त जनपदों में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं आयुष विंगों के रोगियों को रोगानुसार मुफ्त औषधि वितरण किया जाता है।

21.7.9 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला :– हरिद्वार जनपद में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। जिसके द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

21.7.10 आयुष नीति–2023 का प्रख्यापन :– उत्तराखण्ड सरकार के आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–1938/XL-1/2023-39/2018 दिनांक–25 अक्टूबर 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड आयुष नीति 2023 प्रख्यापित की है। यह नीति 31 मार्च 2028 तक लागू रहेगी। यह राज्य में आयुष क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक दूरदर्शी नीति है, आयुष नीति 2023 औषधीय पौधों की खेती, आयुष विनिर्माण, स्वास्थ्य, वैलनेस तथा आयुष शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देगी। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश को आयुष वैलनेस हब के रूप में स्थापित करना है।

21.7.11 आयुष क्षेत्र में विशिष्ट गतिविधियाँ एवं नवाचार :– आयुष क्षेत्र की विशिष्ट गतिविधियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत स्कूली छात्रों को आयुर्वेद की जानकारी दिये जाने हेतु स्कूलों में आयुर्विद्या कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है तथा आयुर्वेद के माध्यम से गर्भिणी परिचर्या प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसरों में आयुर्विद्या कार्यक्रम के अन्तर्गत 5066 शिविरों का आयोजन किया गया है जिसमें 233289 स्कूली छात्र लाभान्वित हुये है। साथ ही नवाचार के अन्तर्गत देश की प्रथम योग नीति के आलेखन का कार्य प्रचलन में है।

21.7.12 आयुष क्षेत्र में चिकित्सालय भवनों का निर्माण :– आयुष क्षेत्र को और अधिक व्यापक व समृद्ध करने की दृष्टि से राज्य योजना अन्तर्गत वर्तमान में 06 आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन (02 नैनीताल, 02 रूद्रप्रयाग, 02 पौढ़ी) निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2024–25 में पाँच राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है

तालिका 21.15
आयुर्वेदिक विभाग में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	निदेशक	01	01	0
2	अपर निदेशक	02	00	02
3	संयुक्त निदेशक	03	01	02

4	संयुक्त निदेशक फार्मेसी	01	01	00
5	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	13	04	09
6	अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	08	08	00
7	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	40	36	04
8	चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक	758	678 (658 नियमित, 20 संविदा)	80
9	चिकित्साधिकारी यूनानी	05	04	01
10	चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक संविदा MOCH	90	75 (16 नियमित 59 संविदा)	15
11	चिकित्साधिकारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	01	01	00
12	प्रभारी अधिकारी फार्मेसी	10	02	08
13	चीफ फार्मेसिस्ट	77	67	10
14	फार्मेसिस्ट (आयुर्वेदिक)	692	670	22
15	फार्मेसिस्ट (यूनानी)	05	04	01
16	सिस्टर	01	0	01
17	स्टाफ नर्स/सिस्टर	33	19	14
18	पंचकर्म सहायक	314	76	238
19	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक	29	13	16

स्रोत: आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड

अध्याय–22

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

Women Empowerment & Child Development

22.1 सामान्य विवरणः– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास 0–6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 2 अक्टूबर, 1975 को शुरू की गई थी। वर्ष 1978–79 में उत्तराखण्ड के तीन विकासखण्ड चकराता, कीर्तिनगर एवं धारचूला में बाल विकास परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। वर्तमान में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 95 विकासखण्डों में 97 ग्रामीण परियोजनाएँ, 8 नगरीय परियोजनाएँ, कुल 105 बाल विकास परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें से 20069 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। विभाग का उद्देश्य पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना,बच्चों कुपोषण, मृत्यु दर और ड्रॉपआउट दर को कम करना और माताओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है।

महिलाओं, बालक व बालिकाओं को सुरक्षित समाज तथा आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रदेश में कई योजनायें संचालित की गयी हैं। महिला उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए भी प्रदेश द्वारा व्यापक कदम उठाये जा रहे हैं। इस क्रम में प्रदेश के **विजन 2030** के कार्यान्वयन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा निम्न सामयिक प्रयास किये जा रहे हैं।

22.1.1 अवस्थापना सुविधायें:–

वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 20069 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1250 शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 18819 केन्द्र संचालित हैं। स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

तालिका–22.1 के अनुसार राज्य में 20069 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल 33085 कार्यकत्री/सहायिकायें कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष गर्भवती तथा धात्री महिलाओं एवं 0–6 आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण हेतु सर्व प्रथम वार्षिक सर्वेक्षण कराया जाता है। तदुपरान्त 3–4 माह की गर्भवती महिला का Mother & Child Protection Card (MCP) तैयार कर आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराया जाता है।

तालिका 22.1

क्रम सं०	जनपद	बाल विकास परियोजनायें	आंगनबाड़ी केन्द्र (संख्या)	आंगनबाड़ी कार्यकत्री (संख्या)	आंगनबाड़ी में सहायिका (संख्या)
1	अल्मोड़ा	6	1860	1794	1141
2	बागेश्वर	9	834	806	511
3	चमोली	9	1078	1052	682
4	चंपावत	7	681	646	364
5	देहरादून	15	1907	1450	262

6	हरिद्वार	3	3179	3020	2434
7	नैनीताल	11	1416	1360	934
8	पौड़ी	11	1853	1750	961
9	पिथौरागढ़	3	1112	1050	574
10	रुद्रप्रयाग	9	692	568	505
11	टिहरी	10	2017	1945	1262
12	ऊधमसिंहनगर	8	2388	2267	1863
13	उत्तरकाशी	4	1052	1007	601
उत्तराखण्ड राज्य		**105**	**20069**	**18715**	**12094**

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

तालिका 22.2
राज्य में गर्भवती/धात्री महिलाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित गर्भवती महिलायें	लाभान्वित धात्री महिलायें
2018–19	83943	90730
2019–20	80919	93341
2020–21	88069	93149
2021–22	73155	83570
2022–23	68456	87447
2023–24	69517	96210
2024–25	55732	58069

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

तालिका 22.2 के अनुसार दिसम्बर, 2024 तक कुल 55,732 गर्भवती व 58069 धात्री महिलायें को लाभान्वित की गयी है।

22.1.2 कुपोषण की स्थिति– तालिका 20.3 से स्पष्ट है कि राज्य में वर्ष 2024–25 में 2983 अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हुए हैं, बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2024–25 में प्राविधानित 1351.10 करोड़ के सापेक्ष 488.87 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक 430.00 करोड़ व्यय किया गया है, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

तालिका–22.3
राज्य के कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का वर्षवार विवरण

श्रेणी	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25
कुपोषित बच्चे	6856	7658	6499	4233	8374
अतिकुपोषित बच्चे	1129	1110	952	902	2983

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

22.1.3 केन्द्र पोषित योजनायें

1. अनुपूरक पोषाहार–योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

2. कुक्ड फूड–इस योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (hot cooked meal) प्रदान किया जा रहा है।

तालिका–22.4
राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र में अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले 06 माह से 06 वर्ष के बच्चो का वर्षवार विवरण–

वर्ष	लाभान्वित	
	06 माह–3 वर्ष के बच्चे	3–6 वर्ष के बच्चे
2020–21	444600	230925
2021–22	302264	213527
2022–23	240662	145997
2023–24	388890	234870
2024–25	382415	230551

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

3. टेक होम राशन– इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त साप्ताहिक राशन (माह में कुल 25 दिन) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर दोगुना पोषाहार एवं ऊर्जा आधारित–Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) पोषाहार दिये जाने का प्राविधान है।

4. स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर मेडिसिन किट हेतु 1500/– एवं मिनी केन्द्र पर मिनी मेडिसिन किट हेतु 750/– का वार्षिक मानक भारत सरकार से निर्धारित है। मेडिसिन किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध करवायी जाती है।

5. वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवाए– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। वजन मापन हेतु वजन मशीन, वजन के अंकन हेतु ग्रोथ चार्ट बुकलेट तथा महिलाओं को सही वजन के विषय पर परामर्श हेतु सामुदायिक ग्रोथ चार्ट आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध है।

6. स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती/धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं तथा 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा दी जाती है।

7. स्कूल पूर्व शिक्षा– इस योजना के अन्तर्गत पांच वर्ष में एक बार ₹ 3000/– प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी केन्द्र एवं ₹ 1000/– प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्रतिवर्ष प्री–स्कूल किट/एक्टीविटी बुक दिये जाने का भारत सरकार द्वारा प्राविधान निर्धारित किया गया है।

8. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (90% के0 सहा0) PMMVY:– मा0 प्रधानमंत्री जी की एक महत्वकांक्षी योजना, समस्त जनपदों में लागू है। केवल प्रथम बच्चे के होने और द्वितीय बालिका के जन्म पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता स्वयं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित रोजगार में है, को इस योजना से लाभ नहीं दिया जायेगा। योजनान्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टीकाकरण, आईएफए टेबलेट सेवन, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, स्तनपान, बच्चों का टीकाकरण आदि मापदण्डों की पूर्ति हेतु प्रति महिला तीन किश्तों में (प्रथम किश्त ₹ 1000, द्वितीय किश्त ₹ 2000, तृतीय किश्त ₹ 2000) कुल ₹ 5000/– की

धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 माह दिसम्बर तक कुल 64287 लाभार्थियों को 20.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

9. राष्ट्रीय पोषण मिशन 'पोषण अभियान'– यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में संचालित की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को कुपोषण मुक्त करना है। इस योजना के संचालन हेतु Poshan Tracker के अन्तर्गत 20087 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को पॉवर बैंक सहित स्मार्ट फोन दिये गये है। पोषण अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, शिक्षा, सूचना एवं जन सम्पर्क, युवा कल्याण, स्वच्छता एवं पेयजल, कृषि आदि विभागों से समन्वय कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना अन्तर्गत माह दिसम्बर,2024 तक 19.54 करोड़ व्यय किया गया है।

10. स्कीम फॉर एडोलसेन्ट गर्ल्स– भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ जनवरी 2019 को किया गया। इस योजना का राज्य के आकांक्षी जनपद–हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर की किशोरी बालिकाओं हेतु संचालन किया जाना है। योजना अन्तर्गत किशोरियों को गेहूं एवं फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 माह दिसम्बर तक 72437 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

11. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:– इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बालिका लिंगानुपात में सुधारात्मक प्रयास तथा बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने की पहल की जा रही है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर गुड्डा–गुड्डी बोर्ड लगाया गया है। समस्त जनपदों द्वारा वृहत स्तर पर जागरूकता एवं क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

12. वन स्टॉप सेन्टर:– योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों यथा–गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, न्याय विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग एवं स्वयं सेवी संस्था से समन्वयन कर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध/दुर्व्यवहार के प्रति एक ही परिसर में उचित चिकित्सीय सुविधा, कानूनी सलाह, परामर्श एवं प्राथमिकी दर्ज करने से सम्बन्धी अन्य आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से समस्त जनपदों में संचालित किये जा रहे है। वित्तीय 2024–25 में योजना अन्तर्गत तालिका 22.5 से स्पष्ट है कि वर्ष 2024–25 में महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार/अपराध के पंजीकृत मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है।

तालिका–22.5

वर्ष	वन स्टॉप सेन्टर		महिला हेल्पलाईन (181)	
	पंजीकृत	निस्तारित	पंजीकृत	निस्तारित
2020–21	1548	1563	1396	1396
2021–22	1473	1306	1247	1247
2022–23	1154	846	744	744
2023–24	572	251	997	997
2024–25	1063	786	423	423

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

13. आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण—इस योजना के अन्तर्गत आई०सी०डी०एस० सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रतिपादन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन व्यवस्था हेतु वर्ष 2024–25 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु युग्मतिकरण के माध्यम से ₹ 8.00 लाख मनरेगा एवं केन्द्रीय योजना से ₹ 2.00 लाख एवं राज्य योजना से ₹ 2.00 लाख कुल ₹ 12.00 करोड़ का प्राविधान है। वर्ष 2024–25 में 3840 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है है।

22.1.4 राज्य सेक्टर की योजनायें—

1. उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना— उत्तराखण्ड राज्य में सशक्त महिलाओं का निर्माण करना है जो निर्णय प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रगति में प्रभावी योगदान सुनिश्चित कर सकें। योजना के अन्तर्गत महिला विकास परक अभिनव परियोजना गतिविधियों को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें महिलाओं की विशिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों को सम्बोधित किया जाता है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत है–

तालिका–22.6

क्र	वर्ष	महिला स्वयं सहायता समूह	महिला लाभार्थी
1	2020–21	–	–
2	2021–22	18	253
3	2022–23	36	595
4	2023–24	03	66
5	2024–25	07	861

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

2. राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना:– उत्तराखण्ड राज्य की निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जाना है। योजनान्तर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षणोपरान्त ₹ 50,000/–तक सीड अनुदान एवं प्रशिक्षण अवधि में ₹ 1000/– की छात्रवृत्ति का प्राविधान।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 08 संस्थाओं के प्रशिक्षण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है, जिसमें कुल 1500 महिला लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए 08 प्रशिक्षण ट्रेड यथा–डेरी मैनेजमेन्ट, मधुमक्खी पालन, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, कताई बुनाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, जड़ी बूटी उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वर्तमान तक 4158 किशोरी/महिलाऐं लाभान्वित। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर 2024 तक ₹ 6.14 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

3. कामकाजी महिला छात्रावास पर स्टाफ की व्यवस्था:– इस योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ता एवं सुविधायुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में कामकाजी महिला छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।

4. नन्दा गौरा योजना:– इस योजना के अन्तर्गत कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर "नन्दा गौरा योजना" संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत पात्र परिवार की प्रथम 02 बालिकाओं को प्रथम किश्त में 11000 की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 51000 की धनराशि प्राप्त करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 195.00 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक शासन द्वारा कोई भी धनराशि जारी नहीं की है योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नवत है।

तालिका–22.7

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2020–21	32210
2021–22	15669
2022–23	82601
2023–24	79518
2024–25	39400

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

5 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना– विभाग के तहत राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रथम/द्वितीय एवं जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत "**मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना**" अन्तर्गत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा जारी ₹ 12.34 करोड़ रुपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹ 12.34 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

तालिका–22.8

वर्ष	लाभार्थियों	लाभान्वित
2021–22	75000	75000
2022–23	24171	10035
2022–23	64426	41451
2023–24	49247	40839

स्रोत: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

6. किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था– किशोरियों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 में धनराशि ₹ 6/– की सब्सिडाईज दर से महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन पैकेट (6 पैड प्रति पैकेट) उपलब्ध करवाये जा रहे है। वर्तमान में कुल 41.14 लाख सैनेटरी नैपकीन पैकेट समस्त जनपदों को वितरण हेतु उपलब्ध करवाये गये हैं। योजनान्तर्गत अभी तक ₹ 25.8 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

7. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम (कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण): राज्य पोषित योजना बाल कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित "बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम" के तहत् बालिकाओं में शैक्षिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखण्ड बोर्ड में 10वीं व 12वीं में जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा 12वीं में विकासखण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु सुरक्षा एप्लीकेशन अपलोडेड टेबलेट/स्मार्ट फोन पुरस्कार स्वरूप वितरित किये जाते है। इसके अन्तर्गत वर्तमान तक 1703 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से मलिन बस्तियों के निर्धन परिवारों के किशोर एवं किशोरियों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में कुशल बनाने के लिये निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक 210 किशोर एवं किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि ₹ 1.00 करोड़ कार्पस फण्ड के रूप में प्राप्त हुई है। जिसकी ब्याज धनराशि से उक्त योजना का सफल संचालन किया जा रहा है।

8. "मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना"– "मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना" के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को फोर्टीफाईड सुगन्धित दूध पाउडर डेरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 2,08,037 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा जारी ₹ 10.00 करोड़ रुपये की धनराशि के सापेक्ष माह

दिसम्बर तक ₹ 9.64 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

9. "मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना"– योजनान्तर्गत प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में एनीमिया एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दिन अण्डा, 02 दिन केला/खजूर दिया जाता है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 1,24,613 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा जारी ₹ 18.2 करोड़ रुपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹ 12.2 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

10. मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान– बाल पालाश–योजना के अन्तर्गत राज्य में बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार, शारीरिक विकास, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की संख्या में वृद्धि एवं निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 03–06 आयु के बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केला/केला चिप्स उपलब्ध कराया जा रहा है, योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 2,26,452 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा जारी ₹ 25.25 करोड़ रुपये की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर तक ₹ 17.90 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

11. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना – एक सशक्त महिला उद्यमी योजना है जिसे उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में संचालित किया जायेगा। यह योजना उत्तराखण्ड की एकल/निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने में कारगर सिद्ध होगी। उत्तराखण्ड राज्य की एकल महिलाओं से तात्पर्य ऐसी महिला से है जो एक महिला, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित एकल महिलाएं व जिन महिलाओं के बच्चे अवयस्क/अविवाहित पुत्री हो, जो अकेले ही अपना व अवयस्क बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी वहन कर रही हो व आर्थिक रूप से कमजोर हो, को समझा जायेगा।

योजना का उद्देश्य:

योजना का मुख्य उद्देश्य एकल/निराश्रित/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं को उनके निवास स्थान/गांव/क्षेत्र में ही रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना, व उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है।

12. आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष–

योजनान्तर्गत मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/मिनी कार्यकर्त्री/सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम तीस हजार अधिकतम चौवन हजार रुपये तक की धनराशि दी जा रही है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक 1784 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

विभागीय प्रयास

- **तीलू रौतेली पुरस्कार**– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत 13 किशोरी / महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- **आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार**– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- **पोषण अभियान**–पोषण माह दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों में जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु जागरूक किया गया। 1665 आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों हेतु पोषण वाटिका स्थापित की गई। पोषण माह 2024 दौरान जनमानस को पोषण के प्रति जागरूक करने हेतु पोषण रैली, पोषण मेला, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर एवं अन्य गतिविधियों का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। प्रतिमाह आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह सी0बी0ई0 एवं वी0एच0एस0एन0डी0 गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पोषण सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन कर लाभार्थियों को पोषण के प्रति एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता है। राज्य के समस्त 20067 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा पोषण ट्रैकर के माध्यम से समस्त लाभार्थियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

- **डिजिटल पैरेंटस मार्गदर्शिका प्रोग्राम** – कोरोना महामारी के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहने के दृष्टिगत नई पहल के रूप में इस कार्यक्रम को लागू किया गया इस कार्यक्रम में बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास एवं अभिभावकों को उनके देखभाल से सम्बन्धित छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से जोड़ते हुए प्रतिदिन के आधार पर उनको गतिविधियां दी जाती है। इस कार्यक्रम में भेजी गयी वीडियो क्लिप की दर्शक संख्या के आधार पर इस कार्यक्रम का फीडबैक प्राप्त किया जाता है। इस कार्यक्रम में विभाग के सहयोगी के रूप में सिटाकी फाउन्डेशन कार्यरत है।

- **पोषण वाटिका** – राज्य के 380 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है।

- वर्तमान में निदेशालय भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है

- आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु कुल–32773 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाईस का क्रय किया गया है।

- 10013 वेन्डिंग मशीन को आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्थापित किया जा रहा है।

प्रस्तावित कार्य योजना

- **सोलर पैनल** – राज्य के समस्त विभागीय निर्मित भवनों जैसे – जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में सोलर पैनल स्थापित किये जायेंगे।
- 20069 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिये स्मार्ट फोन क्रय किये जायेंगे।
- प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 सेट (साड़ी, सूट) पोशाक क्रय किया जायेगा।
- प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए प्री–स्कूल किट का क्रय किया जायेगा।
- प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए मेडिसिन किट का क्रय किया जायेगा।
- एकल महिला स्वरोजगार योजना

अध्याय–23
सतत् विकास लक्ष्य

उत्तराखण्डः सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा

सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है। सतत विकास लक्ष्य एक ऐसे विश्व की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य धरती एवं प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुँचाये समावेशी एवं संवहनीय आर्थिक प्रगति को प्राप्त करना है। सतत् विकास लक्ष्यों के द्वारा एक ऐसे विश्व की संकल्पना की गयी है जिसमें गरीबी, भुखमरी, असमानता तथा पर्यावरणीय क्षति से निपटने के साथ–साथ समृद्धि, शान्ति के साथ समग्र विकास किया जा सके। उत्तराखण्ड ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है फिर भी यह राज्य में अनेक चुनौतियाँ हैं। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा एसडीजी संतुलित विकास प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

सतत् विकास लक्ष्य के प्रति भारतीय प्रतिबद्धतायें

भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से एक है। भारत ने अपने देश के सामाजिक और भौगोलिक सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत विकास लक्ष्यों तथा इनसे सम्बन्धित 169 उपलक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2030 तक की समय–सीमा निश्चित कर रखी है।

एसडीजी इण्डिया इंडेक्सः

भारत में एसडीजी के लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग द्वारा एसडीजी सूचकांक 2018 से तैयार किया जा रहा है। जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। उपरोक्त सूचकांक वर्ष 2018 में 13 लक्ष्य तथा 39 उपलक्ष्यों तथा 62 संकेतकों पर आधारित थे, इसे वर्ष 2019 में बढ़ाकर 16 लक्ष्यों, 54 उपलक्ष्यों तथा 100 संकेतकों पर आधारित किया गया। वर्ष 2020 में इसे पुनः बढ़ाकर 16 लक्ष्यों, 70 उपलक्ष्यों तथा 115 संकेतकों पर आधारित किया गया। नीति आयोग ने वर्ष 2021 तथा 2022 में सूचकांक जारी नहीं किया और दो साल बाद वर्ष 2023 में एस.डी.जी. इण्डिया इंडेक्स जारी किया है। उपरोक्त सभी सूचकांको में उत्तराखण्ड ने उत्तरोत्तर उल्लेखनीय प्रगति की है। **उत्तराखण्ड वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर दसवें स्थान पर, 2019 में नौवे स्थान पर, 2020 में चौथे स्थान पर और वर्ष 2023 में केरल के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है।** उत्तराखण्ड के 2018 से 2023 के मध्य एस.डी.जी. इण्डिया इंडेक्स के एस.डी.जी. वार स्कोर एवं रैंक निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

उत्तराखण्ड में एस॰डी॰जी॰ अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः

तालिका–23.1

Uttarakhand SDG Scores and Ranks in SDG India Index								
Overall and SDG wise	**Uttarakhand 2018**		**Uttarakhand 2019**		**Uttarakhand 2020**		**Uttarakhand 2023**	
	Score	**Rank**	**Score**	**Rank**	**Score**	**Rank**	**Score**	**Rank**
Overall	60	10	64	9	72	4	79	1
SDG 1: No Poverty	65	6	64	7	74	7	83	5

SDG 2: Zero Hunger	53	11	45	10	61	8	66	11
SDG 3: Good Health and Wellbeing	36	20	58	13	77	6	84	2
SDG 4: Quality Education	68	9	66	7	70	4	73	6
SDG 5: Gender Equality	41	6	38	11	46	13	56	8
SDG 6: Clean Water and Sanitation	78	6	90	5	85	11	94	6
SDG 7: Affordable and Clean Energy	55	12	78	9	100	1	100	1
SDG 8: Decent Work and Economic Growth	67	8	73	6	63	8	80	7
SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure	33	16	55	11	56	10	62	7
SDG 10: Reduced Inequality	62	16	59	17	77	4	69	13
SDG 11: Sustainable Cities and Communities	41	9	51	9	76	9	89	4
SDG 12: Sustainable Consumption and Production	Was not included in Index		50	14	82	6	86	8
SDG 13: Climate Action	Was not included in Index		59	8	60	9	71	10
SDG 15: Life on Land	100	1	95	5	64	13	94	3
SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions	86	4	85	2	86	1	81	8

स्रोत: सी.पी.पी.जी.जी., उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में एस.डी.जी. के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (सी.पी.पी.जी.जी.), नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है। सी.पी.पी.जी.जी. ने एस.डी.जी का अनुश्रवण 2019 से शुरू किया जबकि राज्य का एस.डी.जी. डी.आई.एफ. तैयार किया। वर्ष 2021 में सी.पी.पी.जी.जी. द्वारा उत्तराखण्ड एस.डी.जी. इंडेक्स कंपेडियम प्रकाशित किया गया, जिसमें वर्ष 2015–16 से लेकर वर्ष 2023–24 तक के 9 एस.डी.जी. इंडायसेज प्रकाशित किये गये। इन 9 एस०डी०जी० इंडायसेज में शामिल किये गये लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है–

- एस0डी0जी0 के प्रारम्भिक एस.डी.जी. इंडेक्स कार्यक्रम जो कि 2015–16 से 2020–21 के लिए तैयार किये गये, उसमें 12 एस0डी0जी0 तथा 36 एस0डी0जी0 उपलक्ष्यों की मूलभूत प्रगति लक्षित हुई।
- वर्ष 2021–22 में इन उपलक्ष्यों की संख्या बढ़ाकर 42 कर दी गयी थी।
- वर्ष 2022–23 से एस0डी0जी0 में 2 नये लक्ष्य (असमानता को कम करना तथा उत्तरदायित्व सहित उत्पादन तथा उपभोग) को शामिल किया गया। इसी प्रकार 4 नये उपलक्ष्यों को शामिल कर इंडेक्स का विस्तार किया गया।
- वर्ष 2023–24 का इंडेक्स 14 एस0डी0जी0, 48 उपलक्ष्यों तथा 127 संकेतकों पर आधारित है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2018–19 से 2023–24 तक एस.डी.जी. इंडेक्स में शामिल लक्ष्यवार एवं कुल संकेतकों की संख्या दी गई है।

तालिका–23.2

SDG Index Indicators Summary

Goals	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Goal 1	14	14	15	16	17	16
Goal 2	15	15	15	16	16	15
Goal 3	7	7	7	9	9	8
Goal 4	28	28	31	30	27	27
Goal 5	11	11	11	11	12	11
Goal 6	5	5	5	8	7	7
Goal 7	2	2	2	3	2	2
Goal 8	10	10	10	9	6	7
Goal 9	3	3	3	3	3	3
Goal 10	-	-	-	-	3	3
Goal 11	4	4	4	4	8	8
Goal 12	-	-	-	-	3	3
Goal 15	2	2	2	2	2	2
Goal 16	8	8	8	9	11	11
Total	109	109	113	120	126	123

स्रोत: सी.पी.पी.जी.जी., उत्तराखण्ड

इंडेक्स में लक्ष्यों, उपलक्ष्यों एवं संकेतकों का प्रगतिशील विस्तार वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने तथा उन्हें अपने विशिष्ट सामाजार्थिक और भौगोलिक सन्दर्भ के अनुरूप ढालने की उत्तराखण्ड राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

उत्तराखण्ड SDG इंडेक्स के उद्देश्य

उत्तराखण्ड एस0डी0जी0 इंडेक्स के निम्नलिखित लक्ष्य हैं–

1– सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना तथा उनकी उपलब्धियों की तुलना पिछले वर्षों एवं परस्पर करना।

2– जनपदों को ऐसे लक्ष्यों एवं संकेतकों की

पहचान करने में मदद करना जिनमें उनकी उपलब्धियां पिछले वर्षों की तुलना में अथवा लक्ष्य के सापेक्ष बहुत कम है।

3– रैंकिंग और प्रतिस्पर्धा– प्रत्येक एस०डी०जी० में उनके प्रदर्शन के आधार पर जनपदों को रैंक करना और जनपदों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना।

5– जवाबदेही को प्रोत्साहित करना– सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जनपदों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए रैंकिंग और मूल्यांकन का उपयोग करना।

एस०डी०जी० इंडेक्स, इन उद्देश्यों के माध्यम से उत्तराखण्ड में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और संसाधन आवंटन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की आकांक्षा रखता है। निम्नलिखित तालिका में उत्तराखण्ड एस०डी०जी० इंडेक्स के अन्तर्गत जनपदों की 2015–16 से लेकर 2023–24 तक की प्रगति (स्कोर एवं रैंक) दर्शाये गये हैं।

तालिका–23.3

Uttarakhand Composite Index: District Scores and Ranks Across the Years 2015 -16 to 2020-21

	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank
Uttarakhand	64		66		64		61		64		65		69		73		72	
Almora	64	4	68	4	64	4	62	3	64	5	66	3	67	8	68	10	65	11
Bageshwar	64	4	67	5	62	6	61	4	67	3	69	1	68	7	75	2	72	4
Champawat	64	4	60	8	53	8	56	7	63	6	67	2	71	3	73	6	72	4
Chamoli	62	5	69	3	65	3	60	5	66	4	66	3	69	6	74	4	67	9
Dehradun	71	1	70	2	69	1	71	1	70	1	67	2	73	2	75	2	76	2
Haridwar	55	9	54	10	59	8	59	6	62	7	53	9	59	12	64	12	62	12
Nainital	67	2	67	5	63	5	62	3	68	2	65	4	74	1	77	1	80	1
Pauri Garhwal	67	2	60	8	64	4	59	6	63	8	67	2	64	10	73	6	72	4
Pithoragarh	57	8	61	7	56	9	63	2	58	9	63	6	66	9	67	11	64	10
Rudraprayag	60	7	71	1	66	2	61	4	63	6	65	4	71	3	72	8	69	8
Tehri Garhwal	62	5	65	6	62	6	63	2	58	9	59	7	64	10	72	8	71	7
Udham Singh Nagar	61	6	59	9	60	7	53	8	54	10	58	8	54	13	60	13	62	12
Uttarkashi	65	3	69	3	65	3	61	4	63	6	64	5	70	5	74	4	74	3

स्रोत: सी०पी०पी०जी०जी० उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड भविष्य में भी राज्य का एस०डी०जी० इंडेक्स का Computation एवं प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जारी रखेगा, ताकि राज्य 2025 के राष्ट्रीय एस०डी०जी० इंडेक्स की तरह आने वाले वर्षों में भी अव्वल स्थान प्राप्त कर सके व राज्य की नीतियां जहां एक ओर एस०डी०जी० को प्राप्त करने में मददगार हों, वहीं ये नीतियां एवं कार्यक्रम साक्ष्य आधारित हों।

गेम चेंजर योजना

सशक्त उत्तराखण्ड @25 के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग को 02 गेम चेन्जर योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये है। 24 विभागों द्वारा गेम चेंजर योजनाओं का चिन्हीकरण किया गया है। गेम चेन्जर योजनाओं के अन्तर्गत जहां एक ओर नए अभिनव विचार लिए गए हैं वहीं विभागों की पूर्व से गतिमान योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से आगामी दो वर्षों में विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। विभिन्न विभागों द्वारा गेम चेंजर योजना के अन्तर्गत निम्न योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है:-

1. कृषि विभाग – ई– रूपी को गेम चेंजर योजना के रूप में लिया गया है। यह भारत का डिजिटल फार्म है। इसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसे डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम और सुरक्षा प्रणाली विकसित किया जायेगा। जिसके द्वारा लेनदेन की गति तेज होगी, सुरक्षा और पारदर्शिता में वृद्धि, वित्तीय समावेश बढ़ेगा जिससे अधिक लोगों को वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलेगा ई–रूपी के साथ दुरस्थ क्षेत्रों में भी वित्तीय सेवायें उपलब्ध होंगी। आर्थिक लाभ के अन्तर्गत ई–रूपी के साथ कर राजस्व में वृद्धि होगी, पर्यावरणीय लाभ के अन्तर्गत ई–रूपी के साथ कार्बन फुटप्रिंट कम होगा तथा साथ ही कागज और धातु का उपयोग कम होगा जिसके लिए योजना में 25 करोड़ रू0 का बजट प्रस्तावित है।

2. बदरीनाथ केदारनाथ समिति – "शीतकालीन चार धाम यात्रा" को गेम चेंजर योजनाओं के रूप में चयनित किया गया है। चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों की यात्रा को बढ़ावा दिये जाने के क्रम में मन्दिर समिति द्वारा श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम की शीतकालीन पूजा स्थलों एवं अधीनस्थ मन्दिरों की यात्रा हेतु प्रोत्साहित किया जाना है, जिस हेतु फिल्मी हस्तियों, प्रतिष्ठित खिलाड़ियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त महानुभावों से सम्पर्क स्थापित कर शीतकालीन यात्रा के प्रोत्साहन हेतु ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर इनकी सेवायें भी ली जा सकती है।

3. पशुपालन विभाग – वाइब्रेंट विलेज योजना को प्रथम गेम चेंजर के रूप में चयनित किया गया है, जिसके अन्तर्गत स्थानीय उत्पादों (जीवित बकरी/भेड़, कुक्कुट/ट्राउट मछली) की आपूर्ति भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी/फॉरमेशनों के लिये संगठित किसानों को प्रत्येक वर्ष रु0 20 करोड़ का व्यवसाय करने के अवसर प्राप्त होंगे। वर्तमान में चल रही ग्राम्य गोसदन योजना को द्वितीय गेम चेंजर के रूप में लिया गया है। इसके अन्तर्गत 08 जनपदों में 54 ग्राम्य गोसेवकों का चयन करते हुए मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये गये, जिनके द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विचरण कर रहे निराश्रित गर गोवंशीय पशुओं की संख्या में कमी हेतु कार्य किया जायेगा। जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन फसलों एवं जनमानस को हो रहे नुकसान एवं कठिनाईयों में कमी के साथ–साथ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा।

4. सगंध पौधा केंद्र (कैप)

सगंध पौधा केंद्र (कैप) की 'गेम चेंजर' योजना 'महक क्रांति' (2025–2035) सुगंधित पौधों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना 2035 तक चलेगी और इसका मुख्य लक्ष्य सात 'एरोमा वैली' की स्थापना करना है। ₹119 करोड़ के बजट वाली इस परियोजना का उद्देश्य सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, सुगंधित तेलों और उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना, और राज्य को सुगंधित पौधों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

5. मत्स्य विभाग –

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए योजनाएँ इस प्रकार हैं: फ्लोट फार्मिंग योजना, राज्य स्तरीय एकीकृत एक्वा पार्क, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत मत्स्य हैचरी का पीपीपी मोड पर संचालन ।

6. उद्यान विभाग –

उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजनायें राज्य में बागवानी के विकास को नई दिशा दे रही हैं। इनमें से दो गेम चेंजर योजनाएँ इस प्रकार हैं: एप्पल मिशन, नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत क्लस्टर पॉलीहाउस की स्थापना ।

7. वन विभाग –

उत्तराखंड का वन विभाग राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें से 'गेम चेंजर' योजनाएँ इस प्रकार हैं: उत्तराखंड ने इको–टूरिज्म तथा "गैर–प्रकाष्ठ वन उपज (NTFP) का विकास तथा हर्बल एवं इको–टूरिज्म परियोजना" जिसे दो चरणों में 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के 11 जनपदों को कवर किया जाएगा,

8. ग्राम विकास –

ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित 'गेम चेंजर' योजनाएँ इस प्रकार हैं: हाउस ऑफ हिमालयाज: इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना: इसके लिए 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

9. शहरी विकास –

पूरे राज्य में 100 नए पार्कों का निर्माण किया जाएगा (प्रस्तावित बजट ₹100 करोड़), AI के माध्यम से स्ट्रीट लाइट का मैनेजमेंट (प्रस्तावित बजट ₹ 275 करोड़)।

10. स्टाम्प एवं निबंधन विभाग – पेपरलेस रजिस्ट्रेशन ।

11. पंचायती राज विभाग – ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधा, एवं पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स आधारित थीमेटिक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का निर्माण ।

12. श्रम विभाग –मद्रश्रम पोर्टल तैयार करना तथा राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में चार मैदानी जिलों हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर को 'शून्य बाल श्रम क्षेत्र' बनाया जाना।

13. पर्यटन विभाग – उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024। इस योजना से प्रदेश के स्थायी निवासियों को पर्यटन सेक्टर गतिविधियों में 01 करोड़ से 05 करोड़ तक पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

14. परिवहन विभाग – पीएम ई–बस सेवा, इस योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इस योजना का अनुमानित बजट 20,000 करोड़ रुपये है। एवं द्वितीय गेम चेंजर योजना

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन रू इस योजना के पहले चरण में चार धाम मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये चार्जिंग स्टेशन 866 किलोमीटर के मार्ग को कवर करेंगे, जिससे चार धाम यात्रा पर जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को सुविधा होगी। इस परियोजना का अनुमानित खर्च 7.75 करोड़ रुपये है। द्वितीय चरण में 41 चार्जिंग स्टेशन एवं तृतीय चरण में 70 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

15. माध्यमिक शिक्षा विभाग – प्रोजेक्ट प्रज्ञा एवं वैश्विक संस्थाओं के सहयोग से हॉस्पिटैलिटी एंड कलिनरी क्षेत्र में छात्रों हेतु प्रशिक्षण ।

16. तकनीकी शिक्षा विभाग–ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं रोजगार योजनाएं ।

17. उच्च शिक्षा विभाग – समर्थ ई–गवर्नमेंट पोर्टल फॉर डिजिटलाइजेशन एवं देवभूमि उद्यमिता योजना।

18. कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग – मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना इस योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्किल सेंसस इसके लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। नियोक्ता और नौकरी चाहने वालों के लिए एकीकृत पोर्टल: इसके लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सेवायोजन कार्यालयों का पुनर्गठन: इस परियोजना की अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपये है। टारगेटेड ग्रुप के लिए नौकरी: इसके लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

19.नियोजन विभाग– सेतु आयोग का गठन, UIIDB का गठन, सर्विस सेक्टर नीति का गठन एवं परिवार पहचान पत्र को गेम चेंजर योजना के रूप में लिया गया है।

20. उर्जा विभाग– मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को गेम चेंजर योजना के रूप में लिया गया है।

21. चाय बोर्ड– पूर्व में चली आ रही टी टूरिज्म योजना (प्रस्तावित बजट रु0 15 करोड़) एवं टी इस्टेट होम स्टे योजना (प्रस्तावित बजट रु0 12 करोड़) को गेम चेंजर योजना के रूप में चयनित किया गया है।

22. सिंचाई विभाग –

बांध / बैराज निर्माण: इस परियोजना के लिए 4086 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

स्लोप स्टेबिलाइजेशन: इस परियोजना के लिए 177 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज कार्य: इस परियोजना के लिए 115 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

23. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा –

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ परामर्श, द्वार पर निदान सहायता, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य फैसिलिटी की अवधारणा को बढ़ावा देना, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) एवं नर्सिंग छात्रों के कौशल विकास ।

24. लोक निर्माण विभाग –

देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर चार लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण, देहरादून–मसूरी संयोजकता, देहरादून रिंग रोड, यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी

अध्याय–24

खेल एवं युवा कल्याण

Sports & Youth Welfare

"सभी के लिये खेल,

सभी के लिए स्वास्थ्य"

सभी वर्गों को स्वस्थ जीवन प्रणाली की ओर अग्रसर करने, युवाओं की मानसिक व शारीरिक तंदुरस्ती बढ़ाये जाने, खेलों के सर्वांगीण विकास हेतु खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल संघों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, खेल अवस्थापना विकास, खेल छात्रावासों, उदीयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना एवं खेल विद्यालय के संचालन के कार्य खेल विभाग में प्रमुख रूप से किये जाते हैं। खेलों के प्रदर्शन में राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतायें हासिल की है। इस राज्य ने ओलम्पियन तक के खिलाड़ी दिये हैं। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रतिभागिता कराये जाने एवं उल्लेखनीय सफलता प्राप्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा खेल नीति 2021 प्रख्यापित की गयी। राज्य में क्रीड़ा स्थलों का विकास/स्थापना कराते हुये स्वायत्तशासी खेल संस्थाओं व आयोजकों का भी सहयोग लिया जाना लक्षित है।

खेल (Sports)

24.1 खेल अवस्थापना सुविधाएं– राज्य में खेल विभाग की स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका 24.1 में प्रस्तुत है–

तालिका 24.1

क्र. सं.	खेल अवस्थापना का नाम	खेल अवस्थापना की संख्या
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम	02
2	स्टेडियम	20
3	बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल	17
4	इंडोर क्रीड़ा हॉल	27
5	तरणताल	05
6	आईस स्केटिंग रिंक	01

स्रोत : खेल विभाग, उत्तराखण्ड

24.2 जिला सेक्टर की योजनायें

24.2.1 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन– योजनान्तर्गत माह मार्च, 2024 तक 25977 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 217.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 137.00 लाख की धनराशि व्यय कर माह दिसम्बर, 2024 तक 11992 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.2 खेल प्रशिक्षण शिविर योजना–माह मार्च, 2024 तक लगभग 7851 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 526.24 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 358.03 लाख की धनराशि व्यय कर 6480 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.3 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजना– खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास खोले गये है। छात्रावासों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 395.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 285.46 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों तथा उनमें प्रशिक्षणरत छात्रों की संख्या निम्न तालिका 24.2 में प्रस्तुत है–

तालिका–24.2
आवासीय खेल छात्रावास

क्र.सं.	आवासीय क्रीड़ा छात्रावास	खेल	वर्ग	स्वीकृत सीट	भरी गयी सीट	कुल रिक्त सीट
1.	पौड़ी	बैडमिंटन	बालक	20	13	07
2.	कोटद्वार (पौड़ी)	बॉक्सिंग	बालक	25	19	06
3.	चमोली	वॉलीबॉल	बालक	20	17	03
4.	देहरादून	फुटबॉल	बालक	25	22	03
5.	हरिद्वार	हॉकी	बालिका	20	20	00
6.	टिहरी	क्रिकेट	बालक	20	19	1
7.	उत्तरकाशी	फुटबॉल	बालिका	20	17	03
8.	रुद्रप्रयाग	एथलेटिक्स	बालिका	25	25	00
9.	नैनीताल	फुटबॉल	बालक	25	25	00
10.	बागेश्वर	ताइक्वांडो	बालिका	20	00	00
11.	चम्पावत	बॉक्सिंग	बालक	20	17	03
12.	अल्मोड़ा	बैडमिंटन	बालिका	20	11	09
13.	पिथौरागढ़	बॉक्सिंग	बालिका	30	20	20
14.	ऊधमसिंह नगर	एथलेटिक्स	बालक	25	13	12
	कुल योग			310	238	72

स्रोत : खेल विभाग, उत्तराखण्ड

24.3 राज्य सैक्टर योजनायें

24.3.1 नकद पुरस्कार योजना– इस योजना के तहत खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन तथा भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। खेल नीति–2021 के प्राविधानों के आधार पर वर्तमान वर्ष 2024 में पुरस्कार की धनराशि में पूर्व देय धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 1050.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 533.00 लाख की धनराशि नकद पुरस्कार स्वरूप 229 खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रदान की गयी है। अन्य खिलाड़ियों हेतु पुरस्कार दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं जिन्हें पुरस्कार दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

24.3.2 खेल किट योजना–राज्य की टीम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ₹ 5000.00 तक के ट्रैकसूट, जूते, मोजे तथा खेलकिट प्रदान किये जाते हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 100.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.3 खेल संघों आदि को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान योजनाः– इस योजनान्तर्गत खेल संघों, क्लबों एवं अन्य खेल संघों को जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जाने एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 14.50 लाख की धनराशि व्यय कर प्रतियोगिता के आयोजन एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

24.3.4 विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न व द्रोणाचार्य अवार्ड योजनाः– इस योजनान्तर्गत राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार एवं प्रशिक्षक को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं खेलों के प्रति दिये गये योगदान हेतु लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना हेतु ₹ 30.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.5 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजनाः– उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2024–25 में 963 प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 931.13 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक 950 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है। इस हेतु ₹ 796.83 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.6 स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान योजनाः– जनपद देहरादून तथा पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित है, जिसमें खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने के साथ–साथ 413 प्रशिक्षणरत् खिलाड़ियों के लिए कक्षा 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित है। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, खेलकिट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 875.25 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 736.60 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.7 खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजनाः– इस योजनान्तर्गत राज्य स्तर की प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 1018.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वर्तमान में शासन द्वारा कुल 279 स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों की स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान में कुल 228 स्थानीय प्रशिक्षण संचालित है। जिस हेतु प्रशिक्षकों को मानदेय में माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 369.68 लाख का उपयोग किया गया।

24.3.8 पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजनाः– पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्टस, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 66.32 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 1.02 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका है। माह जनवरी/फरवरी, 2024 तक बेसिक स्कीइंग कोर्स का आयोजन किया

जाना प्रस्तावित है, जिसमें 100 प्रशिक्षु लाभान्वित होंगे।

24.3.9 राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना– विभाग द्वारा राज्य के 08 से 14 वर्ष के 3900 उदीयमान खिलाड़ियों को प्रतिमाह ₹ 1500/– एवं इसके साथ ही 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ियों हेतु भी प्रतिमाह ₹ 2000/– छात्रवृत्ति के साथ ही वर्ष में एक बार खेल उपकरण क्रय हेतु ₹ 10000/– की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 1000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 304.77 लाख का व्यय किया गया है।

24.3.10 खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा/आर्थिक सहायता– राज्य के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के दौरान दुर्घटना एवं चोटिल हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान किये की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नानुसार है–

(1) मृत्यु होने की दशा में– ₹ 5.00 लाख प्रति खिलाड़ी।

(2) स्थाई दिव्यांगता –

(क) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता– ₹ 4.00 लाख।

(ख) 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता – ₹ 2.00 लाख।

(3) गम्भीर चोट का उपचार–₹ 5000.00 प्रतिदिन, अधिकतम ₹ 1.00 लाख।

(4) बीमारी/साधारण चोट– ₹ 50 हजार अधिकतम अथवा वास्तविकता पर।

24.3.11 स्टेडियम एवं इंडोरहॉल निर्माण योजना– वर्तमान में 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 26 स्टेडियम, 17 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल, 27 इंडोर क्रीड़ाहॉल, 05 तरणताल तथा 01 आईस स्केटिंग रिंक स्थापित है, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 15000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में खेल अवस्थापना सुविधाओं के नवीन निर्माण कार्यों हेतु ₹ 9807.56 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 8260.40 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.3.12 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजना– राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियां व अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ होने से वर्तमान तक निम्न कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है–

1. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में इंडोर क्रीड़ाहॉल का निर्माण कार्य।
2. रोशनाबाद हरिद्वार के हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य।
3. जनपद देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य।
4. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण
5. रोशनाबाद, हरिद्वार में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण
6. राष्ट्रीय खेलों हेतु भारत सरकार के अनुदान के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में छात्रावास (200 बैडेड) निर्माण
7. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक्स पवेलियन भवन के उच्चीकरण का कार्य।
8. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के शूटिंग हॉल के उच्चीकरण का कार्य।
9. जनपद–हरिद्वार के रोशनाबाद में दर्शकदीर्घा, पार्किंग, बाह्य जल निकासी प्रबन्धन का कार्य।

10. पिथौरागढ़ में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण।

11. जनपद देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में एथलेटिक्स पवेलियन भवन में स्टील ट्रस कैनोपी एवं दर्शक हेतु सीट का कार्य।

12. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।

13. नैनीताल के अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स के निर्माण।

14. जनपद देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में मल्टीपरपज हॉल का अतिरिक्त कार्य।

15. जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलैक्स, गौलापार, हल्द्वानी में दर्शकदीर्घा टाइलेट ब्लाक एवं ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य।

16. जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलैक्स हल्द्वानी, नैनीताल के परिसर में निर्माणाधीन स्वीमिंग एवं डाइविंग पुल के विविध कार्यों के सम्बन्ध में।

17. जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलैक्स हल्द्वानी, नैनीताल के परिसर में drex light।

18. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य।

19. जनपद ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य।

20. जनपद ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर में वेलोड्रोम का निर्माण कार्य।

21. स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोशनाबाद हरिद्वार में स्वीमिंग पूल निर्माण कार्य।

22. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, हल्द्वानी के पुराने तरणताल को ओवर हेड टैंक किये जाने हेतु।

23. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हल्द्वानी के क्रिकेट ग्राउण्ड को फुटबाल ग्राउण्ड में परिवर्तित किया गया है।

24. रोशनाबाद हरिद्वार में फुटबॉल ग्राउण्ड का निर्माण किया गया है।

वर्तमान में धनराशि से निम्न निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं–

1. जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स काम्पलैक्स हल्द्वानी, नैनीताल के परिसर में निर्माणाधीन स्वीमिंग एवं डाइविंग पुल के विविध कार्य।

2. जनपद रूद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।

3. जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश के मौजा खदरीखड़कमाफ में बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्यों हेतु।

4. जनपद ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर में इन्डोर बैडमिन्टन हॉल के अनुरक्षण के कार्य।

5. जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में इन्डोर बैडमिन्टन हॉल के अनुरक्षण के कार्य।

6. जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र गदरपुर में एक्सरसाईज हॉल के निर्माण कार्य।

7. मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा 295/2022 "चम्पावत में शूटिंग रेंज का निर्माण किया जायेगा" सम्बंधी कार्य।

8. श्री पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल में स्टेडियम का निर्माण कार्य।

9. मा० मुख्यमंत्री घोषणा–305/2023 हेमवती नन्दन बहुगुणा स्टेडियम, अल्मोड़ा में खिलाड़ियों के रात्रि अभ्यास व रात्रि खेल आयोजन किये जाने हेतु 'रात्रि स्टेडियम' के रूप में विकसित किया जायेगा"।

10. श्रीकोट गंगोली स्टेडियम, श्रीनगर में 400 मी0 08 लेन एथलेटिक सिन्थेटिक ट्रैक/एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक निर्माण कार्य।

11. हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज हेतु 08 लेन 400 मी0 एथलेटिक सिन्थेटिक ट्रैक निर्माण कार्य।

12. जनपद– हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद के वंदना कटारिया स्टेडियम में डी0आई0पी0 सीटिंग एवं मल्टीपरपज हॉल का अतिरिक्त निर्माण कार्य।

13. जनपद– हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद के वंदना कटारिया स्टेडियम में डी0आई0पी0 सिटिंग एवं दर्शक दीर्घा के अतिरिक्त निर्माण कार्य।

14. जनपद–देहरादून के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी मैदान के दर्शक दीर्घा का निर्माण कार्य।

15. जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत इंडोर बैडमिन्टन हॉल का निर्माण कार्य।

16. जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज, फुटबॉल ग्राउण्ड हेतु में 25 फीट ऊंची चैनलिंक फेंसिंग का निर्माण कार्य।

17. जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में फुटबॉल मैदान का निर्माण कार्य।

18. CONSTRUCTION OF FOOTBALL FIELD IN EXISTING CRICKETFIELD AT IGISC GOLAPAR, HALDWANI.

19. RENOVATION WORK OF RGICS AT RAIPUR, DEHRADUN.

24.4 केन्द्र पोषित योजनायें

24.4.1 खेलो इंडिया योजना:– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में 02–02 खेल हेतु 'खेलो इण्डिया' सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

क्र0 सं0	जनपद	खेलो इण्डिया सेन्टर का स्थान	प्रस्तावित खेल
1	अल्मोड़ा	एच0एन0बी0 स्पोर्ट्स स्टेडियम, अल्मोड़ा।	हॉकी
		एच0एन0बी0 स्पोर्ट्स स्टेडियम, अल्मोड़ा।	ताइक्वांडो
2	बागेश्वर	स्पोर्ट्स स्टेडियम, बागेश्वर।	बॉक्सिंग
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, कठायत बाड़ा, बागेश्वर।	ताइक्वांडो
3	चमोली	स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोपेश्वर, चमोली।	फुटबॉल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोपेश्वर।	टेबल टेनिस
4	चम्पावत	स्पोर्ट्स स्टेडियम, टनकपुर, चम्पावत।	फुटबॉल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, लोहाघाट।	एथलेटिक्स
5	देहरादून	स्पोर्ट्स स्टेडियम, परेड ग्राउण्ड, देहरादून।	जूडो
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, देहरादून।	फुटबॉल

6	हरिद्वार	स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद, हरिद्वार।	कुश्ती
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोशनाबाद।	हॉकी
7	नैनीताल	इन्दिरा गाँधी इन्टरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स गौलापार, हल्द्वानी, नैनिताल।	हॉकी
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, हल्द्वानी।	बालीबॉल
8	पौड़ी गढ़वाल	शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार।	फुटबॉल
		शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोटद्वार।	तीरदांजी
9	पिथौरागढ़	श्री सुरेन्द्र सिंह वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़।	एथलेटिक्स
		श्री सुरेन्द्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़।	फुटबॉल
10	टिहरी गढ़वाल	पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम मुनीकीरेती, ढालवाला, टिहरी गढ़वाल।	फुटबॉल
		पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, टिहरी।	खो–खो
11	रूद्रप्रयाग	स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगस्त्यमुनी।	हैण्डबॉल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, अगस्त्यमुनि।	फुटबॉल
12	उधमसिंहनगर	श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।	वॉलीबाल
		स्पोर्ट्स स्टेडियम, रूद्रपुर।	फुटबॉल
13	उत्तरकाशी	स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा, उत्तरकाशी।	एथलेटिक्स
		स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा, उत्तरकाशी।	फुटबॉल

मुख्य उपलब्धियां / नवाचार
(Major Achievements)

- **मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना / प्रोत्साहन योजना–** विभाग द्वारा 08 से 14 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक एवं 150 बालिका कुल 3900 खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500/– छात्रवृत्ति एवं 14 से 23 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 100 बालक एवं 100 बालिकाओं कुल 2600 खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000/– छात्रवृत्ति दिये जाने के साथ ही 10000/– प्रति खिलाड़ी खेल उपकरण हेतु दिया जा रहा है जो भविष्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित करेंगे।
- **खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा / आर्थिक सहायता प्रदान करना –** खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा / आर्थिक सहायता देने संबंधी शासनादेश के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के दौरान एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण के दौरान चोटिल अथवा मृत्यु होने पर खिलाड़ी को कम से कम ₹ 50 हजार एवं अधिकतम ₹ 05.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।
- **मुख्यमंत्री खेल विकास निधि–** जिसके अनुसार परिवार, गांव, ब्लॉक, तहसील स्तर से प्रतिभाएं और युवा वर्ग के पास योगिताओं का प्रचुर मात्रा में भण्डार है, उसका सुसंगत एवं व्यवस्थित ढंग से चयन व विकास की आवश्यकता एवं प्रतिस्पर्धा, जानकारी, प्रचार–प्रसार की दृष्टि से मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन होने के बाद गांव स्तर से लेकर प्रदेश तक श्रृंखलाबद्ध ढंग से एकरूपता देखने को मिलेगी। खिलाड़ियों को योजनाओं की पारदर्शी ढंग से अधिक से अधिक लाभ देने एवं गांव स्तर से प्रदेश स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों को विभिन्न नव खेलों में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय एवं परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिये "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि" का गठन किया गया।
- **आउट आफ टर्न सेवायोजन–** शासनादेश संख्या 728 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित / अराजपत्रित पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर कुल 27 खिलाड़ियों को सेवायोजित किये जाने हेतु नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं।
- **खिलाड़ियों के दैनिक मानदेय / भोजन भत्ता में वृद्धि–** खेल विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों / सदस्यों / ऑफिशियल / निर्णायकों का दैनिक मानदेय / भोजन भत्ता ₹ 175.00/– से बढ़ाकर ₹ 250.00/– प्रतिदिन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि –** खेल विभाग में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों के मानदेय में 78 प्रतिशत से 140 प्रतिशत तक वृद्धि की गयी है। जिन कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों को पूर्व में ₹ 5,000, ₹ 7,000, ₹ 10,000, ₹ 14,000, ₹ 17,000 एवं ₹ 20,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, उनको वर्तमान में क्रमशः ₹ 12,000, ₹ 15,000, ₹ 20,000, ₹ 25,000, ₹ 35,000 एवं ₹ 45,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।
- **विधानसभा सत्र में खेल विश्वविद्यालय का विधेयक पास किया गया।**
- **राज्य के खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर 04 प्रतिशत आरक्षण–** इससे खिलाड़ी खेल कोटे के आधार पर राज्याधीन सेवाओं के सीधी भर्ती के पदों पर 04 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर सकता है।
- **38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन –** उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दिनांक 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 में जनपद के 05 जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़) में किया जायेगा।

भावी योजनाएं वर्ष 2024–25

राज्य में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करना।	खिलाड़ियों को उनके खेलों में उच्च स्तर का शोध कार्य किये जाने हेतु राज्य में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण।
राज्य में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खोलना।	महिला खिलाड़ियों को उनके खेलों में और अधिक प्रभावशाली प्रशिक्षण एवं साथ–साथ शैक्षिक गतिविधियों को भी बनाये रखने हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण
राज्य खेल विकास संस्थान एवं खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना।	केन्द्र की स्थापना से खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा एवं इस क्षेत्र में शोध कार्य से राज्य के खिलाड़ियों को उनके कौशल विकास में सहायता प्राप्त होगी।
राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विदेशी प्रशिक्षक को अनुबंध के आधार पर तैनात किया जायेगा।
राज्य के खिलाड़ियों को राज्य परिवहन बसों में प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण में प्रतिभागिता के दौरान निःशुल्क यात्रा	राज्य के खिलाड़ी एवं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता राज्य की परिवहन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे।
महाविद्यालयों / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत का उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा प्रदान किये जाने की योजना	इस योजना से राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु खेल कोटे के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त कर पायेंगे।

तालिका–24.3
खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदान किये गये अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	खिलाड़ी / प्रशिक्षक का नाम	देय धनराशि (रू0 में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार	VISHAL THAPA	30000/-
2.		NIKITA CHAND	100000/-
3.		HEM CHANDRA	75000/-
4.		SALONI	33333/-
5.		VANSH UPADHYAY	375000/-
6.		PHAIREMBAM SONIYA DEVI	750000/-

7.	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार	RAVI PAL	375000/-
8.		KAVITA DEVI	20000/-
9.		NAVYA PANDEY	1050000/-
10.		ADARSH SHARMA	150000/-
11.		YUVRAJ SINGH KHATI	100000/-
12.		NIRMALA DEVI	375000/-
13.		AMEESHA CHAUHAN	5000000/-
14.		JAI PRAKASH	150000/-
15.		KAMAL SINGH	750000/-
16.		CHIRAG BARETHA	1312500/-
17.		SAGAR THAYAT	187500/-
18.		MANDEEP KAUR	1125000/-
19.		MANDI SARKAR	750000/-
20.		BRIJESH TAMTA	243750/-
21.		PRIYANSHU	100000/-
22.		LAKSHYA SEN	5000000/-
23.		KAJAL	75000/-
24.		HARDIK	50000/-
25.		ANKITA	5000000/-
26.		BARENDRA SINGH	75000/-
27.		SURAJ PANWAR	5000000/-
कुल योग			**28252083/-**

Note : 24.6 (केन्द्र पोषित योजनायें)

24.5 युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल

Youth Welfare & PRD

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न जनोपयोगी कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा युवाओं के कल्याणार्थ, स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण, खेल गतिविधियों एवं खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक गतिविधियों में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है। इसी के तहत जिला सैक्टर एवं केन्द्र/राज्य सैक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जिला सैक्टर योजनायें :–

24.5.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता– योजना के अंतर्गत न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का

आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 167.45 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष ₹ 117.27 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कुल 612 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

24.5.2 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन– वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत कुल ₹ 23.66 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 10.93 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कुल 328 युवक एवं महिला मंगल दलों, महिला संगठिकाओं, क्षेत्र युवक समिति तथा जिला युवक समिति के प्रोत्साहन/सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोग किया गया है।

24.5.3 समाज सेवा/सुरक्षा कार्य– प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों से समय–समय पर होने वाले मेलों, तीर्थयात्रा, दैवीय आपदाओं, निर्वाचन ड्यूटियों एवं अन्य शासकीय कार्यों के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। इस हेतु योजना में सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 2040.30 लाख की धनराशि अवमुक्त करायी गयी, जिससे उन्हें विभिन्न विभागों में शासकीय कार्यों सम्पादनार्थ तैनात कर ₹ 1267.77 लाख का उपयोग करते हुए 2,15,212 मानव दिवस सृजित किये गये।

24.5.4 विवेकानन्द यूथ अवार्ड योजनान्तर्गत– युवक/महिला मंगल दलों के द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर अलग–अलग तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर विवेकानन्द यूथ एवार्ड के तहत नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 5.24 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके सापेक्ष ₹ 2.12 लाख की धनराशि व्यय करते लगभग 102 युवा दलों को यूथ अवार्ड प्रदान किये गये।

24.5.5 युवा केन्द्र की स्थापना/ रख–रखाव– युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संचालित करने, जनपद में सांस्कृतिक/साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, खेलकूद के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपदों में युवा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 45.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है जिसके सापेक्ष ₹ 30.00 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 06 युवा केन्द्रों में अनुरक्षण आदि का कार्य किया जाना है।

24.5.6 ग्रामीण व्यायामशालाओं का संचालन– इस योजना के अंतर्गत युवाओं में शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर व्यायामशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 13.74 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 8.10 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 11 व्यायामशालाओं को धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

24.5.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजना में युवाओं, महिला मंगल दलों एवं अन्य लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 43.36 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई, जिसके सापेक्ष ₹ 20.78 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 535 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.5.8 युवा महोत्सव– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 38.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष ₹ 51.51 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 119 दलों को योजना से लाभान्वित किया गया। इसके अंतर्गत विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करवाया गया।

24.6 राज्य / केन्द्र पोषित योजनायें:–

24.6.1 युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल महाकुम्भ का आयोजन– राज्य में दुरस्थ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने हेतु विभाग द्वारा "खेल महाकुम्भ" का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से न्याय पंचायत, विकास खण्ड व जनपद स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में प्रत्येक वर्ष औसतन 2.25 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर लगभग 2.70 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा चुका है। योजनान्तर्गत ₹ 2700.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 854.87 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इससे युवाओं को खेल कोटे के अंतर्गत सेवा में भी लाभ प्राप्त हो रहा है। युवा कल्याण विभाग में खेल कोटे के तहत 04 खिलाड़ियों को तैनाती दी गयी है।

24.6.2 आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण– राज्य में खिलाड़ियों के विकास हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष कुल ₹ 100.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। योजना में जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण कार्य गतिमान है। वर्तमान में विभाग के पास कुल 06 मल्टीपरपज हॉल हैं।

मिनी स्टेडियम / खेल मैदान के निर्माण हेतु रू0 1500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। विभाग के पास कुल 85 खेल अवस्थापनायें निर्मित हैं तथा 25 मिनी स्टेडियम / खेल मैदानों का निर्माण प्रगति पर है। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 248.11 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 07 खेल अवस्थापनाओं हेतु धनराशि जारी की गयी है।

24.6.3 राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन– राज्य में युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर विजयी प्रतिभागियों एवं सांस्कृतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव में प्रतिभाग करवाया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 1000.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है। महोत्सव का आयोजन स्वामी विवेकानन्द जी के जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें राज्य के लगभग 580 कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

24.6.4 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना– राज्य में निर्मित खेल मैदानों, मिनी स्टेडियमों, व्यायामशालाओं, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल के रख–रखाव, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड में 02 खेल प्रशिक्षक तैनात किये जाने की योजना स्वीकृत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य में कुल 101 खेल प्रशिक्षकों की तैनाती की गयी है। इस हेतु ₹ 223.77 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है, जिसमें से ₹ 127.72 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.6.5 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को पी0आर0डी0 नियमावली के तहत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है। प्रशिक्षण उपरान्त इन्हें विविध जनपयोगी कार्य, निर्वाचन कार्य, धार्मिक पर्वों, यात्रा सीजन, मेला एवं आपदा प्रबन्धन आदि कार्यों में ड्यूटी उपलब्ध करवाकर रोजगार प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 200.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष लगभग 310 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

24.6.7 निर्वाचन, चारधाम, कुम्भ मेला व आपदा आदि में पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की तैनाती– राज्य में इस वर्ष हुए चारधाम यात्रा/पर्यटन सीजन ड्यूटी में 2000 तथा निर्वाचन ड्यूटी में 5858 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिसमें उनके द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों का पंजीकरण, सुरक्षा ड्यूटी, विभिन्न चैकपोस्टों तथा निर्वाचन के दौरान पोलिंग बूथों में अपनी ड्यूटी दी गयी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना मद से कुल ₹ 3400.00 लाख के सापेक्ष समस्त जनपदों द्वारा ₹ 2545.24 लाख की धनराशि मानदेय तथा विभिन्न मदों पर व्यय की गयी।

24.6.8 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण– खेल महाकुम्भ में चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने प्रति जनपद 216 खिलाड़ियों के सापेक्ष कुल 2808 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित धनराशि ₹ 150.00 लाख के सापेक्ष जनपदों को प्रशिक्षण हेतु ₹ 149.99 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

24.6.9 युवा मंगल दलों को आर्थिक सहायता– युवक मंगल दल/महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासकीय नीतियों के तहत स्वावलम्बन सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 36.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है।

24.6.10 मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना– राज्य के सभी मंगल दलों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ की गयी। विगत वर्ष योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 13531 युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के क्रियान्वयन हेतु उनके बैंक खातों में ₹ 14,268 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में मंगल दलों के क्रियान्वयन हेतु ₹ 500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित करायी गयी है।

24.6.11 अनुसूचित जाति के युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम– योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 600.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष ₹ 492.24 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके सापेक्ष 3145 युवाओं को असिस्टेन्ट ब्यूटी थेरेपिस्ट, रिटेल सेल्स एसोसिएट, मल्टी कुजिन कुक, फूड एण्ड बेवरेज सर्विस, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, आर्गेनिक ग्रोवर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

24.6.12 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपद ऊधमसिंहनगर के सितारगंज में मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना हेतु ₹ 100.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

24.6.13 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं विभिन्न युवा दिवसों का आयोजन– स्वामी विवेकानन्द जी की जयंती अर्थात 12 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन जनपद नैनीताल में प्रस्तावित है। इस अवसर पर युवाओं हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु ₹ 60.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

24.6.14 राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर विशेष कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 90630 छात्र संख्या

आयोजित है। इसके अंतर्गत सामान्य शिविरों तथा विशेष शिविरों के आयोजन किये जाते हैं, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा एकमुश्त धनराशि एन०एस०एस० प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाती है।

भविष्य की योजनाएं

- राज्य में युवाओं तथा आमजन हेतु यू०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत राज्य के 119 स्थानों पर नाबार्ड के माध्यम से ओपन जिम स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।
- ग्राम पंचायत अथवा ब्लाक लेवल पर युवाओं से सम्बन्धित समस्त जानकारी एक स्थान पर प्राप्त करने एवं मंगल दलों के उपयोगार्थ मिलन केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) की आवश्यकता महसूस की जा रही है अतः विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये जाने का उद्देश्य है।
- उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष आने वाली आपदाओं के मद्देनजर पी०आर०डी० के युवाओं का एक आपदाराहत दल स्थापित करने की आवश्यकता है जो कि प्रत्येक जिला, तहसील एवं ग्रामों तक प्रथम सहायता का कार्य करेंगे तथा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं राहत उपकरणों से परिपूर्ण होंगे। प्रारम्भिक रूप से प्रत्येक जनपद में इसकी 20–25 युवाओं की यूनिट गठित की जाएगी।
- युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु नयी युवा नीति का निर्माण किया जाना प्रस्तावित।
- दृष्टिपत्र के अनुरूप भविष्य में युवा मंगलदल आयोग के गठन हेतु कार्य किया जायेगा।

11 दिसम्बर को आयोजित प्रान्तीय रक्षक दल स्थापना दिवस

"प्रान्तीय रक्षक दल स्थापना दिवस" कार्यक्रम के अवसर पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त जनपदों से लगभग 320 पी०आर०डी० स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर पी०आर०डी० स्वयंसेवकों द्वारा भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया।

1– प्रान्तीय रक्षक दल का स्थापना दिवस के अवसर पर घायल/मृत कुल 15 पी०आर०डी० स्वयं सेवकों के आश्रितों को ₹ 14.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।

2– सेवानिवृत्त हुए 12 पी०आर०डी० स्वयं सेवकों (प्रति स्वयं सेवकों ₹ 1.00 लाख) को एकमुश्त ₹ 12.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी।

3– पी०आर०डी० स्वयंसेवकों के बच्चों को हाईस्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर 10 मेधावी छात्रों को कुल ₹ 15000.00 (प्रति छात्र ₹ 1500.00 प्र० माह हेतु) तथा इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण एवं स्नातक कक्षा में अध्ययनरत मेधावी 08 छात्रों को कुल ₹ 48000.00 (प्रति छात्र ₹ 6000.00 प्र० माह हेतु) प्रदान किये गये। इसके साथ ही तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत 10 छात्रों को कुल ₹ 120000.00 (प्रति छात्र ₹ 12000.00 प्र० माह हेतु) प्रदान किये गये।

अध्याय–25
समाज कल्याण
Social Welfare

उत्तराखण्ड राज्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या 10086292 में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1892516 व अनुसूचित जाति की जनसंख्या 291903 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 19 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 03 प्रतिशत है।

25.1 समाज कल्याण पेंशन योजनाएं:–

विभाग द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, किसान पेंशन एवं दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना संचालित की जा रही हैं, जिनकी दिसम्बर, 2024 तक की प्रगति चार्ट 25.1 एवं 25.2 में निम्न प्रकार है–

चार्ट 25.1

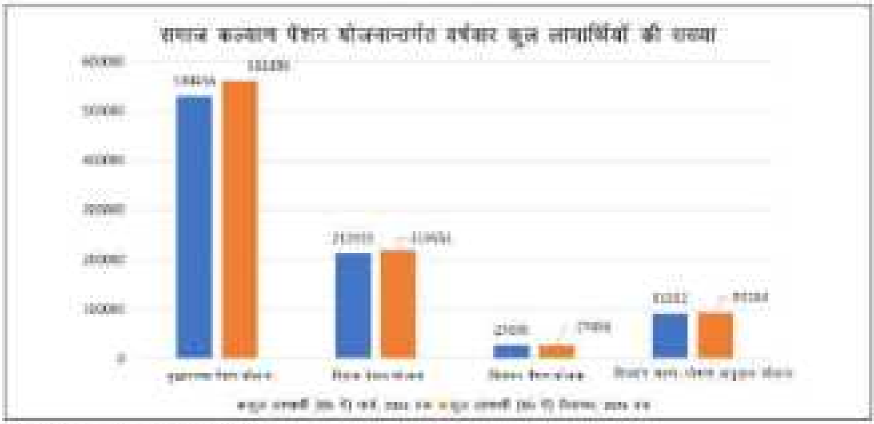

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट 25.2

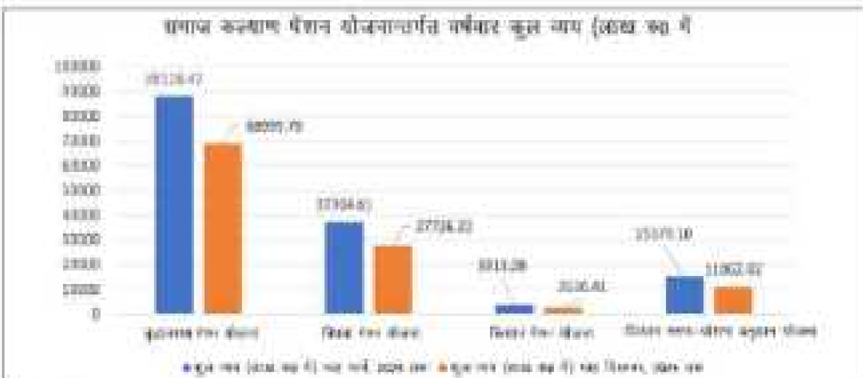

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.2 अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं:–

25.2.1 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना:– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अभिभावकों की कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल(National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 558.03 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 70854 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि 08 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.2.2 अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 09 व 10 छात्रवृत्ति योजना:– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 तक के छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम ₹ 2.50 लाख तक निर्धारित की गयी है, को डे–स्कालर को ₹ 3500/– वार्षिक एवं हॉस्टलर को ₹ 7000/– वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसका 90 प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल(National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 7.725 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 1950 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 08 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.2.3 अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रवृत्ति:– अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम ₹ 2.50 लाख तक है, को दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को अकादमिक एलाउन्स के रूप में ग्रुप–I के डे स्कालर छात्रों को ₹ 7000/–, हास्टलर ₹13500/– ग्रुप–II के छात्रों को डे स्कालर ₹6500/–, हास्टलर ₹9500/– ग्रुप –III के छात्रों को डे स्कालर को ₹3000/– हास्टलर ₹ 6000/– तथा ग्रुप–IV के छात्रों डे स्कालर ₹2500/– हास्टलर ₹ 4000/– वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति के साथ–साथ अनावर्ती सहायता भी दिये जाने का प्राविधान है। जिसका 60 प्रतिशत व्ययभार केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 1025.79 लाख धनराशि व्यय करते हुए वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 16348 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 08 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.3 अनुसूचित जाति हेतु संचालित अन्य योजनाएं:–

25.3.1 अटल आवास योजना:– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 तथा ₹ 32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आय वाले आवासविहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही थी। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 267.20 लाख की धनराशि व्यय कर 367 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। शासनादेश संख्या 1329/XVII-2/22-

19(01)2019 दिनांक 18 नवम्बर 2022 के द्वारा आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ₹1,30,000 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु ₹1,20,000 निर्धारित कर दी गई है तथा परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹ 48,000 वार्षिक अथवा इससे कम होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2023–24 के लाभार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय किश्त हेतु ₹ 49.30 लाख की धनराशि व्यय कर 116 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.2 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालनः–शासनादेशानुसार निःशुल्क कोचिंग हेतु छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख निर्धारित है। कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजना के संचालन हेतु ₹ 1100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई।

25.3.3 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, छात्रावासों एव पुस्तकालय हेतु अनुदान–वर्तमान में विभाग द्वारा 10 विद्यालय, 2 छात्रावास एवं 2 प्राविधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं। जिनमें 05 विद्यालय आवर्तक तथा 05 अनावर्तक अनुदान के अन्तर्गत अनुदानित है। योजना हेतु वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक ₹ 369.31 लाख की धनराशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक ₹ 33.09 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.3.4 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन–विभाग द्वारा वर्तमान में 15 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 696 है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में ₹ 621.54 लाख बजट प्रावधान किया गया था। माह–मार्च 2024 तक ₹ 340.26 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 609.51 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है माह–दिसम्बर 2024 तक ₹ 287.15 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.3.5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः–विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 378.51 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह–मार्च 2024 तक ₹273.36 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वर्ष 2024–25 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 381.34 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह–दिसम्बर 2024 तक ₹ 220.57 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.3.6 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः–योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें संचालित की जाती है। वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 4000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया, माह–मार्च 2023 तक ₹3961.12 लाख की धनराशि से 356 योजनायें स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 6000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया, माह–दिसम्बर 2024 तक ₹ 357.84 लाख की धनराशि से 14 योजनायें स्वीकृत की गई है।

25.3.7 अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान–इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आवेदक बी०पी०एल० श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उनकी वार्षिक आय ₹ 48,000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह हेतु एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियां ही पात्र होंगी। पात्र आवेदकों को ₹ 50000/– बैंक खाते के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को विभागीय पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजनान्तर्गत ₹903.00 लाख की धनराशि व्यय कर

1806 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹1533.00 लाख की धनराशि व्यय कर 3066 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

25.3.8 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना:– अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजनान्तर्गत ₹155.87 लाख की धनराशि व्यय कर 139 बालकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 95.60 लाख की धनराशि व्यय कर 120 बालकों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.9 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न– वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजना में ₹ 208.12 लाख की धनराशि व्यय कर 180 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 से लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान PFMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹141.66 लाख की धनराशि व्यय कर 158 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.10 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) :– सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड राज्य हेतु 500 से अधिक आबादी वाले ऐसे ग्राम, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक की आबादी अनुसूचित जाति की हो, का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, जिससे सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सभी अवसंरचना एवं सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार हो। इन ग्रामों में वह सब ऐसी बुनियादी सेवाओं की सुविधाएं मिलेंगी जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिले ताकि वह अपनी संभाव्यताओं को पूरा उपयोग कर सके। इस प्रकार योजना में चयनित ग्रामों को एक "आदर्श ग्राम" बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें केन्द्र सरकार से अन्तर–पाटन निधि (Gap-Filling Fund) के रूप में ₹ 20.00 लाख तथा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों हेतु ₹ 1.00 लाख (केन्द्र, राज्य, जिला व ग्राम का भाग 1:1:1:2), कुल ₹ 21.00 लाख प्रति ग्राम निर्धारित है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक कुल ₹ 4483.09 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 तक ₹ 4413.74 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। वर्तमान तक राज्य में चयनित 383 ग्रामों के सापेक्ष निम्नलिखित 170 ग्रामों को ऑनलाईन "आदर्श ग्राम" घोषित किया गया है–

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) :– वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बालक एवं बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है–

तालिका 25.1

क्र0	जनपद का नाम	कुल चयनित ग्राम	अद्यतन ऑन लाईन घोषित आदर्श ग्रामों की संख्या	अद्यतन ऑनलाईन घोषित आदर्श ग्रामों के नाम
1	अल्मोड़ा	49	30	दशोली बढ़ियार, खाकर, फनुबाद्योखन, काण्डे, सल्ला, झलोड़ी, मनियागर, ऐना, कापिना, नाटा डौल, बजूड़ा, मल्लूड़ा , कोटयूरा, पल्यूनानक, बैनक, पैटशाल, खौड़ी, पाटिया, रीलगांगूठ, छानाखरखोटा, नली मल्ली, हरोभीलेखी, नौला, जल भौलाड, खातिलाड़ी, नागर, कुनौली मव गूंठ, कामदी, बनकोट, कुनाड़ी।
2	बागेश्वर	20	15	अनार्सों, चौड़ा, बौगाड़खीना, भटखोला, फिनखोली, सिमकुना, लमचूला, सरखुली, ओखलीसिरोड़, चचई, रिखाड़ी, भैंसचकरटा, घटगाड़, सैंज, आरे।
3	चमोली	11	9	हेलंग, पूर्णा, बूरा, जोरासी, मजोली, सलना, हरिनगर सेटाल, चटोलीकिरोली, खेतामनवाती ।
4	चम्पावत	6	4	नरसिंह डांडा, मौनकाण्डा, बिष्टा तिवारी, मंजुवा
5	देहरादून	22	17	मलेथा, समाल्टा दवौली, धौरा, पशाड़ियान, कोटड़ा कल्याणपुर, कुराड़ खनाड़ सिचाड़, हाजा, कोटा मतनू, थाता, मिस्सरापट्टी, साबढ़ा, बावनधार, सराड़ी, मंझगांव, हजटा, बुरास्या, बंशीवाला ।
6	हरिद्वार	99	21	अन्नेकी हेतामपुर, भगतोवाला माजरा देहात, पूरणपुर, फुरली, बुड्ढनपुर, बूढ़पुर जट, महतोली, लालरदेवा हूण, नारसान खुर्द, सांतीपुर, मौहना, सिकन्दरपुर, पीतपुरा, अलावलपुर, लठ नौता, हबीबपुर निवादा, मुन्नेत, बेलड़ी सलापुर, ठसका, सहदेवपुर शाहबाजपुर, नगौली,

7	नैनीताल	45	27	गांधीनगर, चन्दनगर, माळधनचौड़, कुरियागांव, छारना, दीनीमल्ली, देवीपुरा, दीनी तल्ली, गहना, ल्वेशाल, आनन्द नगर, बबियाड़, हरिनगर अक्सोरा, गोपाल नगर, गौतमनगर, बिलटोना, धौरिया, खनस्यूं, सल्ला गांव, ओडीगांव, म्हौला, कुन्सौला, सियालकोट तल्ला, अक्सौडा, पटरानी, लोशज्ञानी, मूल।
8	पौड़ी	8	1	उफल्डा
9	पिथौरागढ़	24	9	चिमकुन्या टिमटा, चिटगल, कोपेरा, गैरी, डाम्डे, म्यासी कोट, रणकोट धपौली, डुगराऊलीसेरा, बैतडी।
10	रूद्रप्रयाग	18	12	सिल्लाबामन, बीरा, केंगु, बीरोंदेवाल, गोती, जखमाडी मल्ली, कमसाल, नदपाडी, डीमां, सौरमट गांव, जगोठ, कण्डी।
11	टिहरी	14	10	डुंगरबौली, रतोली, कफलोग, रगस्या, कस्वेरी, जाखन्ध, मन्दार, पजी तल्ली, पौखरी, गढ़सिंदवाल गांव।
12	ऊधमसिंह नगर	51	9	गोथा, भरतपुर, रतनपुर, शिवराजपुर, लखनपुर, खलडिया, गदरपुरी, नवलपुर, ललपुर।
13	उत्तरकाशी	18	6	पौंटी, छेजुला, थाती, किमाणा, सट्टा, धाकडा।
कुल योग		383	179	—

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.4 दिव्यांग कल्याण

तालिका 25.2

क्र सं.	छात्रावास का विवरण	निर्माण कार्य की कुल लागत	केन्द्रांश प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	शहीद दुर्गामल्ल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून में 50 बालकों हेतु छात्रावास का निर्माण।	429.23	81.25	81.25	30%	कॉलम कास्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाइंस नैनीताल में 100 बालकों हेतु छात्रावास का निर्माण।	523.17	162.50	162.50	—	निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक प्रक्रिया गतिमान है।
3	हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर, अल्मोड़ा में 50 बालिकाओं हेतु छात्रावास का निर्माण।	461.86	81.25	81.25	15%	फाउण्डेशन का कार्य प्रगति पर है।

स्रोत: समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.4.1 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना:—कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 0.30 लाख धनराशि व्यय करते हुए वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 39 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.4.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदान:—दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान था, योजनान्तर्गत शासन के पत्रांक 108 दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ोत्तरी करते हुए अधिकतम धनराशि ₹ 7000.00 अथवा कृत्रिम अंग अनुदान का मूल्य, जो भी कम हो तथा जिले के सरकारी चिकित्सालयों द्वारा संस्तुति की गयी हो, अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। वर्ष 2024–25 में ₹ 88.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है, माह दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 6.07 लाख की धनराशि व्यय कर 71 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

25.4.3 दिव्यांग दम्पतियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना:—दिव्यांग दम्पतियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 25000 की धनराशि दिव्यांग दम्पत्ति को प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह–मार्च 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 7.00 लाख की धनराशि व्यय कर 28 दिव्यांग दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 3.50 लाख की धनराशि व्यय कर 14 दिव्यांग दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है।

25.4.4 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार:—प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, स्वतः रोजगार में रत दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांग सेवायोजकों तथा प्लेसमेंट अधिकारियों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों से प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर "विश्व दिव्यांग दिवस" के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। शासन के पत्र सं0 संख्या 08/XVII-A-3/2024-296(स0क0)2003 (46590) दिनांक 20 फरवरी 2024 के द्वारा पुरस्कार राशि में बढ़ोत्तरी कर ₹5000/— से ₹8000/— कर दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र, मैडल एवं ₹8000/— की धनराशि नकद दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह–दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹7.50 लाख की धनराशि व्यय कर 88 दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया।

25.4.5 सुगम्य भारत अभियान :— यह योजना

मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रारम्भ की गयी है। राज्य में यह योजना सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान के नाम से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि को दिव्यांगजनों की सुविधानुसार सुगम्य बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत चिन्हित 28 शासकीय भवन / कार्यालयों की Retrofitting तथा दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान समय तक इस योजनान्तर्गत ₹ 376.29 लाख की धनराशि व्यय कर 17 शासकीय भवनों को सुगम्य बनाया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून को दिव्यांगजनों के लिए बैरियर फ्री वातावरण बनाये जाने हेतु ₹ 28.645 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इसके अतिरिक्त 08 अन्य शासकीय भवनों को सुगम्य बनाये जाने हेतु द्वितीय संशोधित आगणन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये है।

25.4.6 दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (Unique Disability ID)

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड के सभी दिव्यांगजनों की विशिष्ट पहचान को चिन्हित किये जाने, दिव्यांगजनों हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तत्काल प्रदत्त किये जाने, एकरूपता एवं पारदर्शिता बनाये जाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यू० डी० आई० डी०) बनाये जाते है, यू० डी० आई० डी० कार्ड दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के ऑनलाईन पोर्टल https://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application के माध्यम से बनाये जा रहे हैं। जिस हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) कार्यालय अथवा जनपद के जिला चिकित्सालय में संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (DDRC) में निम्न प्रपत्रों की छायाप्रतियां (दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम एक पासपोर्ट साईज फोटो तथा —एक सादे कागज में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या पहचान चिन्ह (अंगूठा निशान आदि) को स्वयं या किसी भी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रदेश के 128947 दिव्यांगजनों के आवेदन ऑनलाईन पंजीकृत कर अद्यतन 85445 दिव्यांगजनों के यू०डी०आई०डी० कार्ड बनाये गये है।

25.4.7 मानसिक रूप से उपचारित या अवमोचन पुरुषों / महिलाओं एवं बालक / बालिकाओं के लिए गृहों का निर्माण:–

मानसिक मंदित तथा बहुदिव्यांगता से ग्रसित ऐसे दिव्यांगजन, जो निराश्रित एवं लावारिस हालत में घुमन्तु प्रकृति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते / भटकते रहते हैं, की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है, जो बिना किसी सामाजिक एवं आर्थिक समर्थन के आश्रयहीन मानसिक मंदित दिव्यांगजन, जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, दैनिक दिनचर्या एवं देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने, भावनात्मक समर्थन एवं परामर्श देकर एक्टीविटी ऑफ डेली लिविंग (दैनिक कार्यों का सम्पादन) आदि के विकास से व्यक्तित्व का विकास कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने हेतु जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम–खुलसुंगा में 50 मानसिक रोगियों की क्षमता हेतु पुनर्वास गृह की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण कर विभाग को हस्तगत करने की प्रक्रिया गतिमान है।

25.5 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनायें:–

25.5.1 निराश्रित विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान:– इस योजना के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन प्राप्त कर रही सभी वर्ग की विधवाओं को पुत्री के विवाह हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। आवेदक बी0पी0एल0 श्रेणी / अन्त्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय ₹ 48,000 / — से अधिक न हो। विवाह हेतु एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियां ही पात्र

होगी। पात्र आवेदकों को ₹ 50000/— बैंक खाते के माध्यम से धनराशि अनुदान प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017—18 से योजना को विभागीय पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाईन संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में माह—मार्च 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 427.50 लाख की धनराशि व्यय कर 855 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह—दिसम्बर 2024 तक योजनान्तर्गत ₹144.50 लाख की धनराशि व्यय कर 289 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.2 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:—इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000/— की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें आयु सीमा 18 से 59 वर्ष रखी गई है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में माह—मार्च 2024 तक योजनान्तर्गत ₹ 216.00 लाख की धनराशि व्यय कर 1080 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह—दिसम्बर 2024 तक योजना में ₹ 71.40 लाख की धनराशि व्यय कर 357 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.3 डॉ0 अम्बेडकर ई0बी0सी0 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना:— दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024—25 में ₹ 410.76 लाख धनराशि व्यय करते हुए वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 3325 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित है। तदुपरान्त छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.5.4 मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचाव योजना (NAPDDR):- भारत सरकार द्वारा मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव हेतु NATIONAL ACTION PLAN FOR DRUG DEMAND REDUCTION (NAPDDR) योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशा के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना है, साथ ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, कार्यस्थल और समाज के बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के खिलाफ समूहों और व्यक्तियों के मध्य भेदभाव को कम करना, पर्याप्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रलेखन और प्रासंगिक जानकारी देना है। वर्तमान में नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद नैनीताल, पौड़ी व हरिद्वार में नशामुक्ति केन्द्र संचालन, समस्त जनपदों में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों तथा विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु धनराशि ₹ 282.99 लाख की राज्य कार्य योजना (SAP) भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है।

25.5.5 वृद्धजनों हेतु जनपद उत्तरकाशी एवं देहरादून में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य:— उत्तराखण्ड राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ निराश्रित एवं असहाय वृद्धजनों की देखभाल, सुरक्षा, भोजन एवं स्वास्थ्य आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जनपद—उत्तरकाशी में 24 वृद्धजनों की क्षमता का ₹165.97 लाख की धनराशि से आवासीय वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण होने के उपरान्त विभाग को हस्तान्तरित होने के उपरान्त विभाग द्वारा संचालन की कार्यवाही गतिमान है। जनपद देहरादून में 60 वृद्धजनों की क्षमता का ₹499.56 लाख की धनराशि से आवासीय वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसे विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जनपद अल्मोड़ा में राजकीय वृद्धाश्रम

निर्माण हेतु प्रथम किस्त की धनराशि ₹180.37 लाख एवं चम्पावत में वृद्धाश्रम निर्माण हेतु ₹ 359.80 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त जनपद ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में वृद्धाश्रम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

26.5.6 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना—परित्यक्ता विवाहित महिला,मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना के अर्न्तगत ऐसी महिलायें आती हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा पति द्वारा छोड़े जाने या लापता होने की सीमा 1 वर्ष से अधिक हो, आवेदिता द्वारा पति के लापता होने/छोड़े जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो तथा आवेदिता बी०पी०एल० परिवार की सदस्या हो अथवा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹ 48000/— से अधिक नहीं हो। ऐसी महिलाओं को ₹ 1200/— प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी को ₹1400/— प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2023—24 में माह—मार्च 2024 तक ₹904.31 लाख की धनराशि व्यय कर 7011 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में माह—दिसम्बर 2024 तक ₹ 741.04 लाख की धनराशि व्यय कर 7431 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

26.6 पिछड़ी जाति कल्याण

26.6.1 पिछड़ी जाति पूर्वदशम (कक्षा—9 से 10) छात्रवृत्ति योजना—इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 से 10 तक के ऐसे छात्र/छात्रायें जिनके अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं हो को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार रू0 4000/— वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसका 90 प्रतिशत भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (National Scholarship Portal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021—22 से छात्रवृत्ति का वितरण PFMS Portal के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में ₹162.76 लाख की धनराशि व्यय कर 10712 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में योजनान्तर्गत भारत सरकार के स्तर से पोर्टल नहीं खोला गया था, जिस कारण कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए है। वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

26.6.2 पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति—इस योजना में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख निर्धारित है। जिसका योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन करती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NationalScholarshipPortal https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन संचालित की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024—25 में ₹ 1143.72 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 10299 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 06 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

डॉ0 अम्बेडकर ई0बी0सी0 पूर्वदशम (कक्षा–9 से 10) छात्रवृत्ति योजना:– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र / छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति पूर्वदशम कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही ₹ 4000 / – छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है, जिसका 90 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार वहन किया जाता है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024–25 से प्रथम बार प्रारम्भ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 08 जनवरी, 2025 निर्धारित है। तदुपरान्त छात्र / छात्राओं के भौतिक सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.7 अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रवृत्ति योजनायें:–

25.7.1 कक्षा 01 से 08 तक छात्रवृत्ति:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत माह दिसंबर, 2024 तक ₹ 8.24 लाख की धनराशि Public Financial Management System के माध्यम से भुगतान कर 1067 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.2 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना (कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति):– अनुसूचित जनजाति के कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत शासन से प्राप्त कुल ₹ 77.00 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा माह दिसंबर, 2024 तक Public Financial Management System के माध्यम से 1176 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शासन से प्राप्त कुल ₹ 77.00 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा माह दिसंबर, 2024 तक Public Financial Management System के माध्यम से 1530 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.3 अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य योजनाएं:–

अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक लाभार्थियों की संख्या तालिका 1 में प्रदर्शित है।

तालिका 25.3

क्रम सं0	योजना का नाम	लाभान्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	2009
2	राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन	214
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	361
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन	1098

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.7.4 अटल आवास योजना:– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में 492 लाभार्थियों के लिए ₹ 300.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है व माह दिसंबर, 2024 तक जनपदों को मांग के अनुसार 169 लाभार्थियों हेतु ₹ 89.60 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया।

25.7.5 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालन:– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु ₹ 70.00 लाख की धनराशि का प्राविधान वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत है, किन्तु जनपदों से मांग प्राप्त न हो पाने के कारण

योजनान्तर्गत धनराशि व्यय नहीं हुई है।

25.7.6 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदान:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवर्तक अनुदान पर संचालित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित 28 पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तों आदि हेतु ₹ 1082.33 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया।

25.7.7 अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता:– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जिनकी आय सीमा ₹ 15,000.00 वार्षिक हो/बी.पी.एल. श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हों, की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान ₹ 50,000.00 एक पुत्री के विवाह हेतु प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 में आय सीमा ₹ 15,000.00 से बढ़ाकर ₹ 48,000.00 वार्षिक कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक ₹ 160.00 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 320 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.8 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन:– अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल स्वीकृत छात्र/छात्राओं की क्षमता 3055 है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक ₹ 2079.02 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 2009 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.9 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन:– अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 05 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र/छात्राओं की स्वीकृत क्षमता 290 है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 140.58 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 214 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:– अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा वर्तमान में 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 403.63 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 381 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.11 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन:– एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु सीधे धनराशि राज्य स्तर पर गठित सोसायटी के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है व भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि मानक मद 41–भोजन व्यय में कम पड़ने के कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग राज्य सरकार से की जाती है व वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 152.66 लाख की धनराशि मानक मद 41–भोजन व्यय में व्यय की गई।

25.7.12 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास:–

योजनान्तर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें संचालित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त योजनान्तर्गत 2000.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है व माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 51.80 लाख की धनराशि व्यय की गई एवं ₹ 6000.00 लाख के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं।

25.7.13 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण:– विभागान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 108.19 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.7.14 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण:–

योजनान्तर्गत 05 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 37.70 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.7.15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण:– विभागान्तर्गत 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसंबर, 2024 तक कुल ₹ 67.75 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.7.16 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) योजना– योजनान्तर्गत 11 बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है एवं ₹ 238.81 लाख की धनराशि योजना हेतु खुले SNA खाते में खातान्तरित करते हुए जनपदों के व्यय हेतु PFMS पर लिमिट निर्धारित की गयी है, जनपदों द्वारा धनराशि व्यय किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में 9 बहुउद्देशीय केंद्र–जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्राम बैलखेड़ी, बिजयरपुर, बन्नाखेड़ा, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम जमतड़ी, अल्ताड़ी, मदनपुरी, गैनागांव, किमखोला व जनपद हरिद्वार के ग्राम ढाडियावाला में निर्माणाधीन हैं।

25.8 अल्पसंख्यक कल्याण

विभाग के मूल उद्देश्य

1. राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। विभिन्न विकास योजनाओं से इन वर्गों के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु शिक्षा, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, कौशल सुधार तथा स्वरोजगार के लिए सहायता आदि योजनाओं के द्वारा इनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है। अल्पसंख्यक विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराकर उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाकर समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर उन्हें समाज के सामान्य वर्ग की बराबरी के स्तर पर लाना है।
2. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन–पाठन भी साथ–साथ कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक नागरिक कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्रों से सक्रिय रूप से जुड़ सकें।
3. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
4. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम लि. के माध्यम से स्वरोजगार सृजन हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्यान्वयन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा को पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस हेतु विभाग प्रतिबद्ध है।

25.8.1 पूर्वदशम छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत राज्य सहायतित) अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक निम्न मानकों / दरों के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।:–

तालिका 25.4

क्रम सं0	वर्ष	कुल छात्र संख्या	अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)
1.	2020–21	337	0.027
2.	2021–22	49	0.048
3.	2022–23	517	2.19
4.	2023–24	270	3.25
	2024–25	766	छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से किया जायेगा।

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.2 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% के0स0)–

तालिका 25.5

वर्ष	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
2020–21	438	492	1.39
2021–22	438	658	1.69
2022–23	438	709	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति वितरण का कार्य गतिमान।
2023–24	438	–	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति पोर्टल को अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।
2024–25	438	–	

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

25.8.3 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100% के0स0)–

तालिका 25.6

वर्ष	अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि ₹ करोड़ में)
2020–21	3646	4604	3.35
2021–22	3646	5296	3.85
2022–23	3646	5930	भारत सरकार स्तर से छात्रवृत्ति पोर्टल को अग्रिम आदेशों तक बन्द किया गया है।
2023–24	3646	–	
2024–25	3646	–	

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

25.8.4 प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना (पूर्व नाम एम.एस.डी.पी) (90% के0स0) (PMJVK)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। पी.एम.जे.वि.के योजना के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाएं आय सृजक अवसरों को पैदा करने की योजनाओं के अलावा शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़क, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना की व्यवस्था करने से संबंधित हैं।

तालिका 25.7

(धनराशि ₹ लाख में)

PMJVK Scheme	बजट प्राविधान	व्यय धनराशि
2021–22	4020.00	2366.45
2022–23	2300.00	311.53
2023–24	5700.00	2137.18
2024–25	5700.00	4888.89

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.5 अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना:–

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी माँग के अनुरूप अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने, आर्थिक/शैक्षिक विकास करने हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ₹ 4.00 करोड़ की धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान है।

तालिका 25.7

(धनराशि ₹ लाख में)

अल्पसंख्यक विकास निधि	प्राविधान	व्यय धनराशि
2020–21	300.00	300.00
2021–22	300.00	293.43
2022–23	500.00	459.09
2023–24	500.00	479.44
2024–25	500.00	104.96

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.6 अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदान:–

अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान दिये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से नयी योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है।

25.8.6 मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

तालिका 25.9

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2020–21	214.66	213.60	1381
2021–22	200.00	196.95	978
2022–23	300.00	183.60	1176
2023–24	360.40	356.95	2270
2024–25	376.10	370.00	2300

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.7 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य

अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सी०सी० मार्ग का निर्माण, बारात घर, पेयजल सुविधा, धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना संबंधी कार्यों आदि के लिए कार्य उक्त योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाती है।

तालिका 25.10

(धनराशि ₹ लाख में)

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य वर्ष	प्राविधान	व्यय धनराशि / अवमुक्त	योजनाऐं
2020–21	600.00	494.05	85
2021–22	300.00	-	-
2022–23	1256.60	1294.93	75
2023–24	300.00	300.00	05
2024–25	600.00	115.54	03

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.8 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना–

उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश होने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम राशि ₹ 75000/– अनुदान तथा न्यूनतम ₹ 50000/–अनुदान दिये जाने जाने के लिए मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।

तालिका 25.11

(धनराशि ₹ लाख में)

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना वर्ष	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2020–21	10.00	0.20	01
2021–22	10.00	0.30	01
2022–23	10.00	8.40	15
2023–24	10.00	4.95	08
2024–25	10.00	2.85	04

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.8.9 आवर्तक अनुदान सूची पर चल रहे मदरसों को वेतन हेतु अनुदानः– इस योजनान्तर्गत उन मदरसों, जिन्हें आवर्तक अनुदान सूची के अंतर्गत लिया गया है, में कार्यरत अधिकतम 15 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया, रूड़की (हरिद्वार) में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 63.80 लाख की धनराशि जारी की गयी है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 41.96 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

25.8.10 वक्फ अधिकरण (वक्फ ट्रिब्यूनल)

(1) वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के अधीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है।

(2) राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु सम्पत्तियों का सर्वेकार्य कराये जाने हेतु सर्वे कमिश्नर (सचिव, राजस्व) की तैनाती की गयी है। राज्यान्तर्गत वर्तमान में 02 वक्फ अधिकरण (गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल) कार्यालय संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 15.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 3.44 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

25.9 विभाग के अन्तर्गत गठित विभिन्न निदेशालय, निगम, आयोग, बोर्ड एवं समितियां

25.9.1 निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून– अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिये उत्तराखण्ड राज्य में शासनादेश संख्या–1183/XVII-3/11-07(63)/2006 दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–510/XXXI(1)/2002 देहरादून दिनांक 24 अप्रैल, 2012 द्वारा पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, ताकि अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अल्पसंख्यकों के उत्थान का कार्य किया जा सके। निदेशालय हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹169.82 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹108.21 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

25.9.2 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून– राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनांक 27 मई 2003 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष / उपाध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति की गयी तथा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, ने दिनांक 29, सितम्बर 2003 को कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अपने गठन के पश्चात से ही अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों के लिए सतत् प्रयत्नशील है। अपने अल्पकालिक कार्यकाल में आयोग ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एवं हितों की रक्षा के लिए पूर्ण कटिबद्धता से कार्य किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में आयोग को 60 शिकायती प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 33 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹116.89 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹50.51 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के कार्य:–

1. उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
2. संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों / विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से संबंधित रक्षोपायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।

3. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

4. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना।

25.9.3 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून:– उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम का गठन 06 जनवरी 2005 को कंपनी अधिनियम 1956 के सेक्शन 25 के अन्तर्गत किया गया। निगम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है।

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन प्राप्त कर टर्म लोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को कम्प्यूटर, सिलाई कढ़ाई, आदि में प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कौशल वृद्धि करना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

25.9.4 उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून:– राज्य के मदरसों की मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2006 तक उ0प्र0 मदरसा बोर्ड द्वारा ही किया जाता था। राज्य के मदरसों को मान्यता देने एवं मदरसों की परीक्षा कराने के उद्देश्य से शासनादेश सं0–813 / XVII(1)–3 / 06– 07(11) / 2005 दिनांक 03 अगस्त, 2006 के द्वारा मुस्लिम एजुकेशन मिशन के पर्यवेक्षण में मदरसा अरबी फारसी बोर्ड की स्थापना की गई। शासनादेश संख्या 1209 / XVII –3 / 11–07(11) / 2006 टी0सी0 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 के द्वारा उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुकेशन मिशन के समस्त पदों को समर्पित करते हुए देहरादून में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 127.75 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 48.82 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य के तहतानिया / फौकानिया / आलिया (मुंशी–मौलवी) एवं आलिया (आलिम अरबी–फारसी), उच्च आलिया (कामिल, फाजिल) स्तर की मान्यता प्राप्त एवं संचालित मदरसों का जनपदवार विवरण

25.9.5 उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पीरान

तालिका 25.12

क्र.सं.	जनपद का नाम	तहतानिया	फौकानिया	आलिया (मुंशी / मौलवी)	आलिया (अरबी / फारसी)	उच्च आलिया (कामिल / फाजिल)	योग
		कक्षा (1–5)	कक्षा (6–8)	कक्षा (9–10)	कक्षा (11–12)	स्नातक	
1	हरिद्वार	136	104	14	4	1	259
2	देहरादून	19	11	–	01	–	31
3	ऊधमसिंह नगर	42	42	18	7	4	113

4	नैनीताल	8	5	–	–	1	14
5	अल्मोड़ा	1	–	–	–	–	1
6	पिथौरागढ़	1	–	–	–	–	1
7	चम्पावत	1	–	–	–	–	1
	योग–	208	162	32	12	6	420

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

कलियर, रूड़की– उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 528/सा.क./02-87/दिनांक 10 जून 2002 के माध्यम से उत्तराखण्ड हज समिति की स्थापना की गई है। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति ने दिनांक 18, फरवरी, 2003 से अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में एक अध्यक्ष तथा 15 सदस्य नामित किये जाते हैं। हज–2021 हेतु हज कमेटी ऑफ इण्डिया मुम्बई द्वारा दिनांक 07 नवम्बर, 2020 से हज 2021 का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्ष 2020 से हज आवेदन को 100 प्रतिशत ऑनलाईन कर दिया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में राज्य हज कमेटी में वर्ष 2018 से 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्रों एवं हज यात्रा पर गये हाजियों की संख्या का विवरण

हज यात्रा 2025 माह मई–जून में प्रारम्भ होने की सम्भावना है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 115.53 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹32.65 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

तालिका 25.13

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित कोटा	प्राप्त आवेदन पत्र	हज यात्रा पर गये आवेदक
1	2018	1220	4100	1293
2	2019	1232	3019	1555
3	2020	1278	2516	कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रा–2020 निरस्त।
4	2021	कोटा निर्धारित नहीं किया गया	710	कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रा–2021 निरस्त।
5	2022	607	742	564
6	2023	1468	1718	1530
7	2024	1152	1165	1043
8	2025	1001	1011	हज यात्रा 2025 माह मई, 20254 में सम्भावित।

स्रोत: जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.9.6 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, (जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल)– पूर्व में सभी जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं को जनपद स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के दृष्टिगत अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों यथा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹ 190.82 लाख का प्राविधान स्वीकृत

किया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 128.22 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

25.7.7 उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून:– राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की देख–रेख एवं रख–रखाव हेतु वक्फ बोर्डों की स्थापना की गयी है। उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान में ₹ 200.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

25.9.8 15–सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, देहरादून:– माननीय राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए सिरे से 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेगी। स्वतंत्रता दिवस 2005 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि " हम अल्पसंख्यकों के लिए संशोधित एवं बेहतर 15–सूत्री कार्यक्रम तैयार करेंगे। नए 15–सूत्री कार्यक्रम के निश्चित लक्ष्यों को निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाएगा।" इन्हीं वचनबद्धताओं के अनुपालन में पिछले कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम प्रदेश में भी तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत ₹17.00 लाख की धनराशि का प्राविधान स्वीकृत किया गया है।

25.10 उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि0

25.10.1 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर 2024 तक कुल 100 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए रू0 50.00 लाख अनुदान तथा रू0 54.00 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

25.10.2 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण):– वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रशिक्षण मद में अनुसूचित जाति के कुल 800 प्रशिक्षार्थियों को 40 रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष रू0 48.00 लाख का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है तथा उपरोक्त प्राविधानित धनराशि चरणबद्ध रूप से व्यय की जानी है।

25.10.3 शिल्पी ग्राम योजना:– वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में शिल्पी ग्राम योजना के अन्तर्गत कोई भी लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है।

25.10.4 प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY):– उक्त योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह जनवरी से प्रारम्भ हुई है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार को वार्षिक कार्य योजना प्रेषित की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक भौतिक लक्ष्य 318 के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक कुल 288 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए अनुदान ₹ 142.40 लाख एवं ₹ 145.40 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

ई-सुशासन

अध्याय–26

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

Science and Information Technology

26 सामान्य विवरण :– शासकीय कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अर्थात ई–शासन की अवधारणा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लायी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं हेतु एक उपयोगी अवधारणाओं में से एक बन गई है।

शासकीय कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा जहां एक ओर शासकीय कार्यों में जवाबदेही, पारदर्शिता, कार्य दक्षता एवं नागरिक सहभागिता में वृद्धि हुयी है वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं को भी क्षीण किया है।

उत्तराखण्ड राज्य में ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत मूल आधारभूत संरचना– स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना, सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना, विभागों को हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान कर नेटवर्क से जोड़ना, डाटा सेंटर की स्थापना सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय लेखा सूचना प्रणाली, ई–ऑफिस, ई–गेटपास, अपणि सरकार पोर्टल, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का डिजिटाईजेशन का कार्य तीव्रता से बढ़ रहा है। राजकीय इकाइयों में इलेक्ट्रॉनिक शासकीय प्रणाली के आवेदन के आलोक में जोखिमों को कम करने में सूचना प्रौद्योगिकी शासन के तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रयास जारी है। राजकीय इकाइयों द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावी बनाने हेतु प्रमुख व्यावसायिक उद्यम एवं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शासकीय सेवाओं और डेटा की तैयारी और आदान–प्रदान का प्रावधान किया जा रहा है। आज, अधिकांश राजकीय सेवायें, ई–शासन कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से वेबसाइटों के माध्यम से संचालित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य में ई–गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों एवं आई०टी० आधारभूत संरचना हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आधारभूत संरचना एवं राज्य के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नीतियां/दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।

26.1 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 (Information Technology Policy)–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी है। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

26.2 साईबर सुरक्षा (Cyber Security) – राज्य के आई०टी० अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guidelines को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में साईबर हमलों से निपटने के लिये Sectoral Cert एवं Cert-UTK का गठन किया गया है। साईबर हमलों से निपटने के लिये Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) के दिशा–निर्देशों के अनुसार Adjudicating Office का गठन प्रगति पर है.

जिसके अन्तर्गत ₹ 5.00 करोड़ तक के साईबर सम्बन्धित मामलों को निपटाने में सहयोग किया जायेगा। साईबर हमलों से निपटने तथा सुरक्षा के लिये क्रमशः Incident Response Mechanism तथा Application Security & Audit से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) जारी की जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों हेतु CERT-UTK की वेबसाइट बनाई जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में Cyber Security Center for Excellence (CCOE) बनाये जाने का कार्य गतिमान है। राज्य में नागरिकों को साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता के उद्देश्य से Chatbot (Cyber Doot) एवं ग्राम स्तर तक जागरूकता हेतु CSC के साथ MoU (अनुबंध) की प्रक्रिया गतिमान है।

26.3 ई–शासन (E-Governance)– राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेंटर, अपणि सरकार पोर्टल, एस०एस०डी०जी० एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सी०एस०सी०), स्वान परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी। ई–शासन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परियोजनायें संचालित एवं क्रियान्वित हैं :–

26.3.1 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre)–वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर अपणि सरकार पोर्टल, ई–गेटपास सिस्टम, सी०एम० डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी०एस०आर० पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है। डाटा सेन्टर में विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन्स को सुरक्षित रखने हेतु उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सेन्टर हेतु डिजास्टर रिकवरी सेल की स्थापना की गयी है।

26.3.2 स्टेट डाटा सेन्टर नीति (State Data Centre Policy)– स्टेट डाटा सेंटर में वर्तमान में 187 विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन्स होस्ट की जा चुकी हैं तथा अन्य ऐप्लीकेशन्स को होस्ट करने का कार्य गतिमान है।

चार्ट–26.1

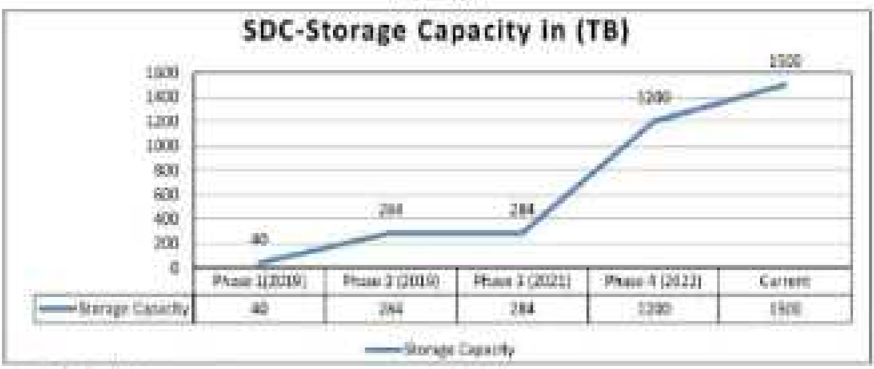

स्रोत आई टी डी ए उत्तराखण्ड

- SDC IT Infrastructure Expansion in Process
- SDC Non-IT Infrastructure Expansion in Process
- SDC Third Party Auditor Agency Selection in Process
- Bandwidth Upgradation in Process

26.3.3 अपणि सरकार पोर्टल– अपणि सरकार पोर्टल (पूर्व में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना) के अन्तर्गत 73 विभागों की 886 नागरिक सेवाओं को विकसित एवं एकीकृत करते हुए "अपणि सरकार पोर्टल" के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागरिकों का Web Portal, Mobile Apps ई–डिस्ट्रिक्ट एवं CSC केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

सारांश एक नजर में–

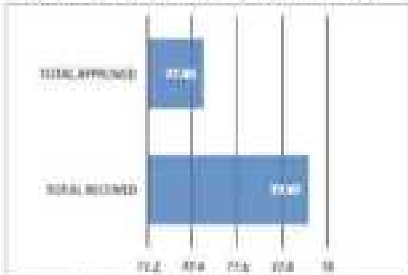

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

चार्ट 26.2

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

प्रशिक्षण–

पुरस्कार –

Fig: e-Govemanace award-2023

• प्रमुख उपलब्धि –

• अपणि सरकार पोर्टल को भारत सरकार के प्रशासनिक और लोक शिकायत विभाग के NeSDA (National e-Governance Service Delivery Assessment) फ्रेमवर्क द्वारा देश भर में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचान मिली है।

• OWASP (Open Worldwide Application Security Project) पोर्टल 2021 के शीर्ष 10 वलनरेबिलिटी से मुक्त है

• सर्वर का वलनरेबिलिटी एवं पेनेट्रेशन टेस्टिंग (VAPT) मूल्यांकन, CERT-inempanelled एजेंसी द्वारा ऑडिट किया गया है।

• व्हाट्सएप इंटीग्रेशन – नागरिक नए आवेदन के लिए आवेदन , आवेदन की स्थिति की जांच, प्रमाणपत्र डाउनलोड और सेवाओं की सूची व्हाट्सएप के द्वारा देख सकते हैं।

• टू–वे इंटीग्रेशन –यह सिस्टम के बीच निर्बाध डेटा विनिमय को सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सभी प्लेटफार्मों पर सुसंगत और अद्यतन बनी रहे।

• e- RUPI इंटीग्रेशन – डी०बी०टी० की कांइड योजना e- RUPI के माध्यम से प्रदान की जाएगी और लाभार्थी भविष्य में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

डी०बी०टी० स्कीम के तहत 78 योजनाएं "अपणि सरकार" पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं तथा 10 योजनाएं ऑनलाइन होने की ओर अग्रसर हैं।

99% Application Processing Rate

93% Disposal within Time

886 (72 Dept/Org)
E-service available online

78 Lakh Applications Received

26.3.4 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि सेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC)–राज्य में 24913 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 10062 कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। 10530 सी०एस०सी० ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सी०एस०सी० के माध्यम से विभिन्न B2C सेवायें भी प्रदान की जा रही हैं।

चार्ट–26.3

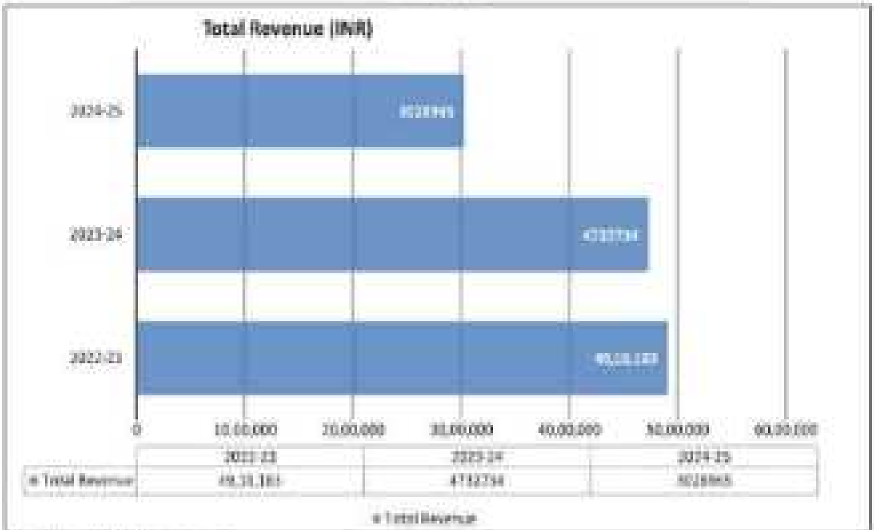

स्रोत: आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

जनपदवार सी0एस0सी0 का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका–26.1

		FY 2021-22		FY 2022-23		FY 2023-24		FY 2024-25	
क्र0 सं0	जनपद	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC
1	अल्मोड़ा	1411	861	1844	933	1977	980	1992	823
2	बागेश्वर	566	353	751	410	835	424	845	343
3	चमोली	956	504	1192	566	1280	596	1290	602
4	चम्पावत	577	380	774	375	840	408	846	332
5	देहरादून	2534	1619	3009	1805	3274	1984	3383	1728
6	हरिद्वार	2771	1831	3056	2014	3332	2229	3474	1946
7	नैनीताल	1973	1342	2276	1428	2396	1473	2444	1301
8	पौड़ी गढ़वाल	1526	893	1838	907	2072	1030	2092	826
9	पिथौरागढ़	931	459	1184	594	1308	684	1324	559
10	रुद्रप्रयाग	626	296	730	332	785	351	793	314
11	टिहरी गढ़वाल	960	509	1213	607	1314	751	1339	635
12	ऊधमसिंहनगर	3104	2000	3478	2238	3687	2299	3817	2044
13	उत्तरकाशी	906	556	1169	693	1261	613	1274	512
	कुल	**18841**	**11603**	**22464**	**12902**	**24361**	**13822**	**24913**	**11965**

स्रोत: आई. टी. डी. ए उत्तराखण्ड

प्रशिक्षण–

प्रमुख उपलब्धि –

सी०एस०सी० के माध्यम से प्रदान की जा रही अन्य सेवाएं (जनपद सरकार के अतिरिक्त)निम्नवत् हैं–

1. **Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL):**
   - Collection of electricity Bill
2. **Uttarakhand Jal Sansthan (UJS):**
   - Collection of water Bill
3. **State Transport (e-Vahan/e-Sarthi)**
   - Alteration of Motor Vehicle
   - Change of Address in RC
   - Duplicate FC
   - Fitness Inspection/Certificate
   - Fresh Permit
   - Hypothecation Addition
   - Hypothecation Termination
   - Issue of Duplicate RC
   - Issue of NOC
   - MV Tax
   - RC Particulars Against Fee
   - Renewal of Registration
   - Transfer of Ownership
   - Learning License
   - Driving License
4. **Labour Department :**
   - Labour Card Registration of BOCW
5. **List of Central G2C Services :**
   - Jeevan Pramaan Certificate
   - Soil Health Card
   - Public Grievances
   - Swachh Bharat
   - National Pension System
   - Passport
   - UTIITSL - PAN Card Service
   - BBPS (Bharat Bill Payment System) -Utility Bills
   - KVK(Kissan Vigyan Kendra)
6. **Financial Inclusion:**
   - Banking
   - Insurance : LI/GI/PMFBY
   - Pension
7. **Health Services :**
   - Medicine Sale
   - FSSAI
8. **Education Project :**
   - CSC Academy
   - CSC Bal Vidyalya
   - Skill Development
   - Tele law
   - E Court
9. **Ayushman Bharat:**
   - Registration of Beneficiary
10. **e-Sharam:**
    - Registration of Beneficiary
11. **e Vigyapan:**
    - Commercial adds displayed for public at CSC center.
12. **e Store**

- ➢ Rural e-Commerce Platform

13. **Agricultural :**
    - ➢ FPO's/PACs as CSCs
    - ➢ CSC e Agri Portal
    - ➢ IFFCO Sale
    - ➢ KVK (Krishi Vigyan Kendra)
14. **Gas Centers:**
    - ➢ 100 kgs Outlet & Booking of Cylinders
15. **PM Scheme:**
    - ➢ PM-SYM(Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan) ;
    - ➢ PM SVA Nidhi(PM Street Vendors Atma Nirbhar Nidhi) ;
    - ➢ PM-KMY(Pradhan Mantri Kisan Maandhan)
    - ➢ PM Surya ghar
    - ➢ PM Kisan Samman Nidhi
16. **FPS (Fair Price Shop):**
    - ➢ Automation work at 7418 PDS across the State
17. **RTO Centers:**
    - ➢ Vahan Tax Collection Center at Dehradun
18. **ASK Centers:**
    - ➢ 16 ASK (Aadhaar Seva Kendra) Across The State
19. **Travel:**
    - ➢ IRCTC
    - ➢ Flight
    - ➢ Bus Booking
20. **B2C Services :**
    - ➢ Income Tax Services
    - ➢ GST Returns
    - ➢ Digital Sign Certificate
    - ➢ Order Devices from CSC
    - ➢ Kisan e Store
21. **e Recharge:**
    - ➢ Airtel
    - ➢ BSNL
    - ➢ BSNL Prepaid
    - ➢ JIO
    - ➢ Vodaphone
    - ➢ Air Tel DTH Recharge
    - ➢ Tata Sky
    - ➢ Sun DTH Recharge
    - ➢ Dish TV New Connection & Recharge
    - ➢ DTH New Connection & Recharge
    - ➢ Watcho New Connection & Recharge
22. **Mission Karamyogi :**
    - ➢ Training of VLEs in Aspirational Districts
23. **e-Stamp**
    - ➢ CSC sub agent registration

26.3.5 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN)– स्वान का संचालन वर्टीकल कनेक्टिविटी के रूप में 139 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoP) के माध्यम से किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई०टी०डी०ए०) से विधान सभा व सचिवालय होते हुए सूचना प्रौद्योगिकी भवन तक रिंग–कनेक्टिविटी के माध्यम से 44 विभागों की कनेक्टिविटी हो चुकी है। ITDA से कुल 66 विभाग जोड़े जा चुके हैं। वर्तमान में स्वान नेटवर्क के अन्तर्गत 13 जनपदों में लगभग 2010 कार्यालय संयोजित किये गये है, एवं समस्त स्वान केन्द्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी की स्थापना कर ब्लॉक–तहसील स्तर तथा अधिकतम राजकीय कार्यालयों को स्वान से हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी से आच्छादित किये जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। उत्तराखण्ड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क हेतु स्थापित उपकरणों को अपग्रेड कर दिया गया है।

- ITDA: Facilitator – DoT & GoI Agency
- BSNL Nodal Agency for Implementation
- by GoI
- 4G Village Saturation: 82 %
- 75% Land acquisition cleared with
- No Pendency on PRAGATI Portal
- 100% DHQ Covered (250 Mbps-1 Gbps)
- 100% BHQ Covered (10 to 100 Mbps)
- 99% THQ covered (10 to 100Mbps)
- 2036 Offices Connected
- Use of SDWAN (latest technology)
- BSNL and Airtel for Connectivity
- ITDA: Facilitator, BSNL: Implementation Agency
- 6590 FTTH Connection in Gram Panchayats part of Bharatnet Phase I
- 4583 FTTH Connections Provided in 1146 GPs ITDA's support

चार्ट–26.4

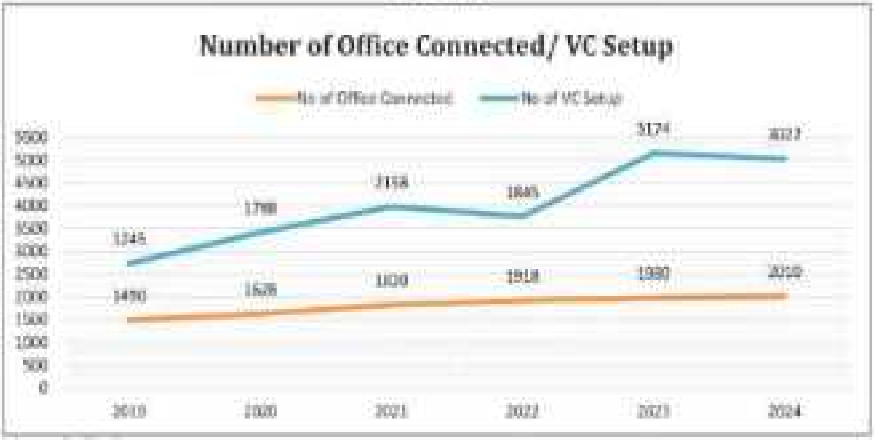

स्रोतः आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

26.3.6 वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Confrencing) :– प्रथम चरण में सचिवालय, परिवहन, पुलिस व ब्लॉक स्तर तक लगभग 258 स्थलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना की गयी है। माह अक्टूबर, 2024 तक 2770 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्वॉन के माध्यम से सम्पन्न करायी गयी है। वर्तमान में 138 केन्द्रों में वैकल्पिक आई०एल०एल० की सुविधा प्रदान की जा रही है।

26.3.7 डिजीलॉकर (Digi Locker) –डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के 40 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर क्रियान्वित किये जा चुके हैं तथा राज्य सरकार की "अपणि सरकार" सेवाओं से सम्बन्धित 40.63 लाख प्रमाण पत्र नागरिकों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किये गये हैं।

26.3.8 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र (Skill Development Centre-CALC)- वर्तमान में आई०टी०डी०ए० कैल्क के अन्तर्गत 38 कैल्क केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आई०टी०डी०ए० द्वारा दो स्थलों यथा– कैल्क केन्द्र (Computer Academy & Learning Centre-CALC) आई०डी०पी०एल० ऋषिकेश एवं कैल्क केन्द्र पिथौरागढ़ पर आई०टी० स्किल डेवलपमेंट केन्द्र स्थापित किये गये हैं इसके अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब/ डिजिटल क्लास रूम तैयार की गयी हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य मुख्यतः स्थानीय नवयुवकों/बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना/स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे कि प्रशिक्षित युवा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए सूक्ष्म उद्यम चला सकें एवं युवकों के अन्य प्रदेशों में पलायन को कम किया जा सके।

आई०टी०डी०ए० कैल्क उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्रों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से आई०आई०टी० रूड़की द्वारा मान्य कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चला रहा है।

ITDA-CALC द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिए जाने हेतु NCVET (National Council for Vocation Education and Training) जो कि व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद, व्यावसायिक शिक्षा में अल्पकालिक और दीर्घकालिक शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी मानकों को डिजाइन करने में लगे संस्थानों की निगरानी के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त,गैर–सांविधिक और नियामक

निकाय है तथा प्रादेशिक स्तर पर उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् को Awarding Body and Assesment Body के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है। उक्त मान्यता के पश्चात CALC के छात्रों को रोजगार प्राप्ति हेतु उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेे।

चार्ट–26.5

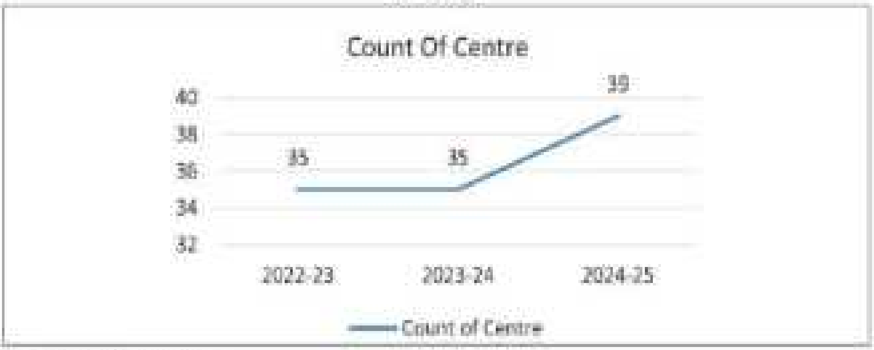

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

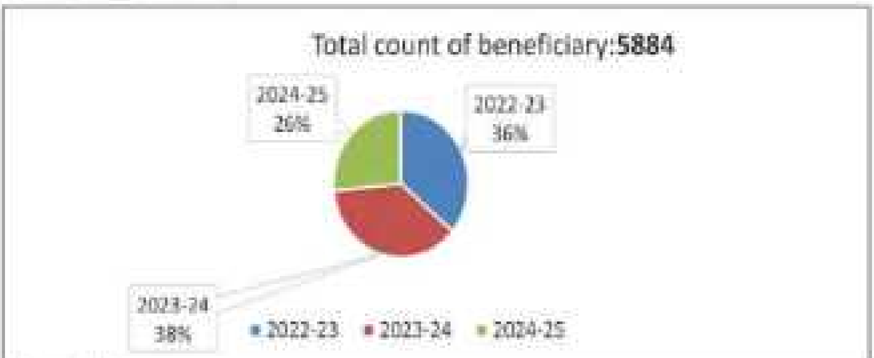

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

प्रमुख उपलब्धि –

1. टी०एच०डी०सी० द्वारा 60 लाभार्थियों का सफल प्रशिक्षण।
2. पंचायती राज के 54677 पदाधिकारियों का सफल प्रशिक्षण।
3. सैनिक कल्याण 365 आश्रितों का सफल प्रशिक्षण।
4. युवा कल्याण विभाग नैनीताल / रुद्रपुर के 83 लाभार्थियों का सफल प्रशिक्षण।
5. उत्तराखंड बहुद्देशीय वित्तीय विकास निगम के 60 लाभार्थियों का सफल प्रशिक्षण।
6. MeitY द्वारा 10000 लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण।
7. सैनिक कल्याण 394 आश्रितों हेतु प्रशिक्षण।
8. पुलिस विभाग के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) से पुरस्कार देने वाली संस्था और मूल्यांकन संस्था की दोहरी मान्यता के लिए

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

26.4 सी0एम0 हैल्प लाईन '1905' (CM Helpline '1905')– माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत कुल 67 विभागों, 215 उप विभागों के 4800 अधिकारी मैप्ड हैं। सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत लगभग 594330 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 406824 लाख शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निस्तारण किया जा चुका है।

चार्ट–26.6

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

प्रशिक्षण –

26.5 ई–ऑफिस (E-Office) –वर्तमान में राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई–ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। सचिवालय की कार्यप्रणाली को डिजिटाईज्ड किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर "E- Office" का चयन किया गया है। इस क्रम में कार्मिकों का मास्टर डाटा तैयार किया जा चुका है।

80 प्रतिशत कार्मिकों हेतु गवर्नमेंट ई–मेल IDSC आई0डी0 निर्मित की जा चुकी है। ई–ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु आई0टी0डी0ए0 द्वारा सचिवालय परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क का अपग्रेडेशन किया जा चुका है तथा 300 कम्प्यूटर सिस्टम की अधिप्राप्ति कर सचिवालय प्रशासन को वितरित किये जा चुके हैं। ई–ऑफिस के संचालन हेतु आई0टी0डी0ए0 में सचिवालय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अभी तक कुल 691 विभाग शामिल किए गए हैं,एवं जिनमें से वर्तमान में 584 विभागों को ऑनबोर्ड किया जा चुका है तथा 107 विभागों को भी जल्द ही ऑनबोर्ड कर लिया जाएगा।

चार्ट–26.7

स्रोत: आई टी डी ए उत्तराखण्ड

Phase 1

Target-645
Onboared-574
Target Achieved-89%
Files Created-43K+

Phase 2

Remaining offices to be onboarded-157
Email IDs to be Created-1K+

26.6 स्टार्टअप हब (Start-up Hub)– आई0टी0 भवन में आई0टी0डी0ए0 द्वारा एस0टी0पी0आई0 (Software Technolgy Park of India) के साथ उत्तराखण्ड स्टार्टअप हब स्थापित किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न स्टार्टअप इन्क्यूबेशन केन्द्र न्यूनतम लागत पर स्थापित किये गये हैं एवं एक उत्कृष्ट केन्द्र "ग्रीन तकनीकी" हेतु स्थापित होगा।

वर्तमान में 4 कंपनियां स्टार्टअप हब के तहत काम कर रही हैं।

तालिका 26.2

S. No	Name of company (PVT,LLP)	Website	Project	From	To
1	Globiance Intelliweb Software Consultancy	https://omnisoftconsulting.com	Travel Esay	1/6/2023	Till Date
2	Koders Korp Llp	Https://koders.in	1.Inventory Dashboard Management System 2.Bookstore Ecommerce Store 3.Clothing E-commerce Shopify Integration 4.Mechanic in motion Car management System	4/18/2023	Till Date
3	Droncharya Unmanned Aerospace Invotion (DUAI)	https://www.duai.in	AI Drone and Drone Traning	4/1/2023	Oct-24
4	Techbowl Tenchnologies Pvt.Ltd Personate.AI	https://personate.ai	Working AI , Avatar , AI Anchor Sana	1/10/2024	Oct-24

26.7 'ड्रोन' ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (Drone Application and Research Center)—ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC) सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी एवं नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्थान (NTRO) भारत सरकार की संयुक्त पहल से वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इस केन्द्र का उद्देश्य ड्रोन के लिए स्टेट ऑफ आर्ट ड्रोन उपयोग एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना, मानव रहित प्रौद्योगिकी की उन्नति और अनुप्रयोग में उत्कृष्ट अनुसंधान का समर्थन, ड्रोन संचालकों हेतु उच्च तकनीकी युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था, राज्य के अन्य क्षेत्रों जैसे वन सर्वेक्षण, कृषि इत्यादि के ड्रोन अनुप्रयोगों की क्षमता विकसित करने के लिए तकनीकी सुविधाएं स्थापित करना एवं अन्य विभागों द्वारा आपदा राहत कार्यक्रमों में ड्रोन उपयोग की क्षमता विकसित करने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC) के माध्यम से एप्लीकेशन निम्नलिखित राज्य / केन्द्र सरकार विभागों के कार्मिकों और विभिन्न संस्थानों के छात्रों हेतु 100 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये एवं आर्मी तथा अर्द्धसैनिक बल यथा बी०एस०एफ०, सी०आर०, पी०एस०, सी०आई०एस०एफ०, आई०टी०बी०पी०, सिंचाई विभाग, पुलिस दूरसंचार विभाग, एस०डी०आर०एफ० विभाग, यू०डी० के अन्तर्गत– स्वान इंजीनियर्स एवं ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आदि 3432 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ मिलकर जोशीमठ में भू–धंसाव का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया था। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हेतु ड्रोन का कस्टमाईजेशन, मोबाईल ग्राउण्ड नियंत्रण स्टेशन विकसित किया गया, जिसका प्रदर्शन ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इण्डिया में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड के

विभिन्न कार्यालयों की भूमि/ परिसम्पत्तियों की तैयार परिसम्पत्ति पंजिका के आधार पर मौके की वास्तविक स्थिति का सेटेलाईट/ ड्रोन/ विडियो आदि द्वारा चित्र लेकर स्थलीय निरीक्षण कराये जाने एवं डिजीटल रूप से तैयार कर पोर्टल (pam.uatswcs.in) पर GIS Fencing के साथ डाले जाने हेतु ड्रोन सर्वे पूर्ण कराया गया।

अक्टूबर 2024 में नगर निगम देहरादून के साथ मिलकर देहरादून के अन्तर्गत मलिन बस्तियों का ड्रोन सर्वे किया गया।

ड्रोन एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC) के माध्यम से आगामी वर्षों में निम्नलिखित कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है–

- ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण हेतु RPTO (Remote Pilot Training Program) की स्थापना कर DGCA certified कोर्स संचालित किये जायेंगे।
- राज्य में ड्रोन कोरिडोर की स्थापना एवं प्रत्येक जनपद में एक-एक ड्रोन पोर्ट की स्थापना की जानी प्रस्तावित है इस हेतु निविदा ई०ओ०आई० प्रकाशित की जा चुकी है।
- Unmanned Traffic Management System (UTM) की स्थापना।
- ड्रोन लॉजिस्टिक्स की स्थापना।
- समस्त ULBs की ड्रोन मैपिंग।

प्रशिक्षण –

26.8 ई–गेटपास (E-Gatepass)– आई०टी०डी०ए० द्वारा विकसित कराया गया 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/ परिसरों में अपॉइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass.uk.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। इस सिस्टम के माध्यम से अभी तक 2.27 लाख ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में ई–गेटपास का मोबाईल एप क्रियान्वित कर लिया जायेगा,

जिससे आगन्तुकों को आवेदन में सुगमता रहेगी एवं सिक्योरिटी अधिकारी को गेट पर क्यू०आर० कोड (Quick Response Code) से स्कैनर की सुविधा प्राप्त होगी।

चार्ट–26.8

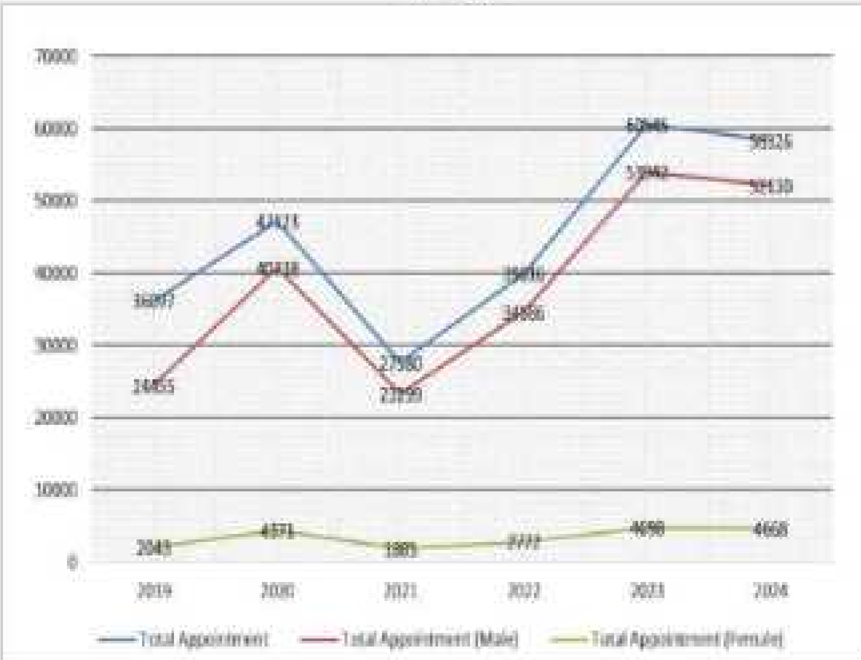

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

26.9 आधार परियोजना–आधार को पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। राज्य में 2024 की अनुमानित जनसंख्या के सापेक्ष आधार पंजीकरण की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका 26.3

S. No.	Age Group	Total Population (Projected 2024)	Total Aadhaar Generated	Saturation %
1	0-5 Yrs	849,365	5,16,739	60.85%
2	5-18 Yrs	2,449,013	2,659,191	108.58%
3	Above 18 Yrs	8,446,988	9,285,035	109.92%
Total	**Overall**	**11,745,166**	**12,460,965**	**106.09%**

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

चार्ट–26.9

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

26.10 पीएम गति शक्ति, उत्तराखण्ड PM Gati Shakti Uttarakhand (Unnati Portal)

"पीएम गति शक्ति, उत्तराखण्ड" कार्यक्रम उत्तराखण्ड सरकार के विभागों के ऐसे प्रस्तावों और परियोजनाएं लंबित हैं जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है, की वास्तविक स्थिति के अवलोकन एवं अनुश्रवण के लिए केंद्रीकृत प्रणाली है। पीएम गति शक्ति, उत्तराखण्ड कार्यक्रम के माध्यम से लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करते हुए हित धारकों के बीच निर्बाध संचार प्रदान किया जा सकता है।

चार्ट–26.10

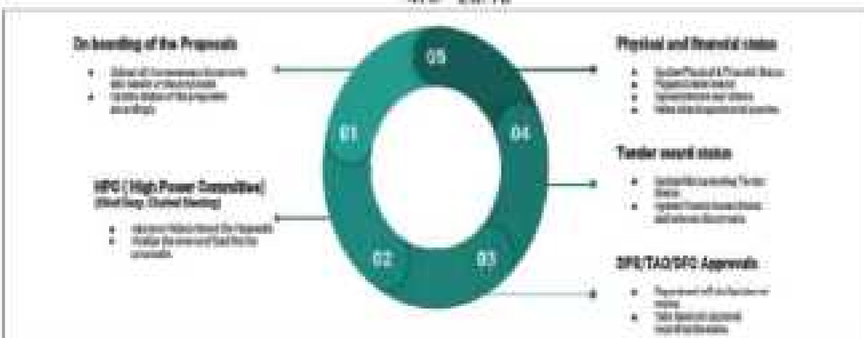

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

Project Tracking via Photos and Videos

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

Stage wise/Role wise proposals tracking and pendency details

स्रोत: आई. टी. डी. ए. उत्तराखण्ड

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(Science & Technology)

राज्य में विकास तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि विकास एवं जनसामान्य में वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने हेतु निम्न संस्थायें कार्य कर रही है–

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)
- उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (Uttarakhand Sci-ence Education and Research Centre, USERC)
- उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (Uttarakhand Council for Bio-technology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

26.11 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)– केन्द्र द्वारा नवीनतम अन्तरिक्ष एवं उपग्रहीय सुदूर संवेदन तकनीक तथा सामान्य एवं पारम्परिक तकनीकों के समन्वय से प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित आंकड़ों का सृजन कर उपयोगी डेटाबेस तैयार कर प्रदेश सरकार के विभिन्न उपयोगकर्ता/रेखीय विभागों को लाभान्वित करना है साथ ही अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यों को कराना उनको आगे बढ़ाना तथा मार्गदर्शन प्रदान करना एवं अनुसन्धान और विकास में सहयोग करने सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं।

26.11.1 राज्य सहायतित परियोजनायें–

26.11.1.1 लैण्ड यूज एण्ड/रूरल/अर्बन प्लानिंग– परियोजना का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से राज्य के नैनीताल एवं रूद्रप्रयाग नगर क्षेत्रों का 1:4000 स्केल पर लार्ज स्केल मैपिंग करना है एवं पौड़ी जनपद का 1:10000 स्केल पर लैण्ड यूज/लैण्ड कवर डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

26.11.1.2 वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट– परियोजना का उद्देश्य राज्य के यमुना रीवर बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का उपग्रहीय डेटा व मानसून वेरिएबल्स एवं फील्ड सर्वेक्षण से मानचित्रीकरण एवं मूल्यांकन करना, राज्य के पुरोला व मोरी में स्थित नौलों व धारों व मत्स्य पालन तालाबों का जी0पी0एस0 आधारित फील्ड

सर्वेक्षण कर सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, राज्य के पुरोला, मोरी, सरस्वती, नागोईगाड वाटरशेड में स्थित जलस्त्रोतों का जी०पी०एस० आधारित फील्ड सर्वेक्षण कर वाटर क्वालिटी फील्ड डेटा एकत्रीकरण कर जल संस्थान की लैब से परीक्षण के उपरान्त जियोस्पाशियल डेटाबेस मानचित्रीकरण करना तथा इन क्षेत्रों में स्थित जलस्रोतों की वर्तमान व पूर्व स्थिति हेतु कारणों की पहचान कर ग्राम स्तर पर जल संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक करना है।

26.11.1.3 वानिकी-पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन– परियोजना का उद्देश्य बेसन कर एटलस और रिपोर्ट सृजन करना तथा नेचुरल रिसोर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लेयर्स अपडेशन यूजिंग वेरी हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा ऑफ उत्तराखण्ड स्टेट (1:2000 स्केल या बेहतर) पर भू-उपयोग, भू-आवरण, ड्रेनेज, सड़क, रेल नेटवर्क एवं बसावत का आंकलन करना है।

26.11.1.4 एग्रीकल्चर एवं हॉर्टीकल्चर– परियोजना का उद्देश्य टेम्पोरल सेटेलाइट डेटा का उपयोग कर रबी सीजन में उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, एवं बागेश्वर जिलों के लिए सक्रिय कृषि भूमि का आंकलन करना है। इसके अन्तर्गत कम्पोजिट उपग्रहीय डाटा से बागेश्वर एवं देहरादून जनपदों के लिए रबी सीजन में सक्रिय कृषि भूमि के आंकलन का कार्य जारी है। उपग्रहीय आंकड़ों द्वारा गेहूं (समस्त जनपदों हेतु), लाल चावल (उत्तरकाशी), ग्रीष्म कालीन चावल (ऊधमसिंह नगर) झंगोरा एवं मंडुवा (टिहरी) एवं गन्ना (ऊधमसिंह नगर, देहरादून एवं हरिद्वार) फसलों का कटाई से पूर्व बोये गये क्षेत्रफल का आंकलन व टिहरी जनपद के लिए झंगोरा तथा मंडुवा फसलों का प्री-हार्वेस्ट क्षेत्र फसल का क्षेत्रफल आंकलन वर्ष 2024 के लिए किया गया।

26.11.1.5 उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (UKGAMS)– राज्य के समस्त जनपदों में लगभग 44,000 परिसंपत्तियों के बाउंड्री सृजन का कार्य किया जा चुका है। अपडेटेड मोबाइल ऐप द्वारा बाउंड्री सृजन हेतु यूजर मैन्युअल व गाइडलाइन तैयार कर समस्त जनपदों में साझा की गयी।

26.11.1.6 ऐंटीवे एन्क्रोचमेंट स्टडी ऑफ हरिद्वार एवं देहरादून– परियोजना का उद्देश्य देहरादून शहर के अंतर्गत चिन्हित ब्लॉकों में ऐंटीवे एन्क्रोचमेंट क्षेत्रों का चिन्हीकरण जी०आई०एस० आधारित सर्वेक्षण के आधार पर उक्त क्षेत्रों में अतिक्रमित क्षेत्रों का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर सम्बंधित विभाग के साथ साझा करना है। कार्य के तहत सम्बंधित क्षेत्र के लिए प्रारम्भिक डाटा बेस तैयार किया जा रहा है।

26.11.1.7 आईडेन्टिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डम्प साइट्स इन चार धाम यात्रा रूट एण्ड देहरादून सिटी यूजिंग हाई रेज्यूलेशन सेटेलाइट डेटा इमेजरीज– परियोजना का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन उपग्रहीय डेटा के उपयोग से चार धाम यात्रा मार्ग और देहरादून शहर में मौजूद ठोस अपशिष्ट कूड़ा डंपिंग क्षेत्रों के स्थानिक वितरण का चिन्हांकन एवं जी०पी०एस० आधारित फील्ड सर्वेक्षण कर जी०आई०एस० के उपयोग से बहुविषयक सूचनायें– भू- उपयोग / भू-आवरण, रोड नेटवर्क, भू-आकृतिक मानचित्र सृजित करना एवं मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस (MCDA) विधियों का उपयोग करके ठोस अपशिष्ट संग्रह केन्द्रों / डंपिंग क्षेत्रों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार करने हेतु वेब आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सूचना प्रणाली (SWMIS) विकसित करना है। इसके अन्तर्गत उक्त से सम्बन्धित डेटाबेस तैयार कर उक्त डेटाबेस को एक रिपोर्ट के रूप में संकलित किया जा रहा है तथा देहरादून शहर में फील्ड सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है।

26.11.2 वाह्य सहायतित परियोजनायें–

26.11.2.1 सैटेलाईट इन्टीग्रेटेड लैण्डस्लाइड असेसमेंट एण्ड अलर्ट सिस्टम (SILAAS) परियोजना– परियोजना का उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग करके उत्तराखण्ड राज्य में पोस्ट मानसून 2023 के लिए

लैंडस्लाइड इनवेंटरी तैयार करना है। पोस्ट मॉनसून 2023 के लिए लैंडस्लाइड इनवेंटरी जेनरेशन एवं गुणवत्ता जाँच का कार्य जारी है।

26.11.2.2 प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम– इसके अन्तर्गत राज्य में नियोजन एवं डिसीजन मेकिंग में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित सहायता प्रदान करने हेतु समय–समय पर राज्य के सभी रेखीय विभागों, उपयोगकर्ताओं व लाभार्थियों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती है तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों/ शोधार्थियों हेतु सुदूर संवेदन तकनीक एवं जी०आई०एस०/जी०पी०एस० से सम्बन्धित दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

26.12 उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद–यूकॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science & Technology-UCOST)– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उत्तराखण्ड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UCOST) उत्तराखण्ड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक परिषद द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

26.12.1 साइंस सिटी की स्थापना– यूकॉस्ट के तत्वावधान में आंचलिक विज्ञान केंद्र को उच्चीकृत करके साइंस सिटी देहरादून में विकसित करने की परियोजना के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार कार्यरत है। लगभग 26 एकड़ में स्थापित होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत ₹173 करोड़ है, जिसमें ₹ 88.20 करोड़ केंद्र सरकार तथा 84.80 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।

26.12.2 आंचलिक विज्ञान केन्द्र, देहरादून– आंचलिक विज्ञान केन्द्र देहरादून वर्तमान समय में राज्यभर के विद्यालयी एवं महाविद्यालयी छात्रों एवं शोधार्थियों के साथ–साथ आम जनमानस में विज्ञान संचार के उद्देश्य से प्रतिबद्ध है। वर्ष 2024 में दिसम्बर माह तक केन्द्र में कुल 55,550 आगंतुकों द्वारा भ्रमण किया गया।

26.12.3 मानस खण्ड विज्ञान केन्द्र, अल्मोड़ा– उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा अल्मोड़ा जनपद में विज्ञान संचार के उद्देश्य से उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना का कार्य वर्ष 2024 में पूर्ण कर छात्र–छात्राओं एवं आम जन मानस हेतु मानस खण्ड विज्ञान केन्द्र के रूप में आरम्भ किया जा गया है।

26.12.4 विज्ञान केन्द्र, चम्पावत– चम्पावत में प्रस्तावित विज्ञान केंद्र के लिए प्रस्तावित भूमि उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून के नाम हस्तांतरित कर दी गयी है। परियोजना की कुल लागत ₹ 55.52 करोड़ है।

26.12.5 विज्ञान लोकव्यापीकरण– माह दिसंबर 2024 तक, परिषद द्वारा 23 कार्यक्रमों हेतु विभिन्न संस्थानों को अनुदान स्वीकृत एवं कुल 06 वैज्ञानिक दिवसों, जैसे कि अर्थ डे, टेक्नोलॉजी डे, एनवायरनमेंट डे, और नेशनल स्पेस डे आदि का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का आयोजन किया गया और महिला दिवस के मौके पर रोल ऑफ वीमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वे फॉरवर्ड विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में 2500 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया।

26.12.6 शोध एवं विकास कार्यक्रम– परिषद के मुख्य उद्देश्यों निहित शोध विकास हेतु परिषद द्वारा राज्य के महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में शोध कार्य हेतु अनुदान दिया जाता है जिसके क्रम में, वर्तमान वर्ष 2024–25 में 34 नयी शोध परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं।

26.12.7 स्टेम लैब कार्यक्रम– स्टेम एजुकेशन सिस्टम के द्वारा विज्ञान, तकनीक तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोचक तरीके से सिखाया जाता है, इसके प्रथम चरण में प्रदेश के 42 विकासखंडों में स्टेम

लैब स्थापित कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं देहरादून जिलों के प्रत्येक विकासखंड में उक्त स्टेम लैब को स्थापित किया जा चुका है, इस वित्तीय वर्ष में शीघ्र ही शेष 56 विकासखंडों में प्रशिक्षक के साथ संपूर्ण 95 विकासखंडों में स्टेम लैब को स्थापित करने का प्रयास जारी है।

26.12.7 लैब ऑन व्हील्स–मोबाइल साइंस लैब परियोजना– परियोजना के अंतर्गत मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रदर्शनों /मॉडलों, गतिविधियों के माध्यम से कक्षा छः से दसवीं तक के छात्र–छात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विषय के पाठ्यक्रम–आधारित संकल्पना को सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 04 जनपदों क्रमशः चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी के 20–20 चयनित विद्यालयों में मोबाइल साइंस लैब का संचालन किया जा रहा है एवं द्वितीय चरण में राज्य के शेष 09 जनपदों में परियोजना के शुभारम्भ का कार्य गतिमान है।

26.12.8 सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव– विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को बढ़ावा और आम जीवन में उसका समावेश करने के लिए प्रदेश के सीमांत पर्वतीय जनपदों (पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग) में स्कूली छात्रों–छात्राओं के लिए ब्लॉक, जनपद तथा राज्य स्तर पर सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन पीएम श्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, मर्षीसौमाट, पिथौरागढ़ में किया गया। उक्त कार्यक्रम में 250 से अधिक छात्रों–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

26.12.9 उत्तराखण्ड/25 "आदर्श चम्पावत"– उत्तराखण्ड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड/25 "आदर्श चम्पावत" के अन्तर्गत चम्पावत जनपद को एक आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, परिषद द्वारा चम्पावत जनपद में कार्यरत सामाजिक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों एवं देश के विभिन्न केन्द्रीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। यूकॉस्ट द्वारा चम्पावत जिले में ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के लिए सिप्टी ग्राम सभा में टैक्नोलाजी रिर्सोस सेन्टर एवं खर्ककार्की ग्राम सभा में महिला प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों एवं महिलाओं को नयी–नयी प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उपरोक्त टैक्नोलाजी रिर्सोस सेन्टर एवं महिला प्रौद्योगिकी केन्द्र में समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे बैग, ऐपण, डीजरी, मधुमक्खी पालन इत्यादि को आयोजित करके महिलाओं एवं किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है।

26.12.10 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग एंड सर्विलांस प्रोग्राम (पी०एम०यू०) परियोजना– यह परियोजना भारत सरकार के उपक्रम "जल जीवन मिशन के अन्तर्गत" (हर घर जल) के माध्यम से देश के समस्त राज्यों में चल रही है। इस परियोजना के सफल संचालन के लिए उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून तथा उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) का निर्माण किया गया है। पी०एम०यू० का मुख्य कार्य समस्त 28 प्रयोगशालाओं का प्रबंधन तथा कार्य प्रणाली की देख – रेख करना है, इस परियोजना में राज्य की समस्त 28 प्रयोगशालाओं में कुल 18 पैरामीटर्स पर पानी की जाँच की जाती है और अब तक इस वित्तीय वर्ष में लगभग 01 लाख पानी के नमूनों की जाँच रिपोर्टस सफलतापूर्वक जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है।

परियोजना अवधि – वर्ष 2024–25

कुल लागत –₹ 03,80,28,726.00

अवमुक्त धनराशि –₹ 01,42,00,000.00

26.13–उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र– यूसर्क (Uttarakhand Science Education & Research Centre-USERC) –यह केन्द्र उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक स्वभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके लिए यह केन्द्र विज्ञान शिक्षा को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास कर रहा है। केन्द्र द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

- यूसर्क द्वारा विद्यार्थियों के मध्य वैज्ञानिक अभिरूचि, वैज्ञानिक चेतना जागृत करने तथा विज्ञान के प्रयोगिक ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के 13 जनपदों के कुछ चयनित माध्यमिक विद्यालयों में 82 STEM (Science Technology, Engineering, Mathematics) प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है।

- डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ऑनलाइन/ऑफलाइन विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है, कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 450 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

- पं0 ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय कैम्पस ऋषिकेश में इंसेशा पीठ केन्द्र के अन्तर्गत यूसर्क प्लांट टीशु कल्चर लैब की स्थापना के साथ ही विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य की परम्परागत फसलों के संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष अध्ययन, उच्च तकनीकी युक्त नर्सरी की स्थापना व शोध कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यापक सघन वृक्षारोपण आदि विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

- यूसर्क द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा का प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश भर में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र–छात्राओं को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों में द्विभाषीय ई–कन्टेंट को ऑफलाइन/ऑनलाइन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

- बाल युवा समागम : आयाट, रूड़की, जनपद हरिद्वार में 'यूसर्क बाल युवा समागम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जनपद के वर्ष 2023 में उच्च अंक प्राप्त करने वाले हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के 5–5 कुल 10 मेधावी छात्र–छात्राओं एवं ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 10 वीं के 20 एवं 12वीं के 18 कुल 38 छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया गया।

- अध्यापक विज्ञान कान्क्लेव : 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्यापक सम्मेलन' में राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार, शिक्षा एवं प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने 09 शिक्षकों को 'उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2024–25' से सम्मानित किया गया।

- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति विभाग विज्ञान के समावेश से समाज में अनुकरणीय कार्य करने वाली 06 महिलाओं को द्वितीय 'विज्ञान प्रयोगधर्मी महिला सम्मान' से सम्मानित किया गया।

- यूसर्क द्वारा आउटरीच कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में विज्ञान एवं शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार किये जाने हेतु विभिन्न विज्ञान के विषयों पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यानों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आयोजन किया जा रहा है।

- यूसर्क राज्य में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान सम्बन्धी विविध क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों, अध्यापकों, वैज्ञानिक संस्थाओं एवं सामान्य जनमानस तक विज्ञान एवं अनुसंधान

के लाभों को पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित कर अपनी शोध को बढ़ावा देने व राज्य परक शोध के विषय की पहचान करने हेतु विभिन्न विज्ञान विषयों में प्रौद्योगिकी हेतु शोध एवं नवाचार के अवसर प्रदान कर रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न शोध संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से विकास हेतु विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 18 शोध एवं विकास (R&D) गतिविधियों पर सहयोगात्मक रूप से वैज्ञानिक प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजनाएं, शोध पत्रों, संगोष्ठियों, नेटवर्क का संचालन किया जा रहा है।

26.14–उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद्–यू0सी0बी0 (Uttarakhand Council for Biotechnology-UCB):–

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन प्रदेश हित में कार्यरत उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी 03 परिषद्, उत्तराखण्ड सरकार की एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसको प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए तथा प्रोत्साहन देने हेतु स्थापित किया गया है। वर्तमान में परिषद् जैव विविधता संरक्षित करने, वर्तमान जानकारी आधार के उन्नयन, शैक्षिक, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को प्रोत्साहित करने, बायोटेक उद्यमिता एवं व्यवसाय को प्रेरित करने, कुशल मानव संसाधन विकसित करने, जैव सूचना प्रसारित करने, जागरूकता विकसित करने और विशाल जैव संपदा को वैज्ञानिक विधि द्वारा अनुप्रयोग में लाने आदि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समर्पित है। परिषद् उत्तराखण्ड में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विकास को नये शिखरों तक ले जाने के लिए कटिबद्ध है। परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है–

- परिषद् अपने कैंपस दौरे, जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों के व्याख्यानों के माध्यम से स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक के छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करती है और अपनी बायोटेक गतिविधियों को लोकप्रिय बनाती है।

- प्रोजेक्ट "Development of a multilingual android applica-tion for the sustainable agri-culture and animal husbandry practices for the farmers from hilly and terrain regions of Uttarakhand, India" से सम्बंधित एप्लीकेशन्स का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जिसमें "सम्पन्न खेती सम्पन्न उत्तराखण्ड" नामक ऐप अब हिंदी और गढ़वाली भाषा में प्ले स्टोर पर उपलब्ध है हालाँकि "स्वस्थ पशु समृद्ध उत्तराखण्ड" नामक ऐप का कार्य गतिशील है। दोनों ऐप में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा पर कार्य चल रहा है।

- जैवप्रौद्योगिकी परिषद्, हल्दी में संचालित परियोजना शीर्षक "Elucidating Positive attributes.......... Value addition" के अन्तर्गत परियोजना का कार्य गतिमान है।

- मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एण्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला के अन्तर्गत नैनोबायोसेन्सर टेस्टिंग का कार्य एवं हर्बल नैनोसेनिटाइजर का कार्य सकुशल गतिमान है।

- पादप ऊतक संवर्धन विधि द्वारा तैयार किये गये कीवी, तिमुर, केला, जटामांसी, ब्राह्मी और मीठी तुलसी के पौधे पॉलीहाउस में लगाये गये हैं।

- किसानों को जैवप्रौद्योगिकी आधारित कृषिकरण के अंतर्गत कीवीकल, पिकनट इत्यादि की जानकारी दी गयी। स्टॉल पर लगाये गये भू–परीक्षक उपकरण से मृदा जांच की जानकारी किसानों को प्रदान की गयी।

- परिषद् द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से बद्री गाय व मंजाजा बकरी पालन को बढ़ावा देने व पशुपालकों की आय वृद्धि के उद्देश्य से वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण दिया गया जिसमें लगभग 335 पशुपालकों ने प्रतिभाग किया।

- आणविक जीवविज्ञान और आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रयोग शाला, सीईएमबी, यूसीबी की आणविक निदान शाखा विभिन्न रोगों के आणविक निदान, कैंसर बायोमार्कर के निदान और आधुनिक आणविक निदान तकनीकों के लिए नवीन सुविधाओं से सुसज्जित है। यह प्रयोगशाला मानव जाति के कल्याण के लिए विज्ञान स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों, वैज्ञानिक संकायों और जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों के युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण/कार्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों और बायोमेडिकल विशेषज्ञों के बीच आपसी सहयोगात्मक सहयोग के साथ ज्ञान प्रदान कर रही है।

- उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद (यूबीसी) में जैव सूचना विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के बाद से, जैव सूचना विज्ञान सुविधा सभी संकाय के सदस्यों और अन्य सहयोगी संस्थानों के लिए खुली है। व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, जैव सूचना विज्ञान प्रयोगशाला ने उन्नत जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 250 से अधिक वैज्ञानिकों, सहायक प्रोफेसरों और अनुसंधान विद्वानों को प्रशिक्षित किया है।

- 108वां राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आईसीएआर–केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरजी), मखदूम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बकरी पालन प्रथाओं और संबंधित क्षेत्रों में प्रतिभागियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना था।

- परिषद् में संचालित परियोजना शीर्षक "Biotechnological In-tervention.....Districts Local Farmers" के अन्तर्गत किसानों, ग्रामीणों व पशुपालकों की गोष्ठी एवं जागरूकता व तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सुई, लोहाघाट (चम्पावत) में आयोजित हुआ जिसमें लगभग 200 पशुपालकों एवं ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया तथा पशुपालन से सम्बंधित आवश्यक दवाइयां व सामग्रियां वितरित की गयी।

- परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्र, पटवाडांगर में परिषद् एवं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, भीमताल के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 किसानों एवं 50 छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अध्याय–27

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

Revenue and Disaster Management

27.1 राजस्व

किसी भी राज्य का राजस्व उस राज्य की आय का एक स्रोत होता है। राजस्व विभाग द्वारा लगान भूमि का केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधीन विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं से बकाया देनदारियों की वसूली करते हुए राजकोष में जमाकर राजस्व की वृद्धि करना प्रमुख कार्य है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व ग्रामों एवं गैर जमींदारी विनाश खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाता है। कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से निष्पक्षतापूर्ण बन्दोबस्त / चकबन्दी के साथ–साथ भूमि का स्वरूप परिवर्तन का अभिलेखीकरण प्रमुख कार्य है।

27.1.1 डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड माडर्नाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) योजना का प्रारम्भ से वर्तमान समय तक की अद्यावधिक स्थिति का विवरण।

1. जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल के शजरा मानचित्रों (कैडस्ट्रल मैप्स) को डिजिटाईज कर आर॰ओ॰आर॰ से लिंक करने उपरान्त भू–नक्शा सॉफ्टवेयर http://bhunaksha.uk.gov.in के माध्यम से पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत किये जा चुके हैं, तथा प्रदेश के अवशेष जनपदों के समस्त शजरा मानचित्रों (कैडस्ट्रल मैप्स) का डिजिटाईज / जियो रेफरेंसिंग सम्बन्धी कार्य 99% पूर्ण हो चुका है। केवल 1% शजरा मानचित्रों की स्थिति जीर्ण–शीर्ण होने के कारण विलम्ब हो रहा है जिसे भी माह दिसम्बर, 2024 के अंत तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

2. डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड माडर्नाईजेशन प्रोग्राम योजनान्तर्गत प्रदेश की कुल 128 तहसीलों / उप तहसीलों के सापेक्ष 77 तहसीलों में माडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष में तहसीलों / उप तहसीलों में कार्य करवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

3. प्रदेश की राजस्व अभिलेखों में दर्ज समस्त भूमि का आधुनिक विधि यथा एरियल लिडार विद ऑपटिकल सेन्सर तकनीक के माध्यम से करवाये जाने हेतु जारी ई–निविदा को भारत सरकार के निर्देशानुसार निरस्त करते हुये पॉयलट अध्ययन हेतु पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में 05 राजस्व ग्रामों यथा–जनपद पौड़ी गढ़वाल, तहसील पौड़ी, राजस्व ग्राम 01–भली, राजस्व ग्राम 02–निसणी, जनपद टिहरी गढ़वाल, तहसील प्रतापनगर, राजस्व ग्राम 01 मुखमल, राजस्व ग्राम 02 पनसूत एवं जनपद हरिद्वार, तहसील भगवानपुर, राजस्व ग्राम हसनवाला एवं 04 नगरपालिका क्षेत्रों के निम्नलिखित ग्रामों में सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

जनपद	तहसील	नगरपालिका / नगरपंचायत	राजस्व ग्राम का नाम
हरिद्वार	भगवानपुर	भगवानपुर	भगवानपुर मुवका ज०मु०
			शाहपुर
			मकनपुर महमूद आलम (मु० व ज०मु०)
			खानपुर
ऊधमसिंहनगर	किच्छा	रुद्रपुर	चुकटी
			सोनेटा
			देवरिया
			सिरौलीकला
			किशनपुर
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	बारामण्डल	अतरखाड़ी
			उडालडुंगा
			एन०टी०डी०
			कनौला धारपाड़ी
			खगमराकोट
			खत्याड़ी
			गोलना
			दुगालखोला
			नगरपालिका खत्याड़ी
			नारायण तिवाड़ी देवाल
			पाण्डेखोला शहर
			पाण्डेखोला ग्रामीण
			पोखरखाली
			पोख फ्री स्टेट
			बख
			म्यू० बाडक
			म्यू० बाहर
			राजपुर
			राजपुर म्यू० भीतर
			रानीधारा
			रैलापाली
			हीरा डुंगरी
			हीरा डुंगरी फ्री स्टेट
			म्यू० भीतर
टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	नरेन्द्रनगर	बगर गाव
			सौनी
			खोलगाव
			काण्डानयडीर
			पार्डी
			नरेन्द्रनगर

4. प्रदेश के समस्त सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। ऑनलाईन म्यूटेशन हेतु सॉफ्टवेयर उपलब्ध किया जा चुका है, जिसका परीक्षण होना गतिमान है।

5. भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 95% भू–अभिलेखों को ULPIN जनरेट किये जा चुके हैं, अवशेष 05% का अभिलेख अधिकारी स्तर से वैलीडेशन उपरान्त ULPIN जनरेट कर दिये जायेंगे, साथ ही भारत सरकार स्तर से प्राप्त निर्देशों के कम में पृथक से स्वतः ही ULPIN जनरेट किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

6. एग्री स्टैक योजना अन्तर्गत प्रदेश में खतौनियों में संयुक्त खातेदारी के स्थान पर प्रत्येक खातेदार व सहखातेदार की अंश निर्धारित पृथक–पृथक रियल टाईम खतौनी व खसरा तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

27.1.2. स्वामित्व योजना की प्रगति का संक्षिप्त विवरण

राज्य के 7441 ग्रामों में स्वामित्व योजना की कार्यवाही अगस्त, 2022 में पूर्ण की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत 278229 स्वामित्व अभिलेख तैयार किये है, तथा हितबद्ध धारकों को स्वामित्व अभिलेख वितरण किया जा चुका है।

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

27.1.3 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सम्बन्धित कार्यवाही

डिजिटाईजेशन ऑफ रिकार्ड:– डिजिटाइजेशन ऑफ रिकार्डस में खतौनियां डिजिटाईज की जा चुकी हैं तथा कैडस्ट्रल मैप की स्थिति अंतिम बिन्दु में समाहित है।

ऑनलाईन म्यूटेशन:– निबन्धन विभाग की एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूटेशन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्री तहसीलदार को प्राप्त होने सम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश में लागू की जा चुकी है।

धारा 41 के तहत सीमांकन/डिमार्केशन हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन का क्रियान्वयन :– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिषद् स्तर पर वर्णित कार्यवाही हेतु आरसीएमएस सॉफ्टवेयर में व्यवस्था की जा चुकी है, जिसका क्रियान्वयन प्रदेश की तहसीलों द्वारा किया जा रहा है। भूमि की पैमाईश का ऑनलाईन शुल्क लिये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल में उपलब्ध है, पूर्णतः ऑनलाईन पोर्टल के रूप में संचालित है।

राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण:– राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु विकसित ऑनलाईन वेब ऐप्लीकेशन http://rcms.uk.gov.in के माध्यम से वादों की डाटा इन्ट्री करवायी जा रही है प्रदेश की 411 राजस्व न्यायालय ऑनलाईन किये जा चुके हैं। प्रदेश की राजस्व न्यायालय शुल्क ऑनलाईन लिये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल में विद्यमान है।

कृषि भूमि को अकृषि करने हेतु जेड०ए०एल०आर० अधिनियम की धारा– 143 एवं 144 तथा कृषि भूमि क्रय करने हेतु (धारा–154) वेब पोर्टल https://landuse.uk.gov.in के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।

नॉन जेड०ए० खतौनियों का वैलीडेशन:– प्रदेश की समस्त नॉन जेड०ए० खतौनियाँ कम्प्यूटरीकृत की जा चुकी हैं, कम्प्यूटरीकृत खतौनियों को ऑनलाईन आमजन को उपलब्ध

कराये जाने की जनपदवार प्रक्रिया परिषद् स्तर पर गतिमान है।

गैर वन भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्रः—

प्रदेश के https://landuse.uk.gov.in पोर्टल पर गैर वन भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रदेश में राजस्व वसूलियों की ऑनलाईन फाईलिंग http://rcs.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।

भू–अभिलेखों पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों का प्रभार ऑनलाईन दर्ज/मुक्त किये जाने हेतु प्रदेश में वेब पोर्टल http://loanentry.uk.gov.in संचालित है।

27.1.4 सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य :—

वर्तमान समय में सर्वेक्षण इकाई जनपद ऊधमसिंहनगर, एवं देहरादून के अन्तर्गत सर्वेक्षण/बन्दोबस्ती क्रियाओं के अधीन ग्रामों का विवरण :—

तालिका 27.1

क्र. सं.	जनपद का नाम	ग्रामों की संख्या जिनमें प्रक्रिया सर्वेक्षण/बन्दोबस्त अधीन हैं
1	2	3
1	देहरादून	11
2	हरिद्वार	05
3	टिहरी	01
4	उत्तरकाशी	02
5	पौड़ी	02
6	ऊधमसिंहनगर	08
7	नैनीताल	04
	योग	33

स्रोत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

27.2 उत्तराखण्ड राज्य में चकबन्दी :—

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में 1–1 चकबन्दी इकाई कार्यरत है। चकबन्दी के अन्तर्गत मैदानी जनपदों की चकबन्दी में लिये गये ग्रामों की कुल संख्या–921 है, जिसके सापेक्ष 471 ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण कर अभिलेख तहसीलों को भेजे जा चुके हैं तथा 319 ग्राम जन विरोध अथवा स्थगन आदेश के कारण तहसीलों को वापस किये जा चुके हैं, शेष 131 ग्रामों में वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया गतिमान है।

तालिका 27.2

उत्तराखण्ड के मैदानी जनपदों में चकबन्दी का विवरण

जनपद का नाम	चकबन्दी में लिये गये ग्रामें की कुल संख्या	ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।	धारा–6 के अन्तर्गत डिनोटिफाई के कारण चकबंदी समाप्त/स्थगनादेश आदि से तहसील को वापस किये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनका कार्य चल रहा है
1	2	3	4	5
ऊधमसिंहनगर	273	129	109	35
चम्पावत	28	02	26	—
नैनीताल	20	03	15	02
हरिद्वार	600	277	169	94
योग	921	471	319	131

स्रोत राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

27.2 पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी :–

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी को सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जोत चकबन्दी अधिनियम, 2016 एवं उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 2020 प्रख्यापित की गयी है।

पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के सात ग्रामों यथा लखोली, औणी, चौरासैण, पंचूर, डांगोली, म्यौन मल्ला एवं ग्वाल में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा– 4(1) व 4(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। ग्राम लखोली, औणी, चौरासैण एवं पंचूर में चकबन्दी समिति का गठन किया गया है एवं खतौनी सत्यापन/पड़ताल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त सात ग्रामों में डिजिटल सर्वेक्षण कराये जाने हेतु जी. आई.एस कन्सोरटीएम प्रा. लि० का चयन किया जा चुका है। सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।

27.3– उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के क्रिया–कलाप

1. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण– वर्ष 2024 में उत्तराखण्ड राज्य अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में अतिवृष्टि के कारण दिनांक 31.07. 2024 को श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्गों पर विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन घटनायें घटित हुयी। इस दौरान यात्रा कर रहे यात्रियों को, जो जहां पर थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। भू–स्खलन से 29 स्थानों पर पैदल एवं सड़क मार्ग अवरुद्ध हुये तथा कुल 19 जनहानि एवं 10 व्यक्ति घायल हुये। उक्त घटना के उपरान्त तत्काल SDRF, NDRF, DDRF, जिलाप्रशासन, पुलिस आदि द्वारा राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ किये गये तथा भारत सरकार के सहयोग से तत्काल एम०आई०–17 और 01 चिनूक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराये गये तथा 06 राज्य हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू अभियान में लगाये गये। रेस्क्यू अभियान में लगभग 13696 लोगों का पैदल तथा हवाई मार्ग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उक्त रेस्क्यू कार्य में विभिन्न विभागों के कुल 1166 अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मानव संसाधन को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया गया।

2. दिनांक 07 एवं 08 जुलाई, 2024 को जनपद ऊधमसिंहनगर के सितारगंज एवं खटीमा में अतिवृष्टि के कारण भारी जल भराव होने से लगभग 23,540 व्यक्ति आपदा से प्रभावित हुये तथा रिकार्ड 10 दिन में लगभग 23,500 प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार अहेतुक सहायता वितरित की गयी तथा जनपद चम्पावत के तहसील श्रीपूर्णागिरि में दिनांक 07 जुलाई, 2024 से दिनांक 09 जुलाई, 2024 तथा 21.07.2024 को अतिवृष्टि से व्यापक क्षति हुयी तथा 193 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 27 जुलाई 2024 को टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के अन्तर्गत तोली गांव में भूस्खलन हुआ जिसमें 95 परिवार प्रभावित हुये तथा प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करते हुये राहत एवं बचाव कार्य किया गया।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार (एनडीएमए) ने उत्तराखंड में 13 संवेदनशील हिमनदी झीलों की पहचान की है, जिसमें से 05 झीलों को उच्च जोखिम वाली झीलों की श्रेणी में रखा गया है। यूएसडीएमए द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 15 से 22 अक्टूबर, 2024 तक जनपद चमोली के वसुधराताल का स्थलीय सर्वेक्षण/बैथीमेट्री कार्य सम्पन्न किया गया।

4. जनपद नैनीताल शहर, उत्तराखंड में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक जांच, भू–तकनीकी जांच, भू–भौतिक जांच तथा नैनीताल को सुरक्षित बनाने सम्बन्धी कार्य, जनपद चमोली के बहुगुणानगर, कर्णप्रयाग में शमन उपायों का डिजाइन के लिए भू–तकनीकी एवं भू–भौतिकीय जांच तथा जनपद हरिद्वार मनसा देवी पहाड़ी, हरिद्वार में स्थलीय सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक जांच,

भू–तकनीकी जांच, भू–भौतिक जांच की प्रक्रिया गतिमान है।

5. आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बलियानाला भूस्खलन नैनीताल, ग्वाल गाँव भूस्खलन, धारचूला (पिथौरागढ़), गलोगी भूस्खलन, मसूरी मार्ग, देहरादून, हल्यापानी भूस्खलन चमोली, बहुगुणा नगर कर्णप्रयाग सर्वेक्षण तथा मझौनी पावरहाउस, देहरादून एप्रोच मार्ग पर भूस्खलन से संबंधित सुरक्षात्मक कार्य किये जा रहे हैं।

6. राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु 03 स्थानों पर क्रमशः मुक्तेश्वर-नैनीताल, सुरकण्डा–टिहरी तथा लैन्सडौन–पौड़ी में डॉप्लर रडार स्थापित हैं, जिनसे उत्तराखण्ड राज्य में मौसम की पूर्वानुमान की और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त हो रही हैं।

7. जनपद चमोली के भूधंसाव से प्रभावित जोशीमठ शहर के पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना हेतु गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा रू0 1658 करोड़ की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गयी है। जिसमें रू0 451.00 करोड़ राज्य का अंश भी सम्मिलित है।

8. उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत IIT रूड़की के माध्यम से भूकम्प चेतावनी तंत्र विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य में कुल 177 सैंसर तथा कुल 112 साइरन स्थापित किये गये हैं। उक्त तंत्र की सहायता से उत्तराखण्ड राज्य में 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर भूकम्प आने पर भू–देव (BHU-DEV) ऐप एवं सायरन के माध्यम से आम–जनमानस को पूर्व चेतावनी उपलब्ध करायी जाती है।

9. वित्तीय वर्ष 2024–25 में आपदा प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु वर्तमान तक 19 ग्रामों के कुल 253 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के पुनर्वासित ग्रामों/परिवारों का जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	कुल ग्राम	परिवारों की संख्या
	चमोली	6	58
1	टिहरी गढ़वाल	6	161
2	पिथौरागढ़	4	104
3	बागेश्वर	3	33
4	रुद्रप्रयाग	2	9
5	चम्पावत	18	148
6	उत्तरकाशी	3	6
7	पौड़ी	1	1
8	कुल योग	43	520

स्रोत: आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ0) के मानकों/दरों में दिनांक 14 अगस्त, 2024 के आदेश द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश तथा निम्नानुसार मानकों में वृद्धि की गयी है–

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंडों का विवरण			
सेक्टर और इकाई	आईटम	कुल क्षति (70% से अधिक) लाख रू0 में	गंभीर क्षति (30–70% क्षति) लाख रू0 में
आवास (घर संख्या)	मैदानी क्षेत्र– पक्का मकान/कच्चा मकान	1.80	1.80
	पहाड़ी क्षेत्र– पक्का मकान/कच्चा मकान	2.00	1.00
शिक्षा (ब्लॉक संख्या)	प्राथमिक स्कूल	15.00	7.50
	माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	25.00	12.50
स्वास्थ्य (ब्लॉक संख्या)	उपकेंद्र (मैदानी क्षेत्र)	10.40	9.20
	उपकेंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	15.81	7.91
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	41.97	20.99
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	40.45	24.72
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	158.12	79.06
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	185.72	92.86
सामुदायिक भवन (इकाई संख्या)	आंगनवाड़ी	6.00	5.00
	ग्राम पंचायत/पटवारखाना		
सड़क एवं परिवहन (इकाई प्रति कि.मी.)	i) प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर) (क्षरण/गंभीर) क्षति सहित कुल क्षति		
	(मैदानी क्षेत्र)	64.00	32.00
	(पहाड़ी क्षेत्र)	187.75	93.75
	ii) अन्य जिला सड़कें(ओडीआर)(क्षरण/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	54.50	26.75
	(पहाड़ी क्षेत्र)	159.88	80.00
	iii) गांव की सड़कें (टूट/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	36.75	18.25
	(पहाड़ी क्षेत्र)	133.75	67.00
	iv) अन्य मद		
	पुल (प्रति संख्या)	3500.00	1750.00
	टनल (प्रति कि.मी.)	100.00	50.00
	बॉक्स कल्वर्ट (प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)	10.00	
	ह्यूम पाइप(प्रति संख्या या प्रति मीटर जो भी कम हो)	2.50	
पेयजल (इकाई–प्रति इकाई)	जल शोधन	0.50	0.25
	भंडारण टैंक	15.00	7.50

	उपकरण और मशीनरी	1.00	0.50
	इन्टेक पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
	वितरण पाइपलाइन (प्रति एम)	0.01	0.01
स्वच्छता (इकाइयों–प्रति इकाई)	विकेन्द्रीकृत एसटीपी–(5000 लोगों तक)	7.00	3.50
	विकेन्द्रीकृत एसटीपी–(5000 से अधिक लोग)	33.00	16.50
	सीवर लाइन (प्रति मीटर)	0.01	0.01
	सामुदायिक शौचालय	3.00	1.50
अंतर्देशीय मत्स्य पालन इकाइयाँ–प्रति हेक्टेयर(अधिकतम 1 हेक्टेयर)	मछली का तालाब (मैदानी क्षेत्र/पहाड़ी क्षेत्र)	1.75	0.875
रेशम उत्पादन (इकाइयाँ–संख्या)	भौतिक आवश्यकता–किसान–रेशम उत्पादन	2.50	1.25
कारीगर इकाईयाँ–संख्या	उपकरण और मशीनें	0.25	–

स्रोत: आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड

परिशिष्ट

State	Geographical area (lakh sq.km)	Population (lakh)	Density of population (per sq.km)	Percentage of urban population to total population	Percentage of State population to all India population	Decennial growth rate of population (percent)	Sex ratio	Child sex ratio (Age group 0-6 years)	Total Households (lakh)
Reference Year /State	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2001-11)	(2011)	(2011)	(2011)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Hill State									
Uttarakhand	**0.53**	**100.86**	**189**	**30.23**	**0.83**	**18.81**	**963**	**890**	**20.57**
Arunachal Pradesh	0.84	13.84	17	22.94	0.11	26.03	938	972	2.71
Assam	0.78	312.06	398	14.10	2.58	17.07	958	962	64.06
Himachal Pradesh	0.56	68.65	123	10.03	0.57	12.94	972	909	14.83
Manipur	0.22	28.56	128	29.21	0.24	24.50	992	930	5.58
Meghalaya	0.22	29.67	132	20.07	0.25	27.95	989	970	5.48
Mizoram	0.21	10.97	52	52.11	0.09	23.48	976	970	2.23
Nagaland	0.17	19.79	119	28.86	0.16	(-)0.58	931	943	3.96
Sikkim	0.07	6.11	86	25.15	0.05	12.89	890	957	1.29
Other State									
Andhra Pradesh	1.63	493.77	304	29.47	4.08	9.21	997	948	127.19
Bihar	0.94	1,040.99	1,106	11.29	8.60	25.42	918	935	189.14
Chhattisgarh	1.35	255.45	189	23.24	2.11	22.61	991	969	56.51
Delhi	0.01	167.88	11,320	97.50	1.39	21.21	868	871	34.36
Goa	0.04	14.59	394	62.17	0.12	8.23	973	942	3.44
Gujarat	1.96	604.40	308	42.60	4.99	19.28	919	890	122.48
Haryana	0.44	253.51	573	34.88	2.09	19.90	879	834	48.56
Jharkhand	0.80	329.88	414	24.05	2.72	22.42	949	948	62.53
Karnataka	1.92	610.95	319	38.67	5.05	15.60	973	948	133.57
Kerala	0.39	334.06	860	47.70	2.76	4.91	1,084	964	78.54
Madhya Pradesh	3.08	726.27	236	27.63	6.00	20.35	931	918	150.93
Maharashtra	3.08	1,123.74	365	45.22	9.28	16.00	929	894	244.22
Odisha	1.56	419.74	270	16.69	3.47	14.05	979	941	96.38
Punjab	0.50	277.43	551	37.48	2.29	13.89	895	846	55.13
Rajasthan	3.42	685.48	200	24.87	5.66	21.31	928	888	127.11
Tamil Nadu	1.30	721.47	555	48.40	5.96	15.61	996	943	105.25
Telangana	1.12	350.04	312	38.88	2.89	13.58	988	932	83.93
Tripura	0.10	36.74	350	26.17	0.30	14.84	960	957	8.56
Uttar Pradesh	2.41	1,998.12	829	22.27	16.50	20.23	912	902	334.48
West Bengal	0.89	912.76	1,028	31.87	7.54	13.84	950	956	213.80
India	**32.87**	**12,108.55**	**382**	**31.14**	**100.00**	**17.70**	**943**	**918**	**2,495.62**

State	Number of cultivators (lakh)	Percent of households having access to safe drinking water	Percentage of scheduled caste population to total population	Percentage of scheduled tribe population to total population	Percentage of disabled population to total population	Percentage of slum population (All towns) to urban population	Percentage of main workers to total population	Percentage of agricultural workers to total workers	Female work participation rate
Reference Year/ Date	(2011)	(2018)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)	(2011)
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Hill State									
Uttarakhand	15.20	97.2	18.76	2.89	1.84	10.81	28.40	31.23	26.68
Arunachal Pradesh	3.83	78.6	-	68.79	1.93	4.90	34.10	37.67	35.44
Assam	40.62	69.9	7.15	12.45	1.54	6.48	27.04	49.35	22.46
Himachal Pradesh	20.62	93.7	25.19	5.71	2.26	9.90	30.05	62.85	44.82
Manipur	5.74	45.6	3.41	40.88	1.89	N.A	33.26	32.61	38.60
Meghalaya	4.93	44.7	0.58	86.15	1.49	9.64	31.06	58.43	32.67
Mizoram	2.30	60.4	0.11	94.43	1.38	13.74	37.89	55.76	36.16
Nagaland	3.28	32.8	-	86.48	1.50	14.42	27.86	61.66	44.74
Sikkim	1.17	88.2	4.62	33.80	2.98	20.93	37.73	46.53	39.57
Other State									
Andhra Pradesh	33.40	90.5*	17.08	5.53	2.46	36.32	38.90	62.36	36.05
Bihar	71.96	94.0	15.91	1.28	2.24	10.53	20.52	73.55	19.07
Chhattisgarh	40.02	86.3	12.82	30.62	2.43	31.98	32.28	74.08	39.70
Delhi	0.33	93.0	16.75	-	1.48	10.91	31.61	1.50	10.58
Goa	0.31	83.7	1.74	10.23	2.26	2.09	32.64	10.07	21.92
Gujarat	54.48	90.3	6.74	14.75	1.81	6.53	33.36	49.61	23.38
Haryana	24.81	93.8	20.17	-	2.16	19.83	27.67	44.96	17.79
Jharkhand	38.15	60.1	12.08	26.21	2.33	4.70	20.07	62.99	29.10
Karnataka	65.81	87.5	17.15	6.95	2.17	13.93	38.30	49.28	31.87
Kerala	6.70	33.5	9.10	1.45	2.28	1.27	27.93	17.15	18.23
Madhya Pradesh	98.44	78.0	15.62	21.09	2.14	28.35	31.28	69.79	32.64
Maharashtra	125.69	83.4	11.81	9.35	2.64	23.32	38.94	52.71	31.06
Odisha	41.04	75.3	17.13	22.85	2.96	22.28	25.51	61.82	27.16
Punjab	19.35	97.6	31.94	-	2.36	14.04	30.06	35.59	13.91
Rajasthan	136.19	78.1	17.83	13.48	2.28	12.13	30.72	62.10	35.12
Tamil Nadu	42.48	92.5	20.01	1.10	1.64	16.61	38.73	42.13	31.80
Telangana	31.51	-	15.45	9.08	2.99	33.72	39.20	36.20	N.A
Tripura	2.96	67.5	17.83	31.76	1.73	14.54	29.32	44.20	23.57
Uttar Pradesh	190.58	95.1	20.70	0.57	2.08	14.02	22.34	59.25	16.75
West Bengal	51.17	92.2	23.51	5.80	2.21	22.06	28.14	44.04	18.08
India*	**1,188.09**	**85.5**	**16.63**	**8.63**	**2.21**	**17.37***	**29.94**	**54.61**	**25.51**

SELECTED SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF STATES IN INDIA

State	Financial Indicators							
	Per capita revenue receipts of the State (R.S.)	Share of State's own Tax Revenue in Total revenue receipt (per cent)	Per capita share in central taxes (R.S.)	Per capita grants from Centre (R.S.)	Share of development expenditure in total expenditure (per cent)	Percentage of revenue deficit (+)/ surplus (-) to GSDP	Percentage of fiscal deficit (+)/ surplus(-) to GSDP	Percentage of outstanding liabilities to GSDP
Reference Year / Date	(2022-23)							
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Hill State								
Uttarakhand	44,917	32.6	9,121	16,871	57.3	(-)0.8	2.7	25.9
Arunachal Pradesh	1,09,105	8.5	53,144	42,386	71.6	(-)14.6	7.5	40.8
Assam	31,450	22.5	6,547	14,557	63.4	3.0	6.1	25.6
Himachal Pradesh	52,254	27.9	10,578	23,841	61.2	3.2	6.4	44.5
Manipur	70,778	9.4	21,487	50,003	60.3	(-)15.0	6.4	42.4
Meghalaya	52,984	14.9	22,161	21,108	68.9	(-)2.2	4.4	44.1
Mizoram	90,578	7.9	37,137	47,621	66.8	(-)1.3	7.0	50.5
Nagaland	66,342	9.5	24,292	35,548	52.2	(-)1.3	6.1	55.2
Sikkim	1,32,510	15.6	51,787	45,195	61.5	(-)2.0	4.4	31.2
Other State								
Andhra Pradesh	33,243	47.8	7,201	8,929	70.0	2.2	3.6	32.5
Bihar	15,950	20.6	7,581	4,604	72.2	3.8	9.2	39.1
Chhattisgarh	32,506	35.5	10,773	8,576	75.4	(-)0.6	1.2	24.9
Delhi	29,642	77.1	N.A	6,500	76.4	0.9	(-)0.4	1.4
Goa	1,16,170	54.7	22,111	21,233	60.5	(-)0.6	5.1	55.0
Gujarat	27,374	60.0	4,646	2,040	60.2	(-)0.2	1.5	16.6
Haryana	32,577	67.4	3,459	3,450	61.4	1.8	3.1	30.5
Jharkhand	21,249	29.6	7,901	3,690	67.4	(-)2.4	2.2	30.2
Karnataka	31,434	67.8	5,124	3,306	63.7	0.3	2.7	23.9
Kerala	36,193	58.3	4,979	7,203	42.3	1.9	3.8	37.2
Madhya Pradesh	23,696	38.3	8,057	4,552	66.1	(-)0.1	3.8	27.8
Maharashtra	34,206	64.8	4,703	3,001	61.2	0.6	2.6	18.5
Odisha	35,423	26.7	9,314	8,692	66.3	(-)2.3	2.8	16.8
Punjab	30,527	47.2	5,691	6,551	50.1	3.5	4.9	47.0
Rajasthan	26,752	43.8	7,095	5,447	70.4	2.3	4.3	35.5
Tamil Nadu	32,003	61.8	5,040	5,178	59.4	1.3	3.2	31.8
Telangana	46,265	62.9	3,170	7,901	74.7	(-)0.2	3.0	26.8
Tripura	51,480	12.1	17,314	26,988	61.1	(-)0.6	4.0	32.2
Uttar Pradesh	20,402	56.7	7,253	4,753	59.5	(-)2.4	3.6	30.7
West Bengal	19,080	40.9	7,229	4,227	64.2	2.6	4.0	38.8
India	**28,298**	**46.1**	**N.A.**	**N.A.**	**63.4**	**0.5**	**3.4**	**27.5**

State	Scheduled Commercial Banks					Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana	
	Number of Banking offices per lakh population@	Per capita deposits* (Rs.)	Per capita credit* (Rs.)	Credit - Deposit Ratio (Per cent)	Share of priority sector advances in total credit of scheduled commercial banks (per cent)	Total account holders ('000)	Total RuPay cards holders ('000)
Reference Year/ Date	As on 31st March, 2023					As on 20th March, 2024	
(1)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
Hill States							
Uttarakhand	**18.4**	**1,72,231**	**62,773**	**36.4**	**55.1+**	**3,677**	**2,387**
Arunachal Pradesh	11.7	1,70,655	46,601	27.3	20.0	492	312
Assam	8.3	58,028	30,149	51.9	41.2	23,288	13,022
Himachal Pradesh	22.6	1,82,761	60,667	33.2	55.6	1,880	1,299
Manipur	7.1	46,078	33,407	72.5	25.1	1,069	673
Meghalaya	10.9	93,386	35,041	37.5	20.1	774	472
Mizoram	18.8	1,18,505	55,816	47.1	18.5	182	156
Nagaland	8.5	69,767	34,156	49.0	20.4	388	297
Sikkim	24.4	1,96,720	84,151	42.8	29.4	98	67
Other States							
Andhra Pradesh	14.2	80,041	1,15,955	144.7	49.4	14,000	9,294
Bihar	6.1	37,744	17,417	46.1	47.0	58,390	42,088
Chhattisgarh	9.6	71,388	51,366	72.2	48.7	17,368	10,646
Delhi	16.9	7,76,650	6,96,665	89.7	14.8	6,273	4,787
Goa	41.5	6,47,069	1,62,124	25.1	37.4	208	143
Gujarat	12.1	1,43,086	1,02,670	71.5	56.9	18,409	11,061
Haryana	17.1	2,32,504	1,35,734	58.0	41.3	10,481	6,731
Jharkhand	8.2	77,098	26,334	34.2	45.9	16,434	12,555
Karnataka	15.9	2,19,418	1,41,566	64.5	28.0	19,594	11,590
Kerala	18.8	2,02,528	1,33,177	65.6	47.8	6,199	3,403
Madhya Pradesh	8.6	63,222	45,356	71.7	54.7	43,187	32,245
Maharashtra	10.8	3,38,505	3,05,908	90.6	33.1	34,242	23,780
Odisha	11.7	1,00,121	43,999	43.9	44.3	21,363	15,259
Punjab	21.8	1,82,522	97,600	53.7	36.8	9,855	6,393
Rajasthan	10.1	77,563	59,649	83.6	52.2	35,161	26,718
Tamil Nadu	13.7	1,57,610	1,86,562	118.7	46.8	15,587	10,085
Telangana	14.9	1,82,170	1,88,146	103.3	31.3	11,777	8,658
Tripura	14.1	82,144	34,003	41.5	38.7	1,027	386
Uttar Pradesh	7.6	65,707	30,146	45.9	41.3	92,289	61,118
West Bengal	9.6	1,06,015	50,489	47.9	41.2	59,816	32,122
India	**11.2**	**1,35,815**	**1,01,853**	**75.4**	**38.4**	**5,19,858**	**3,53,984**

@ Projected Population as on 1st March, 2023 *Provisional N.A Not Available + As on 31st March, 2022

State	Annual Credit Plan[#] (₹ Crore)	Annual Rainfall (mm)	Average size of operational Holdings (ha.)	Yield per hectare (kg)					
				Cereals	Pulses	Foodgrains	Oilseeds	Cotton (Bale)	Sugarcane (Tonne)
Reference Year / Date	(2023-24)	(2022)	(2015-16)	Triennial average (2019-20 to 2021-22)					
(1)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
Hill State									
Uttarakhand	13,148	1,517.5	0.85	3,118	1,004	2,420	961	–	70
Arunachal Pradesh	165	2,810.6	3.35	1,676	1,067	1,642	1,048	–	22
Assam	17,069	2,375.7	1.09	2,193	750	2,027	636	89	39
Himachal Pradesh	15,921	1,066.4	0.95	2,201	1,663	2,164	685	–	17
Manipur	865	1,225.2	1.14	2,550	934	2,339	793	–	57
Meghalaya	844	4,216.1	1.29	2,637	1,445	2,565	1,062	293	3
Mizoram	398	1,635.5	1.23	1,739	1,264	1,707	1,112	–	30
Nagaland	551	1,456.0	4.07	1,986	1,164	1,939	1,044	409	39
Sikkim	413	3,310.7	1.27	1,753	465	1,675	925	–	–
Other State									
Andhra Pradesh	2,31,000	1,037.1	0.94	3,717	890	2,852	884	541	77
Bihar	94,158	694.5	0.39	2,576	835	2,454	1,075	–	57
Chhattisgarh	33,013	1,436.1	1.24	1,953	553	1,750	486	333	54
Delhi	16,915	675.8	1.39	3,697	2,000	3,695	1,274	–	–
Goa	1,237	3,081.0	1.10	2,691	894	2,497	2,253	–	66
Gujarat	1,13,579	928.1	1.88	2,545	1,333	2,165	2,079	559	76
Haryana	98,158	620.5	2.22	3,985	467	3,813	1,851	452	83
Jharkhand	17,083	1,444.5	1.10	2,063	1,049	1,772	792	–	–
Karnataka	1,77,469	1,366.5	1.36	2,406	659	1,717	888	486	94
Kerala	1,59,075	2,897.1	0.18	2,873	982	2,855	538	1,078	65
Madhya Pradesh	1,27,732	1,309.2	1.57	2,809	1,006	2,265	898	416	59
Maharashtra	1,08,481	1,372.9	1.34	1,690	944	1,330	1,249	376	89
Odisha	58,776	1,660.7	0.95	2,196	592	1,855	848	559	70
Punjab	1,09,201	573.2	3.62	4,678	1,018	4,655	1,514	652	82
Rajasthan	1,33,215	662.2	2.33	2,077	678	1,390	1,432	619	70
Tamil Nadu	1,86,482	1,150.6	0.75	3,591	620	2,908	2,458	376	107
Telangana	1,32,765	1,270.6	1.00	3,644	1,010	3,265	1,065	444	98
Tripura	3,300	1,772.8	0.49	2,993	766	2,831	845	264	55
Uttar Pradesh	3,12,716	768.2	0.73	2,556	1,090	2,469	1,088	566	82
West Bengal	1,06,094	1,558.8	0.76	3,163	873	2,998	1,267	529	88
India	**24,69,868**	**1,257.8**	**1.08**	**2,833**	**867**	**2,387[$]**	**1,260**	**445**	**83**

$ Includes Union Territories   # Target for Agriculture and allied activities

State	Consumption of fertilizer per hectare cropped area (kg)	Percentage of gross irrigated area to gross cropped area	Net area sown per cultivator (ha)$$	Percentage of net area sown to total geographical area	Cropping intensity	Number of livestock per 100 persons	Percentage of forest cover+ in total geographical area	Percentage of tree cover++ to total geographical area
Reference Year/ Item	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2021-22)	(2019)	(2021)	(2021)
	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)
Hill State								
Uttarakhand	149.2	56.6	0.4	11.1	162.2	39.47	45.4	2.9
Arunachal Pradesh	0.0	18.6	0.8	2.9	139.1	79.00	79.3	1.2
Assam	67.6	14.0	0.7	35.0	140.8	52.42	36.1	2.1
Himachal Pradesh	62.9	23.7	0.5	9.5	169.6	60.23	27.7	1.2
Manipur	31.5	18.8	0.7	17.6	100.0	17.00	74.2	0.8
Meghalaya	0.0	34.9	0.5	12.0	120.8	62.94	76.0	3.1
Mizoram	6.1	14.1	0.6	6.9	142.3	30.03	84.5	2.1
Nagaland	0.8	16.0	0.5	16.0	120.4	25.63	73.9	2.2
Sikkim	0.0	10.0	0.7	10.9	101.8	41.15	47.1	0.5
Other State								
Andhra Pradesh	231.9	53.4	1.0	37.1	121.6	65.05	18.3	2.9
Bihar	220.1	76.4	0.3	53.6	144.6	30.31	7.8	2.5
Chhattisgarh	132.9	37.6	1.2	34.5	125.2	34.83	41.2	4.0
Delhi	273.3	63.6	0.7	14.6	202.6	1.80	13.1	9.9
Goa	21.0	28.1	4.1	34.5	113.6	0.57	66.6	6.0
Gujarat	115.2	60.9	1.8	49.5	121.8	39.27	7.6	2.8
Haryana	209.3	98.1	1.5	81.7	181.8	24.37	3.6	3.2
Jharkhand	109.4	15.8	0.4	17.5	114.8	42.61	29.5	3.6
Karnataka	140.7	41.3	1.7	56.2	132.1	45.09	20.2	3.9
Kerala	105.8	22.2	3.0	52.2	124.3	8.20	54.7	7.3
Madhya Pradesh	88.2	36.1	1.6	51.3	189.9	49.02	25.1	2.6
Maharashtra	121.9	N.A	1.2	53.9	135.1	26.93	16.5	3.0
Odisha	117.8	29.9	1.1	27.6	115.6	40.20	33.5	3.2
Punjab	231.4	97.5	2.1	81.7	192.5	23.50	3.7	2.3
Rajasthan	58.7	45.2	1.5	53.0	151.4	72.98	4.9	2.6
Tamil Nadu	177.9	61.2	1.2	37.7	129.2	32.20	20.2	3.4
Telangana	253.9	89.6	1.8	50.2	142.7	67.08	18.9	2.5
Tripura	39.8	23.6	0.9	24.3	191.0	32.03	73.6	2.2
Uttar Pradesh	183.3	85.5	0.8	66.4	175.2	30.08	6.2	3.1
West Bengal	130.4	63.9	1.0	59.3	196.3	38.54	19.0	2.6
India	**136.6**	**54.9**	**1.2**	**42.9**	**155.4**	**39.08**	**21.7**	**2.9**

$$ Number of cultivators is based on Census 2011 N.A Not Available

\+ All Lands more than one ha in area, with a tree canopy density of more than 10 per cent irrespective of ownership and legal status, it also includes orchards, bamboo and palm. ++ It comprises of tree patches outside the recorded forest area exclusive of forest cover and less than the minimum mappable area (one ha)

State	Annual Survey of Industries				Annual Survey of Industries			
	Factories (no.)	Workers ('000)	Gross Output per Worker ('000)	Net Value Added per Worker ('000)	Factories (no.)	Workers ('000)	Gross Output per Worker ('000)	Net Value Added per Worker ('000)
Reference Year/ Date	(2020-21)				(2021-22)			
	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)
Hill States								
Uttarakhand	**2,900**	**314**	**7,039**	**1,462**	**2,978**	**336**	**6,865**	**1,412**
Arunachal Pradesh	199	2	3,172	356	211	3	3,478	(-)706
Assam	5,358	216	3,182	779	5,008	193	3,693	1,055
Himachal Pradesh	2,677	139	8,960	2,078	2,683	173	9,564	2,112
Manipur	204	5	991	162	218	6	1,118	172
Meghalaya	162	10	6,263	979	186	10	8,653	1,327
Mizoram	206	1	343	100	208	1	724	186
Nagaland	192	3	882	166	191	3	1,172	199
Sikkim	84	19	11,392	4,859	84	19	12,846	5,191
Other States								
Andhra Pradesh	16,037	529	8,346	1,063	16,925	550	9,620	1,171
Bihar	3,567	106	6,631	394	3,289	118	8,447	1,023
Chhattisgarh	4,133	168	9,953	1,318	4,397	190	12,826	1,718
Delhi	3,174	69	6,349	737	3,097	63	6,873	882
Goa	720	58	8,844	2,248	693	62	9,612	2,283
Gujarat	29,497	1,568	9,341	1,236	29,766	1,676	12,973	1,520
Haryana	11,638	820	7,186	709	11,294	888	8,344	1,056
Jharkhand	2,962	150	9,218	1,829	2,979	174	11,978	2,515
Karnataka	14,233	768	6,653	1,242	14,302	840	8,991	1,542
Kerala	7,886	248	5,741	759	7,712	262	8,203	998
Madhya Pradesh	4,914	298	9,522	1,297	5,018	322	10,883	1,647
Maharashtra	26,859	1,295	8,987	1,492	26,398	1,369	10,757	1,800
Odisha	3,286	228	15,691	1,765	3,264	270	17,337	3,062
Punjab	13,009	545	4,886	656	13,131	618	6,027	775
Rajasthan	9,886	476	7,698	1,286	10,257	520	9,381	1,103
Tamil Nadu	39,353	2,046	4,182	655	39,512	2,175	5,339	759
Telangana	15,342	665	5,877	637	15,251	700	4,606	883
Tripura	660	19	931	190	682	20	1,069	165
Uttar Pradesh	16,503	898	6,388	509	17,481	1,043	7,353	1,011
West Bengal	9,865	521	6,718	891	9,727	567	8,609	1,035
India[1]	**2,98,454**	**12,995**	**6,994**	**1,061**	**2,49,987**	**13,608**	**8,764**	**1,255**
[1] Includes Union Territories								

Percentage of employed persons#		Unemployment Rate#		Labour force participation Rate#		Percentage of employed persons@		Unemployment Rate@		Labour force participation Rate@	
Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban
(2021-22)						(2022-23)					
	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)
Hill State											
Uttarakhand	35.3	7.8	10.6	42.3	36.1	45.9	32.3	3.8	6.9	49.3	34.7
Arunachal Pradesh	33.1	6.9	12.0	37.9	34.2	49.3	37.0	3.9	10.9	51.3	41.5
Assam	35.6	3.2	8.4	38.4	39.3	39.0	39.6	1.5	6.1	39.4	42.2
Manipur	31.3	9.5	7.7	32.4	33.9	35.3	36.1	4.5	5.3	36.9	38.1
Meghalaya	35.0	1.3	6.9	36.8	36.5	42.1	33.6	5.0	12.5	44.3	38.6
Mizoram	34.9	4.0	7.2	40.0	37.6	42.6	36.5	1.2	3.5	43.1	35.9
Nagaland	39.5	7.5	14.6	46.5	39.2	47.6	40.5	2.9	8.6	49.1	44.3
Sikkim	45.1	1.3	3.6	61.0	46.4	64.6	46.9	2.2	2.2	66.1	48.0
Other State											
Andhra Pradesh	37.6	3.5	6.3	51.8	40.2	49.7	39.4	3.3	6.5	51.6	42.2
Bihar	26.1	5.5	10.5	27.0	29.5	30.4	27.9	3.6	7.7	31.5	30.2
Chhattisgarh	41.0	1.6	7.2	51.2	43.6	35.1	41.4	1.5	7.6	35.9	44.5
Delhi	32.9	3.9	5.1	35.6	34.6	27.4	35.3	10.2	1.7	30.5	35.6
Goa	33.5	12.5	11.6	38.0	37.9	34.4	38.8	11.3	8.7	38.7	42.5
Gujarat	33.6	1.5	2.6	48.5	40.0	52.2	40.7	1.4	2.2	53.0	41.6
Haryana	33.8	9.0	8.9	35.0	36.2	33.4	35.5	5.8	6.9	35.5	37.8
Himachal Pradesh	43.5	3.6	8.7	59.3	47.4	60.8	39.3	3.5	15.1	63.0	46.3
Jharkhand	32.7	1.2	6.1	46.3	35.9	44.1	31.0	0.9	6.3	44.6	33.1
Karnataka	37.4	2.3	5.6	45.1	35.6	45.9	40.4	1.7	4.2	46.6	42.2
Kerala	37.2	9.9	10.3	46.4	41.4	43.6	38.4	6.5	7.6	46.6	41.6
Madhya Pradesh	35.5	1.3	4.9	48.5	38.4	51.1	37.0	0.8	4.8	51.5	38.9
Maharashtra	39.8	2.5	5.8	48.3	41.0	49.2	39.8	2.2	4.8	50.2	41.7
Odisha	34.9	5.4	10.5	42.6	39.0	45.3	38.0	3.6	6.2	47.2	40.5
Punjab	38.8	6.6	6.1	41.2	41.3	39.9	39.4	6.2	6.0	42.5	41.8
Rajasthan	32.1	2.9	10.8	44.8	36.2	46.1	34.7	3.4	6.5	47.7	37.0
Tamil Nadu	43.6	4.2	5.7	49.7	43.2	47.3	39.6	3.8	5.1	49.2	41.7
Telangana	37.3	3.1	6.8	51.3	40.1	50.1	36.6	2.8	7.8	51.6	39.7
Tripura	36.8	1.1	4.1	42.5	37.6	44.3	41.1	1.1	3.0	44.0	42.4
Uttar Pradesh	35.7	2.1	6.7	37.0	32.9	39.3	31.4	1.6	6.5	40.0	33.6
West Bengal	40.5	3.1	4.4	42.5	42.6	45.1	41.7	1.5	3.6	45.9	43.3
India#	**36.6**	**3.3**	**6.3**	**42.3**	**39.8**	**43.3**	**37.7**	**2.4**	**5.4**	**45.4**	**39.8**

Data based on Annual Report, Periodic Labour Force Survey, (July 2021-June 2022)

@ Data based on Annual Report, Periodic Labour Force Survey, (July 2022-June 2023)

State	Economic Census				Installed capacity of electricity per lakh population@ (MW)	Per capita generation of electricity# (kwh.)
	No. of establishments per lakh population	Employment in establishment per lakh population	No. of establishments per lakh population			
Reference Year/ Date	6th Economic Census (2013)		5th Economic Census (2005)		(31-03-2023)	(2022-23)
	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)
IHR States						
Uttarakhand	**3,908**	**10,416**	**3,534**	**8,028**	**31.79**	**927.20**
Arunachal Pradesh	2,632	3,673	2,390	6,108	0.51	13.98
Assam	6,509	12,668	3,416	7,667	1.59	68.44
Manipur	6,942	15,036	4,189	9,442	1.67	2.74
Meghalaya	3,598	6,755	3,328	9,094	11.18	315.01
Mizoram	5,239	11,148	5,303	11,856	5.96	58.58
Nagaland	3,080	6,179	1,694	8,361	1.61	39.16
Sikkim	6,098	14,058	3,227	11,415	135.83	6,140.24
Other States						
Andhra Pradesh	6,559	17,529	5,413	12,592	45.01	1,297.60
Bihar	1,640	3,116	1,358	2,510	0.31	2.29
Chhattisgarh	3,029	7,286	2,808	6,677	50.02	2,910.90
Delhi	5,234	17,980	4,766	22,567	12.59	357.54
Goa	9,022	19,792	4,901	15,260	4.77	11.02
Gujarat	6,573	15,097	4,443	11,173	56.40	1,122.98
Haryana	4,599	12,767	3,641	9,803	21.23	1,033.90
Himachal Pradesh	6,805	14,255	4,184	10,364	53.45	1,846.01
Jharkhand	1,836	4,436	1,692	3,973	6.35	397.82
Karnataka	4,719	11,698	4,542	11,332	40.67	981.41
Kerala	10,643	28,731	8,395	17,164	9.07	270.74
Madhya Pradesh	2,994	6,262	2,617	6,083	21.38	866.87
Maharashtra	5,402	12,914	4,059	10,674	29.79*	1,066.29*
Odisha	4,977	10,287	4,705	9,526	16.56	702.85
Punjab	5,454	13,140	4,134	10,473	32.70	1,551.55
Rajasthan	4,229	9,136	3,164	6,958	42.93	1,232.61
Tamil Nadu	6,971	16,210	6,021	15,401	37.73	862.83
Telangana	5,964	15,028	3,786	13,143	39.58	1,260.27
Tripura	6,445	10,997	5,571	11,344	3.24	133.58
Uttar Pradesh	3,348	7,066	2,204	4,466	8.82	375.15
West Bengal	6,470	13,081	4,929	11,761	8.61	511.03
India$	**4,832**	**10,806**	**3,776**	**9,289**	**30.09**	**1,169.94**

$ Includes Union Territories * provisional

@ MAHAGENCO, Tata power Co. Ltd. Adani Electricity Mumbai Ltd., MEDA, Central Electricity Authority

MAHAGENCO, MAHADISCOM, Tata power Co. Ltd. Adani Electricity Mumbai Ltd. Central Electricity Authority

State	Annual per capita ultimate consumption of electricity* (kwh)				Motor vehicles per lakh population* (no.)	Total road length per hundred sq.km of area (km)	Railway route length per hundred sq. km of area (km)
	Total	Domestic	Industrial	Agriculture			
Reference Year/ Date	(2022-23)				(31-3-2020)	(31-3-2019)	(31-3-2023)
	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)
Hill State							
Uttarakhand	1,365.88	566.47	597.65	56.10	25,331	125	0.65
Arunachal Pradesh	374.19	152.19	140.00	0.04	13,883	60	0.01
Assam	293.21	156.31	47.59	2.09	13,495	509	3.28
Manipur	243.45	161.82	12.98	1.83	11,095	145	0.25
Meghalaya	513.72	163.07	270.85	0.06	11,380	179	0.04
Mizoram	400.51	250.78	10.88	0.66	22,095	77	0.01
Nagaland	399.24	185.78	32.07	0.01	23,843	228	0.13
Sikkim	708.12	176.50	415.28	0.00	8,089	123	0.00
Other State							
Andhra Pradesh	1,385.26	328.62	613.57	177.47	24,888	108	2.44
Bihar	246.79	127.56	34.75	50.00	8,095	317	4.13
Chhattisgarh	1,014.64	213.46	436.55	220.51	25,817	76	0.88
Delhi	1,659.19	856.69	146.48	1.88	56,258	1,090	12.28
Goa	2,869.71	870.00	1,445.83	25.64	93,746	505	1.87
Gujarat	1,744.24	288.46	1,041.44	302.36	38,669	127	2.52
Haryana	1,837.82	309.66	643.28	339.48	29,356	314	3.94
Himachal Pradesh	1,472.73	351.51	856.66	12.28	28,216	132	0.55
Jharkhand	672.66	137.84	417.77	3.76	13,242	102	3.32
Karnataka	982.88	219.56	221.41	313.25	38,288	187	1.89
Kerala	693.24	348.25	145.55	11.02	40,854	660	2.79
Madhya Pradesh	617.45	207.67	162.91	321.41	21,328	118	1.69
Maharashtra	1,396.88	259.90	467.28	297.51	38,482	207	1.98
Odisha	688.12	174.26	350.18	18.57	20,812	196	1.89
Punjab	1,889.77	371.68	642.87	430.42	37,489	294	4.59
Rajasthan	987.82	184.40	265.19	381.02	24,292	92	1.79
Tamil Nadu	1,250.66	398.63	510.28	165.25	42,989	208	3.10
Telangana	1,811.39	367.63	466.18	583.79	34,327	125	1.76
Tripura	279.36	155.16	12.30	13.17	13,680	430	2.53
Uttar Pradesh	492.88	222.67	20.08	88.27	13,286	184	3.65
West Bengal	592.48	201.07	222.68	16.34	11,135	320	4.66
India*	**916.84**	**295.67**	**302.45**	**176.58**	**24,846**	**168**	**2.09**

*provisional

State	Teledensity		Total Internet Subscribers per 100 population	Literacy percentage††		
	Wireline	Wireless		Male	Female	Total
Reference Year / Date	As on 31st December, 2023			(2011)	(2011)	(2011)
	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)
Hill States						
Uttarakhand	**2.48**	**103.38**	**83.09**	**87.40**	**70.01**	**78.82**
Arunachal Pradesh	1.11	79.43	54.82	72.55	57.70	65.38
Assam	0.60	71.30	52.28	77.85	66.27	72.19
Manipur	1.80	73.26	65.78	83.58	70.26	76.94
Meghalaya	1.74	76.22	60.28	75.95	72.89	74.43
Mizoram	3.13	110.13	86.96	93.35	89.27	91.33
Nagaland	1.18	74.04	75.10	82.75	76.11	79.55
Sikkim	0.81	120.69	98.94	86.55	75.61	81.42
Other States						
Andhra Pradesh	0.39	74.47	65.46	74.77	59.96	67.35
Bihar	0.40	54.40	40.87	71.20	51.50	61.80
Chhattisgarh	1.10	66.77	53.90	80.27	60.24	70.28
Delhi	10.82	167.41	162.52	90.94	80.76	86.21
Goa	3.75	156.51	140.99	92.65	81.84	88.70
Gujarat	2.80	95.63	75.67	85.75	69.68	78.03
Haryana	2.25	116.41	94.88	84.06	65.94	75.55
Himachal Pradesh	2.08	118.03	86.51	89.53	75.93	82.80
Jharkhand	0.63	60.86	48.09	76.84	55.42	66.41
Karnataka	4.78	97.37	83.78	82.47	68.08	75.36
Kerala	3.92	117.90	93.59	96.11	92.07	94.00
Madhya Pradesh	1.45	68.36	54.62	78.73	59.24	69.32
Maharashtra	3.91	99.46	83.43	88.38	75.87	82.34
Odisha	1.06	74.93	53.59	81.59	64.01	72.87
Punjab	3.62	107.53	86.86	80.44	70.73	75.84
Rajasthan	1.17	83.77	63.08	79.19	52.12	66.11
Tamil Nadu	3.56	109.02	78.71	86.77	73.44	80.09
Telangana	3.20	106.19	91.58	75.04	57.99	66.54
Tripura	1.09	77.33	43.14	91.53	82.73	87.22
Uttar Pradesh	0.72	68.73	52.90	77.28	57.18	67.68
West Bengal	1.41	80.25	62.25	81.69	70.54	76.26
India$	**2.28**	**82.95**	**67.03**	**80.88**	**64.63**	**72.98**

$ Includes Union Territories. †† The literacy rates related to the population aged seven years and above

State	Gross Enrolment Ratio				Gender Parity Index			
	Elementary Level (Std I–VIII)	Secondary Level (Std IX-X)	Higher Secondary Level (Std XI-XII)	Higher Education Level (18-23 years)	Elementary Level (Std I-VIII)	Secondary Level (Std IX-X)	Higher Secondary Level (Std XI-XII)	Higher Education Level (18-23 years)
Reference Year/ Date	(2021-22)				(2021-22)			
	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)
Hill State								
Uttarakhand	113.13	89.83	78.77	41.50	1.04	1.02	1.08	1.19
Arunachal Pradesh	100.67	66.51	53.71	36.50	1.03	1.05	1.08	0.93
Assam	100.86	74.48	40.04	16.90	1.07	1.28	1.11	1.03
Manipur	117.54	75.98	69.65	35.40	1.04	1.04	1.03	1.01
Meghalaya	139.65	89.33	43.56	25.40	1.07	1.24	1.34	1.24
Mizoram	137.52	93.36	61.30	32.30	1.01	1.10	1.15	1.06
Nagaland	87.39	62.23	39.83	18.00	1.07	1.16	1.18	1.29
Sikkim	92.69	89.07	64.20	38.60	0.96	1.07	1.27	1.21
Other State								
Andhra Pradesh	100.13	85.28	56.70	36.20	0.98	0.98	1.06	0.93
Bihar	96.23	64.94	35.80	17.10	1.03	1.06	1.02	0.92
Chhattisgarh	95.65	79.38	68.11	19.60	1.00	1.08	1.17	1.23
Delhi	121.13	111.24	93.01	49.00	1.03	1.02	1.09	1.03
Goa	93.10	82.98	73.66	35.90	1.04	1.06	1.07	0.98
Gujarat	92.36	75.18	48.19	24.00	1.04	0.94	0.98	0.91
Haryana	105.19	94.74	73.34	33.30	1.00	0.97	1.01	1.22
Himachal Pradesh	109.14	94.18	94.08	43.10	1.02	1.01	1.03	1.33
Jharkhand	97.04	69.41	46.44	18.60	1.01	1.06	1.07	1.01
Karnataka	107.39	94.73	56.60	36.20	1.00	1.00	1.08	1.01
Kerala	101.32	97.83	83.04	41.30	0.99	0.99	1.08	1.44
Madhya Pradesh	88.66	69.59	57.33	28.90	0.99	0.96	0.98	0.94
Maharashtra	**104.51**	**93.65**	**71.40**	**34.50**	**1.02**	**0.98**	**0.98**	**0.98**
Odisha	95.38	83.16	43.28	22.10	1.00	1.01	1.03	0.88
Punjab	100.61	95.66	83.02	27.40	1.00	1.01	1.02	1.13
Rajasthan	101.78	79.23	58.22	28.60	1.00	0.93	0.90	0.97
Tamil Nadu	98.73	95.58	81.40	47.00	1.01	1.00	1.11	1.01
Telangana	110.21	98.06	64.86	40.00	1.00	1.01	1.06	1.08
Tripura	109.11	81.23	56.28	20.70	1.04	1.08	1.15	0.88
Uttar Pradesh	98.07	69.28	50.63	24.10	1.03	0.92	0.92	1.02
West Bengal	106.45	88.28	62.80	26.30	1.01	1.12	1.31	1.03
India[1]	**100.13**	**79.56**	**57.56**	**28.40**	**1.02**	**1.00**	**1.02**	**1.01**

State	Drop- Out Ratio						Pupil - Teacher Ratio			
	Primary Level (Std I-V)		Upper Primary Level (Std VI-VIII)		Secondary Level (Std IX-X)		Primary Level (Std I-V)	Upper Primary level (Std VI-VIII)	Secondary Level (Std IX-X)	Higher secondary Level (Std XI-XII)
	Boys	Girls	Boys	Girls	Boys	Girls				
Reference Year / Date	(2021-22)						(2021-22)			
	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)
Hill States										
Uttarakhand	0.07	0.51	2.99	2.36	5.37	4.65	18	10	11	16
Arunachal Pradesh	9.26	9.26	4.82	8.44	11.28	12.23	11	8	10	19
Assam	6.04	5.17	10.10	7.61	19.79	20.66	21	14	11	20
Manipur	13.54	12.59	5.95	5.21	1.35	1.21	15	10	9	15
Meghalaya	11.00	8.70	12.04	9.40	23.28	20.27	20	13	11	19
Mizoram	7.80	5.30	5.78	1.64	13.06	10.03	15	7	9	14
Nagaland	5.57	4.49	4.64	3.36	19.92	16.19	11	7	10	17
Sikkim	2.90	0.00	0.00	0.00	14.53	9.64	6	8	8	11
Other States										
Andhra Pradesh	0.00	0.00	1.72	1.30	17.52	14.97	25	15	16	51
Bihar	0.00	0.00	4.02	5.21	19.40	21.42	53	23	54	62
Chhattisgarh	0.96	0.50	4.84	3.33	11.30	6.95	20	19	14	16
Delhi	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	5.71	33	32	27	21
Goa	0.00	0.00	0.00	0.00	12.05	5.45	26	15	9	18
Gujarat	0.00	0.00	4.23	5.76	19.39	15.89	30	24	29	28
Haryana	0.00	0.00	0.25	0.19	6.68	4.90	25	19	12	18
Himachal Pradesh	0.00	0.00	0.62	0.51	1.96	0.90	15	8	9	10
Jharkhand	2.36	1.14	5.70	4.00	9.66	6.94	29	29	34	57
Karnataka	0.00	0.00	1.38	1.06	16.16	13.02	25	17	17	28
Kerala	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	4.06	27	21	14	21
Madhya Pradesh	3.24	2.01	8.63	9.01	10.55	9.67	26	17	22	30
Maharashtra	**0.04**	**0.00**	**1.47**	**1.60**	**10.41**	**10.64**	**25**	**26**	**20**	**38**
Odisha	0.00	0.00	8.04	6.53	29.22	25.24	17	19	18	25
Punjab	1.49	0.95	8.67	7.13	18.27	15.96	25	19	18	17
Rajasthan	3.00	2.50	4.42	4.20	7.78	7.09	25	13	19	18
Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	2.52	19	14	12	21
Telangana	0.00	0.00	3.40	2.87	14.49	12.94	20	13	9	28
Tripura	1.16	0.09	4.75	4.26	8.53	6.15	18	19	13	15
Uttar Pradesh	2.48	2.90	1.23	4.65	9.43	10.01	28	25	26	38
West Bengal	0.07	0.15	0.00	0.00	18.27	17.04	26	28	16	27
**India$	**1.59**	**1.35**	**2.74**	**3.31**	**12.96**	**12.25**	**26**	**19**	**17**	**27**
$ Includes Union Territories										

State	Percentage of female Teachers	Life expectancy at birth (years)		Birth rate	Death rate	Infant Mortality Rate[@]
		Male	Female			
Reference Year/ Date	(2021-22)	(2016-20)		(2020)	(2020)	(2020)
	(105)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)
Hill State						
Uttarakhand	**55.00**	**67.5**	**73.9**	**16.6**	**6.3**	**24**
Arunachal Pradesh	48.22	N.A.	N.A.	17.3	5.7	21
Assam	41.81	67.3	69.0	20.8	6.2	36
Manipur	54.21	N.A.	N.A.	13.3	4.3	6
Meghalaya	58.42	N.A.	N.A.	22.9	5.5	29
Mizoram	47.12	N.A.	N.A.	14.4	4.2	3
Nagaland	55.76	N.A.	N.A.	12.5	3.7	4
Sikkim	68.03	N.A.	N.A.	15.6	4.1	5
Other State						
Andhra Pradesh	58.53	69.1	72.2	15.7	6.3	24
Bihar	40.27	69.7	69.2	25.5	5.4	27
Chhattisgarh	47.90	63.5	66.8	22.0	7.9	38
Delhi	73.51	74.1	77.7	14.2	3.6	12
Goa	80.31	N.A.	N.A.	12.1	5.9	5
Gujarat	55.88	68.1	73.2	19.3	5.6	23
Haryana	62.53	67.3	73.0	19.9	6.1	28
Himachal Pradesh	51.28	70.3	77.5	15.3	6.8	17
Jharkhand	39.50	70.5	68.9	22.0	5.2	25
Karnataka	58.27	67.9	71.8	16.5	6.2	19
Kerala	78.44	71.9	78.0	13.2	7.0	6
Madhya Pradesh	47.11	65.5	69.5	24.1	6.5	43
Maharashtra	48.41	71.6	74.5	15.0	5.5	16
Odisha	46.45	69.1	71.8	17.5	7.3	36
Punjab	75.23	70.8	74.5	14.3	7.2	18
Rajasthan	39.66	67.1	71.7	23.5	5.6	32
Tamil Nadu	75.01	71.0	75.5	13.8	6.1	13
Telangana	60.59	68.7	71.4	16.4	6.0	21
Tripura	34.95	N.A.	N.A.	12.6	5.7	18
Uttar Pradesh	43.68	65.3	66.7	25.1	6.5	38
West Bengal	43.62	71.1	73.6	14.8	5.5	19
India[1]	31.3	68.6	71.4	19.5	6	28

N.A. Not available

@ Infant mortality rates for smaller States and Union Territories are based on three years period 2018-20

State	Under five Mortality Rate	Neo-natal Mortality Rate	Total Fertility Rate	Maternal Mortality Ratio	Mean age at effective marriage (females)	Percentage of children fully immunized (0-5 years)
Reference Year / Date	(2020)	(2020)	(2020)	(2018-20)	(2020)	(2017-18)
	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)
Hill State						
Uttarakhand	26	17	1.8	103	23.4	70.3
Arunachal Pradesh	NA	NA	NA	NA	NA	41.3
Assam	40	19	2.1	195	22.0	60.1
Manipur	NA	NA	NA	NA	NA	75.1
Meghalaya	NA	NA	NA	NA	NA	52.0
Mizoram	NA	NA	NA	NA	NA	73.4
Nagaland	NA	NA	NA	NA	NA	12.8
Sikkim	NA	NA	NA	NA	NA	65.1
Other State						
Andhra Pradesh	27	17	1.5	45	22.5	73.6
Bihar	30	21	3.0	118	22.2	60.1
Chhattisgarh	41	26	2.2	137	21.6	69.5
Delhi	14	8	1.4	NA	24.4	47.8
Goa	NA	NA	NA	NA	NA	59.7
Gujarat	26	16	2.0	57	23.6	59.6
Haryana	33	19	2.0	110	23.2	72.1
Himachal Pradesh	24	13	1.5	NA	24.1	72.0
Jharkhand	27	17	2.4	56	21.0	61.7
Karnataka	21	14	1.6	69	22.8	72.8
Kerala	8	4	1.5	19	23.4	62.8
Madhya Pradesh	51	31	2.6	173	21.8	58.4
Maharashtra	**18**	**11**	**1.5**	**33**	**23.7**	**58.6**
Odisha	39	28	1.8	119	22.0	66.8
Punjab	22	12	1.5	105	24.4	61.8
Rajasthan	40	23	2.4	113	22.9	57.3
Tamil Nadu	13	9	1.4	54	23.3	51.9
Telangana	23	15	1.5	43	23.0	70.1
Tripura	NA	NA	NA	NA	NA	50.0
Uttar Pradesh	43	28	2.7	167	22.3	54.6
West Bengal	22	14	1.4	105	23.0	66.2
India$	**32**	**20**	**2.0**	**97**	**22.7**	**59.2**

$ Includes Union Territories   NA: Not Available

State	Crimes against children (no.)	Number of fair price / ration shops per lakh population$	Percentage of population Below Poverty Line	Percentage of households having access to latrine facility	Human Development Index (HDI)	Human Development Index (HDI)	Multi-dimensional Poverty Index (MDPI)
Reference Year/ Date	(2022)	(2022-23)	(2011-12)	(2011)	(2020)	(2021)	(2019-21)
	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)
Hill State							
Uttarakhand	1,706	77	11.26	66.3	0.661	0.672	0.111
Arunachal Pradesh	143	127	34.67	69.2	0.671	0.665	0.059
Assam	4,001	93	31.98	66.8	0.606	0.597	0.086
Manipur	129	94	36.89	89.3	0.667	0.679	0.034
Meghalaya	490	141	11.87	62.7	0.631	0.643	0.133
Mizoram	135	181	20.40	93.3	0.697	0.668	0.024
Nagaland	35	82	18.88	83.3	0.679	0.670	0.068
Sikkim	159	182	8.19	88.7	0.711	0.702	0.011
Other State							
Andhra Pradesh	3,308	55	9.20*	32.6*	0.639	0.650	0.027
Bihar	8,122	39	33.74	24.3	0.576	0.571	0.160
Chhattisgarh	6,177	43	39.93	26.0	0.614	0.600	0.070
Delhi	7,468	9	9.91	96.7	0.740	0.730	0.014
Goa	188	31	5.09	83.0	0.761	0.751	0.003
Gujarat	4,904	23	16.63	59.0	0.646	0.636	0.050
Haryana	6,138	32	11.16	70.2	0.701	0.691	0.031
Himachal Pradesh	740	70	8.06	70.3	0.713	0.700	0.020
Jharkhand	1,917	63	36.96	22.0	0.597	0.589	0.121
Karnataka	7,998	30	20.91	55.0	0.676	0.667	0.031
Kerala	3,640	39	7.05	96.2	0.762	0.752	0.002
Madhya Pradesh	20,415	29	31.65	30.0	0.604	0.596	0.090
Maharashtra	20,762	43	17.35	60.0	0.690	0.680	0.023
Odisha	8,240	26	32.59	23.4	0.607	0.597	0.070
Punjab	2,444	57	8.26	80.3	0.701	0.694	0.020
Rajasthan	9,370	33	14.71	35.7	0.647	0.638	0.067
Tamil Nadu	6,580	45	11.28	54.3	0.695	0.686	0.009
Telangana	5,657	45	-	-	0.638	0.647	0.023
Tripura	229	49	14.05	88.5	0.657	0.629	0.056
Uttar Pradesh	18,682	33	29.43	37.0	0.601	0.592	0.103
West Bengal	8,950	20	19.98	61.4	0.613	0.624	0.059
India*	**1,62,449**	**39**	**21.92**	**50.2**	**0.642**	**0.672**	**0.066**

$ As on 31st March, 2024   * Including Telangana

[illegible]

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
(नियोजन विभाग)
उत्तराखण्ड सरकार
37A, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248013
दूरभाष / फैक्स: 0135-2712604
ई-मेल: dirdesuk@gmail.com | dir-des-uk@nic.in
वेबसाइट: www.des.uk.gov.in